खण्ड-391, अंक-7
सोमवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1911
(27 मार्च, 1989 ई0)

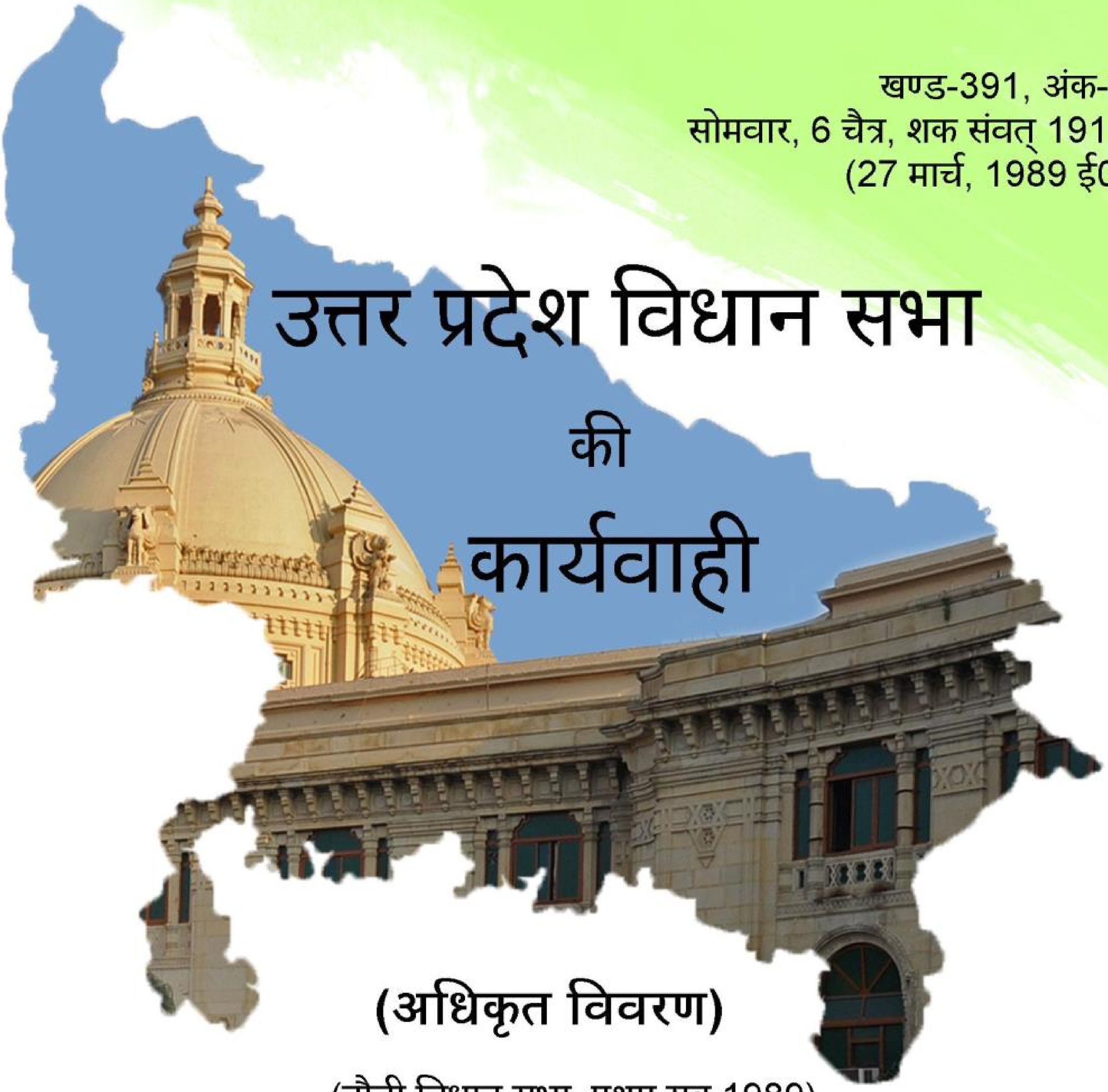

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
होली की बधाई एवं शुभकामनाएं	1
प्रश्नोत्तर	1–110
जनपद हरदोई के सी0 एस0 नेहरू महाविद्यालय के बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खंड के भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद गाजीपुर के विकास खंड वाराचवर में अकटही ताजपुर डेहमागडार मार्ग का लेपन स्तर बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
स्वास्थ्य महानिदेशालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये सिविल इंजीनियर्स को वापस किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद बरेली के पुराने शहर क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद गाजीपुर के विकास खंड कासिमाबाद में परजीपुर से नगवा महुवारी मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
साधन सहकारी समिति, कौरोना जनपद सीतापुर के सचिव द्वारा गबन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	113
सिंथैटिक एवं केमिकल्स लिमिटेड तथा मेसर्स सौमेया आर्गेनिक बाराबंकी पर करोड़ों रुपए का पूर्व बकाया के बाद भी सरकार द्वारा रियायतें देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	113–120
जनपद हरदोई में बनने वाली नवीन तहसील का मुख्यालय पाली के बजाय हरपालपुर करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	120–122
मथुरा जनपद के दो परगनाधिकारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के संबंध में औचित्य का प्रश्न	122
विधान सभा के विरोध पक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	122
ठक्कर आयोग के संबंध में नियम 311 के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	123–128
देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने का निर्णय होने में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की उपेक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	128–130
विद्युत वितरण खण्ड सीतापुर के अधिशाषी अभियन्ता श्री सक्सेना एवं विद्युत कर्मियों द्वारा श्री बुनियाद हुसैन अंसारी सदस्य, विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उनके घर की बिजली पानी के कनेक्शन काटने व फर्जी रिपोर्ट लिखाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना ..	130–143
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1989 (अधिनियम बन गया) ..	143

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 (अधिनियम बन गया) .. 143

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक 1989 (अधिनियम बन गया) 143

उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 (अधिनियम बन गया) 144

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 144

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना .. 144

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को निर्दिष्ट प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 145-158

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 (पुरःस्थापित) .. 158

न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (पुरःस्थापित) .. 159

उत्तर प्रदेश चल चित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 (पुरःस्थापित) .. 159

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 159-175

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या--13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास),
अनुदान संख्या--14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज),
अनुदान संख्या - 19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) ..
अनुदान संख्या--52 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) 175-234

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 234

विद्युत परिषद् द्वारा सीमेन्ट के विद्युत खम्भों की खरीद में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में वक्तव्य का स्थगन 234

4 मार्च, 1989 को खतौली मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा जन प्रतिनिधियों की पिटाई के संबंध में वक्तव्य का स्थगन 225

जनपद गोरखपुर में पुलिस द्वारा शासनादेश एवं मुख्य मंत्री की घोषणा की अवहेलना के संबंध में वक्तव्य का स्थगन 235

लखनऊ कानपुर के मध्य उन्नाव शहर के बाहर स्थित बाई पास पर लखनऊ और कानपुर आने जाने वाली बसों के न रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में परिवहन राज्य मंत्री का वक्तव्य 235-238

शुगर मिल नवाबगंज जिला गोण्डा के बन्द कर दिये जाने से लगभग पन्द्रह सौ मजदूरों के बेरोजगार हो जाने एवं गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान न किये जाने के संबंध में वक्तव्य का स्थगन 238

नस्थियां 239-243

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अमर नाथ सिंह, श्री	फतेहपुर
अमिताभ अनिल दुबे, श्री	गाजीपुर
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अरुण प्रताय सिंह, श्री	गोण्डा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशोक सेहरा, श्री	आगरा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
औसान सिंह, श्री	इटावा
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
किशन लाल, श्री	पीलीभीत
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
कोकब हमीद, श्री	मेरठ
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती
नत्थू लाल बिकल, श्री	बरेली
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद
पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फूल सिंह सौदाई, श्री	मुजफ्फरनगर
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर
बैजनाथ, श्री	देवरिया
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भागीरथ चौधरी, श्री	झांसी
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
मो0 सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम लक्षम, श्री	गोरखपुर

लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
विक्रमादित्य पाण्डय, श्री	बलिया
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विमला राकेश श्रीमती	सहारनपुर
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
बीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिरोमणि भाई, श्री	बांदा
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
शेर बहादर सिंह, श्री	फैजाबाद
संजय सिंह, डा०	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र, श्री	आगरा
सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरशरण सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

होली की बधाई एवं शुभ कामनाएं

श्री अध्यक्ष–

आप सबको होली की शुभकामनाएं एवं बधाई ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

हम सबकी ओर से भी आपको होली की शुभकानाएं एवं बधाई ।

(सदन के अन्य सदस्यों ने भी श्री अध्यक्ष को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 1989 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के भविष्य निधि में जमा करने हेतु लेखा संगठन का गठन

**1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् सीतापुर के अध्यापकों के भविष्य निधि जमा करने की पास बुकें अभी तक नहीं बनी हैं तथा भविष्य निधि की कटौती का पैसा भी यथा समय जमा नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो इस दुर्व्यवस्था को ठीक कराने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

जी हां ।

भविष्य निधि की कटौती का पैसा नियमित रूप से जमा किया जाता है ।

प्रश्नगत व्यवस्था के ठीक करने हेतु राजाज्ञा संख्या 6180/15-5-196/86 दिनांक 7 अगस्त, 1986 द्वारा लेखा संगठन का गठन किया जा चुका है । अध्यापकों के भविष्य निधि का लेजर में पोस्टिंग का कार्य कराया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब अध्यापकों का पास बुकें अभी तक बनी ही नहीं हैं तो उनका पैसा कहां जमा किया जा रहा है और पास बुकें कब तक बन जायेंगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

लेजर बुक में मासिक कटौतियों की पोस्टिंग बराबर हो रही है और लेजर बुक में जनवरी, 1989 तक का पूरा हिसाब है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, लेजर बुक में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और इस सम्बन्ध में शिक्षकों ने अपनी आपत्तियां दाखिल भी की हैं । जब तक उनकी पास बुकें नहीं खोली जायेंगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने सीतापुर का नाम तो केवल एक टांकेन मात्र ही लिया है, सारे जिलों में यही समस्या है । बेसिक शिक्षा परिषद् का लेखा संगठन अत्यन्त दोषपूर्ण है । इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि लेखा संगठन के गठन मात्र से इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जायेगा ?

मान्यवर, इस विषय में सरकार स्वयं भी बहुत चिन्तित है और सरकार का यह प्रयास है कि लेखा संगठन को और मजबूत बनाया जाये । जिन जिलों में इसकी स्थापना अभी तक नहीं हुई है वहां भी शीघ्र लेखा संगठन का गठन किया जाय । सरकार का यह प्रयास है कि लेखा संगठन पूरे प्रदेश में ठीक प्रकार से कार्य करे । हमारा यह भी प्रयास है कि पास बुकें भी जल्द से जल्द तैयार कराई जायें और शिक्षकों के भविष्य निधि का पैसा ठीक प्रकार से जमा हो और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न रहे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, यह मामला केवल सीतापुर का ही नहीं है बल्कि इस आदरणीय सदन में और इसके बाहर भी पूरे प्रदेश में यह मामला यदाकदा उठता रहा है और खासकर गोरखपुर में इसमें करोड़ों रुपये का घपला है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस अनियमितता को देखते हुए स्पष्ट आदेश देंगे कि एक निश्चित अवधि के अन्दर सारे प्रदेश में प्राविडेन्ट फण्ड उनके एकाउन्ट में जमा हो जायेगा और जहां पैसा जमा नहीं है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, हमारा यह प्रयास होगा कि सभी जिलों में ठीक से एकाउन्ट जी0 पी0 एफ0 मेन्टेन हो, सब जगह ठीक से इसको मेन्टेन करवायेंगे । सम्मानित सदस्य की चिन्ता से हम भी चिन्तित हैं । 71-72 में इस कार्य को देखने को हमें मिला इसके पहले इसे जिला परिषद् देख रही थी मान्यवर, फिर भी इस काम को ज्यादातर जिलों में ठीक किया है और हमारा प्रयास है कि जी0 पी0 एफ0 का सभी जिलों में छानबीन हो जाय, जहां कहीं भी धांधली हुई है, हमने एक्शन लिया है और कार्यवाइयां की हैं और आगे भी करते रहेंगे और ठीक से मेन्टेन करायेंगे और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र इस लेखा संगठन को और मजबूत बनायेंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, जैसा कि बहुत से जिलों में इसे करा दिया गया है और बहुत से जिले छूटे रह गये हैं। तो मान्यवर, जो चिन्ता व्यक्त की थी कि बहुत से जिले रह भी गये हैं जहां भविष्य निधि का ठीक से हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है । आपने यह कहा है कि हमने किया है और आपने यह भी कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित रूप से यह बता दें कि इन अध्यापकों की भविष्य निधि के लिए सरकार 4 महीने 6 महीने कितना समय लेगी ताकि आपका आश्वासन हो जाय और प्रदेश के अध्यापक समझ सकें कि हमारी व्यवस्था हो जायेगी, 9 महीने में कर सकें तो वह बता दें जो समय चाहते हों वह बता दें हमें समय देने में कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित समय बता दें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

शीघ्र ही करा देंगे, जल्दी ही करा देंगे । हम अध्यापकों के बहुत ही शुभचिन्तक हैं और ज्यादातर जगह पर यह काम हो गया है, कुछ ही जगह बाकी रह गया है जहां हमारे लेखाधिकारी नहीं हैं वहां "विपदा" है वह इस काम को कर रहे हैं । हर जगह पर नहीं बहुत कम जगह रह गयी है जहां पर रिकार्ड का ठीक से मेन्टेन नहीं हो सका है वैसे ही जल्दी ही इसको करा देंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

श्री सत्य पाल सिंह–

9 महीने से पहले करा देंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यादव जी, 9 महीने की गिनती क्यों ज्यादा याद आ रही है?

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने जो चिन्ता प्रकट की है उसके कारण मैं उनकी कुछ सहायता करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह प्राविडेन्ट फण्ड और जो सारे फण्ड हैं यह अपने सर पर क्यों रखे हुए हैं यह किसी प्राविडेन्ट कमिश्नर या इसे लोकल कमिश्नर के यहां सारे पैसे को जमा करवायें और उनके अनुसार वहां खाता मेन्टेन हों इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ? माननीय शिक्षा मंत्री जी बताये कि इस मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बेसिक शिक्षा परिषद का सगठन, जब यह विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ था उसी समय हमने यह आशंका प्रकट की थी कि यह संगठन व्यक्ति विशेष के लिए ही बनाया जा रहा है, इसकी कोई नियमावली नहीं है, कोई प्रशासनिक ढांचे में गड़बड़ी हो, नियमों में गड़बड़ी हो अभी हमारे बलिया में वहां के जिलाधिकारी अशोक कुमार ने वह पैसा एन0 एस0 एफ0 में जमा कर दिया था तो इस बात को देखते हुए कोई सख्त समिति बनायेंगे जो पूरे बेसिक शिक्षा परिषद् के ढांचे की प्रशासनिक वित्तीय रिपोर्ट दे ताकि इसको ठीक कराया जा सके ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार हमारी प्रयत्नशील है एकाउन्ट को मेन्टेन करने में ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही सवाल पूछा था, मंत्री जी ने उत्तर सही दिया होगा, लेकिन मेरा समाधान नहीं हुआ । यह जो लेखा संगठन बनाया है, ठीक है । लेकिन उसका काम वित्त नियंत्रण करना है, व्यवस्थित करना है । लेकिन सवाल यह है कि अगर अध्यापकों की पास बुकें नहीं खुलीं और लेजर में पैसा नहीं गया, तो हिसाब कैसे मेन्टेन होगा ? जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने कहा, पैसा कहीं भी डिपाजिट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था की है कि सब जगह पास बुक खुल कर पैसा चला जाय ? अन्यथा रिटायरमेन्ट के समय अनेक अव्यवस्ताएं होती हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था की है ? स्टाफ की भी कमी है, यह हमारी जानकारी है, तो कौन सी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि लेखा संगठन से भिन्न किसी और से यह काम कराया जाय ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पास बुक भी बनवा दी जायेगी जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा है ।

स्थानीय निकाय के चुनावों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियों की तैनाती

**2—श्री बलराम यादव, श्री राम शरण दास तथा श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर स्थानीय निकायों में अभी हुये चुनाव के फलस्वरूप कितने प्रभारी अधिकारी कार्य मुक्त हुये हैं ? क्या कार्य मुक्त समस्त प्रभारी अधिकारियों की तैनाती अन्यत्र कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनसे कुछ कनिष्ठ अधिकारी अपने पूर्व वेतनमान में कार्यरत हैं जबकि वरिष्ठ अधिकारियों की अभी तक कहीं तैनाती नहीं की गई है ?

नगर विकास, सूचना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

नवम्बर, 1988 में नगर स्थानीय निकायों में हुए चुनाव के फलस्वरूप नगर-पालिका बोर्डों के गठन के कारण पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (प्रवर) सेवा के 16 प्रभारी अधिकारी वेतनमान 1100-2050 में फालतू (सरप्लस) हो गये थे ।

सभी अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों की तैनाती कितने दिनों के बाद की है । ये जो सरप्लस अधिकारी आपके पास चुनाव के बाद बच गये थे, उनकी तैनाती कितने दिनों के बाद की है और इस बीच में इनसे क्या काम लिया गया ?

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, 10 फरवरी को हमने करीब जो 16 पद थे, उसमें से 14 पदों को अपग्रेड कर दिया और उसके आदेश 15 फरवरी को जारी कर दिये । दो पद 10 फरवरी को क्रिएट किये गये और 15 फरवरी के बाद सोलहों स्थानों पर इन अधिकारियों ने कार्य-भार सभाल लिया ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, नगर महापालिकाओं में पहले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे । अब वे अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी कह कर रख दिये गये, लखनऊ, कानपुर, बरेली में सब जगह । इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है । अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी के कारण 25 हजार रुपये प्रति माह का बोझ बढ़ गया है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारियों को स्थायी रूप से रखने जा रहे हैं, जबकि नगर-पालिका अधिनियम में इनका प्राविधान नहीं है ?

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, डा0 जौहरी साहब ने जिस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन इन्होंने जो सूचना चाही है, वह डाक्टर जौहरी साहब को दे दी जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जब नगरपालिकाओं के चेयरमैन बन गये तो उनके चुनाव के बाद ये वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी

कितने समय तक कार्यरत रहे और अब आज जो प्रोन्नति बता रहे हैं कि प्रोन्नति की, क्या बता सकते हैं कि उन नगर पालिकाओं में, जिनमें इनको समायोजित किया है, वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी का पद चेयरमैन के चुनाव के बाद रिक्त रखने का क्या औचित्य है ?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, जिन पदों की ओर माननीय वर्माजी ने इशारा किया, जितने समय के बीच में वे कार्यरत रहे, इस बीच कोई नया पद नहीं क्रियेट किया गया । उनके पद को अपग्रेड किया गया और उसके बाद उन्होंने कार्यभार सम्भाला । इस बीच में वे उसी पद पर कार्य करते रहे । उनका अनुरोध था कि अपग्रेड कर दिया जाय, तो कर दिया गया । उसके बाद उन्होंने चार्ज भी सम्भाल लिया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह तो उत्तर का अनर्थ कर दिया । प्रभारी अधिकारी उस समय काम कर रहे थे, जिस समय चेयरमैन नहीं थे । जब चेयरमैन चुनकर आ गये उन्होंने कार्य भार ग्रहण कर लिया, मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद से प्रभारी अधिकारियों ने कौन सा काम किया । जो प्रभारी अधिकारी के काम थे वह तो चेयरमेन के सुपुर्द हो गये । कौन सा उन्होंने काम किया इसे स्पष्ट कर दें ?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, जो अपग्रेडेड की पोस्ट पर अधिकारी थे, चेयरमेन की पावर्स हैं वह तो डिगनीफाईड हैं । चेयरमेन के निर्देश पर एक्जीक्यूटिव आफिसर्स काम कर रहे हैं । उनकी पावर्स अलग से स्पेसिफाइड नहीं हैं । जो चेयरमेन के निर्देश हैं एक्जीक्यूटिव आफिसर्स उसको एक्जीक्यूट करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिस समय सरकार के पास नगरपालिका थी वहां जो सेन्ट्रलाइज्ड के स्थानीय निकाय के अधिकारी थे और दूसरे पी0 सी0 एस0 अधिकारी बना दिये गये । जब चेयरमेन आ गये तो जो बाहर से अधिकारी आये थे उनको यथास्थान वापस जाना चाहिए था । आपने भी बताया कि 16 आदमी सरपलस पाये उनको समायोजित कर दिया । परिणाम क्या हुआ कानपुर में 4 की जगह पर 9 उप अधिकारी हो गये लखनऊ में 4 की जगह 5 हो गये । लखनऊ, कानपुर में यह जो अधिकारी बढ़े क्या उनके संबंध में पद की स्वीकृति ली गयी कि यह नियुक्त कर दिये जायं ? 16 आदमी जो हैं यह शासन के ऐसे चहेते लोग हैं जिनको जानबूझकर फायदा पहुंचाने वाले पदों पर कायम रखना चाहते हैं । जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनको ही वहां न रखकर इन लोगों को समायोजित करने का क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें जिस ओर इशारा किया था नगरमहापालिका लखनऊ और कानपुर के बारे में, एक लखनऊ में सरपलस की बात कही, उस पर सरकार विचार कर रही है । कानपुर में चुनाव हो गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियुक्तियां करने के बाद विचार कर रही है?

श्री नरेश चन्द्र–

यह जो अधिकारी हैं 16, 14 मैंने बताया अपग्रेडेड हैं दो के स्थान क्रियेट किये। 16 अधिकारी में अब कोई पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं तो उनकी जब कहीं पर पोस्टिंग होगी तो वापस चले जायेंगे तो उसमें दूसरे अधिकारी रख लिये जायेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी अपनी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं । प्रभारी अधिकारी और वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी के पद थे, जहां परगनाधिकारी थे वह परगनाधिकारी कार्य मुक्त हो गये प्रभारी अधिकारी के उससे प्रभारी अधिकारी नगर-पालिकाओं के कार्य के लिए जिम्मेदार थे, अब जब चुनाव हो गये चेयरमेन आ गये तब प्रभारी अधिकारियों को उन पदों पर बनाये रखने का क्या औचित्य है क्या पदों की स्वीकृति शासन से ले ली है कि यह पद बने रहेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र–

माननीय वर्मा जी ने जो कहा, कुछ तो स्थान थ वहां से प्रभारी अधिकारियों को दूसरी जगह कर दिया गया । जहां प्रभारी अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है । कुछ प्रभारी अधिकारियों को, जो पहले से वहां थे अपग्रेडेड कर दिया गया । दो अधिकारी नहीं रखे हैं । कुछ स्थानों में कनिष्ठ उप अधिकारी दो थे, वहां से स्थानान्तरित कर दूसरी नगरपालिकाओं में कर दिया गया । सबने 15 फरवरी को चार्ज ले लिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रागदर्शन में सरकार हम लोगों की बातों को सही समझती है तभी तो पुनर्विचार कर रही है । हम साफ-साफ जानना चाहते हैं कि जो अपग्रेडेड कर दिये गये हैं, माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा कि कमाऊ पुतना दिये गये, प्रोन्नतियों में कनिष्ठ जो थे वह प्रोन्नति पा गये जो वरिष्ठ थे वह अपनी जगह रह गये, पूरे प्रकरण की जांच कराने की कृपा करेंगे ? प्रोन्नतियों में भ्रष्टाचार किया गया है । नियमों की अवहेलना की गयी है, अनियमिततायें हुई इस पूरे प्रकरण की जांच किसी हाई पावर कमेटी से करायेंगे ताकि प्रोन्नतियों में नियमों का पालन किया जाय ? जब सेन्ट्रलाइज्ड केडर के लोग विद्यमान हैं तब बाहर के लोगों की पोस्टिंग नियम विरुद्ध होगी । इन दोनों बातों पर कोई आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है । जहां तक सलेक्शन की बात है, उसमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है । लेकिन यदि माननीय गुप्त जी कोई व्यक्ति विशेष की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, तो उसकी जांच करा लेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के टाण्डा ब्लाक में सर्वाधिक इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प के लगाये जाने की शिकायत

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा ब्लाक में अप्रैल,

1988 से जून, 88 के बीच में इण्डिया मार्क–2 के 260 से अधिक हैण्डपम्प लगाये गये जब कि जनपद के शेष क्षेत्रों में कुल मिलाकर इसके आधी संख्या में भी उक्त अवधि में हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो शासन प्रशासन द्वारा विभिन्न ब्लाकों के साथ इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का क्या कारण है और इसके लिए कौन दोषी है ?

आवास, जल सम्पूर्ति एवं क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)–

जी नहीं ।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा ब्लाक में अप्रैल, 88 से जून, 88 के बीच इण्डिया मार्क–2 के 167 हैण्ड पम्प लगाये गये एवं जनपद के शेष क्षेत्रों में उसी अवधि में 143 हैण्ड पम्प लगाये गये ।

सर्वेक्षण के आधार पर यह ज्ञात होने पर कि टाण्डा ब्लाक के ग्रामों में कुओं का जलस्तर काफी गिर गया है तथा मार्च, 1988 तक टाण्डा तहसील के समयाग्रस्त ग्रामों में फैजाबाद जनपद के अन्य तहसीलों की तुलना में सबसे कम हैण्ड पम्प लगाये जाने के कारण टाण्डा तहसील में अप्रैल, 1988 से जून, 1988 तक अपेक्षाकृत अधिक संख्या में हैण्ड पम्प लगाये गये । इसके लिए किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि कब और किसकी शिकायत पर यह सर्वेक्षण कराया गया कि यहां के कुओं का जलस्तर गिर रहा है और वह सर्वेक्षण किसने किया । साथ ही यह भी बता दें कि उस अवधि में जिले के जो दूसरे ब्लाक हैं, उनमें भी जलस्तर में गिरावट आई थी या नहीं आयी थी ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, आदरणीय तिवारी जी मुझसे अच्छा जानते हैं कि किन कारणों से यहां हैण्डपम्प लगाये गये । तिवारी जी मेरे गुरू भी हैं, वह स्वयं जानते हैं, वह मुझसे बेकार कहलाना चाहते हैं । वैसे चूंकि टाण्डा तहसील में सबसे कम हैण्डपम्प लगाये गये थे, इसलिए यह आधार था और जिलाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था । उन्होंने कहा कि टाण्डा तहसील में ज्यादा जलस्तर गिर रहा है, इसलिए हैण्ड-पम्प लगाये गये ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टाण्डा क्षेत्र का जलस्तर नीचे चला गया था, तो क्या यह सही है कि उपचुनाव होने के कारण जलस्तर नीचे चला गया था और उस चुनाव के लिए ही यहां हैण्ड पम्प लगाये गये, जिससे जलस्तर ऊपर आ जाय?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी से जो मैंने कहा, वही उत्तर मेरे अपने अग्रज बाबू मैनेजर सिंह जी के लिए भी है । जब जिलाधिकारी ने सर्वेक्षण करके बताया कि टाण्डा की हालत बहुत खराब है, तो वहां हैण्डपम्प लगाये गये ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को सत्य मानकर, कि ऐसी तमाम विसंगतियां प्रदेश के अनेक जिलों में, अनेक ब्लाकों में हैं, मेरे ही क्षेत्र में एक-एक गांव में 15-15 हैण्डपम्प लग जाते हैं और कोई-कोई गांव बिल्कुल साफ भी हैं, जहां एक भी हैण्डपम्प नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इन हैण्डपम्प्स के लगवाने के संबंध में क्या शासन की तरफ से कोई आधार अथवा कोई नीति निर्धारित है ? यदि है तो वह क्या है ? किन आधारों पर, किस नीति के अंतर्गत यह हैण्डपम्पस की संख्या किसी गांव के लिए निर्धारित की जाती है ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, जिलाधिकारी के सर्वेक्षण पर यह लगाये जाते हैं । अगर कोई समस्याग्रस्त गांव है तो वहां 1-2 हैण्डपम्प अवश्य लगाये जायें, यह नियम है । अगर माननीय सदस्य के क्षेत्र में कोई विसंगति है, तो यह मुझे लिखकर दे दें कि यह समस्याग्रस्त गांव है और इसमें लगना चाहिए, तो वहां निश्चित रूप से लग जायेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि चुनाव के कारण इस तरह का काम किया गया है । माननीय मंत्री जी के सामने पत्रावली है और जिले की स्थिति भी उनके सामने है। भीटी और कटहरी ब्लाक ऐसे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त गांव हैं। माननीय मंत्री जी के समक्ष सर्वेक्षण रिपोर्ट भी है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन ब्लाकों के समस्याग्रस्त गांवों में इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगाने हेतु निर्देश देने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, पहले तो यह कह दूं कि चुनाव के कारण यह काम नहीं किया गया था। जिन ब्लाकों के बारे में माननीय श्री तिवारी जी ने कहा है, वहां पर कम से कम जो आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से 1–2 हैण्ड पम्प अवश्य लगा दिये जायेंगे।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, फैजाबाद के संबंध में जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसी के संदर्भ में मैं अपने क्षेत्र की बात भी करना चाहता हूं। लखनऊ जनपद के अन्तर्गत जो समस्याग्रस्त गांव हैं, उनका मानक क्या है? दूसरा, प्रधानों द्वारा जो स्थल चयन किया जाता है, मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरे यहां सरोजनी नगर ब्लाक के भटगांव बाद खेड़ा ग्राम में मुश्किल से 20 घर होंगे, जहां पर ग्राम प्रधान ने एक हैण्ड पम्प अपने घर पर लगा रखा है और दूसरा जहां वह अपने जानवर बांधता है, वहां लगा रखा है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस स्थल चयन के संबंध में विधायकों से भी अनुमोदन प्राप्त करने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, अभी तक जो नियम है वह ग्राम प्रधानों से ही स्थल चयन की है, लेकिन अच्छा यह होगा कि विधायकों से भी उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जिलाधिकारी से इसका चयन किया जाता है। हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से 1972 में जो सर्वेक्षण हुआ था, उसी की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिलाधिकारी तो केवल सूखा राहत के समय एक-दो हैण्ड पम्प दे देता है। जिस प्रकार सड़कों के चयन, हास्पिटल की बिल्डिंग के चयन तथा जिले के जो अन्य कार्य होते हैं, उनमें जिले के विधायकों, सांसद व विधान परिषद् के सदस्यों से राय ली जाती है कि कहां क्या चीज बनायी जानी है, तो क्या इसी प्रकार से जल निगम द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं, इसमें भी विधायकों, सांसदों व विधान परिषद् के सदस्यों से राय लेने हेतु आप स्पष्ट निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, पहले यही नियम था। अब मैं अपनी ओर से उन्हें आश्वासन दे रहा हूं कि अब विधायकों, विधान परिषद् के सदस्यों व लोक सभा के सदस्यों से भी इस पर अनुमोदन लिये जायेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि समस्याग्रस्त गांवों की सूची होती है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरा प्रदेश समस्याग्रस्त है। कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वे शुद्ध राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी जो ये पाइप लगाये जा रहे हैं उन्हें फ्लैट रेट पर जनसंख्या के आधार पर हर गांव को बराबर बांटने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने कहा कि कांग्रेस के दबाव में हैं जिलाधिकारी, तो यह कहना सत्य नहीं है कि वे दबाव में हैं। समस्याग्रस्त गांवों में लगाया जा सकता है लेकिन सभी गांवों में समान रूप से वितरण सम्भव नहीं है।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत वर्कचार्ज तथा मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विभिन्न शाखाओं/इकाइयों में इस समय कितने कर्मचारी वर्कचार्ज तथा कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर कार्यरत हैं ? वर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मचारी जिनको लगभग 5 वर्ष या उससे अधिक सेवा करते हुए हो गये हैं, को नियमित न किये जाने का क्या कारण है तथा इनको कब तक नियमित कर दिया जायेगा?

श्री श्रीनाथ सिंह–

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के विभिन्न खण्ड कार्यालयों में 1052 कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा 1729 मस्टर रोल कर्मचारी कार्यरत हैं। 1052 कार्य प्रभारित कर्मचारियों में से 931 को नियमित किया जा चुका है। शेष 121 कर्मचारियों में से

86 कार्य प्रभारित कर्मचारी पांच वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं। उनको नियमित इस कारण नहीं किया जा सका है कि वृत्त स्तर पर खण्डों में जहां वह तैनात हैं पद स्वीकृत नहीं है। अब इन अनियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उनकी सहमति प्राप्त करके ऐसे खण्डों में जहां स्थान रिक्त है, स्थानान्तरित करके नियमित करने की कार्यवाही मुख्यालय द्वारा की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पहले तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जो 121 कर्मचारी रह गये हैं नियमित करने के लिए, उनको नियमित करने में कितना समय लगेगा? दूसरी बात, 1729 मस्टर रोल कर्मचारी जो हैं, जिनको तीन साल काम करते हुए पूरे हो गये हैं, उनको क्या वर्कचार्ज के रूप में नियुक्त करने पर भी विचार कर रहे हैं?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया था कि पांच साल जिनको हो गये हैं, जहां वह कार्य कर रहे हैं वहां जगहें रिक्त नहीं हैं, इसलिए उनसे सहमति ली जा रही है कि जहां जगह रिक्त है वहां जाना चाहें तो सहमति दे दें। चूंकि सहमति नहीं आ पायी है इसलिए देर हो रही है, जैसे ही सहमति प्राप्त हो जायगी 86 वर्कचार्ज के लोगों का नियमितीकरण कर दिया जायगा। जहां तक मस्टर रोल के कर्मचारियों का प्रश्न है, इनके विषय में पूरे डिटेल्स प्राप्त नहीं हैं, जब प्राप्त हो जायेंगे, उत्तर दे दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में इस बात को माना है कि 1729 मस्टर रोल कर्मचारी कार्यरत हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि विस्तृत सूचना नहीं है, मेरा पूछना था कि 1729 जो कर्मचारी हैं, जिनको तीन साल से ऊपर का समय का कार्य करते हुए हो गया है, क्या वर्कचार्ज के कर्मचारी के रूप में उनकी नियुक्ति पर विचार करेंगे? दूसरी बात, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि सहमति लेने के बाद 121 कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करेंगे, पद कहां खाली हैं कहां नहीं हैं यह सब देखेंगे, तो इसकी जानकारी करने में कितना समय लेंगे और कितने समय में नियमित कर देंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मस्टर रोल के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जब तक एग्जामिन नहीं करा लूंगा तब तक कार्यवाही सम्भव नहीं है। उसके बाद तुरन्त कार्यवाही करूंगा। शेष जो 86 कर्मचारी हैं, उनको लिख दिया गया है कि अमुक-अमुक स्थान पर पद रिक्त हैं, जाना चाहें तो सहमति दे दें।

पौड़ी गढ़वाल, देहरादून व नव सृजित हरिद्वार जनपदों के वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तथा गुजरों आदि के पुनर्वास हेतु आवासीय व्यवस्था की जानकारी

*3–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरिद्वार, देहरादून और पौडी गढ़वाल जिलों की 600 वर्ग किलोमीटर जंगल भूमि को मिलाकर एक सुरक्षित राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 10 हजार से अधिक गुजर स्त्री

पुरुष ग्वाले व 30 हजार से अधिक दूध देने वाले पशु वन क्षेत्र से बेदखल किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भरण पोषण अथवा पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

जी हां ।

गढ़वाल, देहरादून, सहारनपुर तथा नवसृजित हरिद्वार जनपदों के 820 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है । रष्ट्रीय पार्क में मवेशियों के प्रवेश तथा चराई पर प्रतिबन्ध के कारण लगभग 746 गूजर, गोठिए (ग्वाले) तथा टांगिया परिवारों के लगभग 4251 लोगों और 5035 दूध देने वाले पशु (गाय, भैंस, बकरी) को पार्क सीमा के बाहर किया जाना है ।

गूजरों के पुनर्वास हेतु प्रत्येक परिवार के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त मवेशियों के लिए कैटिल शेड, चारा/भूसा गोदाम, चारा उत्पादन हेतु भूमि, पीने का पानी, सिंचाई, स्कूल, बिजली, सड़क की व्यवस्था तथा सहकारी डेरी विकास विभाग के माध्यम से दूध विक्रय की सुविधा का भी प्रबन्ध है ।

गोठियों तथा हक हकूक वाले ग्राम के निवासियों को मुआवजा भुगतान हेतु राजस्व विभाग को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

टांगिया काश्तकारों के पुनर्वास हेतु छप्पर, पीने के पानी, स्कूल की व्यवस्था के अतिरिक्त प्रति परिवार 2500 रुपये मुआवजा और एक एकड़ कृषि भूमि की व्यवस्था है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि चार जनपदों की 820 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र की भूमि में राजाजी राष्ट्रीय पार्क बनाया जा रहा है । इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें किसानों की कितनी भूमि थी और उसमें ऐसी कितनी भूमि थी जो कि हक-हकूक वालों की थी और उसमें कितनी आबादी थी और उसमें कितने लोग रहते थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जिन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहा है, उनका तात्पर्य शायद टांगिया परिवारों की तरफ है जो कि फार्मिंग करते थे, उसमें चार गांव हैं जिसमें एक हजारा है, रसूलपुर है तथा टोंस है । हजारा में करीब 52 परिवार हैं जिनका इन्तजाम कर दिया गया है । शेष तीन जो गांव हैं इनका बन्दोबस्त हो गया था किन्तु ये सुप्रीम कोर्ट चले गये और स्टे ले आये हैं, इसलिए इनका बन्दोबस्त अभी नहीं हो पाया है ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी ही खूबसूरती से उत्तर दे दिया, लेकिन मेरी जानकारी है कि पहाड़ के तमाम लोग सर्दियों में ऊपर से नीचे की ओर 6 महीने के लिए आ जाते हैं अपने परिवार और जानवरों के साथ और यह प्रथा पुरातन से चली आ रही है । मेरा मतलब यह नहीं है कि वहां पर पार्क न बने किन्तु वहां पर आधे में पार्क बना दिया

जाय और आधी भूमि उन लोगों के लिए छोड़ दी जाय जोंकि सर्दियों में ऊपर से नीचे की ओर माइग्रेट करके आते हैं, माननीय मंत्री जी उनके आवास के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

श्रीमन्, माननीय सदस्य शायद उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो कि गोठिये (ग्वाले) हैं। यह सीजनल होता है कि जब बर्फ पड़ती है तो वे लोग अपने जानवरों तथा परिवार के साथ नीचे की ओर आ जाते हैं और फिर उसके बाद वे वापस चले जाते हैं।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वहां पर पार्क बना देंगे तो फिर वहां पर उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी और जानवरों के लिए चरागाह कहां पर होंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

श्रीमन् अगर यह सिर्फ पार्क के पास रहने वालों की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं का तो मैंने जिक्र किया है।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर मेरी निश्चित जानकारी है कि देहरादून डिवीजन के बरकोट रेंज में बीबीवाला क्षेत्र है, जहां पर गूजरों को 10–10 बीघा जमीन दी गयी थी परन्तु उन जमीनों पर जंगलात विभाग वाले फिर से कब्जा कर रहे हैं, तो क्या वन विभाग उनसे जमीन फिर वापस ले रहा है, यदि नहीं, तो क्या जमीन जो उन्हें दी गयी थी फिर वापस दिलवायेंगे आप ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

गूजरों को जमीन दिये जाने के बारे में जहां तक मेरी सूचना है पत्थरी एक गांव है, जहां पर इन्हें जमीन दी गयी थी जो दो करोड़ रु0 की लागत की थी इसके अलावा इन्हें चारा बोने के लिए भी जमीन दी गयी थी और सारे बंदोबस्त किये गये थे, लेकिन वह लोग वहीं पर रहना नहीं चाहते हैं।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत टेहरी विस्थापितों को बसाया गया है, क्या वे लोग फिर वहां से हटाये जायेंगे, और जितने परिवार अब तक वहां पर बसे हैं, वह कितने लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो दूसरा प्रश्न हो गया आपका।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर के अंत में कहा है कि टोंगिया काश्तकारों को मुआवजे के रूप में एक-एक एकड़ कृषि भूमि दी जा रही है। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से एक नीतिगत प्रश्न जानना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय पार्क के बनाये जाने के वजह से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्हें आप जो मुआवजा दे रहे हैं एक-एक एकड़ भूमि का वह बहुत कम है, न्यूनतम जोत सीमा के अंतर्गत सवा तीन एकड़ भूमि हरेक को दी जानी चाहिए दूसरी जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि जो लोग वनों की सुविधाओं पर ही निर्भर हैं, उनके लिए अब आप क्या कर रहे हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जो सुविधाएं यहां के निवासियों को पहले दी जा रही थीं, वह कोई हटायी नहीं जायेंगी, मुआवजा दिया जायगा । वह सारी सुविधाएं उन्हें उसी प्रकार से मिलती रहेंगी ।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद नैनीताल के तराई क्षेत्र के भावरी क्षेत्र में कई गूजर परिवार कई सालों से रहते आ रहे हैं, जो वहां पर दूध का व्यापार करते रहते थे, परन्तु वन विभाग द्वारा अब उनके वह स्थान वहां वे रहते थे और अपने जानवरों को चराते थे, ले लिए जाने से काफी परेशान हैं क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद नैनीताल के गूजरों के रहने के लिए और जानवरों को चराने के लिए जो जगह पहले से मिलती थी, उनको वह जगह दिलवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, प्रश्न तो राजा जी नेशनल पार्क का है, जो गूजर वहां पर आबाद हैं, वह किसी एक स्थान पर आबाद नहीं हैं । जहां पर उनको जगह दिखाई देती है, वहां पर वह बस जाते हैं । वह किसी एक जगह पर नहीं मिलते हैं । जहां पर उनको पानी मिलता है, बस जाते हैं, वह सारे पार्क में फैले हुए हैं । माननीय सदस्य ने नैनीताल जिले का जो जिक्र किया है, उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री शारदा प्रताप शुक्ल जी ने प्रश्न किया और उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पहाड़ के लोग अपने-अपने जानवर लेकर सर्दी के दिनों में यहां आते हैं, तो मेरी निश्चित जानकारी है कि हजारों की संख्या में वह लोग जानवरों समेत इस क्षेत्र में आ जाते हैं और रहने लगते हैं। उन लोगों ने वहां पर रहने के लिए टेम्परेरी मकान भी बना लिये हैं। जो जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह परमानेंट रहने वालों के लिए दिया है, लेकिन उन लोगों का कोई जिक्र नहीं किया है, जो वहां पर आकर बस जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो वहां पर आते हैं, उनको राइट आफ ईजमेंट हो गया है, तो उन लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे और आश्वासन देंगे ।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

माननीय सदस्य का मतलब है कि जो लोग पहाड़ों से भेड़ बकरी लाते हैं, उनके चराने की व्यवस्था की जाती है। उनको अलग-अलग एरिया में बांट दिया जाता है और वहां पर वह चराते हैं और जैसे ही गर्मी पड़ने लगती है, वह चले जाते हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

जो भी वह लाते थे, भेड़ बकरी लाते थे या जानवर लाते थे, जो सुविधा उनको हासिल थी, क्या वह सुविधा उनको दी जाती रहेगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

वह सुविधा उन लोगों को पार्क के बाहर दे दी जायेगी ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जंगलों के किनारे की जमीन जो खेती योग्य है, वह जंगली जानवरों के कारण बर्बाद हो रही है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनकी खेती की रक्षा हो सके और दूसरा प्रश्न यह है कि जंगली हाथियों ने लगभग 27 व्यक्तियों को मार डाला है और उनकी लाश के टुकड़े कर देते हैं और ऐसे व्यक्तियों के पोस्ट मार्टम की व्यवस्था है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनकी लाश का पोस्ट मार्टम न करना पड़े और जो धनराशि उनको दी जाती है, वह बिना पोस्ट मार्टम के ही मिल जाये ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपने दूसरा सवाल कर दिया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बलरामपुर से संबंध रखते हैं और जानते हैं कि बस्ती और गोंडा की सरहद पर नैपाल में बहुत बड़ा जंगल है और वहां पर सैकड़ों जंगली जानवर पाये जाते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी तराई और भावर क्षेत्र में जो जंगल है, उसको सुरक्षित बनाने की कृपा करेंगे, क्या इस पर वह विचार करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, इस पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सामान्य निर्वाचन तथा ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में सहायक की सहायता से मतदान करने वाले मतदाताओं के प्रतिशत का मामला

*1–श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि सामान्य निर्वाचन में सहायक की सहायता से मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम रहता है परन्तु ब्लाक प्रमुख के चुनावों में यह प्रतिशत कई ब्लाकों में 70 से 80 प्रतिशत तक पहुंच जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रशासन द्वारा कोई सुधार प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

सामान्य निर्वाचन से तात्पर्य यदि लोक सभा और विधान सभा सामान्य निर्वाचन से है तब सहायक की सहायता से मतदान करने वाले मतदाताओं के प्रतिशत की सूचना अप्राप्त है ।

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1988 में हुए ब्लाक प्रमुखों के निर्वाचन में केवल 17 ब्लाकों में सहायक की सहायता से मतदान कराने गये मतदाताओं का प्रतिशत 70 से अधिक रहा है ।

उ0 प्र0 क्षेत्र समिति प्रमुखों तथा उप प्रमुखों का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की (नियमावली, 1962) यथा संशोधित के नियम 24 के उप नियम 7 के अधीन निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतदाताओं द्वारा सहायक की सुविधा मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जाती है।

फिलहाल प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, बरार साहब का यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सदन को रूचि है क्योंकि यह सही है कि सामान्य चुनाव में हेल्पर की सहायता से मतदाताओं का प्रतिशत एक परसेन्ट से भी कम रहता है जब कि जिला परिषों और ब्लाक प्रमुखों के चुनावों में यह प्रतिशत 90 प्रतिशत और कभी-कभी शत-प्रतिशत हुआ है और विधायकों और संसद सदस्यों के साथ हेल्पर के माध्यम से चुनाव होते हैं . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं . . (व्यवधान)

[सोमवार, दि0 27 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवास निर्माण हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराये जाने के कार्यक्रम को शहरों में लागू किये जाने की मांग

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि अगस्त, 88 के तृतीय सप्ताह में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति के लोगों को बना बनाया भवन न देकर भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराकर रुपया दिये जाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है ? यदि हां, तो क्या इस योजना को नगर क्षेत्र में भी लागू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में माह अक्टूबर, 1988 से एक वृहद् निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना चलाई जा रही है परन्तु इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्बल वर्ग के परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा निजी भूमि पर आवास निर्माण करने हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने का प्राविधान है । इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं मकान निर्माण करने की व्यवस्था है।

इस प्रकार की योजना नगर क्षेत्र में चलाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर क्षेत्रों की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण ग्रामीण आवासीय योजना के समान नगर क्षेत्र में योजना चलाना संभव नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति और निर्बल वर्ग तथा भूमिहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ऋण और अनुदान की योजना बनायी गई है और यह योजना नगर क्षेत्रों में लागू करना सम्भव नहीं है क्योंकि दोनों की परिस्थितियों में भिन्नता है । मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों में क्या भिन्नता है ? मान्यवर, यह सवाल बहुत छोटा है इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसका स्पष्ट उत्तर दें ?

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों और नगर क्षेत्रों की परिस्थितियों में इस प्रकार भिन्नता है । पहली बात यह है कि शहरी क्षेत्र में विकास खण्ड के समान कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का आवंटन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है । शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या फ्लोटिंग रहती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आधार आंका जाना मुश्किल है । पांचवीं बात यह है कि सातवीं योजना में जिस तरह से वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करायी गई है वह नगर क्षेत्र में नहीं करायी गई है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि शहरी क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए आवासीय सुविधा देने में कई कठिनाइयां हैं। कुछ बिन्दुओं का भी उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सत्य मानकर कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वे वित्तीय कठिनाइयों से ग्रस्त हैं उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति दलित वर्ग तथा परिगणित जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे नगर क्षेत्र के उन लोगों का भी सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे और उसके बाद इस बात पर विचार करेंगे कि जिस भूमि में उनके ध्वस्त और अस्त-व्यस्त मकान हैं उन्हें आवास बनाने की सुविधा नगर क्षेत्र में भी देने की कृपा करेंगे?

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, सरकार समस्त प्रदेश के समस्त निर्बल वर्ग को आवासीय योजना के अन्तर्गत लाना चाहती है लेकिन धन के अभाव के कारण तथा कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण नगर क्षेत्रों में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फिर भी 8 महानगरों में एक योजना बनायी जा रही है जो कि विचाराधीन है। इस योजना में हम सफाई कर्मचारियों को लेने पर विचार कर रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न एक नीतिगत प्रश्न है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इसका जवाब राज्य मंत्री सेठी साहब जो दे रहे हैं उनका नीतिगत मामलों में दखल कम होगा। आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इस प्रकार की योजना नगर क्षेत्र में चलाना सम्भव नहीं है और दूसरा आपने कहा है कि ग्रामीण और नगर क्षेत्रों की परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण ग्रामीण आवासीय योजना के समान नगर क्षेत्र में योजना चलाना सम्भव नहीं है। तो मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गरीब और अनुसूचित जाति के लोग जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में बसते हैं उसी तरीके से गरीब और अनुसूचित जाति के लोग नगरीय क्षेत्रों में भी बसते हैं। जब आप ग्रामीण अंचलों के अंदर बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और अनुदान दे रहे हैं तो क्या नीतिगत तौर पर यह विचार करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति के लोगों के पास भूमि है या जो सीलिंग की भूमि है उस भूमि को गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को आवास हेतु आवंटित किया जा सके और उसके लिए अनुदान की व्यवस्था हो सके ताकि उनका भी स्तर ऊंचा हो सके। तो क्या नीतिगत रूप से इस पर विचार करेंगे कि नगरीय अंचलों में ग्रामीण अंचलों के समान सुविधा मिल सके अगर ऐसी योजना बनाते हैं तो ज्यादा सुविधा मिलेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हां, अवश्य विचार करेंगे।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या में स्थित बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों को सहायक शिक्षा अधीक्षक के पद पर पदोन्नति में हुई धांधली के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

*2–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अयोध्या स्थित बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के सहायक शिक्षा अधीक्षक पद पर पदोन्नति में धांधली विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र उन्हें मिला है ? क्या इस संबंध में वहां के अध्यापकों ने अपील भी की है ? यदि हां, तो उसका निस्तारण शासन द्वारा न किये जाने के क्या कारण है ? प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित शिकायतों का अब तक निराकरण तथा अपीलों के निस्तारण न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस बारे में सारा ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की मंत्री जी कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी हां।

जी हां।

अभी शिक्षा निदेशक (बेसिक) से आख्या प्रतीक्षित है।

प्रत्यावेदन का मुख्य बिन्दु यह है कि नगर क्षेत्र फैजाबाद में रिक्त सहायक शिक्षा अधीक्षक के पदों पर कनिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति कर दी गयी है। शिकायतों की जांच परिषद् के पत्रांक 9239 दिनांक 16-8-88 तथा पत्रांक 19308 दिनांक 30-11-88 द्वारा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा कराई जा रही है।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 2 फरवरी, 88 को मैंने पत्र दिया था उसको लगभग आज एक वर्ष से ज्यादा हो गया है तो उस पर क्या जांच हुई?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, एक तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा था कि विलीनीकरण को रोक दिया जाय और जिनका प्रमोशन हो गया है उसे न किया जाय। तो रेगुलराइजेशन को रोक दिया गया है और शासन की तरफ से निदेशक (बेसिक शिक्षा) को लिखा गया है कि वह इस संबंध में शीघ्र जांच आख्या प्रस्तुत करें।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी अवकाश पर थे तो क्या एस0 डी0 आई0 प्रभारी अधिकारी हो सकते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह प्रश्न इस प्रश्न की परिधि से बिल्कुल बाहर है।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मेरी निश्चित जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी उस वक्त अवकाश पर थे तो उस समय प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसी समय यह धांधली हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास सूचना हो तो दे दें।

श्री मैनेजर सिंह–

सूचना इनके पास होनी चाहिए मान्यवर, इसमें बहुत धांधली हुई है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

प्रश्न यह है कि पदोन्नति गलत हो गयी कनिष्ठ लोगों की प्रोन्नति हो गयी मूल भावना यह है। इस पर जांच कराई जा रही है, जांच जल्दी हो जायेगी, जो मूल भावना है उसके अनुसार जांच जल्दी से जल्दी हो जाय इस पर मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि एक महीने के अन्दर जांच पूरी करा देंगे।

जनपद फैजाबाद में जू0 हा0 स्कूल कटेहरी के सहायक अध्यापक श्री मंशा राम के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

*3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 2-2-88 का पत्र शासन को मिल गया है जिसमें भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें की गयी हैं और यह आरोप लगाया गया है कि जूनियर हाई स्कूल कटेहरी के एक सहायक अध्यापक मंशा राम का प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानान्तरण रोक दिया गया है? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और प्रश्नकर्ता के पत्र तथा जांच आख्या विवरण को पूरे अभिलेखों के साथ सदन के पटल पर रखने में उन्हें क्या कठिनाई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी हां।

श्री मंशाराम द्वारा प्रश्नगत स्थानान्तरण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा समिति के विचाराधीन होने के कारण स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया था। किन्तु जब समिति ने उक्त स्थानान्तरण उचित पाया तो उसे कार्यान्वित करा दिया गया। वर्णित स्थिति में अभिलेखों के सदन के पटल पर रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी को जानकारी देते हुए कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न मैंने इसलिए किया था कि तथ्य आपके संज्ञान में आ जाय । एक अध्यापक है जो लगातार गैर हाजिर रहता था, हेडमास्टर रजिस्टर में उसको अबसेन्ट बनाता था लेकिन वह काटकर प्रेजेन्ट बना देता था , उसी तरह एस0 डी0 आई0 ने अबसेन्ट बनाया तो भी उसे काटकर उसने प्रेजेन्ट बना दिया, इसलिए प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानान्तरण हुआ। लेकिन इनके दल के एक एम0 एल0 ए0 हैं और एक एम0 पी0 हैं उन्होंने डी0 एम0 को पत्र लिखकर स्थानान्तरण स्थगित करा दिया। तो मैंने वह पत्र लिखा था और उसके बाद भी मंत्री जी अपने दल के जनप्रतिनिधियों के इस आचरण पर खेद प्रकाश करने के एवं उन पर अंकुश लगाने के बजाए यह कह रहे हैं कि शिक्षा समिति ने रोक दिया था। तो मैं समझने में असमर्थ हूं कि यह सरकार अनुशासन किस तरह से स्थापित करेगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इनके दल के एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 ने जो अनुचित आचरण किया है उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कुछ करेगी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें तो कोई अनुचित आचरण की बात, एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 की बात, नहीं है।

प्रदेश के पठारी एवं समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण के कार्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके जल निगम जियोहाइड्रोलोजिकल सेल की स्थापना

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रदेश के पठारी एवं समस्याग्रस्त क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों/नलकूपों के छिद्रण के पूर्व भूगर्भ जल के स्रोतों का सर्वेक्षण कार्य ऊंचे कमीशन पर निजी ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा कराया जाता है? यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कार्य को भूगर्भ जल विभाग द्वारा न कराये जाने के क्या कारण हैं एवं भविष्य में ठेके पर सर्वेक्षण की प्रथा को समाप्त करने हेतु क्या नीति अपनाई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीनाथ सिंह–

पठारी क्षेत्रों में पूर्व में यह कार्य सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा उनके उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कराया जाता था। अधिक आवश्यकता होने पर यह कार्य शासन द्वारा मान्य संस्थाओं से कराया गया। वर्ष 1986 में टेक्नोलोजी मिशन की स्थापना के बाद यह कार्य सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट हैदराबाद से कराया जाता है अथवा मिशन द्वारा मान्य संस्थाओं से।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संस्थान मूलतः सिंचाई एवं लघु सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में व्यस्त है। जल निगम के कार्य करने के लिए उन्हें मैन पावर में वृद्धि करनी होगी। अस्तु कार्य में वृद्धि को देखते हुए जल निगम में ही जियोहाइड्रोलोजिकल सेल की स्थापना की गई है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न किया था उसमें स्वीकार कर लिया है कि हैण्डपम्पों/नलकूपों के निर्माण के पूर्व भूगर्भ जल के श्रोतों का सर्वेक्षण कार्य ठेकेदारों और मान्य संस्थाओं से कराया जाता है।

लेकिन मेरा मूल प्रश्न है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक विभाग भूगर्भ जल सर्वेक्षण का कार्य करता है तो वह जल निगम वाले प्राइवेट ठेकेदारों और संस्थाओं से ऊंचे कमीशन लेकर क्यों सर्वेक्षण कराते हैं? इसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से करा लिया जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्या इस पर विचार मंत्री जी करेंगे कि जब प्रदेश का एक विभाग उस कार्य को करता है तो निजी ठेकेदारों के बजाए उस विभाग से सर्वे कराकर हैण्ड पम्प और नलकूप बनायेंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, 1986 के बाद जब से हमारा जियोहाइड्रोलोजिकल सेल बन गया है तबसे कोई भी कार्य निजी ठेकेदारों को नहीं देते हैं।

ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा उठाये जा रहे प्रभावी कदमों की जानकारी

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

गांव सभाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :–

1–ग्रामीण अंचल के सम्यक विकास हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "खड़ंजा/नाली निर्माण" तथा "ग्राम सभाओं में पंचायत भवनों के निर्माण" की योजनाओं में पहले ग्राम सभाओं को 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अंशदान देना पड़ता था। ग्राम सभायें आर्थिक रूप से विपन्न होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती थीं जिसके फलतः वर्षानुवर्ष उपर्युक्त मदों में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के

उपयोग से ग्राम सभायें वंचित रह जाती थीं। इस समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा ग्राम सभाओं का अंशदान घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि ग्राम सभायें स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर सकें।

2—गांव सभाओं को सुदृढ़ किये जाने एवं संसाधनों की वृद्धि किये जाने हेतु संस्तुति देने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है। समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्व सचिव की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गयी है, उसका गठन कब किया गया और उसको कितना समय दिया गया है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस समिति का गठन 11 अक्तूबर, 88 को किया गया और इससे अपेक्षा की गयी है कि गांव सभाओं से वसूल किये गये भू-राजस्व का उन पर और अधिक अच्छी तरह विनियोजित किये जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, राजस्व अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत लगाये जाने वाले अर्थ दण्ड को सम्बन्धित ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की जाए और अन्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जाएं—इसके लिए उनसे कहा गया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना प्रतिवेदन दें।

श्री बदन सिंह—

मंत्री जी ने ग्रामसभाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कहा कि पहले खड़न्जा आदि के लिए अनुदान 50 प्रतिशत था, अब उसको घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और बाकी का 90 प्रतिशत खड़ंजा करने के लिए पैसा सरकारी तौर पर मिल जाता है, किन्तु मेरी निश्चित और निजी जानकारी है कि इसकी सूचना प्रदेश के किसी भी गांव सभा में नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि गांव सभाओं को सही-सही सूचना देने के लिए कि केवल 10 प्रतिशत ही उन्हें खड़ंजा आदि के लिए करना है, बाकी उनको मिल जाएगा, इसके लिए कोई कमेटी बनाकर उनको सूचना देने का कष्ट करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसकी सूचना सभी ग्राम सभाओं और अधिकारियों को नहीं होगी तो मैं पत्र लिखकर सभी ग्राम सभाओं के सभापतियों को सूचित कर दूंगा।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वित्तीय दृष्टिकोण से ग्रामसभाओं की स्थिति बड़ी सोचनीय है और उसके लिए मंत्री जी ने एक समिति का गठन किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करने की बात सोचते हैं, जिससे उनके वित्तीय संसाधन बढ़ सकें—गांव में जो लगान होता है, उसको पूरे का पूरा हिस्सा गांव सभाओं को दे दिया जाए, ताकि उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हो सके?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इन्हीं सब पहलुओं पर समिति विचार करेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अंशदान के आधार पर ग्राम सभाओं को खड़ंजा लगाने के लिए धन आवंटित किया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में हजारों ग्रामसभायें हैं रुपया पांच-सात लाख ही भेजते हैं परिणाम यह होता है कि बहुत कम ग्राम सभाओं को रुपया मिल पाता है, तो क्या मंत्री जी ग्राम सभाओं की संख्या देखकर इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि आने वाले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम सभाओं में खड़ंजा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए धन बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में भारत सरकार ने पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था इसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था। भारत सरकार इस बिन्दु पर विचार कर रही है कि जो रोजगार के कार्यक्रम हैं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं इन्हीं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाये जायेंगे, जिससे ग्राम सभाओं का विकास हो, और जो रोजगार हैं वह वांछित व्यक्तियों को अच्छी तरह से मिल सकें। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इस वर्ष इंगित किया है कि एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 जो योजना में तथा डी0 आर0 डी0 ए0 के माध्यम से जो अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं उनको ग्राम सभाओं के माध्यम से अधिक से अधिक धन देकर चलाने का इरादा है भारत सरकार में इन बिन्दुओं पर चिन्तन हो रहा है ज्यों ही नीति निर्धारण हो जायेगी इन ग्राम सभाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को चलाया जायगा। इससे ग्राम सभायें मजबूत होंगी और इनकी स्थिति सुदृढ़ होगी।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार इसपर अलग से विचार कर रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को क्या कोई सुझाव भेजे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इस पर भारत सरकार विचार कर रही है इसमें बहुत से बिन्दु हैं यह लम्बी बहस का विषय होगा।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

भारत सरकार पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए अलग से विचार कर रही है, तो इसमें मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आज इसका बजट है जितने प्रश्न हैं कर लीजिएगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो दीक्षित जी ने प्रश्न किया था उसी सिलसिले में मैं भी जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या राज्य सरकार से कोई परामर्श मांगा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

राज्य सरकार से परामर्श मांगा गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

वह परामर्श बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

आज इनका बजट है उसमे पूछ लीजियेगा । (व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

कई मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श हुआ है

1–पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसा हो, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय ।

2–अन्य जिला संस्थाओं जैसे डी0 आर0 डी0 ए0, जिला नियोजन एवं समन्वय अनुश्रवण समिति का समावेश जिला में किस प्रकार किया जाय ? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु चुनाव की अवधि क्या हो । चुनाव पार्टी के आधार पर हों या बिना पार्टी के आधार पर ।

पंचायती राज संस्थाओं में कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं को आरक्षण किस प्रकार होना चाहिए तथा इन संस्थाओं के शीर्षस्थ पदों के लिए क्या आरक्षण वांछनीय है ।

पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं के बीच योजना बनाने के लिए किस प्रकार के समन्वय आवश्यक हैं और योजना बनाने का कार्य प्रमुखतः जिला परिषद् द्वारा किया जाय एवं जिला योजनायें एवं राज्य योजना में ताल-मेल की क्या प्रक्रिया हो ।

पंचायती राज संस्थाओं एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था ।

पंचायती राज संस्थाओं, जिला सेक्टर व अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य संबंध ।

तो मान्यवर, इन बिन्दुओं पर राय मांगी गयी थी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों के बारे में सरकार ने अपनी क्या राय भेजी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भारत सरकार ने जो राय मांगी थी तो इन मुद्दों के संबंध में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, फंड किस प्रकार से दिए जाने चाहिए आदि सारे मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने राय दी है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

(ता0 प्र0 सं0-7 पुकारे जाने पर ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैं आभारी हूं माननीय सदस्य का कि इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया । इस संबंध में अंतिम राय देने के पहले, चूंकि आज इस विषय पर चर्चा हो रही है, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें । आज अपने विचारों से आप अवगत करायें, लाभान्वित करायें ताकि अंतिम राय देने के पहले सदन की राय का समावेश उन सुझावों में कर सकें जो भारत सरकार को भेजे जायेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बजट आज है अपनी-अपनी राय दे दें लेकिन माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार को राय भेज दी गयी है । तो इस प्रकार से एक विरोधाभास सदन के सामने पैदा हो गया है । यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि राय भेज दी गयी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

आपके जो सुझाव हों दे दीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर सुझाव देना रद्दी की टोकरी की शोभा बढ़ाना है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैंने शब्द "अंतिम राय" का प्रयोग किया है । चूंकि मैं चाहता था कि सम्मानित सदस्यों की राय से लाभान्वित होऊं मैंने शब्द "अन्तिम राय" का प्रयोग किया है ।

*6–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित]

उ0 प्र0 जल निगम को गंगा प्रदूषण इकाई कानपुर को संयंत्र आपूर्ति हेतु मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट को आदेश दिया जाने की शिकायत

*7–डा0 बंगाली सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम की गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई कानपुर के लिए वर्ष 1986-87 व 1987-88 में हुए टेन्डर में मुख्य अभियन्ता मध्य जोन द्वारा पम्प एवं संयंत्र खरीदने के लिए आपूर्ति आदेश तृतीय शाखा, कानपुर द्वारा प्रथम न्यूनतम मेसर्स बाटलीबाय कानपुर (जो उन पम्पों के अधिकृत बिक्रेता थे) को आदेश न देकर मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट को दिए गये थे ? क्या यह सत्य है कि उक्त आपूर्ति आदेश में जल निगम को लगभग 8.5 लाख रुपया का नुकसान उठाना पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

उ0 प्र0 जल निगम की गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई कानपुर के लिए वर्ष 1986-87 व 1987-88 में टेण्डर नहीं हुए बल्कि वर्ष 1985-86 में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं में से मैसर्स बाटलीबाय, कानपुर द्वारा दिए गये आफर की तुलना में मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट द्वारा दिए गये आफर में निगोशियेशन के पश्चात् रुपये तीन लाख कम कराये गये । इस प्रकार मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट का आफर मैसर्स बाटलीबाय के मुकाबले दो लाख कम होने पर आदेश दिए गये । मैसर्स बाटलीबाय मैथर एवं प्लाण्ट पम्प्स, जो क्रय किये गये, के अधिकृत बिक्रेता नहीं हैं ।

जी नहीं, जल निगम को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद बलिया के प्रत्येक विकास खण्डों के अट्ठारह बेसिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु व्यय की गई धनराशि का विवरण

*8–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आर0 एल0 जी0 पी0 या अन्य योजनाओं के अंतर्गत बलिया जनपद में 1986-87 की अवधि में प्रत्येक विकास खण्ड के 21 बे0 शि0 विद्यालयों के भवन मरम्मत हेतु 2,10,000 रुपये दिये गये थे ? यदि हां, तो बलिया जनपद के अठारह विकास खण्डों में कौन-कौन विद्यालय भवन मरम्मत हुए और स्वीकृत कितने भवन मरम्मत नहीं हुए और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद में स्थित ग्रामीण विद्यापीठ के द्वारा प्रदत्त भारती डिग्री को बी0 एड0 के बराबर मान्यता दिये जाने की शिकायत एवं कार्यवाही की मांग

*9–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद के सम्मेलन मार्ग स्थित ग्रामीण विद्यापीठ के द्वारा भारती (बी0 एड0) परीक्षा का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और आयोजकों का यह प्रचार है कि यह डिग्री बी0 एड0 के बराबर है और प्रदेश के विश्वविद्यालय में मान्य है ? यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों में इस भारतीय डिग्री की बी0 एड0 के बराबर मान्यता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विद्यापीठ के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

प्रश्नगत संस्था का वास्तविक नाम महिला ग्राम विद्यापीठ है ।

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर तक प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त संस्था जुलाई, 1986 से शिक्षा भारती परीक्षा का आयोजन कर रही है । केवल कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल ने इस परीक्षा को बी0 एड0 के समकक्ष माना है ।

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को इस प्रकरण की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में एक हजार आबादी पर छात्र एवं छात्राओं हेतु स्कूल खोलने की योजना की जानकारी

*10–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक हजार की आबादी पर छात्र तथा छात्राओं के लिए एक हाई स्कूल अथवा जूनियर हाईस्कूल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक मूढां पाण्डे के ग्राम धतूरा मेघा नगला में निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत हुई बोरिंगों का सत्यापन तथा कृषकों के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

*11–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धतूरा मेघा नगला ब्लाक मूढां पाण्डे जनपद मुरादाबाद में 18 निःशुल्क बोरिंग का सत्यापन श्री के0 के0 मेहरोत्रा खण्ड विकास अधिकारी मूढां पाण्डे द्वारा कर दिया गया जबकि मौके पर आज तक कोई भी बोरिंग नहीं करायी गयी है और दिनांक 4-6-85 व 5-6-85 को बैंक से कर्जा भी देकर इंजन पहुंचा दिये गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कृषकों द्वारा समय-समय पर दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई और खण्ड विकास अधिकारी मूढां पाण्डे (श्री के0 के0 मेहरोत्रा) के विरुद्ध गलत सत्यापन करने और अधिकारों का दुरुपयोग करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम धतूरा मेघा नगला ब्लाक मूढां पाण्डे, जनपद मुरादाबाद में निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत कोई निःशुल्क बोरिंग नहीं कराई गई है और न ही इस योजना के अंतर्गत ऋण दिला कर कोई इंजन दिलाया गया । अतः किसी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली महानगर में पानी की टंकियों की संख्या तथा जल आपूर्ति दोष को दूर करने के उपाय

*12–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में कितने पानी की टंकियां (ओवर हेड टैंक्स) हैं ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश में पानी ऊपर नहीं चढ़ता है व ज्यादातर पानी की आपूर्ति टंकियों के माध्यम से न होकर सीधे ट्यूबवेल्स से की जाती है जिससे पानी का प्रेशर नहीं बनता है व ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

बरेली महानगर में पानी की 14 टंकियां हैं ।

ऊपर की मंजिलों में पानी की आपूर्ति सुबह और शाम की जाती है । किसी नलकूप से सीधे पानी की आपूर्ति नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के मोहल्ला विकास नगर में कांच के नाले के पास से मैले के खत्ते को हटाये जाने की मांग

*13–श्री हर शरन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला विकास नगर मेरठ में नाले के कांच के पुल के पास आबादी के सामने मैले के खत्ते पड़े हैं जिससे अचानक बीमारी फैलने का अंदेशा है ? क्या सरकार इन मैले के खत्तों को हटाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी लखनऊ शहर के मध्य से मछली मण्डी हटाये जाने की मांग

*14–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ शहर के मध्य स्थित मछली मण्डी को कैसरबाग में होने से शहरवासियों के स्वास्थ्य को भयंकर खतरा है ? क्या सरकार इस मण्डी को शहर से बाहर हटाए जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मण्डी को शहर से बाहर हटाए जाने का कोई कारण नहीं है ।

ग्राम प्रधानों को वेतन (मानदेय) तथा यात्रा भत्ता दिये जाने की मांग

*15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा एवं राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ग्राम प्रधानों को वेतन (मानदेय) तथा यात्रा भत्ता दिए जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से तथा कितना वेतन एवं भत्ता दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रधानों को वेतन (मानदेय) दिए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । जहां तक प्रधानों को गांव पंचायत कार्य हेतु यात्रा करने पर यात्रा भत्ता का प्रश्न है यह सुविधा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के नियम-189 में पहले ही उपलब्ध है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जनपद कानपुर में निर्मित भूमिगत जलाशय के क्षतिग्रस्त होने तथा दोषी मुख्य अभियंता (मध्य) के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

*16—श्री कौशिक रमाशंकर तथा श्री मित्रसेन—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर में विभाग द्वारा लगभग 50 लाख रुपया की लागत से बनाया गया भूमिगत जलाशय 1987-88 में प्रथम अभ्यास में ही ढह कर धराशायी हो गया जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग के साथ-साथ जन कल्याण को भारी नुकसान हुआ ? क्या यह सत्य है कि इस जलाशय के निर्माण से लेकर तैयार होने तक मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र द्वारा पचासों बार निरीक्षण किया गया ? क्या सरकार यह बतायेगी कि इस प्रकरण में शासन ने जल निगम के किन-किन अधिकारियों को अब तक दण्डित किया है तथा मुख्य रूप से जिम्मेदार एवं दोषी मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र को किन कारणों से दण्डित नहीं किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर नगर में रु0 24.11 लाख की लागत से पुनरुद्धार किये गये सेटलिक टैंक को वर्ष 1987-88 में कार्य पूर्ण होने पर चालू किया गया था किन्तु 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात उसकी बीच की दीवाल गिर गई थी अन्य सेटलिक टैंक के कार्यरत होने के कारण जनता को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा ।

मुख्य अभियन्ता (मध्य) द्वारा सेटलिक टैंक का निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण किया गया ।

इस मामले की जांच कराई जा रही है ।

जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर में सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज में शिक्षक एवं शिक्षणेतर वर्ग में हरिजनों का आरक्षण

*17—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर में बने सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज के शिक्षक एवं शिक्षणेतर वर्ग में हरिजनों का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि हां, तो कितनों को आरक्षण प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

सी0 टी0 वेतनक्रम में आरक्षित कोटे के अनुसार दो अध्यापक कार्यरत हैं । चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण के अनुसार दो कर्मचारी होने चाहिए जिनमें एक कार्यरत है तथा एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी को नियुक्त किये जाने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक को दिए जा चुके हैं।

प्रवक्ता के तीन रिक्त पदों पर तथा एल0 टी0 वेतनक्रम के एक रिक्त पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को भेजा गया है और अधिक रिक्तियां न होने के कारण कोटा पूरा नहीं किया जा सकता ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर में शारदा सहायक समादेश द्वारा विकास कार्य तथा सुमेरपुर विकास खण्ड को परियोजना में लिया जाना

*18–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन क्षेत्रीय विकास अनुभाग–1 पत्रांक–(7876) 54-1-9/66/83, लखनऊ, दिनांक 31-12-86 की अधिसूचना द्वारा शारदा सहायक समादेश क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्ड बीघापुर (उन्नाव) में अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं ? विकास खण्ड सुमेरपुर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

संदर्भित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर में समादेश क्षेत्र विकास संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है । भारत सरकार से, विज्ञापित विकास खण्डों में कार्य कराने की अनुमति के अभाव में सुमेरपुर विकास खण्ड को शारदा सहायक समादेश में सम्मिलित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया था ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार शारदा सहायक समादेश क्षेत्र के शारदा नहर प्रणाली क्षेत्र में भी विस्तार हो जाने से अब सुमेरपुर विकास खण्ड भी परियोजना के द्वितीय चरण में प्रक्षेत्र विकास कार्य हेतु लिया जा सकेगा ।

जनपद इलाहाबाद एवं गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई हेतु उ0 प्र0 जल निगम द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु मांगे गये टेण्डरों में बरती गयी अनियमितता के संबंध में विधायकों के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

*19–श्री बाबूराम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद एवं कानपुर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई हेतु उ0 प्र0 जल निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88 में सामग्री की आपूर्ति आदि के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये के टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो इसमें किन-किन फर्मों ने टेण्डर दिये थे ? क्या यह सही

है कि उक्त टेण्डर की स्वीकृति में अनियमितता के संबंध में कतिपय विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक क्रमशः 15-6-88 एवं 24-10-88 को शासन को मिले हैं ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, इलाहाबाद एवं कानपुर में गंगा प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों हेतु वर्ष 1987-88 में सामग्री की आपूर्ति आदि के लिए क्रमशः रु0 7.37 एवं रु0 12.86 करोड़ के टेण्डर आमंत्रित किये गये थे । आमंत्रित टेण्डरों की सूची संलग्नक "क" पर अवलोकनीय है ।

जी हां, इस संबंध में अनेकों विधायकों के शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं और प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

प्रश्नगत टेन्डर का मामला मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण शासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं हो सकी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 239-240 पर)

अपहिलट्रान को स्वतन्त्र इकाई बनाये जाने की मांग

*20–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लगभग 200 से अधिक मा0 विधायकों ने अपहिलट्रान को अपट्रान से अलग कर स्वतंत्र इकाई बनाये जाने हेतु तथा इसके निष्कासित चीफ एक्जक्यूटिव को पुनः सेवा में बहाली हेतु एक ज्ञापन मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी ने ज्ञापन पर क्या निर्णय लिया है ? क्या उनके द्वारा लिए गये निर्णय पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं । इस प्रकार का ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजियाबाद की जिला परिषद् द्वारा ग्राम नली हुसैनपुर, ब्लाक हापुड़ की पुरानी सड़कों को तोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

1–श्री कनक सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-8-88 जो जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सम्बोधित था और जिसमें यह मांग की गई थी कि वर्ष 1985 में जिला परिषद् द्वारा ग्राम नली हुसैनपुर, ब्लाक हापुड़ की पुरानी सड़क को तुड़वा कर उसकी लगभग दो लाख ईंट बेंच कर पक्की सड़क को तहस नहस कर दिया गया था ईंट बेच कर खा गये, की जांच कर उचित कार्यवाही की जाय पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सम्बोधित माननीय विधायक का पत्र दिनांक 12 अगस्त, 1988 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु विषयवस्तु से ही संबंधित उनका पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1988 अवश्य प्राप्त हुआ है जिसकी जांच कराने के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम नली हुसैनपुर की पुरानी सड़क को न तो जिला परिषद् ने तुड़वाया और न ही जिला परिषद् द्वारा उसकी ईंटों को बेचा गया । ग्राम नली हुसैनपुर ब्लाक हापुड़ की प्रश्नगत पुरानी सड़क का निर्माण लगभग 25–30 वर्ष पूर्व गन्ना विभाग द्वारा खड़ंजे के रूप में कराया गया था । इस पुरानी सड़क को स्वयं ग्रामवासियों द्वारा उखाड़ लिया था और उन बेकार ईंटों का प्रयोग ग्रामवासियों ने ही अपने ग्राम के अन्दर के रास्तों के सुधार में कर लिया था । वर्ष 1985 में प्रश्नगत सड़क का निर्माण जिला परिषद् द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खड़ंजे के रूप में कराया गया है ।

जनपद गाजियाबाद में खड़ंजे में गबन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

2–श्री कनक सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-7-88 के साथ श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरपत सिंह ग्राम राजपुर मडैया, ब्लाक सिम्भावली, जनपद गाजियाबाद का शिकायती पत्र जो मा0 नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव ने अपनी संस्तुति सहित, खड़ंजे में गबन के विषय में जांच हेतु उन्हें भेजा था, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजियाबाद से जांच कराई गई, जिसमें गबन नहीं पाया गया ।

जनपद शाहजहांपुर के शीतगृह के क्षतिग्रस्त होने से आलू उत्पादकों को हुई हानि के संबंध में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के सहकारी शीतगृह के 1975 में बैठ जाने पर आलू उत्पादकों को भारी हानि हुई ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

जी हां । इस हानि के लिए श्री शंकर लाल, स्टोरकीपर, श्री संत सागर बाजपेई, सचिव, निरीक्षक वर्ग–2 तथा श्री अमर नाथ लाल, प्रशासक, निरीक्षक वर्ग–1 उत्तरदायी पाये गये । श्री शंकर लाल की मृत्यु हो गई । श्री संत सागर बाजपेई की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई और उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा–68 के अन्तर्गत रु0 5,55,98.40 पैसे की वसूली की कार्यवाही की गई, जिसके विरुद्ध दावा निर्णय हेतु विचाराधीन है तथा श्री अमरनाथ लाल को सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया ।

जनपद शाहजहांपुर के क्रय-विक्रय समिति के शीतगृह के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ लाल को दण्डित किया जाना

4—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सहकारिता मंत्री को यह भी जानकारी है कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति केरूगंज, शाहजहांपूर के शीतगृह के 1975 में बैठ जाने पर दोषी सचिव को दण्डित करने के बजाय प्रशासक श्री अमरनाथ लाल को ही दण्डित किया गया ? यदि हां, तो क्या श्री अमरनाथ लाल द्वारा 1978 में कोई अपील इस दण्ड के विरुद्ध की गई ? यदि हां, तो अपील पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री समर पाल सिंह—

जी नहीं । श्री अमरनाथ लाल ने 1977 में निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार प्रत्यावेदन किया जो कि 18-4-1978 को अस्वीकृत किया जा चुका है ।

5—डा0 दिनेश जौहरी—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बरेली के बेसिक जू0 हा0 स्कूल फरीदपुर के सहायक अध्यापक स्व0 श्री खेमपाल शर्मा की पत्नी को पारिवारिक पेन्शन का भुगतान

6—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री खेमपाल शर्मा सहायक अध्यापक, बेसिक जूनियर हाई स्कूल फरीदपुर बरेली का देहान्त 13-4-83 को हो गया था किन्तु अभी तक उनकी पारिवारिक पेन्शन नहीं मिली है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या मंत्री जी स्व0 श्री शर्मा की पारिवारिक पेन्शन उनकी पत्नी को यथाशीघ्र दिलवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत कर दी गयी है तथा उनकी मृत्यु की तिथि से दिसम्बर, 88 तक की पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष को भत्ते का अनियमित भुगतान

7—श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के भूगोल के विभागाध्यक्ष एक साथ चीफ प्राक्टर और होस्टल के वार्डेन दोनों का भत्ता लेते रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या अनियमित भुगतान का धन वापस कराया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के धुरहवे कस्बे को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

8–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि देवरिया जनपद के धुरहवे कस्बे को टाउन एरिया घोषित करने का प्रश्न काफी दिनों से शासन के विचाराधीन है ?, यदि हां, तो सभी औपचारिकतायें पूरी होने के बाद भी इसकी घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं और घोषणा कब तक हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–डाक्टर बंगाली सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों से सम्बद्ध कृषि योग्य भूखण्डों से होने वाली आय का उपयोग

10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों से सम्बद्ध कृषि योग्य भूखण्डों से होने वाली आय से जिला परिषद् हरदोई के पास इस समय कुल कितनी धनराशि जमा है ? इस धनराशि का उपयोग किये जाने पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

हरदोई जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों से सम्बद्ध कृषि योग्य भूखण्डों से कृषि कार्य हेतु किराया नीलामी से चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में अद्यावधिक 16980.00 रुपये की आय हुई जिसका जिला परिषद् द्वारा पूर्ण उपयोग किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की नगरपालिका पिहानी में पानी की टंकी का निर्माण

11–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका पिहानी जनपद हरदोई में पानी की टंकी निर्मित कराये जाने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 8 जनवरी, 88 को 5 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो टंकी का निर्माण कार्य अभी तक शुरू न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी पिहानी टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा धन की व्यवस्था कराकर कार्य शुरू करने के आदेश दिये गये थे किन्तु धन की व्यवस्था न हो पाने के कारण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका ।

उपरोक्तानुसार ।

धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

सहकारिता विभाग द्वारा भू0 पू0 आर0 डी0 सुपरवाइजरों के पेंशन एवं बकाये धनराशि के भुगतान की मांग

12–श्री बलराम यादव–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1987-88 में कितने भू0 पू0 आर0 डी0 सुपरवाइजरों की पेंशन हेतु निर्णय ट्रिब्यूनल कोर्ट 5, जवाहर भवन लखनऊ ने दिया था ? क्या उन भू0 पू0 आर0 डी0 सुपरवाइजरों के पेंशन एव अन्य बकाये धनराशि का भुगतान सहकारिता विभाग द्वारा कर दिया गया ? यदि नही, तो कब तक कर दिया जायगा ?

श्री समर पाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

13–श्री बलराम यादव–

[6वें सोमवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में स्थायी मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों की संख्या एवं अनुदान सूची में लिया जाना

14–श्री बलराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं, जो अनुदान सूची पर अब तक नहीं लिए गये हैं ? क्या इन विद्यालयों को सरकार अनुदान सूची पर लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रदेश के मंदनी जनपदों में इस समय लगभग 2000 स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जो अब तक अनुदान सूची पर नहीं लिए गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश प्रधानाध्यापक परिषद् की मांगों पर कार्यवाही

15–श्री बलराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30-11-88 को उत्तर प्रदेश प्रधानाध्यापक परिषद् जनपद आजमगढ़ ने मा0 मुख्य मंत्री से मिलकर अपनी चार सूत्री मांगों के संबंध में कोई पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्रथम तीन मांगें मान्य नहीं हैं, चौथी मांग के संबंध में वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में मार्गों के निर्माण हेतु धन का विवरण

16–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विभाग ने बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा में वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में कितने मार्गों का निर्माण कराया है? क्या सरकार सड़कों की सूची, लम्बाई व खर्च किये गये धन का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के राजकीय व महिला राजकीय इण्टर कालेज में शिक्षकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या

17–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज बलिया व राजकीय महिला इण्टर कालेज बलिया में शिक्षकों व कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं और वे कब तक भर दिये जायेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

राजकीय इण्टर कालेज, बलिया में एक प्रवक्ता पद तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बलिया में दो प्रवक्ता एवं दो सी0 टी0 वेतनक्रम के पद रिक्त हैं।

यथाशीघ्र भर दिये जायेंगे?

जनपद इलाहाबाद में विद्यालय प्रति उप निरीक्षक/निरीक्षिकाओं के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान न करने के कारण

18–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान कितने महीनों का नहीं किया गया है? भुगतान न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अवधि जिसका भुगतान नहीं किया गया है, का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	फरवरी, 1987 के बाद से
सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	(1) अप्रैल, 82 से सितम्बर, 84 तक (2) अप्रैल, 86 से मार्च, 87 तक तथा (3) मार्च, 88 का इस मद में धनराशि कम होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में ग्राम सभा थल के जोग्यूड़ा/गर्जिला तोक में राम गंगा नदी के किनारे भूमि धंसने से बचाने हेतु सघन वृक्षारोपण तथा अवैध कब्जे को समाप्त करना

19—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में ग्राम सभा थल के जोग्यूड़ा/गर्जिला तोक में राम गंगा नदी के किनारे की भूमि को धंसने से बचाने के लिये 1985 में सिविल सोयम वन विभाग की ओर से ग्राम सभा थल के द्वारा चीड़ तूनी का कुहद वृक्षारोपण किया गया था जो कि श्री गोपाल दत्त पाठक चौकीदार की निगरानी में सफल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वृक्षों की सुरक्षा हेतु इस पूरे क्षेत्र में ऊंची पक्की दीवार बन्दी चौड़ी पत्ती के मिट्टी को रोकने वाले वृक्षों के सघन वृक्षारोपण के साथ-साथ उस क्षेत्र से अवैध कब्जे पूरी तरह समाप्त करने हेतु तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सिविल सोयम वन विभाग की ओर से कोई वृक्षारोपण नहीं हुआ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में ग्राम सभा थल के जोग्यूड़ा/गर्जिला तोक में राम गंगा नदी के किनारे की भूमि को धंसने से बचाने के लिए 1985 में 5 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य विकास खण्ड बेरीनाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत कराया गया था जो कि सफल रहा तथा वृक्षारोपण के साथ-साथ पत्थर की कुली दीवार सुरक्षा हेतु लगायी गयी है। उक्त वृक्षारोपण की निगरानी हेतु श्री गोपाल दत्त पाठक को विकास खण्ड द्वारा चौकीदार नियुक्त नहीं किया गया था। जहां तक उस क्षेत्र के अवैध कब्जे को पूरी तरह समाप्त किये जाने का प्रश्न है, उस क्षेत्र में ग्राम जोग्यूड़ा थल के निवासी श्री प्रेम सिंह पुत्र मान सिंह का अवैध कब्जा पाया गया, जिसका चालान पठवारी, थल द्वारा किया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

जनपद गाजियाबाद की नवीन मंडी स्थल में निर्मित दुकानों के आवंटन में पर्वतीय क्षेत्र के व्यापारियों हेतु व्यापक प्रचार

20—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों से फलों के निर्यात के उचित मूल्य दिलवाने के लिए पर्वतीय विकास विभाग ने साहीबाबाद में दुकानों के निर्माण/आवंटन की व्यवस्था की है? यदि हां, तो इन दुकानों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ? कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ? इन निर्मित दुकानों का आवंटन किन मानकों के आधार पर किया जायेगा? क्या इसकी सूचना पर्वतीय क्षेत्रों के सभी विकास खण्डों के आलू/सेब उत्पादकों तक सीधी पहुंचायी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां,

सन् 1978 में नवीन मंडी स्थल साहिबाबाद (गाजियाबाद) का निर्माण रु0 101 लाख की लागत से करवाया गया था, जिसमें पर्वतीय विकास विभाग का योगदान रु0 14 लाख अनुदान के रूप में तथा रु0 14 लाख ऋण के रूप में था। ऋण की धनराशि की अदायगी भी हो गयी है।

मंडी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

मंडी में निर्मित दुकानों का आवंटन विगत 3 वर्षों में मंडी समिति, साहिबाबाद में जमा किये गये औसत मंडी शुल्क के आधार पर व्यापारियों को की जा रही है।

मंडी स्थल में निर्मित दुकानों को पर्वतीय क्षेत्र के फल उत्पादकों और व्यापारियों को आवंटन करने हेतु पर्वतीय विकास विभाग के शासनादेश सं0 3204/28-7-2(6)2/76, दि0 28-11-85, संख्या 1528 दि0 21-5-86, संख्या 984 दि0 19-2-88 तथा संख्या 2050 दि0 19/11-5-88 द्वारा अनुरोध करके पर्वतीय अंचलों के समस्त जिलाधिकारियों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है।

जनपद लखनऊ के टिकैत राय राजकीय कालोनी में पानी की नियमित सप्लाई की व्यवस्था

21–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित टिकैत राय राजकीय कालोनी में पानी की नियमित सप्लाई के लिए कोई व्यवस्था सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

टिकैत राय राजकीय कालोनी में नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है और वहां पानी का कोई संकट नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में मृतक के आश्रितों को नौकरी में लिये जाने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार एम0 एल0 ए0 के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

22–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में मृतक के आश्रितों को सेवा में लिए जाने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार एम0 एल0 ए0 का दिनांक 24-12-87 का पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब के कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के टाउन एरिया शासनी के पूर्व प्रभारी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

23–डा0 बंगाली सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के टाउन एरिया शासनी के पूर्व प्रभारी अधिकारी ने 12 कर्मचारी नियुक्त किये थे और वर्तमान में एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है जबकि शासन से नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और टाउन एरिया शासनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है ? ऐसी परिस्थिति में नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं तथा नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विभागीय मृत कर्मचारियों के आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति

24–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने जनवरी, 87 से 15 नवम्बर, 88 तक कितने विभागीय मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की है तथा उनको कितने रुपये वेतन प्रतिमाह दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत अवधि में एक मृतक आश्रित की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पद पर की गई है जिसे वेतनक्रम 305–390 के मूल वेतन 305 एवं शासन द्वारा देय अन्य भत्ता का भुगतान किया जा रहा है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गोमती नगर योजना में विधायक कालोनी में सीवर लाइन डालने विषयक फाइल को गायब किया जाना

25–श्री जनार्दन प्रसाद झा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत "गोमती नगर योजना" के विनय खण्ड में विधायक कालोनी में सीवर लाइन डालने और सीवर लाइन कनक्शन के कार्य हेतु निकाली गई निविदाओं को दिनांक 16-2-87 को मुख्य अभियन्ता ने निरस्त कर दिया और अधिशासी अभियन्ता-दस ने दिनांक 25-2-87 को अपने पत्र द्वारा इस कार्य के लिए पुनः निविदाएं आमंत्रित की ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता ने इस कार्य से संबंधित फाइल गायब करा ली जिसके कारण नियमों का उल्लंघन हुआ तथा सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ ? यदि हां, तो कारण क्या था और इसकी जांच सरकार कब तक करके मुख्य अभियन्ता को दण्डित करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पत्रावली उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया घुघली में निर्माण कार्य में धांधली आदि की जांच की जानकारी

26—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामाश्रय जायसवाल कार्यकर्ता जनता पार्टी ने टाउन एरिया घुघली (गोरखपुर) में हुये निर्माण में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं शासकीय धन के दुरुपयोग की शिकायत वर्ष 87 में की थी ? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन अधिकारियों द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

शिकायत की जांच टाउन एरिया, घुघली के चेयरमैन द्वारा दिसम्बर, 1988 में की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में नगर पालिका के अन्दर जमीन व मकान के क्रय विक्रय पर विकास कर वसूलना तथा उसका उपयोग

28—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में और नगरपालिका की सीमा से 5 कि0 मी0 की परिधि के अन्दर जमीन, मकान आदि की खरीद और बिक्री पर क्या "विकास कर" दो रुपया प्रतिशत से रजिस्ट्री कार्यालय में बैनामों पर वसूला जाता है ? यदि हां, तो तथाकथित विकास कर कब से बैनामों पर वसूला जा रहा है और उक्त धन फिरोजाबाद के विकास पर व्यय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों और वह धन कहां जमा किया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29—श्री विष्णु देव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मऊ के स्थायी मान्यता प्राप्त कन्या जू0 हा0 स्कूलों को अनुदान सूची में लिया जाना

30—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में कितने स्थायी मान्यता प्राप्त कन्या जूनियर हाईस्कूलों को गत वर्ष 87-88 तक अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है ? इन विद्यालयों को कब तक अनुदान सूची पर लाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मऊ में 4 स्थायी मान्यता प्राप्त कन्या जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिन्हें अभी तक अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है ।

सम्प्रति इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।।

प्रदेश में असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर विद्यालयों की अनुदान सूची की जानकारी

31—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर विद्यालयों की वरिष्ठता क्रम में कोई सूची बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सत्र में कितने जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लाने का निर्णय लिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस समय लगभग 2000 असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं ।

कोई अद्यावधिक सूची उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैदानी क्षेत्र के किसी भी विद्यालय को इस समय अनुदान सूची पर लाने का निर्णय नहीं लिया गया है ।

32—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दि0 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 142 द्वारा उत्तरित]

सचिवालय स्थित प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि0 के तत्कालीन अवैतनिक सचिव पर गबन का आरोप तथा धनराशि की रिकवरी

33—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 72-73 में सचिवालय स्थित प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि0 के तात्कालीन अवैतनिक सचिव द्वारा लाखों रुपये गबन करने का आरोप पाया गया था ? यदि हां, तो गबन की धनराशि की रिकवरी हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रूदौली के कतिपय ग्रामों के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही

34—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रूदौली के अन्तर्गत किन-किन ग्राम सभाओं को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में विकास कार्य हेतु स्वीकृत की गयी ? उनमें से कौन-कौन सी ग्राम सभायें ऐसी हैं जिन्हें व्यय हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गई ? उक्त स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण क्या हैं ? कब तक उसे अवमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्तीय वर्ष 87-88 में जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग द्वारा निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :–

मद	ग्राम सभाओं की संख्या	कुल संसाधन (रु0)
1–सामुदायिक केन्द्र	4	4,00,000
2–पुलिया	1	40,000
3–खडंजा	5	1,00,000
4–कच्ची सड़क पटाई ।	9	2,49,327
5–निर्बल वर्ग आवास ।	1	12,000
6–इन्दिरा आवास	2	3,16,200
7–खडंजा निर्माण (जिलायोजना)	4	72,000
8–खडंजा निर्माण (क्षेत्र समितियां तथा ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाने हेतु विशेष अनुदान)	5	81,000

मद संख्या 1 से 6 तक की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है और कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं । मद संख्या 7 की धनराशि ग्राम सभाओं को अवमुक्त कर दी गयी है । मद संख्या 8 की धनराशि विलम्ब से प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के कारण अवमुक्त नहीं जा सकी है, जिसे अब अवमुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सभाओं का पूर्ण विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जनपद वाराणसी में स्थित तपस्वी महराज इण्टर कालेज राजपुर को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टर साइंस की मान्यता देने संबंधी कार्यवाही

35–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विहीन साइंस (इण्टर) की मान्यता हेतु तपस्वी महराज इण्टर कालेज राजपुर पो0 राजपुर जिला वाराणसी के मैनेजर ने शिक्षा परिषद् को आवेदन पत्र दिया है और एक प्रार्थना पत्र को भूतपूर्व विधायक श्री ऊदल ने मुख्य मंत्री जी को 26 अगस्त, 88 को तथा दिनांक 15-11-88 को मा0 शिक्षा मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो वित्त विहीन मान्यता अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार जल्द से जल्द मान्यता देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां। दिनांक 26-8-88 का पत्र प्राप्त हुआ है।

अभी तक इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। परिषद् का निर्णय हो जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

नौहझील कस्बे तहसील मांट जिला मथुरा में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

36–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को यह जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 88 के दूसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 34 के उत्तर में यह बताया गया था कि मथुरा जनपद के नौहझील कस्बे में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बम्बई को स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां। मथुरा जनपद के नौहझील कस्बे में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बम्बई को भेजा गया था। इसकी स्वीकृति बैंक को प्राप्त हो गई तथा बैंक के निर्देश दिनांक 5-9-1988 द्वारा नौहझील (मथुरा) में बैंक की नई शाखा खोल दी गई है।

जनपद उन्नाव में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत धन तथा खाद्यान का आवंटन

37–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 में अब तक प्रत्येक वर्ष जिला उन्नाव हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उन्नाव को योजना आरम्भ (84-85) से वर्ष 88-89 (फरवरी 89 तक) निम्न विवरण के अनुसार नकद एवं खाद्यान्न प्राप्त हुआ :–

वर्ष	नकद लाख रु0 में	खाद्यान मै0 टन		
		निःशुल्क	सशुल्क	
84–85	139.130	–	1900	गेहूं
85–86	150.297	–	2860	,,
86–87	117.849	3233 गेहूं	–	
87–88	154.524	3160 ,,	–	
		400 चावल		
88–89	203.418	1479 गेहूं	–	
		71 चावल		

इस धनराशि में से 17.94 लाख रुपये शासन द्वारा सीधे सिंचाई विभाग को अवमुक्त किया गया है।

जनपद इलाहाबाद में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत धन एवं खाद्यान्न आवंटन की जानकारी

38–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 में अब तक प्रत्येक वर्ष जिला इलाहाबाद हेतु कुल कितना धन खाद्यान्न आवंटित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद इलाहाबाद को आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजनान्तर्गत वर्षवार निम्नानुसार धन एवं खाद्यान्न आवंटित किया गया :–

वर्ष	नकद (रु0 लाख में)	खाद्यान्न (मी0 टन)
1983-84	-	-
1984-85	150.00	-
1985-86	179.70	1975
1986-87	353.78	15789
1987-88	363.24	8785
1988-89	342.469	825

जनपद गोरखपुर में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत धन तथा खाद्यान्न का आवंटन

39–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से 88-89 में अब तक प्रत्येक वर्ष जिला गोरखपुर हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक निम्न विवरण के अनुसार धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया:–

क्रम सं0	वर्ष	शासन से प्राप्त धनराशि	अवंटित खाद्यात (मा0 टन) गेहूं	चावल
1.	1984–85	1,39,61,009.00	1100-00	–
2.	1985–86	3,27,12,700.00	5054-00	–
3.	1986–87	2,50,48,650.00	6589-00	–
4.	1987-88	3,07,74,230.00	8525-00	4487-00
5.	1988–89	3.59,63,500.00	53[illegible]-00	984-00

जनपद सुल्तानपुर के ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना में आवंटित धन तथा खाद्यान्न की मात्रा की जानकारी

40—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 में अब तक प्रत्येक वर्ष जिला सुल्तानपुर हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 1988-89 तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद सुल्तानपुर को निम्नलिखित धनराशि नकद तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया:—

क्रमांक	वर्ष	नकद (लाख रु0 में)	खाद्यान्न (मी0 टन में) गेहूं	चावल
1	2	3	4	5
1.	1983—84	20.00	—	—
2.	1984—85	254.72	2315	—
3.	1985—86	314.33	3683	—
4.	1986—87	501.38	21528	—
5.	1987—88	530.50	9221	1257
6.	1988—89	505.27	579	1951.4

जनपद रायबरेली हेतु ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना द्वारा आवंटित धन की मात्रा की जानकारी

41—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 1988-89 में अब तक प्रत्येक वर्ष जिला रायबरेली हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद रायबरेली हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 1988-89 तक निम्नलिखित धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया:—

वर्ष	धनराशि	खाद्यान मी0 टन में
वर्ष 83--84	1,51,58,000	473
वर्ष 84--85	2,69,75,000	1500
वर्ष 85--86	1,13,33,680	908
वर्ष 86--87	1,95,15,700	8000
वर्ष 87--88	3,02,0 0,000	3295
वर्ष 88--89 (15 फरवरी तक)	2,31,00,000	708
	12,62,82,380	14,884

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर व जलालपुर की ग्राम पंचायतों में पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशियों से पंचायत कर की वसूली

42—श्रीमती शारदा देवी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ग्राम-पंचायतों के चुनाव में विकास खण्ड अकबरपुर व जलालपुर जनपद-फैजाबाद में कितने पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशियों के नाम पंचायत कर बकाया था? कितनों से पंचायत कर वसूल किया गया और क्या उसे रूप पत्र खाते के साथ वसूल किया गया? क्या प्राप्त हुई कर की धनराशि सचिवों द्वारा विकास खण्डों में जमा की गयी? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जांच करायी जा रही है।

जनपद आगरा के अन्तर्गत रायमा ग्राम में जल आपूर्ति हेतु टंकी बनाने की मांग

43—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ग्राम रायमा पेयजल ग्राम समूह योजना से पेयजल आपूर्ति उसमें सम्मिलित ग्राम रायमा नगला, लालदास, महुअर, कर्रीकानगला, नगला पूरमा, नगला बुद्धा और धनौली में वर्ष 1987-88 के सूखाकाल में न होने के कारण वहां के नागरिक प्यासे मरते रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि ग्राम समूह पेयजल योजना रायमा की टंकी रायमा ग्राम में न बनाकर ग्राम गोपेऊ में बनाई गई है? यदि हां, तो रायमा ग्राम तथा उसके समस्त मजरों की पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए रायमा ग्राम में ही टंकी बनवायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद आगरा के अन्तर्गत रायमा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित ग्रामों में कुर्रा का नगला एवं नगला पूरना को छोड़कर वर्ष 1987-88 के ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की आपूर्ति उक्त योजना के अन्तर्गत की जाती रही है। कुर्रा का नगला एवं नगला पूरना उपग्राम में पाइप लाइन ले जाने हेतु रेलवे लाइन क्रास कराने के लिए रेलवे विभाग की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त योजना में सम्मिलित ग्रामों में किसी नागरिक के प्यासे मरने की सूचना नहीं है।

जी हां।

योजना के पुनर्गठन (रिग्रुपिंग) हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही दूसरा जलकल बनाये जाने/स्थान आदि के लिए अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा सकेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा सम्बन्धी निराकरण हेतु अपर शिक्षा निदेशक का कार्यालय पर्वतीय जनपदों में स्थापित करने की मांग

44—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने व वहां के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के उचित निष्पादन हेतु अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) नाम से पद सृजित अधिकारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो इस अधिकारी का कार्यालय स्थाई/अस्थाई रूप से लखनऊ में होने के कारण क्या-क्या हैं? क्या इस कार्यालय को पर्वतीय जनपदों के लगभग केन्द्र बिन्दु में अतिशीघ्र स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आदमखोर जानवरों द्वारा पशु व धन जन की हानि के फलस्वरूप कथित परिवारों हेतु क्षतिपूर्ति का मानक

45—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगलों, पशु विहारों या पार्कों में यदा-कदा शेर, चीता, भालू तथा अन्य जानवरों के द्वारा पालतू पशुओं और मनुष्यों को मारने पर उसे आदमखोर घोषित करने एवं तत्पश्चात् मारने के लिए सरकार ने कोई मानक व नियम निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो किस शासनादेश द्वारा व किस-किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस आदमखोर घोषित जानवरों द्वारा किये गये पशु व जनधन की हानि के लिए कथित परिवारों को क्षतिपूर्ति करने हेतु मानकों का निर्धारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जंगलों, पशु विहारों, पार्कों तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में शेर, गुलदार, भालू तथा अन्य हिंसक वन्य पशुओं जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची एक में सम्मिलित हैं द्वारा मनुष्यों को मारे जाने की दशा में इन्हें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 में निर्धारित मानक के अनुसार मानव भक्षी घोषित करते हुए नष्ट करने की कार्यवाही की जाती है । उक्त अधिनियम की अनुसूची एक में वर्णित हिंसक वन्य पशुओं द्वारा पालतु मवेशियों को मारे जाने पर उन्हें पशु भक्षी घोषित कर नष्ट करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

शेर, गुलदार, हाथी, लकड़बग्घा, भेड़िया एवं भालू द्वारा मनुष्यों को मारने तथा घायल करने पर कथित परिवारों को आर्थिक सहायता देने व पार्क क्षेत्र की बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर बाहर तथा वन्य जीव विहार की सीमा से 5 किलोमीटर अन्दर तथा बाहर की परिधि में शेर/गुलदार द्वारा मवेशी मारने पर मवेशी स्वामी को क्षतिपूर्ति करने हेतु शासनादेश संख्या 1202/14-3-106/77, दिनांक 15-4-82 तथा संख्या 3423/14-3-34/78, दिनांक 20-6-83, संख्या 715/14-3-34/78, दिनांक 21-2-1985 द्वारा मानक निर्धारित है।

46–श्री काशी सिंह एरी–

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 197 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

47–श्री काशी सिंह एरी–

[दि0 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 124 द्वारा उत्तरित]

जनपद बुलन्दशहर को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना हेतु धन तथा खाद्यान्न

48–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी स्कीम के अंतर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ के वर्ष से 1988-89 में अब तक प्रत्येक वर्ष जिला बुलन्दशहर हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी स्कीम के अंतर्गत जनपद बुलन्दशहर को वर्ष 1984-85 से अब तक निम्नानुसार धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया :—

वर्ष	नकद धन (रु0 लाख में)	खाद्यान्न (मी0 टन)
1984–85	169·95	---
1985–86	81·05	1444
1986–87	116·848	2948
1987–88	88·17	3650
1988–89	120·645	287

जनपद बिजनौर के कादराबाद भू0पू0 सैनिक इण्टर कालेज की कार्यकारिणी के चुनाव

49–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव न कराने के संबंध में संबंधित जिम्मेदार किस-किस व्यक्ति का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है, तथा इन स्पष्टीकरणों को देखते हुए किस-किस व्यक्ति की क्या-क्या जिम्मेदारी निर्धारित की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर एवं मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है।

उक्त अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं विद्यालय की पुरानी प्रशासन योजना के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि (भूतपूर्व सैनिक इण्टर कालेज, कादराबाद, बिजनौर की) प्रबन्ध समिति का चुनाव न कराने के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति ही उत्तरदायी है।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के प्राइमरी पाठशाला ताराकलां में तबस्सुम पुत्री नान्हू के प्रवेश धर्म व जाति का उल्लेख

50—श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला ताराकलां, तहसील-अकबरपुर, जिला—फैजाबाद में तबस्सुम पुत्री नान्हू, निवासी—ग्राम हरखापुर, कोंडहा का प्रवेश वर्ष 1987-88 में हुआ ? यदि हां, तो किस दर्जे में और कब तथा उसकी आयु धर्म व जाति क्या लिखी गयी है ? उस प्रवेश-पत्र में पिता की जाति व धर्म क्या लिखा गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

दिनांक 1-5-87 को कक्षा—5 में प्रवेश हुआ था ।

जन्मतिथि 1-7-78, धर्म व जाति इस्लाम ।

पिता/अभिभावक की जाति तथा धर्म का उल्लेख प्रवेश पत्र में नहीं होता है।

प्रौढ़ शिक्षा विभाग के कर्मियों से संबंधित मांगों के ज्ञापन पर हुई कार्यवाही की जानकारी

51—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें और मुख्य मंत्री जी को 29 जून, 1988 से लेकर 14 जुलाई, 1988 तक की अवधि में प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पत्रकारों तथा शिक्षा शास्त्रियों के ऐसे ज्ञापन पहुंचे हैं जिनमें प्रौढ़ शिक्षा विभाग कर्मियों से संबंधित कुछ मांगें मानने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उन ज्ञापनों में कौन-कौन सी मांग पर क्या-क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

ज्ञापनों में उल्लिखित प्रमुख मांगें निम्न प्रकार हैं :—

(1) पर्यवेक्षक पद वेतनमान रु0 550—950 को संवर्गीय करते हुए सेवाओं का विनियमितीकरण किया जाये जिसका अनुमोदन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं ही कराया जाय ।

(2) पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश शासन के पूर्णकालिक राज्य कर्मचारी हैं, अतः इनको विसंगतियों का शिकार न बनाया जाय तथा किसी भी पर्यवेक्षक को सेवा से छटनी का शिकार न बनाया जाय ।

(3) समस्त पर्यवेक्षकों की ही ज्येष्ठता के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की जाय तथा इन पदों पर अन्य विभागों के किसी भी व्यक्ति को कदापि न लिया जाय ।

(4) पर्यवेक्षक पद की सेवा नियमावली शीघ्र बनाई जाय । इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक नियमावली सेल सं0 56/1/-3(नि0 से)/8825/79 (टी0सी0), लखनऊ, दिनांक 7 मई, 1988 के आदेश का परिपालन निदेशालय प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0 से तत्काल कराया जाय ।

केन्द्र सरकार द्वारा पर्यवेक्षकों के पद समाप्त कर दिये गये हैं । अतः उक्त ज्ञापनों में की गई विनियमितीकरण की मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है, किन्तु पर्यवेक्षकों की छटनी करने के बजाय उन्हें अन्य पदों पर समायोजित किये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

जनपद जालौन व झांसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत भविष्य निधि लेखे का रखरखाव व अध्यापकों के वेतन व पेंशन का भुगतान

52–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि लेखाधिकारी कार्यालय अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय, उरई का क्या-क्या दायित्व है और अभी तक भविष्य निर्वाह निधि का लेखा किस वर्ष तक का ब्याज सहित तैयार किया जा चुका है ? झांसी तथा जालौन जिले के और कितने अध्यापकों के लेखे पूर्ण होने अभी शेष हैं ? क्या यह भी जानकारी देने की कृपा करेंगे कि यदि लेखे पूर्ण हैं तो अध्यापकों को भविष्य निधि का भुगतान बिना ब्याज के क्यों किया जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव तथा अध्यापकों के वेतन व पेंशन का भुगतान नियमानुसार समय से करवाना आदि ।

जनपद जालौन में वर्ष 1969-70 तक का लेखा तैयार किया जा चुका है ।

झांसी में 3486 अध्यापकों के तथा जालौन में 3208 अध्यापकों के लेखे पूर्ण होना शेष है ।

अभी लेखे पूर्ण नहीं हैं ।

जनपद देवरिया के पथरदेवा कस्बे में पेयजल टंकी बनाने का प्रस्ताव

53–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-1-88 तथा 2-5-88 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा देवरिया जनपद के पथरदेवा कस्बे में स्पष्ट रूप से पेयजल टंकी बनाये जाने के आदेश प्रश्नकर्ता के आवेदन-पत्र पर दिये गये थे ? यदि हां, तो उसके निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ? निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण क्या हैं ? पेयजल टंकी कब तक बना दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

योजना को वर्ष 1989-90 के प्रस्ताव में सम्मिलित कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये जायेंगे ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड बरहज के सहायक विकास अधिकारी लघु सिंचाई श्री विश्राम राम विश्वकर्मा के विरुद्ध जांच

54—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के विकास खण्ड बरहज के सहायक विकास अधिकारी लघु सिंचाई श्री विश्राम राम विश्वकर्मा के विरुद्ध नि:शुल्क बोरिंग आई0 आर0 डी0 योजनाओं में धांधली, गबन तथा भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जिलाधिकारी, देवरिया तथा माननीय मुख्य मंत्री को 27 जनवरी, 1988 को ज्ञापन दिया गया था जिस पर परगना अधिकारी, सलेमपुर द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? इन गम्भीर आरोपों के बाद भी संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही न करने के कारण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

परगना अधिकारी, सलेमपुर की जांच आख्या में सहायक विकास अधिकारी लघु सिंचाई श्री विश्राम राम विश्वकर्मा के विरुद्ध कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी । प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली नगर के रामपुर बाग में नवनिर्मित ट्यूबवेल की मोटर गिरने से जलापूर्ति में व्यवधान

55—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष बरेली नगर के रामपुर बाग में लगभग 80 हजार रुपये की लागत से तैयार किए गए ट्यूबवेल के चालू होने के चौथे ही दिन मोटर 80 फीट गहरे कुएं में जा गिरी जिससे उस समय पानी की आपूर्ति पर कुप्रभाव पड़ा व जनता को परेशानी हुई ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन था? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बरेली नगर रामपुर बाग में नवनिर्मित ट्यूबवेल के सबमरसिबिल मोटर की एक पाइप की चूड़ियां स्लिप हो गयी थीं जिसको उसी समय ठीक कर दिया गया था। यह नलकूप स्टैण्ड बाई है दूसरा पम्प लगातार चलता रहा जिससे जलापूर्ति में कोई व्यवधान नहीं होने पाया।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली नगरपालिका में पांच वर्ष से अधिक एक ही सीट पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण

56—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर महापालिका में विभिन्न विभागों में अनेक ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जो 5 वर्ष से अधिक से एक ही सीट पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को जिनको एक सीट पर काम करते तीन वर्ष से अधिक हो गए हैं, स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जाता है । नियमों में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली नगर के सिटी इम्प्रूवमेन्ट पार्क के सामने की सीवर लाइन की मरम्मत

57–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर के सिटी इम्प्रूवमेन्ट पार्क के सामने कई महीनों से सीवर की सफाई का काम चल रहा है व सीवर लाइन खुदी पड़ी है जिससे पूरे शहर का जगह-जगह सीवर का गन्दा पानी ओवर फ्लो कर रहा है ? यदि हां, तो इतने समय से सीवर लाइन ठीक न हो पाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बरेली नगर के सिटी इम्प्रूवमेन्ट पार्क के सामने टूटे सीवर लाइन को ठीक कर दिया गया है तथा उक्त स्थान से कुछ आगे सीवर पाइपों को बदलने का कार्य प्रगति पर है । नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो सीवर उफन रहे थे उनको साफ करवा दिया गया है । अब इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर महापालिका बरेली में लगे हैण्ड पम्पों की मरम्मत खरीद एवं व्यय का विवरण

58–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 87 से जून, 88 तक बरेली नगर महापालिका ने कितने पानी के हाथ के नल लगवाये हैं, कितने पुराने नलों की मरम्मत कराई गई तथा इस पर कितना धन खर्च हुआ ? प्रति नए नल को खरीदने में कितना धन दिया गया? क्या यह सच है कि बरेली महानगर के 90 प्रतिशत से अधिक नए व पुराने पानी के नल खराब पड़े हैं या पानी नहीं देते हैं? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जून, 1987 से जून, 1988 तक नगर महापालिका, बरेली द्वारा 122 छोटे तथा 11 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगवाये गये।

405 छोटे हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराई गई जिन पर रुपये 77,616 व्यय किये गये ।

नये छोटे नलों की खरीद एवं बोरिंग के उपरान्त 12 फिट मशीन के साथ रु0 1156.90 एवं 15 फिट मशीन के साथ रु0 1241 तथा इण्डिया मार्क–2 पर रु0 9845.92 प्रति नल की दर से व्यय किया गया ।

127 छोटे नल खराब पड़े हैं जिनकी मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है ।

नलों के सामान चोरी चले जाने तथा ग्रीष्म ऋतु में पानी का स्तर कम होने के कारण नल खराब हो जाते हैं । अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोपागंज क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0 कोपागंज आजमगढ़ के निर्वाचन में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

59–श्री इकबाल अहमद अंसारी–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोपागंज क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0 कोपागंज आजमगढ़ की अंतिम मतदाता सूची दिनांक 18-2-88 को चुनाव अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व प्रकाशित की गयी थी? क्या यह सही है कि दिनांक 19-2-88 को परचा दाखिल के समय अन्तिम मतदाता सूची से कुछ सदस्यों का नाम निकाल दिया गया और इस प्रकार पूरे क्षेत्र के 78 वैधानिक सदस्यों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया जिसकी सूचना श्री इश्तियाक अहमद द्वारा दिनांक 2-2-1988 को जिलाधिकारी आजमगढ़ को दी गयी थी ? यदि हां, तो उसके संबंध में संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । दिनांक 20-2-88 को प्रश्नकर्ता का एक पत्र जिसमें श्री इश्तियाक अहमद, कोपागंज का शिकायती पत्र संलग्न था, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ।

चूंकि उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम संख्या-444-ग में निर्वाचन में की गई किसी प्रकार की अनियमितता के मध्यस्थ विवाद के अतिरिक्त अन्य कोई प्राविधान नहीं है, अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सामुदायिक विकास विभाग उ0 प्र0 में सहायक विकास अधिकारी (एस0 टी0) के पद का सृजन तथा ज्येष्ठता सूची

60–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक विकास विभाग उ0 प्र0 में सहायक विकास अधिकारी (एस0 टी0) का पद कब सृजित हुआ था तथा प्रगति सहायक जो वर्ग-3 के कर्मचारी थे, को कब वर्ग-2 में समायोजित किया गया ? क्या

यह सत्य है कि सामुदायिक विकास विभाग में वर्ग-2 की बनायी गयी ज्येष्ठता सूची में समस्त सहायक विकास अधिकारी एस0 टी0 को जूनियर होते हुए भी सहायक विकास अधिकारी पंचायत, कृषि, सहकारिता से वरिष्ठ माना गया है जबकि अधिकांश सहायक विकास अधिकारी एस0 टी0 उक्त तीनों सहायक विकास अधिकारियों से कनिष्ठ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मामले में कार्यवाही कराकर ज्येष्ठता सूची को ठीक करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) का पदनाम शासनादेश संख्या–3/39(26)/68-नि0अनु0–2 दिनांक 9-11-73 द्वारा सृजित हुआ था । इससे पूर्व यह पदनाम प्रगति सहायक था । प्रगति सहायक को अन्य सहायक विकास अधिकारी जैसे पंचायत कृषि, सहकारिता आदि के समान वर्ग-2 का वेतनमान दिनांक 1-8-72 से मिला है ।

प्रश्न में वर्णित यह कथन सही नहीं है कि सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) को कनिष्ठ होते हुए भी अन्य सहायक विकास अधिकारियों से वरिष्ठ माना गया है। विभिन्न विभागों के सहायक विकास अधिकारियों की वरिष्ठता अपने संवर्ग में भिन्न-भिन्न है । खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिये सभी सहायक विकास अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची निर्धारित की जाती है । तदनुसार सभी सहायक विकास अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची आयुक्त ग्राम्य विकास के स्तर से उनकी विज्ञप्ति दिनांक 13-7-87 द्वारा प्रसारित की गई है । इसके विरुद्ध सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) सेवा संगठन ने शासन को आपत्तियां भेजी है। उनका प्रत्यावेदन शासन में विचाराधीन है ।

जनपद बांदा में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व भत्ते का भुगतान की मांग

61–श्री देव कुमार यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना में कार्यरत भूमि संरक्षक इकाइयों के कर्मचारियों को माह मार्च, 1987 से दिसम्बर, 87 तक के वेतन एवं भत्तों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा संबंधित कर्मचारियों को उनके वेतन भत्तों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद आगरा में सहकारी समितियों के चुनाव के बाद नई सूची के आधार पर सहकारी संघ फिरोजाबाद का चुनाव कराने की मांग

62—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ फिरोजाबाद आगरा का निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत सहकारी समितियों के निर्वाचन के बाद कराने की प्रथा और चुनाव नियम है ? यदि हां, तो सहकारी संघ फिरोजाबाद का निर्वाचन वर्ष 1978 की पुरानी सूची के आधार पर कैसे कराया गया ? यदि यह चुनाव गलत हुआ है तो उसे समाप्त कर विधिवत् सहकारी समितियों के चुनाव के बाद नई चुनी हुई सूची के आधार पर चुनाव कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री समर पाल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में बाईपास रोड राष्ट्रीय मार्ग—2 पर चौकी चुंगी के पास नाला बनाने की मांग

63—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में बाई-पास रोड, राष्ट्रीय मार्ग नं0—2 पर आगरा गेट पर स्थित चौकी चुंगी के आसपास चौकी चुंगी के मध्य वर्षा और नालियों का गन्दा पानी भर जाता है जिससे राष्ट्रीय मार्ग नं0—2 बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर नाला बनाकर पानी निकालने का क्या प्रयास किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

धनाभाव के कारण कोई योजना बनाना तथा कार्यान्वित किया जाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव की साधन सहकारी समिति रावतपुर ब्लाक सुमेरपुर व सा0 स0 स0 फतेहगंज ब्लाक के सचिवों द्वारा किये गये गोल माल की जांच की मांग

64—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की साधन सहकारी समिति रावतपुर ब्लाक सुमेरपुर व सा0 स0 स0 फतेहगंज ब्लाक पुरवा के सचिवों द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का गोलमाल, सचिव रावतपुर को ए0 डी0 सी0 आ0 की जांच रिपोर्ट में लगभग एक लाख रुपए के घपले का दोषी पाया गया था ? क्या यह भी सच है कि तब जांच अधिकारी बदल कर दूसरे अधिकारी से जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो

क्या दूसरे अधिकारी ने अलग जांच आख्या में दस हजार रु0 के घपले के निष्कर्ष निकाले थे ? यदि हां, तो दोनों जांच निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या फतेहगंज के सचिव दिनांक 2 नवम्बर, 1988 से 14 नवम्बर, 1988 तक बिना अवकाश के ही अनुपस्थित थे और इसकी शिकायत अध्यक्ष सा0 स0 स0 ने उच्च अधिकारियों से की थी ? क्या उक्त दोनों सचिवों व अनियमित आचरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-12-88 सचिव सहकारिता को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष और कृत कार्यवाही क्या है ?

श्री समर पाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग में पी0 ई0 एस0 अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

65–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 15 जुलाई, 1988 तक शिक्षा विभाग में पी0 ई0 एस0 (जूनियर) वेतनमान 850-1720 में कितने अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? उक्त तिथि तक संदर्भित रिक्तियों की पूर्ति हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? शासन/विभाग कब तक उक्त रिक्तियों की पूर्ति कर राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) के प्रधानाचार्य पदों पर तैनातियां पूर्ण कर लेगा ? क्या शासन/विभाग संदर्भित पदोन्नतियों में उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं0–15/38/84-कार्मिक-1, दिनांक 21 जून, 1984 में प्रख्यापित/प्रसारित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उक्त दिनांक तक केवल 88 पद रिक्त थे । पूर्व में तदर्थ रूप से चयनित 16 अधिकारियों की पदोन्नति देकर पद स्थापित किया गया तथा आगामी तदर्थ चयन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

नियुक्तियां यथाशीघ्र कर दी जायेंगी ।

नहीं ।

उक्त शासनादेश इस चयन में लागू नहीं होता ।

66–श्री शारदा नन्द अंचल–

[6वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम गहरांकलां में पेयजल संकट के निराकरण हेतु टंकी बनाने की मांग

67–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद के ब्लाक अकोला के ग्राम गहरांकलां में ग्राम समूह पेयजल योजना वहां के पेयजल संकट को ध्यान में रखकर वर्ष 1987-88 के सूखाकाल में स्वीकृत हो गई थी ? यदि हां, तो इस योजना पर अभी तक वहां टंकी आदि बनाने का कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

गहरांकलां ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 1987-88 में स्वीकृत नहीं हुई है। परन्तु पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987-88 में ग्राम गहरांकलां में 2 हैण्ड पम्प केन्द्रीय सूखा कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये जिनका पानी खारा पाये जाने के कारण गहरांकलां ग्राम समूह पेयजल योजना का प्राक्कलन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत विचारित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में सहकारिता विभाग द्वारा धन का गोलमाल करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

68–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता विभाग द्वारा उन्नाव जिले में वर्ष 1986-87 में फर्जी कर्ज चढ़ाकर लाखों रुपये का गोलमाल विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-12-88, पत्रांक 14 ज0 पा0-88 मा0 मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां।

जिला सहायक निबन्धक, उन्नाव को जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

जनपद देवरिया के कुशीनगर के टाउन एरिया के बक्सी श्री माधव शरण के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

69–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कुशीनगर टाउन एरिया के पूर्व बक्सी श्री माधव शरण के विरुद्ध कसया के नागरिकों के शिकायती पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-9-87 तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने नगर विकास सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र में वर्णित आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? यदि नहीं, तो जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जी हां।

जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के कुशीनगर टाउन एरिया कार्यालय में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

70—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कुशीनगर टाउन एरिया में श्री माधव शरण बक्सी टाउन एरिया के कार्यकाल में कितनी स्थायी व अस्थायी नियुक्तियां हुई और इन नियुक्तियों में चयन की क्या प्रक्रिया और मानक निर्धारित था ? क्या यह सत्य है कि उक्त बक्सी ने चौकीदार, माली, ट्रेक्टर ड्राइवर, लैम्पलाइटर तथा वसूली लिपिक पद पर अपने रिश्तेदार और मित्रों को नियुक्त करा दिया जिसकी शिकायत कसया व्यापार मण्डल तथा स्थानीय नागरिकों ने प्रभारी अधिकारी टाउन एरिया जिलाधिकारी, आयुक्त गोरखपुर मण्डल तथा उत्तर प्रदेश शासन को की ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और दोषी तत्कालीन बक्सी के विरुद्ध पद के दुरुपयोग करने के कारण क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्री माधव शरण, बक्सी, टाउन एरिया के कार्यकाल में कोई स्थायी नियुक्ति नहीं की गई । केवल एक माली एक ट्रैक्टर ड्राइवर, एक वसूली लिपिक तथा एक लैम्प लाइटर के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गयी । दैनिक वेतन पर चयन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी । केवल निर्धारित अर्हताओं को ध्यान में रखा गया था । उक्त नियुक्तियों में माली व वसूली लिपिक बक्सी के रिश्तेदार बताये जाते हैं। की गई नियुक्तियों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । बक्सी के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई थी । जांच में शिकायतें निराधार पाई गई अतः बक्शी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

भूगर्भ जल विभाग में प्राविधिक सहायक के संवर्ग वार पदों पर नियमित चयन कराया जाना

71—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में 42 प्राविधिक सहायकों के पद संवर्गवार स्वीकृत होने के बावजूद केवल 7 पद को ही स्थायी कराया गया ? इन सात पदों को भी संवर्गवार क्यों नहीं घोषित कराया जा रहा है जबकि संवर्गवार पदों का अभ्युदय पूर्व में ही हो चुका था ? लोक सेवा आयोग को संवर्गवार 1981 में भेजे गये अधियाचन के प्रति उत्तर में विधिवत संवर्गवार चयन एवं नियमित नियुक्ति के बाद भी इन स्थायी पदों को संवर्गवार पदों की संख्या के अनुपात में विभाजित कर प्राविधिक सहायकों को स्थायी करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में शासन द्वारा प्राविधिक सहायक के 42 पद स्वीकृत किये गये हैं, परन्तु वर्ष 1982 में तत्कालीन निदेशक द्वारा कार्य के हित में उक्त पदों का संवर्गवार विभाजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा स्वीकृत 42 प्राविधिक सहायकों के पदों में से शासनादेश सं0-10634/38-4-1800(97)/81, दिनांक 28-1-83 द्वारा 7 प्राविधिक सहायक के पदों को स्थायी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष बचे 35 प्राविधिक सहायकों के अस्थायी पद जो सुदृढ़ीकरण तथा डी0 पी0ए0पी0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं, को स्थायी किया जाना शेष है।

वर्ष 1982 में प्राविधिक सहायक के संवर्गवार पदों का अधियाचन भेजा गया था। जिस पर लोक सेवा आयोग द्वारा संवर्गवार नियमित चयन कराया जा चुका है। प्राविधिक सहायकों के पदों की संवर्गवार ज्येष्ठता सूची को लगभग अनन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उसके पश्चात ही प्राविधिक सहायकों के स्थाई पदों को संवर्गवार विभाजित करके उन पर स्थायीकरण की कार्यवाही सम्पादित कराई जायेगी।

भूमि विकास बैंक लि0 लखनऊ के कर्मचारियों के वार्षिक स्थानानान्तरण की नीति

72–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ के कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण की नीति जिसमें कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण, जुलाई के प्रथम सप्ताह में किये जाने हेतु नियम हैं, के उपरान्त भी भूमि विकास बैंक में इस वर्ष कतिपय कर्मचारियों के स्थानान्तरण 17 सितम्बर, 1988 व 3 अक्तूबर, 1988 को किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों के विरुद्ध मध्य सत्र में उपरोक्त स्थानान्तरण से कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा आदि की असुविधाओं को देखते हुए क्या उपरोक्त स्थानान्तरण निरस्त करने के आदेश शासन द्वारा प्रसारित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा स्थानान्तरण नीति, सामान्यत: जुलाई/अगस्त माह में स्थानान्तरण किए जाने की बनाई गई है। बैंक में वसूली अभियान जुलाई में भी चलाया जाता है। स्थानान्तरण से वसूली पर विपरीत प्रभाव न पड़े अत: उसके पश्चात ही स्थानान्तरण किए जाते हैं।

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक ने जिला प्रबन्धकों, शाखा प्रबन्धकों तथा सहायक विधि अधिकारियों के स्थानान्तरण क्रमश: दिनांक 12-7-88, 14-7-88 एवं 15-7-88 को किये थे तत्पश्चात् दिनांक 19-7-88 को रात्रि में किसी व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर घातक हमला करने तथा उन्हें बचाने में उनकी धर्म पत्नी के गम्भीर रूप से घायल हो जाने तथा लगातार कुछ दिनों तक पुलिस जांच पड़ताल में व्यस्त रहने एवं तत्पश्चात् उनके स्थानान्तरित हो जाने तथा दिनांक 12-8-88 को नये प्रबन्ध निदेशक महोदय के कार्यभार ग्रहण करने के कारण इस वर्ष अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण माह सितम्बर में सम्भव हो सके। लगभग सभी कर्मचारियों ने स्थानान्तरित स्थान पर योगदान कर दिया है। अत: उनके स्थानान्तरण निरस्त करने से बैंक पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ेगा तथा बैंक कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

नगरों के सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था

73–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पार्कों में किसी प्रकार के खेल खेलने एवं प्रदर्शनी अथवा मेला लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर शासन द्वारा विचार हो रहा है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा और उक्त प्रतिबन्ध किन-किन नगरों में लागू होगा।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्तमान मुख्य अभियन्ता का स्थानान्तरण तथा लगाये गये आरोपों की जांच

74–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्तमान मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कोई विजिलेन्स जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो यह जांच किस प्रकार की अनियमितता के बारे में चल रही है? क्या सरकार यह भी बताना चाहेगी कि इसकी रिपोर्ट शासन को कब तक मिल जायेगी? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को दोषी होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण कार्य एवं जिम्मेदारियां इत्यादि सौंपी गई हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, श्री एस0 सी0 गुप्ता तत्कालीन मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच करायी जा रही है।

श्री गुप्ता के विरुद्ध अत्यधिक परिसम्पत्ति एकत्र करने, पद का दुरुपयोग करने संबंधी आरोपों पर जांच चल रही है।

चूंकि जांच विस्तृत है अतः यह कहना कठिन है कि जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी।

श्री गुप्ता का स्थानान्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण से अन्यत्र कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की एल0 डी0 ए0 कालोनी का नगर महापालिका में स्थानान्तरण तथा सफाई व्यवस्था

75–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि एल0 डी0 ए0 कालोनी मोतीझील लखनऊ पूर्णरूप से लखनऊ नगर महापालिका को हस्तान्तरित हो चुकी है और उक्त कालोनी के अध्यासियों द्वारा नगर महापालिका को सफाई, सीवर व्यवस्था एवं जल सम्पूर्ति आदि के करों का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस कालोनी में गन्दगी एवं जल भराव है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कालोनी की सफाई एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था तत्काल कराने का आदेश जारी करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं, प्रश्नगत कालोनी लखनऊ नगर महापालिका को अभी हस्तान्तरित नहीं हुई है।

जी नहीं, केवल जल मूल्य का भुगतान लखनऊ जल संस्थान को प्रश्नगत कालोनी के अध्यासियों द्वारा किया जा रहा है।

जी नहीं, प्रश्नगत कालोनी में कोई जल भराव की समस्या नहीं है। जहां तक गन्दगी का प्रश्न है उसकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0 में कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

76–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ के अन्तर्गत कितने अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो एक ही सबस्टेशन पर दस वर्षों से तैनात हैं ? क्या उन्हें दूसरे सबस्टेशन पर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री समर पाल सिंह–

दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0, लखनऊ के अन्तर्गत कोई भी ऐसा सबस्टेशन नहीं है जिस पर अवर अभियन्ता तैनात किया गया हो । विभिन्न स्थानों पर तैनात किसी भी अवर अभियन्ता को एक स्थान पर दस वर्ष नहीं हुए हैं ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के ग्राम जसूपुर गठिया को प्रथक ग्राम सभा बनाने की मांग

77—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के ग्राम जसूपुर गठिया निवासियों का प्रतिवेदन दिनांक 17-3-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जसूपुर गठिया को प्रथक गांव सभा बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश सक्षम अधिकारी को दिए गये हैं ।

78—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[दि0 13-3-89 को अता0प्र0सं0 141 द्वारा उत्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान

79—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वर्तमान में अनौपचारिक शिक्षा के कितने केन्द्र हैं, इनमें कितने संचालित हो रहे हैं और कितने मात्र कागज पर हैं ? सभी केन्द्रों को प्रतिमाह कुल कितना वेतन के रूप में भुगतान हो रहा है ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा केन्द्रों को चलाने वाले शिक्षकों के लिए शासन द्वारा प्रतिमाह प्रति शिक्षक 110 रुपया दिया जाता है जबकि जनपद के अनौपचारिक शिक्षकों को मात्र 68रुपये प्रतिमाह ही प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इस अनियमितता एवं उनके दुरुपयोग रोकने के लिए तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित कराने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद फर्रुखाबाद में वर्तमान समय में 600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं । सभी केन्द्र संचालित हो रहे हैं ।

अनुदेशकों को रु0 63,000 का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है ।

जी नहीं । जनवरी, 1988 से अनुदेशकों को 105/-रु0 की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के सड़कों व नालों के निर्माण व सफाई में व्यय धन का विवरण

80—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987-88 में नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ को सड़कों के निर्माण व नालियों व नालों की सफाई हेतु कुल कितना रुपया व्यय किया गया ? इस रुपये से कौन सी सड़कों का निर्माण व किस-किस नाले की सफाई की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सड़कों के निर्माण पर रु0 13,02,721.96 पैसे एवं नालों की सफाई पर रु0 22,764.00 कुल रुपया 13,25,485.96 पैसे व्यय किये गये ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'रू' आगे पृष्ठ 241-242 पर)

जिला परिषद् फर्रुखाबाद में आरक्षण के पश्चात् श्री हरी राम दुबे प्रथम ग्रेड क्लर्क के प्रतिवेदन पर पदोन्नति के संबंध में विचार किया जाना

81—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकारी गजट असाधारण भाग-3 खंड (2) में दिनांक 16 सितम्बर, 1985 को प्रकाशित शासनादेश सं0-5066/वि0 स0/संसदीय/87 (सं)/85 लखनऊ 16 सितम्बर, 1985 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जिला परिषद् फर्रुखाबाद में 1986 व 1987 के वर्षों में जिन कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति दे दी गई है, ठीक कराने का आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे ? क्या इस संबंध में श्री हरीराम दुबे प्रथम ग्रेड क्लर्क का प्रतिवेदन सितम्बर, 1987 जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जिला परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार श्री हरीराम दुबे, श्री हरिदत्त मिश्र से कनिष्ठ है, अतः जब तक श्री मिश्र को पदोन्नति हेतु अपात्र घोषित न कर दिया जाय तब तक श्री दुबे की पदोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव न होगा ।

प्रश्न में इंगित असाधारण गजट श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था । परन्तु माननीय विधायक द्वारा प्रस्तुत गजट दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को वापस ले लिया गया अतः उक्त तिथि से यह गजट निष्प्रभावी हो गया । शासनादेश संख्या 8855 क/33-1-141/72 दिनांक 16-2-1978 में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का प्राविधान है । उसी के तहत नियमानुसार जिला परिषद् फर्रुखाबाद में पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है । अतः उसे ठीक कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जिला परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार श्री हरी राम दुबे, श्री हरिदत्त मिश्र से

कनिष्ठ हैं, अतः जब तक श्री मिश्र को पदोन्नति हेतु अपात्र घोषित न कर दिया जाय तब तक श्री दूबे की पदोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव न होगा ।

जनपद वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अंतर्गत खनांव-बेटावर सम्पर्क मार्ग बनाने की मांग

82—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अंतर्गत वाराणसी मिर्जापुर को जोड़ने वाले 4 कि0मी0 लम्बे खनांव-बेटावर महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी व गिट्टी सोलिंग का कार्य रुका पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग को यातायात योग्य बना दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय द्वारा स्वीकृत नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ग्राम विकास अधिकारी डी0 पी0 ए0 पी0 के पद पर कार्यरत श्री ओम प्रकाश शुक्ला के वेतन का भुगतान

83—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश शुक्ला 22 सितम्बर, 1979 से सन् 1982 तक ग्रा0 वि0 अधिकारी डी0पी0ए0पी0 (जनपद बांदा) पर कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या उनको उक्त अवधि का ग्रा0 वि0 अधिकारी पद के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । प्रश्नगत कार्यकाल के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

भूगर्भ जल विभाग में नियमित नियुक्त अवर अभियन्ता/प्राविधिक सहायकों की वरिष्ठता सूची, स्थायीकरण, पदोन्नति तथा आरक्षण संबंधी लम्बित मामलों का निस्तारण

84—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 5-9-88 का पत्र जो भूगर्भ जल विभाग में नियमित नियुक्त अवर अभियन्ता/प्राविधिक सहायकों की संवर्गवार वरिष्ठता, स्थायीकरण पदोन्नति कोटे में वृद्धि एवं पदोन्नति जैसे लम्बित मामलों के संबंध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक कितने मामलों का निस्तारण किया गया ? शेष मामले कब तक निस्तारित हो जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

तृतीय श्रेणी के तकनीकी अधिष्ठान के अवर अभियन्ता/प्राविधिक सहायकों की पदोन्नति हेतु सेवा नियमावली न होने के कारण संवर्गवार वरिष्ठता, स्थायीकरण, पदोन्नति आदि के मामलों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

अब शासन को कार्यालय ज्ञाप संख्या-2379/54-3-1800(8)/87, दिनांक 10-5-88 द्वारा जारी कार्यवाही आदेश में पदोन्नति हेतु प्रोन्नति कोटा निर्धारित करते हुए मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत इनके समस्त सेवा संबंधी मामलों को निस्तारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा के ग्राम सभा जोलिया बनारस में उपप्रधान के चुनाव में बरती गई अनियमितता के संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी का निलम्बन

85—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव सभा जोलिया बनारस विकास खण्ड देवा जनपद बाराबंकी में उप प्रधान का चुनाव किस दिन सम्पन्न हुआ ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि चुनाव की सूचना गांव पंचायत के बहुमत सदस्यों को नहीं दी गई और इस संबंध में जिलाधिकारी बाराबंकी को शिकायती पत्र दिया गया जिसकी जांच विकास खण्ड अधिकारी देवा ने की ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उक्त चुनाव 30-8-88 को सम्पन्न हुआ।

प्राप्त शिकायत पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी, देवा द्वारा जांच करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार 11 सदस्यों में से 3 सदस्य निर्वाचन के समय उपस्थित थे और शेष 8 सदस्यों ने एजेन्डा की सूचना पर हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया फलतः कोरम के अभाव में निर्वाचन में अनियमितता पायी गयी जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और अनियमितता के लिए उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया है।

पी0 सी0 एफ0 विभाग में तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यवाही

86—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 एफ0 द्वारा शासन की अधिसूचना सं0-2124/12-सी-151 (5)-83, दिनांक 30-7-85 को अवहेलना करके तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठ मानकर दिनांक 7-10-85 को अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी तथा उसे अन्तिम मानकर तदर्थ कर्मचारियों की पदोन्नतियां कर दी गयीं ? यदि हां, तो क्यों तथा शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री समर पाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इटावा की तहसील विधूना के बाबू राम गुप्ता ब्रादर्स निवासी सहार से ब्लाक क्रय विक्रय समिति अछल्दा द्वारा धनराशि की वसूली

87—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबू राम गुप्ता ब्रादर्स निवासी सहार, बकायेदार ब्लाक-क्रय विक्रय समिति अछल्दा, तहसील विधूना, जनपद इटावा के सम्बन्ध में श्री सोबरन लाल कठेरिया निवासी बीसरामऊ पोस्ट मल्होसी भरथरा, जनपद इटावा के द्वारा मा0 मंत्री भारत सरकार, श्रीमती शीला दीक्षित को लिखे शिकायती पत्र के संदर्भ में सहायक निबन्ध सहकारी समितियां इटावा को सम्बोधित जिला अधिकारी इटावा के पत्रांक-2065/एसटी-राम-संका-86 दिनांक मई, 27, 1987 के परिपालन में उक्त बकायेदार से कुल धनराशि रु0 34004.68 की वसूली के लिए कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बरेली की आवास विकास परिषद् द्वारा बांके बिहारी आवास कल्याण समिति को सामुदायिक केन्द्र बनाने हेतु रियायती भूमि का आवंटन

88—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 85 में आवास विकास परिषद् बरेली की योजना नम्बर-2 में कम्यूनिटी सेन्टर बनाने के लिये बांके बिहारी आवास कल्याण समिति को आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो इस विशाल कालोनी के विकास में कम्यूनिटी सेन्टर के विकसित करने का दायित्व परिषद् के होते हुए भी बांके बिहारी आवास कल्याण समिति को यह भूखण्ड इतने अधिक मूल्य पर देने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी उक्त समिति पर भूखण्ड की बाकी देनदारी मुक्त करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा परिषद् की योजना संख्या-2 बरेली में सामुदायिक केन्द्र बनाने के लिये श्री बांके बिहारी आवास कल्याण समिति को वर्ष 1985 में नहीं अपितु वर्ष 1984 में भूखण्ड का प्रदेशन किया गया था । परिषद् द्वारा विकसित कालोनी में जन संस्थाओं को भी सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि रियायती दर पर परिषद् नियमों के अनुसार आवंटित की जाती है । बांके बिहारी आवास कल्याण समिति को भी सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि प्रचलित दर के 50 प्रतिशत पर ही आवंटित की गयी है ।

जी नहीं ।

समिति को परिषद् नियमों के अनुसार रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किया गया है अतः बाकी देनदारी से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्रीमती सावित्री सक्सेना प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र रुद्रपुर, नैनीताल की पेंशन आदि के भुगतान की मांग

89—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती सावित्री सक्सेना, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र रुद्रपुर, नैनीताल ने अपनी साढ़े चौबीस वर्ष की सेवा करने के बाद एच्छिक रिटायरमेंट की मांग प्रशासन से की थी तथा कोई सुनवाई न होने पर लोक सेवा प्राधिकरण उ0 प्र0 लखनऊ से याचिका दायर की जिसने इनके पक्ष में 28-12-82 को रिटायर करने का फैसला दिनांक 28-11-87 को किया किन्तु अभी तक श्रीमती सक्सेना की पेंशन व अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या है ? क्या मंत्री जी श्रीमती सक्सेना की पेंशन व अन्य लाभों के भुगतान के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमती सावित्री सक्सेना, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रुद्रपुर नैनीताल ने दिनांक 29-9-82 को एच्छिक सेवा निवृत्ति के लिये प्रार्थना पत्र दिया तथा लोक सेवा अधिकरण में एक याचिका भी दायर की थी । मा0 अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 4-11-87 में यह आदेश दिये कि जिस तिथि से श्रीमती सक्सेना के कनिष्ठ अधिकारी को स्थायी किया गया उसी तिथि से इन्हें भी स्थायी किया जाये और उनकी पेंशन आदि लाभों का भुगतान किया जाये । श्रीमती सक्सेना को दिनांक 1-4-80 से ज्येष्ठ प्रशिक्षक के पद पर स्थायी कर दिया गया है । इनके पेंशन प्रकरण को महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है तथा इनके अन्य देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

एफ0 आर0 इस्लामिया इण्टर कालेज बरेली के परीक्षार्थी के अनुक्रमांक की जांच करके उत्तीर्ण घोषित किया जाना

90—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त रोल नं0-564366 ने वर्ष 85 में एफ0 आर0 इस्लामिया इण्टर कालेज बरेली से इण्टरमीडिएट की परीक्षा दी थी किन्तु परीक्षाफल में उन्हें कामर्शियल आर्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र में अनुपस्थित दर्शाकर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया जबकि केन्द्र व्यवस्थापक ने प्रमाणित किया है कि परीक्षा में उक्त परीक्षार्थी उपस्थित था ? यदि हां, तो उक्त परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हां ।

परीक्षार्थी ने कामर्शियल आर्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र में अपना अनुक्रमांक गलत लिख दिया था, अतः इस प्रश्न पत्र में उसे अनुपस्थित दिखाकर परीक्षाफल घोषित कर दिया गया था ।

जांच के उपरान्त प्रश्नगत परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जा चुका है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण पूरा करने के निर्देश

91—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को रखे जाने के शासन के आदेश हैं ? यदि हां, तो जनपद बरेली के फरीदपुर तहसील में सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज, धरमपुरा, प्रवीन जूनियर हाईस्कूल में उक्त आदेशों का पालन न करने का क्या औचित्य है । क्या मंत्री जी इन दोनों स्कूलों में अनुसूचित कोटे के आधार पर नियुक्त के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज में चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण के अनुसार दो कर्मचारी होने चाहिए जिनमें एक कार्यरत है तथा एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी को नियुक्त किये जाने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक को दिये जा चुके हैं ।

धरमपुरा जूनियर हाईस्कूल में आरक्षित कोटे के अनुसार एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का होना चाहिए परन्तु पद रिक्त न होने के कारण यहां कोटा पूर्ण करवाना सम्भव नहीं है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज के संबंध में पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं ।

92—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटद्वार में कक्षाध्यापक द्वारा छात्रों के नाम काटने के संबंध में कार्यवाही

93—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल में कक्षा-6 में कक्षाध्यापक द्वारा माह अगस्त, 1988 के अंतिम सप्ताह में कुछ छात्रों का नाम उपस्थिति पंजिका से काट दिया गया था ? क्या यह सत्य है कि एक अभिभावक के शिकायती पत्र के सन्दर्भ में सह जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 9-10-1988 को उक्त विद्यालय में मामले की जांच की गई थी और उसकी सह जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने विभाग को ओवर राइटिंग तथा अनियमितता बरते जाने की लिखित सूचना दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले से संबंधित दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां, कक्षाध्यापक द्वारा फरवरी, 1988 में दो छात्रों के नाम उपस्थिति पंजिका से काट दिये गये थे। हां। जांच की सही तिथि 1-10-88 है। संबंधित अध्यापक को चेतावनी दे दी गयी तथा विद्यालय से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

कोटद्वार गढ़वाल रेंज के रेंज अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच

94–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 5-11-88 को कोटद्वार गढ़वाल के कई संगठनों व छात्र यूनियनों द्वारा अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षण (पर्वतीय क्षेत्र) श्री के0 सी0 थपलियाल के कोटद्वार कैम्प में कोटद्वार रेंज के रेंज अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (पर्वतीय क्षेत्र) ने इन शिकायती पत्रों की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित की है ? यदि हां, तो कब ? क्या कोटद्वार रेंज के रेंज अधिकारी के विरुद्ध सरकार विभागीय गोपनीय प्रकोष्ठ एवं सी0 आई0 डी0 द्वारा शिकायती पत्रों में लिखित तथ्यों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

चूंकि यह मामला विभागीय जांच में दिया गया है अतः मामला सी0 आई0 डी0 आदि को भेजने की सम्प्रति अवश्यक प्रतीत नहीं होती है।

जनपद बस्ती में विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम नासिरगंज में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण में धन के गबन के संबंध में कार्यवाही करने की मांग

95–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड खेसरहा जनपद बस्ती के ग्राम नासिरगंज में सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण द्वितीय चरण में स्वीकृत हुआ है जिसका कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र के निर्माण से संबंधित एक अवर अभियन्ता द्वारा केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृत धन का गबन करा लिये जाने के कारण केन्द्र का निर्माण भी रुक गया है तथा जो सामान निर्माण हेतु आया उसका किसी का भुगतान भी नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड खेसहरा द्वारा कराये गये कार्यों का टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

96–श्री दिवाकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि वि0 ख0 खेसहरा जनपद बस्ती में वि0 ख0 द्वारा कराये गये कार्यों का जुलाई, 88 से अक्टूबर, 88 के बीच में टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच करायी गई है ? क्या यह सही है कि जांच कराने हेतु प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र मा0 मंत्री जी को लिखा था , जिसके आधार पर जांच हुई? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टी0 ए0 सी0 ने किन-किन कार्यों की जांच की है ? क्या प्रश्नकर्ता को भी जांच के विषय में कोई लिखित सूचना टी0 ए0 सी0 द्वारा दी गयी थी और टी0ए0सी0 ने वि0 ख0 खेसरहा पर किस तिथि को जांच की तथा जांच आख्या क्या है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

टेकनिकल आडिट सेल द्वारा निम्नलिखित कार्यों की जांच करायी गयी थी :–

(1) ग्राम भेडोहा में 14 इन्दिरा आवासों का निर्माण तथा पौधे लगाने का कार्य ।

(2) ग्राम वटसा व बकोनहा में वृक्षारोपण का कार्य ।

(3) वर्ष 1985-86 में नवाडीही राजडीही मार्ग पर खड़ंजा का कार्य ।

(4) वर्ष 1986–87 में गोइटहा से रमवापुर मार्ग पर खण्डंजा का कार्य ।

जी नहीं ।

जांच 13-9-88 को की गयी । जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया श्री सुभाष चन्द्र अवर अभियन्ता , ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा सर्व श्री जगतनाथ गुप्ता, राम आधार सिंह जगतनाथ प्रसाद गुप्ता , खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताएं पाई गई जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 12-12-88 को प्रसारित किये गये हैं ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड खेसरहा में स्थित साधन सहकारी समिति फुलवरिया द्वारा उर्वरक तथा बीज का लेन देन तथा गोल्हौरा विकास खण्ड रूधौली के प्रबन्ध समिति के चुनाव की मांग

97–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में साधन सहकारी समिति फुलवरिया विकास खण्ड खेसरहा तथा साधन सहकारी समिति गुल्हौरा विकास खण्ड रुधौली में उर्वरक तथा बीज इत्यादि का लेन देन किसान सदस्यों को कब से नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि किसानों को उर्वरक तथा बीज इत्यादि न दिये जाने का कारण समिति में सचिव न रहना अथवा सचिव के पास कागजात न रहना है ? यदि हां, तो सहायक निबंधक सहकारी समितियां बस्ती द्वारा किसानों को इन समितियों से उर्वरक अथवा बीज इत्यादि

दिलाये जाने के लिए अब तक क्या क्या कार्यवाहियां की गयीं ? क्या यह भी सही है कि साधन सहकारी समिति मोल्हौरा, विकास खण्ड रुधौली के प्रबन्ध समिति का चुनाव अभी तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो यह चुनाव कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री समर पाल सिंह–

साधन सहकारी समिति लि0 फुलवरिया विकास खण्ड खेसरहा में जुलाई 88 से एवं साधन सहकारी समिति लि0 गौहलां विकास खण्ड रूधौली में जुलाई 84 से उर्वरक तथा बीज का लेन देन किसान सदस्यों के मध्य नहीं किया गया है ।

जी हां ।

साधन सहकारी समिति लि0 फुलवरिया विकास खण्ड खैसहरा में नियमानुसार ताला तोड़कर अभिलेख प्राप्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है । साधन सहकारी समिति लि0 गौल्हौरा विकास खण्ड रूधौली के अभिलेखों के अपहरण की सूचना प्राप्त होते ही दिनांक 18-6-85 को पुलिस रूधौली जनपद बस्ती में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । सचिव की नियुक्ति कर दी गयी है । बैंक अभिलेखों के आधार पर समिति के अभिलेख पूर्ण कराये जा रहे हैं ।

जी हां ।

समिति के अभिलेख पूर्ण होते ही निर्वाचन कराए जायेंगे ।

जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के पेंशन, ग्रेच्युटी व फण्ड का भुगतान

98–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत बेसिक एवं जूनियर हाईस्कूल के वित्तीय वर्ष 86-87 व 87-88 में सेवा निवृत्त हुए अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 86-87 में सेवा निवृत्त 89 अध्यापकों में से 80 तथा 87-88 में सेवा निवृत्त 80 अध्यापकों में से 65 को दिसम्बर 88 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है तथा भविष्य निधि का पूर्ण भुगतान सभी को कर दिया गया है परिषदीय अध्यापकों को ग्रेच्युटी देय नहीं है । शेष अध्यापकों के पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति

99–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 1 अगस्त, 1972 से पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालय में नियुक्त तथा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक

पद से दि0 11-2-86 तक जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जा चुके नान इण्टर अध्यापकों को इण्टर प्रशिक्षित अध्यापकों के समान ही वेतनमान दिया जाना मार्च सन् 86 से लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो दि0 12-2-86 के पश्चात् नान इण्टर प्रशिक्षित प्रधान अध्यापकों को पदोन्नति न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्रश्नगत तिथि के पश्चात् नान इण्टर प्रशिक्षित प्रधान अध्यापकों को पदोन्नति दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

100–श्री आसान सिंह–

[दि0 10-3-89 को अता0 प्र0 सं0 61–द्वारा उत्तरित]

जनपद इटावा के विकास खण्ड विधूना सहार अछल्दा तथा एरवा कटरा में आर0 ई0 एस0 द्वारा पूर्व लछीराम-बदनपुर-डहरियापुर में विद्यालय निर्माणाधीन भवनों के पूर्ण होने की कार्यवाही

101–श्री आसान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद के विकास खण्ड विधूना सहार अछल्दा तथा एरवा कटरा में आर0 ई0 एस0 द्वारा पूर्वा लछीराम-बदनपुर-डहरियापुर, पूर्वा हरी-विद्यालय भवन विगत 5 वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण हो जायेंगे ? अभी तक कार्य पूर्ण न कराने के लिए कौन उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत विद्यालय भवन वर्ष 1985-86 से 1987-88 की अवधि में स्वीकृत हुए हुए थे । इन पर कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विभाग के पुरुष तथा महिला शाखा के अन्तर्गत सी0 टी0, एल0 टी0, प्रवक्ता तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतन में कार्यरत सामान्य अनुसूचित जाति/जनजाति की पृथक-पृथक जेष्ठता सूची

102–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित/प्रसारित अधिसूचना सं0-15/38/84-कार्मिक, दिनांक 21 जून, 1984 द्वारा स्तम्भ-2 में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु क्या-क्या संशोधन किया गया है? क्या शिक्षा विभाग द्वारा उक्त शासकीय अधिसूचना में प्रख्यापित/प्रसारित शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो दिनांक 15 जुलाई, 1988 तक शिक्षा विभाग के पुरुष तथा महिला शाखा के अन्तर्गत सी0 टी0, एल0 टी0, प्रवक्ता तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा

राजपत्रित वेतनमान में कार्यरत सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पृथक-पृथक ज्येष्ठता एवं पदोन्नति हेतु पात्रता सूचियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

103–श्री वीरेन्द्र सोन–

[दि0 27-2-89 को अता0 प्र0 सं0–42 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अशोका गार्डेन कालोनी के भूखण्ड संख्या–129 व 130 को नीलाम करने के संबंध में कार्यवाही की मांग

104–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं0–311(1)/स0 सचि0 आ0/87, दिनांक 17-8-87 में शासन को यह सूचित किया था कि प्राधिकरण द्वारा 21-8-87 को किये जाने वाले नीलाम में अशोका गार्डेन कालोनी की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है ? यदि हां, तो अशोका गार्डेन कालोनी के भूखण्ड सं0–129 तथा 130 को 21-8-87 को किये गये नीलाम में क्यों नीलाम कर दिया गया ? शासन को गुमराह करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

दिनांक 21-8-87 को ब्लाक नं0–3 व 4 को नीलामी की गयी थी जो कि ग्राम गाजीपुर सईदुलनिशा के खसरा नं0–319, 324, 355 के भाग पर स्थित है । उपरोक्त खसरा नं0–अशोका गार्डेन की भूमि नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105–श्री वीरेन्द्र सोन–

[दिनांक 27-2-89 को अता0 प्र0 सं0 43 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा की तहसील मांट सुरीर सहकारी संघ व गोदाम के नव निर्मित भवन का सचिव द्वारा चार्ज न लिया जाना

106–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि सुरीर सहकारी संघ, त0 मांट, जनपद मथुरा का कार्यालय व गोदाम सुरीर थाने की टूटी इमारत में किराये पर चल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सहकारी संघ सुरीर के लिए नया गोदाम सुरीर नौहझील मार्ग पर सालों से बना पड़ा है लेकिन सहकारी संघ सुरीर के सचिव ने चार्ज में नहीं लिया

है ? यदि हां, तो अब तक अपने भवन में उक्त गोदाम को स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ? क्या शासन अविलम्ब उक्त गोदाम को नये भवन में स्थानान्तरित करने के निर्देश देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

गोदाम के सामने साइड से स्थानीय निवासियों द्वारा मिट्टी निकाले जाने से गड्ढे हो जाने एवं शाटरों का प्रयोग न होने से जंग लग जाने के कारण सचिव द्वारा गोदाम चार्ज में नहीं लिया जा रहा है ।

गोदाम की मरम्मत 15 दिन में कर कर उसे हस्तांतरित करने के निर्देश दे दिये गये है ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के अन्तर्गत ग्राम टड़िया में सम्पर्क मार्ग बनाने की मांग

107–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के खण्ड विकास क्षेत्र काशी विद्यापीठ के अंतर्गत ग्राम टड़िया हेतु कोई सम्पर्क मार्ग विकास अधिकरण में स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है और यह मार्ग कब तक बन जाने की आशा है ? क्या यह सही है कि इस मार्ग के समरेखन की प्रक्रिया अधिकारियो की लापरवाही के कारण अब तक अधर में पड़ी हुई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई दण्डात्मक कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

मौके पर चकरोड उपलब्ध न होने के कारण तथा कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न कराये जाने से इसका निर्माण किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज कोट्द्वार द्वारा छात्रों से अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जमा करायी गई धनराशि की मात्रा एवं विवरण

108–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौढ़ी-गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज कोट्द्वारा ने शिक्षा सत्र वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 का अल्पबचत योजना की धनराशि छात्रों से जमा करायी गयी है? यदि हां, तो उक्त कालेज में इस वर्ष कुल कितनी धनराशि जमा हुई ? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा इस विद्यालय की धनराशि जमा न करने का आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी आदेश संख्या व तिथि क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

केवल वर्ष 1987-88 में मई 87 से अगस्त 87 तक राष्ट्रीय अल्पबचत योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करायी गयी थी ।

इस वर्ष (1988-89) में कोई धनराशि जमा नहीं हुई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् लखनऊ में कार्यरत श्री श्याम किशोर जेटली का मूल विभाग में प्रत्यावर्तन के पश्चात् परिषद् में अपर मुख्य अधिकारी के पद पर कार्य किया जाना

109–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शासनादेश सं0-2664 बी/33-2-900 (4)/8, दिनांक 5 जुलाई द्वारा अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद्, लखनऊ के पद से श्री श्याम किशोर जेटली के मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किये जाने के फलस्वरूप श्री भवेश मिश्र की नियुक्ति की गयी है तथा दिनांक 15 जुलाई, 1988 को उक्त पद के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ को दे दिया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री मिश्र की ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद भी श्री मिश्र के स्थान पर श्री जेटली (मूलतः बी0 डी0 ओ0 के रूप में प्रत्यावर्तित) से ही अपर मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, शासनादेश सं0 2664 बी/33-2-900(4)/88 दिनांक 5 जुलाई, 1988 द्वारा जिला परिषद् लखनऊ में कार्यरत अपर मुख्य अधिकारी श्री श्याम किशोर जेटली को उनके मूल विभाग (ग्राम्य विकास विभाग) में प्रत्यावर्तित होने के फलस्वरूप हुये रिक्त पद पर श्री आवेश मिश्र अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद् उन्नाव का स्थानान्तरण उसी हैसियत से जिला परिषद् लखनऊ में किया गया था। श्री भवेश मिश्र ने अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत की थी किन्तु शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 1988 द्वारा श्री श्याम किशोर जेटली के मूल विभाग के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 4 जुलाई, 1988 को निरस्त कर दिया गया तथा श्री भवेश मिश्र का स्थानान्तरण आदेश संशोधित करते हुये शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 1988 द्वारा उन्हें जिला परिषद् फैजाबाद में अपर मुख्य अधिकारी के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया। श्री श्याम किशोर जेटली जिला परिषद् लखनऊ में अपर मुख्य अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं।

जनपद हरदोई में महात्मा गांधी उपभोक्ता प्राइमरी सहकारी समिति के प्रशासक (श्री राम विलास पाल) के विरुद्ध गबन के सम्बन्ध में श्री सलीम खां निवासी मंगली पुरवा के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

110–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सलीम खां निवासी मंगली पुरवा, हरदोई द्वारा महात्मा गांधी उपभोक्ता प्राइमरी सहकारी समिति के प्रशासक

(श्री राम विलास पाल) के विरुद्ध समिति में लाखों रुपये के गबन एवं फर्जी वाउचर बनाने सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं के विषय में सितम्बर, 1988 में कोई शिकायती पत्र उन्हें दिया गया है? यदि हां, तो उसमें प्रस्तरवार क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच कराई गयी। जांच में जो तथ्य सही पाये गये उन पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास की नव संरचित परियोजना में श्री दिनेश चन्द्र पाठक के सुझाव पर की गई कार्यवाही

111–श्री काशी सिंह ऐरी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले सोमवार को पूछे गये अता0 प्र0 सं0 151 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश चन्द्र पाठक द्वारा उल्लिखित पत्र के किन-किन विशिष्ट बिन्दुओं को "पर्वतीय क्षेत्रों" में औद्योगिक विकास की नवसंरचित परियोजना में सम्मिलित किया गया है? इस नव परियोजना को कब व किस स्तर/स्थान में क्रियान्वित किया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हिमांचल प्रदेश एवं जम्मू-काश्मीर में विकसित तथा प्रयुक्त औद्योगिक तकनीकी और बीज एवं पौध सामग्री के उपयोग करने का श्री पाठक का सुझाव नवसंरचित औद्योगिक विकास परियोजना में समाविष्ट है पश्चिमोत्तर हिमालय प्रदेश के औद्योगिक कार्य कलापों एवं शोध निष्कर्षों के पारस्परिक विनिमय हेतु अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा पर्वतीय कोष्ठ पूर्व से ही स्थापित है।

विश्व बैंक से वित्त पोषण प्राप्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है और वित्त पोषण प्राप्त होते ही प्रदेश के सभी पर्वतीय जनपदों के औद्योगिक क्षेत्रों में उक्त परियोजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

जनपद बरेली स्थित कुंवर दया शंकर इण्टर कालेज के श्री महानन्द सेवक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन तथा जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

112–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री महानन्द सेवक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जून, 80 में कुंवर दयाशंकर इण्टर कालेज बरेली से 42 वर्ष की सेवा के बाद सहायक अध्यापक के पद से रिटायर्ड हुए थे किन्तु अभी तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जी उक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायक अध्यापक को पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभ का शीघ्र भुगतान कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं है। पेंशन का नियमित भुगतान हो रहा है। सामूहिक जीवन बीमा तथा जी0 पी0 एफ0 का अन्तिम भुगतान भी हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के नया बाजार में अशोक कुमार माथुर द्वारा सामान्य प्रबन्धक के पद पर रहते हुए की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच

113–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि अशोक कुमार माथुर पूर्व जिला सहायक निबन्धक बरेली जब कानपुर के नया बाजार में सामान्य प्रबन्धक थे उस समय पांच करोड़ रुपए मूल्य की जनता धोतियां काले बाजारी में बेच दी गई थीं जिसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा उत्तर प्रदेश ने की थी और श्री माथुर को उक्त काला बाजारी में लिप्त पाया गया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह–

यू0 पी0 उपभोक्ता संघ की शाखा कानपुर के गोदाम तथा अन्य समितियों में नियंत्रित वस्तुएं/हैण्डलूम व अन्य कपड़ों के प्राप्त व वितरण के सम्बन्ध में भारी गड़बड़ी ब्लैक में बेचने व अनियमितताओं के मामलों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा) द्वारा की गई थी जिसमें श्री अशोक कुमार माथुर भी अनियमितताओं, लापरवाही, अकर्मण्यता, शिथिलता, सांठ-गांठ आदि करने के दोषी पाये गये हैं। विवेचना रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है, जिसे सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

लघु एवं सीमान्त कृषकों की सिंचन क्षमता बढ़ाने हेतु आई0एस0आई0 मार्का सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प आपूर्ति करने के निर्देश

114–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सरकार लघु एवं सीमान्त जोत के कृषकों की सिंचन क्षमता बढ़ाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत रु0 800.00 के स्थान पर रु0 1800.00 मूल्य के डबल पुली वाले पम्प सेटों को खरीदने के लिए बाध्य कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस विषय में पूरी-जानकारी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री समर पाल सिंह–

जी नहीं एसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। शासन के निर्देशानुसार आई0 एस0 आई0 (बी0 आई0 एस0) मार्क प्राप्त सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प को ही बैंक ऋण पर आपूर्ति कराने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

प्रदेश में फसली बीमा के अन्तर्गत फसल क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

115—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहकारी समितियों से क्राप लोन लेने पर अनिवार्य रूप से फसली बीमा लागू है ? यदि हां, तो फसलों के क्षति होने पर बीमा कृत किसानों की क्षतिपूर्ति कैसी की जाती है ? इस प्रकार की बीमा कम्पनियों ने कितने मामले में वर्ष 1986-87 में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है ?

श्री समर पाल सिंह—

सहकारी समितियों से फसली ऋण प्राप्त करने पर वर्ष 1987-88 तक अनिवार्य रूप से फसली बीमा लागू थी ।

निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निदेशक, फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित औसत उपज के आधार पर साधारण बीमा निगम द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि की घोषणा की जाती है । तदनुसार साधारण बीमा निगम एवं प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को उनकी फसल में दैवी आपदाओं से हुई क्षति की पूर्ति की जाती है ।

वर्ष 1986-87 में साधारण बीमा निगम द्वारा खरीफ 1986-87 हेतु प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से 29720 कृषक सदस्यों को रु0 55,01,742·07 तथा रबी 1986-87 हेतु 8825 कृषक सदस्यों को रु0 14,80,446·31 धनराशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के निमित्त किया गया ।

116—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री विष्णु देव—

[दि0 13-3-89 को अता0प्र0 सं0-64 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

117—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 1987-88 में अरबन वाटर सप्लाई योजनाओं में स्वीकृत बजट प्राविधान से अधिक धन बिना शासन की स्वीकृति प्राप्त किये मनमानी ढंग से कलियर (सहारनपुर) एवं बहराइच योजनाओं में व्यय किया है जिसके फलस्वरूप केन्द्र से मिलने वाली ग्रान्ट कट गई ? इस वित्तीय अनियमितता बरतने वाले दोषी प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस अनियमितता की जांच कराने एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु कतिपय विधायकों द्वारा दि0 15-6-88 को लिखित शिकायत भी की गयी है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण मामले पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

अरबन वाटर सप्लाई कार्यक्रम में केन्द्र से कोई ग्रान्ट नहीं मिलती है ।

कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध प्रश्न में संदर्भित शिकायती पत्र तथा अन्य समस्त शिकायती पत्रों की जांच प्रगति पर है ।

माधव विद्या मन्दिर इण्टर कालेज पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर के प्रबन्धक श्री शिवदत्त सिंह द्वारा बेची गई भूमि के सम्बन्ध में श्री यशवन्त सिंह के आवेदन पत्र पर शिक्षा सचिव एवं निदेशक को कार्यवाही करने के निर्देश

118—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माधव विद्या मन्दिर इण्टर कालेज पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर के प्रबन्धक श्री शिवदत्त सिंह द्वारा प्राभूत की भूमि 397 अ, 397ब, रकबा 10 विस्वा 8 धुर एवं 534/1 रकबा 3 विस्वा किस सक्षम अधिकारी की आज्ञा से दिनांक 12-3-80 को बेची गयी? क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि को दिनांक 12-1-84 को गंगा में कटाव दिखा दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में श्री यशवन्त सिह द्वारा कोई आवेदन-पत्र 19-2-87 को रजि0 डाक द्वारा शिक्षा सचिव एवं निदेशक को प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई ।

जी हां ।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक से जांच करवायी गयी । अब शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ (2) तथा (3) के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं ।

चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री में संचालित विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की मान्यता न दिया जाना

119—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शिक्षा सत्र 1984-85 से मान्यता प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये आदेश दिनांक 19-1-87 की इण्टरमीडिएट कक्षाओं का संचालन बन्द नहीं किया जाय, के विपरीत धारा 9 (4) के अन्तर्गत साहित्यिक वर्ग में इण्टरमीडिएट की मान्यता प्राप्त होने के बाद इण्टरमीडिएट कक्षाओं का संचालन प्रधान प्रबन्धक चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अभी तक प्रश्नगत विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की मान्यता प्रदान नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना

120—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दि0 7-5-88 को ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद के संचालन मंडल की बैठक में स्वीकृत की गयी सड़क निर्माण योजनाओं पर किस कारण से कार्य आरम्भ नहीं कराया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद की बैठक दिनांक 7-5-88 में सड़क निर्माण योजनाओं पर लिए गये निर्णय के अनुसार कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत सभी सड़क निर्माण योजनाओं पर कार्य कराना सम्भव नहीं है क्योंकि इनकी अनुमानित लागत अभिकरण के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कुल वार्षिक परिव्यय से भी कहीं अधिक है। अतः मार्ग निर्माण योजनाओं पर निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत वरीयता क्रम के अनुसार कार्य चल रहा है और शेष योजनाओं को शैल्फ आफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया गया है।

जनपद मुरादाबाद में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु आई0 आर0 डी0 पी0 का धन जमा किया जाना

121—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष (87-88) के अन्त तक अल्पबचत के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये आई0 आर0 डी0 पी0 का धन अल्प बचत योजना में जमा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के सेवा निवृत्त एस0 डी0 आई0 श्री लाल सिंह चौहान, बल्देव को संशोधित पेंशन, ग्रेच्यूटी तथा अन्य सुविधायें देने की मांग

122—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि सेवानिवृत्त एस0 डी0 आई0 श्री लाल सिंह चौहान, बल्देव जिला मथुरा, प्रधानाध्यापक के कोटे से पदोन्नत हुए थे ? यदि हां, तो उनकी पेंशन में शिक्षक वर्ग की सेवायें सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं जबकि यह सेवा भी पेंशनेबिल है ? सरकार कब तक इस त्रुटि को दूर कर प्रश्नगत एस0 डी0 आई0 को संशोधित पेंशन, ग्रेच्यूटी तथा अन्य सुविधाएं स्वीकृत करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हां।

वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपों का क्रय

123–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि उनका विभाग बिना रेट कान्ट्रेक्ट के व टेक्नीकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपें खरीद रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चे (रख-रखाव एवं ईंधन) का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए वर्ष 1989 की नई मांगों के माध्यम से जिप्सी जीपें क्रय किये जाने का प्रस्ताव है । यह जीपें रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत क्रय की जायेंगी । महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा की जीपों के मुकाबिले यह जीपें अधिक उपयोगी एवं रख-रखाव पर कम खर्चे वाली हैं ।

चूंकि उक्त जीपें वास्तविक रूप से अभी क्रय नहीं की गई हैं अतः यह विवरण उपलब्ध कराना संभव नहीं है ।

जनपद मथुरा में ई0 एण्ड एम0 जल निगम द्वारा पानी की टंकियों पर चौकीदार अथवा ट्यूबेल आपरेटर की नियुक्तियों की जानकारी

124–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ई0 एण्ड एम0 जल निगम शेरू मथुरा द्वारा मार्च, 1987 से नवम्बर 1988 तक मथुरा जनपद में पानी की टंकियों पर चौकीदार व ट्यूबेल आपरेटर की नियुक्तियां मस्टर रोल या अस्थाई रूप से की गई ? यदि हां, तो प्रतिमाह कितनी नियुक्तियां और किस-किस टंकी पर की गई हैं ? विभाग द्वारा इन नियुक्तियों के लिए कोई मापदंड अपनाया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

इस अवधि में पानी की टंकियों पर चौकीदार अथवा ट्यूबवेल आपरेटर की कोई नियुक्तियां मस्टर रोल या अस्थाई रूप से नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव कतिपय ग्रामों को शुद्ध पेय जल हेतु अभाव ग्रस्त की श्रेणी में न रखा जाना

125–श्री विष्णु देव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव के 12 ग्रामों को शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु अभाव ग्रस्त नहीं माना गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि पड़ोस के ग्रामों को अभावग्रस्त मान कर शुद्ध पेयजल हेतु हैण्ड पाईप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल हेतु हैण्ड पाईप लगाने में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में पेयजल व्यवस्था हेतु 12 ग्रामों को ही नहीं अपितु 80 ग्रामों को अभावग्रस्त नहीं माना गया है।

समस्याग्रस्त ग्रामों के सर्वेक्षण के दौरान उक्त गांवों को निर्धारित मानक के अनुसार अभावग्रस्त नहीं पाया गया।

उक्त विकास खण्ड के 136 समस्याग्रस्त ग्रामों में से जनवरी, 1989 तक 131 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं है।

जनपद आजमगढ़ (अब मऊ) के किसान सेवा सहकारी समिति लुदुही के भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

126–श्री विष्णु देव–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य मंत्री सहकारिता को किसान सेवा सहकारी समिति लुदुही जनपद आजमगढ़ (अब मऊ) के भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-11-88 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री समर पाल सिंह–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-11-88 के साथ श्री नीलमणि राय उपाध्यक्ष किसान सेवा सहकारी समिति लि0 लुदुही का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था उक्त शिकायती पत्र की जांच सहायक विकास अधिकारी (सह0) वि0 खण्ड घोसी से कराई गयी। शिकायतकर्ता के द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

जनपद आगरा की जिला सहकारी बैंक की भूमि पर बनी दुकानों के आवंटन का मामला

127–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की जिला सहकारी बैंक का जो आगरा महानगर की महात्मा गांधी से सटी भूमि पर बैंक कार्यालय स्थित है, के सामने महात्मा गांधी राजमार्ग से सटी बैंक की बेशकीमती भूमि पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उस भूमि पर दुकाने बनाने के लिये बैंक के पास धन है ? यदि नहीं, तो यह दूकाने कैसे बनी और क्या इनका आवंटन बैंक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्यान दुकानों का नक्शा स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बरेली के पुराना शहर में लड़कियों के लिए इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग

128–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर के पुराना शहर में लड़कियों का इण्टरमीडिएट कालेज खोले जाने की बहुत आवश्यकता है जिसकी मांग वहां की जनता काफी समय से कर रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बरेली के पुराना शहर क्षेत्र में लड़कियों के इण्टरमीडिएट कालेज खोलने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मांग की जानकारी है ।

नहीं ।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग द्वारा ह्यूम पाइप का क्रय का मामला

129–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 1986-87 और 1987-88 में कितने रुपये का कितना ह्यूम पाइप किस-किस फर्म से खरीदा गया और इसमें से कितने पाईप का उपयोग अब तक हो गया है ? क्या इस खरीद के सम्बन्ध में किसी शिकायत की जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में कोई भी ह्यूम पाइप क्रय नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका के अभियन्ता को तत्कालीन प्रशासक (श्री शैलेश कृष्ण) द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश

130–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के एक अभियन्ता के विरुद्ध तत्कालीन प्रशासक (श्री शैलेश कृष्ण) ने प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश माह मार्च/अप्रैल, 88 में दिये थे ? यदि हां, तो अभियन्ता पर सामान्यता आरोप क्या थे? क्या उक्त अभियन्ता पर करोड़ों रुपये के धन अपहरण के आरोप हैं ? यदि नहीं, तो उक्त अभियन्ता के विरुद्ध कुल कितने आरोप हैं और कितनी धनराशि के घोटाले के हैं ? क्या इन आरोपों की जांच की गयी है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नगर महापालिका, लखनऊ के एक नगर अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किये जाने के आदेश तत्कालीन प्रशासक ने 6 जून, 1988 को दिये थे।

प्रतिकूल प्रविष्टि, अधिशासी अभियन्ता जोन-1 द्वारा सिन्टेक्स टैंकों की आपूर्ति एवं उसके लगाने के कार्य के संबंध में नगर महापालिका लखनऊ को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने से संबंधित है।

धन अपहरण की कोई सूचना नहीं है।

प्रतिकूल प्रविष्टि नगर महापालिका, लखनऊ को आर्थिक क्षति पहुंचाने से संबंधित है।

नियमान्तर्गत अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर एवं उनके प्रत्यावेदन पर विचार करके ही प्रशासक ने प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के आदेश दिये थे।

जनपद हरदोई के नगर क्षेत्र पिहानी के शिक्षा अधीक्षक श्री हरीराम को वाहन भत्तों का भुगतान

131–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के नगर क्षेत्र पिहानी के शिक्षा अधीक्षक श्री हरीराम द्वारा अब तक निजी वाहन भत्ते के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई है? क्या उनके पास निजी वाहन न होने पर भी उन्होंने जो फर्जी वाहन भत्ता वसूल किया है उसकी रिकवरी करने की कार्यवाही करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री हरीराम शिक्षा अधीक्षक पिहानी (हरदोई) को अब तक 1500/- की धनराशि वाहन भत्ते के रूप में दी गयी है।

जी नहीं।

शिक्षा अधीक्षक के पास निजी वाहन है अतः वाहन भत्ते के रूप में भुगतान किये गये धन की रिकवरी का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर ब्लाक के ग्राम गुरसंडी के प्रधान के विरुद्ध सदस्य विधान सभा श्री महेन्द्र भाटी की शिकायती पत्र पर जांच आख्या

132–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

प्रथम सत्र, 1988 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-2 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थीं ? उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर कार्यवाही न किये जाने के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सम्बन्धित प्रधान के विरुद्ध निम्न शिकायतें प्राप्त हुयी :–

(1) प्रधान अपराधिक प्रकृति के आदमी है।

(2) अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान को स्वयं हड़प लिया है और मामले की रिपोर्ट पुलिस में किये जाने के पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(3) प्रधान स्थानीय जूनियर हाई स्कूल का कर्मचारी है जो लाभ का पद है लाभ के पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति प्रधान का पद ग्रहण नहीं कर सकता है।

(4) मुसहरों के लिए सरकारी तौर पर पक्के मकान उक्त गांव में बनवाये गये है वहां से उक्त प्रधान एवं उनके आदमियों ने उन्हें मारकर भगा दिया है।

(5) सड़क के दोनों ओर की पटरियों के स्थानों में और सड़क के दोनो ओर रिक्त ग्राम समाज की जमीन पर स्वयं मकान बनवाकर उसको अपने कब्जे में कर रखा है और बाकी जमीन अपने आदमियों को पैसा लेकर दे दिया है।

प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी। अतः शिकायतों पर कार्यवाही न करने के लिए किसी को दोषी पाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा स्थित जनता उ0 मा0 वि0 बभनान के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

133—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता उ0 मा0 वि0 बभनान जिला गोण्डा के अध्यापकों का बकाया वेतन भुगतान करने के लिए तथा जू0 हा0 स्कूल स्तर का अनुदान देने के सम्बन्ध में 29-3-88 का प्रश्नकर्ता का पत्र उनको प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति की सूचना प0 सं0-एम0 एल0/1219/ई0एम0/88 दिनांक 6-4-88 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को जू0 हा0 स्कूल स्तर का अनुदान देकर अध्यापको को वेतन भुगतान करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है। यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

जनपद फैजाबाद के कतिपय प्राइवेट हाई स्कूलों को सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा मान्यता दिया जाना

134—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1988 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद द्वारा कितने प्राइवेट जूनियर हाईस्कूलों की पत्रावलियां स्थायी मान्यता प्रदान करने की संस्तुति के साथ सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद को भेजी गयी और सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद ने उनमें से कितने स्कूलों को स्थायी मान्यता प्रदान किया और कितने स्कूलों की पत्रावलियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद

को वापस कर दिया ? उन्हें वापस करने का आधार क्या है ? क्या संबंधित स्कूलों के प्रबन्धाधिकरणों को उन कारणों से अवगत करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

12 विद्यालयों के स्थायी मान्यता के प्रकरण मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद को भेजे गये थे ।

एक विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की गयी । 11 विद्यालयों के प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद को वापस कर दिये गये ।

कतिपय बिन्दुओं पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद से आख्या मांगी गई है ।

जी नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्थल निरीक्षण करके आख्या भेजने के निर्देश दिये गये हैं ।

भूगर्भ जल विभाग की उच्च न्यायालय में ज्येष्ठता प्रोन्नति एवं विभाजन सम्बन्धी लम्बित याचिकाएं

135–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में ज्येष्ठता, प्रोन्नति एवं पद विभाजन इत्यादि प्रकरणों पर कितनी याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं तथा सरकार विभाग में बढ़ती हुई याचिकाओं को समाप्त करने हेतु क्या नीति अपनाने पर विचार कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करायी गई याचिकाओं के अनुसार ज्येष्ठता, प्रोन्नति एवं पद विभाजन से सम्बन्धित 23 रिट याचिकाएं मान0 उच्च न्यायालय में लम्बित हैं ।

विभाग में बढ़ती हुयी रिट याचिकाओं को समाप्त करने के लिए अन्तरिम ज्येष्ठता सूची एवं प्रोन्नति हेतु कार्यकारी आदेश निर्गत किए जा चुके हैं ।

136–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 280 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के मोठ कस्बे में स्थित डी0 बी0 इण्टर कालेज में विज्ञान विषय को मान्यता देने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

137–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें झांसी जिले के मोंठ कस्बे में स्थित डी0 बी0 इण्टर कालेज को इण्टर में विज्ञान विषय की मान्यता देने विषयक मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 मार्च, 88 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? इतने अधिक समय के बाद भी कार्यवाही पूरी न करने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी–

परीक्षाफल असन्तोषजनक होने तथा भवन में 5 कमरों की कमी होने के कारण मान्यता प्रदान नहीं की गयी ।

जनपद झांसी की टोड़ी फतेहपुर में पेयजल समूह योजना को पूर्ण कराया जाना

138–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले की टोड़ी फतेहपुर पेयजल समूह योजना पर इस समय कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या मंत्री जी क्षेत्रीय जनता के हित में उक्त योजना को शीघ्र पूर्ण करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं । दो नलकूपों का छिद्रण कराया गया था जो पानी न मिलने के कारण असफल हो गये । बाद में एक नलकूप सफल हुआ जिस पर पम्प कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन के ट्री गार्ड के सुन्दरीकरण पर हुए व्यय के विवरण की मांग

139–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या वन मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84–85 में जालौन जिले में ट्री गार्ड सुन्दरी करण हेतु जितना रुपया व्यय किया गया है क्या वास्तव में उतना कार्य हुआ है ? यदि हां, तो इस समय वे ट्री गार्ड कहां और कैसी हालत में हैं ? क्या मंत्री जी 84-85 में डी0 एफ0 ओ0 द्वारा किये गये व्यय का विशेष आडिट कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जालौन जिले में वर्ष 84–85 में ट्री गार्ड सुन्दरीकरण हेतु कुल रुपया 30,376 तीस हजार तीन सौ छिहत्तर) व्यय किया गया जिससे 900 ट्री गार्ड बनाये गये । 900 ट्री गार्ड में से 332 प्रभागीय परिसर , 132 उरई रेंज स्टाक में हैं शेष 436 सड़कों पर लगाये थे जिसमें से केवल 44 ट्री गार्ड ही उपलब्ध हैं ।

वित्तीय वर्ष 1984–85 में भूमि संरक्षण वन प्रभाग , उरई का विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद दल द्वारा आडिट किया जा चुका है । अतः अब विशेष आडिट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

केश कुमारी राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज सुल्तानपुर में कार्यरत श्रीमती ऊषा मिश्रा का वेतन निर्धारण

140–श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केश कुमारी राजकीय बालिका इण्टर-मीडिएट कालेज, सुल्तानपुर में लेखा सम्परीक्षा के समय महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद

की आडिट पार्टी ने दिनांक 1-8-1972 को विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती ऊषा मिश्रा का वेतन निर्धारण रु0 250/- के स्थान पर रु0 275/- प्रतिमाह किया था और तब से अर्थात् दिनांक 1-8-1972 से दिनांक 22-12-1976 तक शिक्षिका का अवशेष वेतन रु0 451.50 पैसा उन्हें कई बार लिखित एवं मौखिक निवेदन के बावजूद प्रधानाचार्या ने नहीं दिया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा तथा प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्रीमती ऊषा मिश्रा का वेतन निर्धारण रु0 250.00 के स्थान पर रु0 257.00 प्रतिमाह किया था ।

जी हां ।

उक्त बिल निदेशालय में दिनांक 13-3-89 को प्राप्त हो गया है । अंकेक्षण के उपरान्त भुगतान के आदेश दे दिये जायेंगे ।

सम्बन्धित प्रधानाचार्या दिनांक 30-6-87 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं ।

जनपद एटा के जलेसर नगर पालिका द्वारा दो स्व0 वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने हेतु उनके तैल चित्र तथा मार्गों का नामकरण किया जाना

141–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि एटा जनपद के जलेसर नगर पालिका के दो स्वर्गीय वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 462 मुख्य मंत्री को दिनांक 2-5-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सड़कों का नाम इन स्वर्गीय सदस्यों के नाम से कर दिया गया और इनके तैल चित्र नगर पालिका के हाल में लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

नगर पालिका जलेसर के दो स्वर्गीय वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने के उद्देश्य से उनके तैल चित्र लगवाने एवं मार्गों का नामकरण उनके नाम पर किये जाने का प्रस्ताव नगर पालिका द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति विहित प्राधिकारी (मण्डल आयुक्त) से प्राप्त की जा रही है ।

जनपद इटावा में ग्राम सेविकाओं के चयन को निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की मांग

142–श्री आसान सिंह–

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद में दिनांक 9-5-88 को ग्राम सेविकाओं के चयन में हुई अनियमितताओं की जांच चयन प्रक्रिया को रोक कर कराई जा रही है तथा क्या यह चयन निरस्त कर पुनः चयन कराने के आदेश कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, । इटावा जनपद में दिनांक 9-5-88 को ग्राम विकास अधिकारी (महिला) के चयन में हुई कथित अनियमितताओं की प्रारम्भिक जांच कराई गयी । चूंकि उक्त नियुक्तियां ग्राम्य विकास (महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली 1978 के अनुसार की गई नहीं पाई गई, अतः चयनित महिलाओं की नियुक्तियां निरस्त करने के निर्देश जिलाधिकारी इटावा को दिये गये हैं । जांच का परिणाम प्राप्त होने पर मामले में नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इटावा में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों को प्रथम स्ट्रेटा पर बोरिंग करके छोड़ दिया जाना

143–श्री आसान सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि इटावा जनपद में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-2 को प्रथम स्ट्रेटा पर ही बोरिंग करके छोड़ दिया जाता है तब कि सरकार की मंशा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की है और प्रथम स्ट्रेटा का पानी दूषित माना जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि बोरिंग प्रथम स्ट्रेटा तक ही करके कागजात में द्वितीय व तृतीय स्ट्रेटा तक किया जाना दिखाकर काफी घोटाला किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जल निगम द्वारा लगाये जा रहे इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों की बोरिंग कम से कम द्वितीय जल सतह अथवा तृतीय सतह तक जो भी पेयजल हेतु उपयुक्त होता है, की जाती है । हैण्ड पम्पों की बोरिंग प्रथम सतह पर नहीं छोड़ी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन के संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इटावा में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-2 के प्लेट फार्म (चबूतरा) का निर्माण

144–श्री आसान सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि इटावा जनपद में वर्ष 1986-87, 87-88 में जल निगम अष्टम शाखा व पंचम शाखा द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क द्वितीय के प्लेटफार्म (चबूतरा) अभी तक नहीं बनाये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद इटावा में वर्ष 1986-87 एवं 87-88 में अधिष्ठापित कुल 3579 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प में से 2876 नग हैण्ड पम्पों के चबूतरों का निर्माण कराया जा चुका है । उक्त हैण्ड पम्प विगत वर्ष में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति के कारण युद्ध स्तर पर अधिष्ठापित करा दिये गये थे किन्तु चबूतरे का निर्माण सीमेन्ट की कमी तथा धनाभाव के कारण उतनी तेजी से नहीं कराये जा सके ।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ कार्यरत जू0 हा0 स्कूल के अध्यापकों के एरियर का भुगतान

145–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ कार्यरत जू0 हा0 स्कूल के अध्यापकों के बढ़े हुए वेतन के बकाया एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जूनियर हाई स्कूल के 861 अध्यापक/अध्यापिकाओं में से 837 अध्यापक/अध्यापिकाओं को बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान किया जा चुका है ।

शेष 24 अध्यापकों का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

भूगर्भ जल विभाग में प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण में बरती गई अनियमितता की जांच की मांग

146–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा 6 अगस्त, 88 को प्रेषित अर्धशासकीय पत्र जो कि क्षेत्रीय विकास के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भूगर्भ जल विभाग में प्रोन्नतियों एवं स्थानान्तरण आदि में की गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों के परीक्षणोपरान्त उक्त शिकायतें निराधार पायी गई हैं ।

भूगर्भ जल विभाग में निदेशक के रिक्त पद पर नियमित चयन की मांग

147–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में निदेशक का पद कब से रिक्त चल रहा है ? कब तक उसका नियमित चयन करा लिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह जानकारी देंगे कि शासन विभागाध्यक्ष के पद पर अनुभवी भूगर्भ जल वैज्ञानिक की नियुक्ति करने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में निदेशक का पद दिनांक 15-7-88 से दिनांक 21-12-88 तक रिक्त रहा है ।

निदेशक के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया/मापदण्ड के कार्यकारी आदेश/नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् नियमित चयन करा लिया जाएगा ।

चयन प्रक्रिया/नियमावली निर्धारित होने के उपरान्त निदेशक के पद पर चयन हेतु निर्दिष्ट प्रक्रिया/मापदण्ड में दिए गए प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग के पुनर्गठन हेतु गठित कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

148–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग के पुनर्गठन हेतु गठित कमेटी ने शासन को कब रिपोर्ट दी? उसमें प्रोन्नतियों हेतु क्या-क्या संस्तुतियां थीं ? क्या यह सही है कि जुलाई, 88 में श्रेणी प्रथम पर की गई प्रोन्नतियां, वर्ष 1982 के बंटवारे के आधार पर की गयी ? यदि हां, तो कमेटी की अनुशंसा को लागू न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग के पुनर्गठन हेतु गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को वर्ष 1986 को प्रस्तुत की थी । उक्त रिपोर्ट के साथ अधिकारियों की सेवा नियमावली में भी उक्त कमेटी द्वारा कुछ संशोधन प्रस्तावित किये थे, जिसमें समूह "ख" से समूह "क" के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्नानुसार प्राविधान किया था ।

(अ) समूह "ख" के विरुद्ध नियुक्ति किये गये अधिकारियों को वरिष्ठता के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों पर, चयन प्रक्रिया द्वारा समूह "क" के पद पर स्थानापन्न एवं अस्थाई रूप से प्रोन्नति प्रदान की जायेगी । समूह "क" के पद पर चयन आयोग की परिधि के बाहर होगा ।

(ब) ऐसे सहायक निदेशक अथवा अन्य समकक्ष अधिकारी जो अस्थाई सेवा को सम्मिलित करते हुए 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, वे उप निदेशक एवं समकक्ष पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे ।

(स) सिविल अभियंत्रण, भू-विज्ञान एवं भू-भौतिकी संवर्गों के समूह "ख" के अधिकारी समूह "क" में कम्पोजिट विंग के अंतर्गत प्रोन्नति किये जायेंगे तथा रसायन एवं न्यूक्लियर हाइड्रोलाजी संवर्ग के लोग समूह "क" में अपने संवर्ग के पदों पर "सोइलाइज्ड विंग" के अंतर्गत प्रोन्नति किये जायेंगे, जबकि यांत्रिक अभियंत्रण संवर्ग के लोग समूह "क" में यांत्रिक शाखा के अंतर्गत प्रोन्नति किये जायेंगे ।

कमेटी की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त शासन द्वारा कतिपय निर्णय लिए गये तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2379/54-3-1800(8)/87, दिनांक 10-5-88 द्वारा कार्यकारी आदेश निर्गत किये गये, जिनके द्वारा प्रोन्नति हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई तथा उसी आधार पर जुलाई, 88 में शासन द्वारा समूह "क" के पदों पर प्रोन्नति के आदेश निर्गत किये गये हैं।

जनपद जौनपुर स्थित कि0 आ0 राजकीय इण्टर कालेज प्रतापगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भू0 पू0 सांसद श्री राम सागर के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

149—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद जौनपुर स्थित कि0 आ0 राजकीय इण्टर कालेज, प्रतापगंज जौनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ियों के संबंध में भू0 पू0 मंत्री हरिजन समाज कल्याण उ0 प्र0 शासन तथा श्री राम सागर, भू0 पू0 सांसद द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र जुलाई, 86, दिसम्बर, 86 एवं 1987-88 में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

केवल जुलाई, 1986 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

गलत नियुक्तियों को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

150—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[दि0 13-2-89 को अता0 प्र0 सं0 30 द्वारा उत्तरित]

श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर की वर्तमान मंदिर समिति में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकारियों के पद पर प्रोन्नत किया जाना

151—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की वर्तमान समिति में कितने कर्मचारियों को मन्दिर समिति के अधीन अधिकारयों के रिक्त पदों पर प्रोन्नति किया गया है? प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों की योग्यता तथा उम्र क्या है? क्या इन अधिकारियों की सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो नियमावली कब तक बन जायेगी? क्या सम्पर्क अधिकारी तथा सम्पत्ति निरीक्षक के पद पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति/प्रोन्नति का वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सात कर्मचारियों को मंदिर समिति अधिष्ठान में अधिकारियों के पदों पर तदर्थ प्रोन्नत किया गया है। इन अधिकारियों की योग्यता तथा उम्र का विवरण संलग्नक में अंकित है।

जी नहीं।

श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 में संशोधन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिस पर निर्णय होने पर सेवा नियमावली बनाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी। सम्पत्ति अधिकारी का पद वर्तमान में सृजित नहीं है। सम्पत्ति निरीक्षक के पद पर एक कर्मचारी पूर्व से नियुक्त है, जिसको वेतन दिया जा रहा है।

(देखिये नत्थी ग आगे पृष्ठ 243 पर)

श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर समिति की यात्रा मार्ग पर जनता धर्मशाला तथा बस स्टैण्ड बनाने के लिए शासन द्वारा अनुदान दिये जाने की घोषणा

152—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति में पिछले यात्रा सीजन में मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार यात्रा मार्ग पर जनता धर्मशाला बनाये जाने तथा बस स्टैण्ड बनाये जाने हेतु शासन द्वारा अनुदान दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

बापू इण्टर कालेज कोपागंज आजमगढ़ में आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणी में नियुक्ति की जानकारी

153—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बापू इण्टर कालेज कोपागंज आजमगढ़ में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप की गयी है? यदि हां, तो विभिन्न श्रेणी में आरक्षित पदों पर कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/अ0 ज0 जाति/पिछड़ी जाति के हैं? क्या यह सत्य है कि आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1988 में विज्ञापन जारी कर आरक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता दर्शाकर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति आरक्षण नीति के अनुसार की गयी है।

विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम-संख्या	पद	कुल स्वीकृत पद	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	पिछड़ी जाति	सामान्य
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानाचार्य	1	–	–	–	1
2	प्रवक्ता	15	–	–	4	11
3	स्नातक वेतनक्रम	14	–	–	4	10
4	सी0टी0	6	–	–	1	5
5	प्रधान लिपिक	1	–	–	–	1
6	सहायक लिपिक	3	–	–	1	2
7	दफ्तरी	1	–	–	1	–
8	चतुर्थ श्रेणी . ..	13	2	–	11	–

जी नहीं।

वर्ष 1988 में तीन अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां बिना विज्ञापन के ही की गयी थीं।

जिला कोआपरेटिव बैंक, मुख्य शाखा, उन्नाव में लाकर्स एवं स्ट्रांग रूम के अभाव में राजस्व की हानि

154—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कोआपरेटिव बैंक, मुख्य शाखा, उन्नाव में लाकर्स खरीदने एवं स्ट्रांग रूम बनवाने में दो वर्ष पूर्व लगभग दो लाख रुपये व्यय किया गया? यदि हां, तो क्या उपयोगार्थ स्ट्रांग रूम तैयार न होने के कारण दो लाख रुपये की हानि जिला कोआपरेटिव बैंक को दो वर्ष से उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या इसके लिए दोषी अधिकारी को दण्डित कर स्ट्रांग रूम तैयार कराने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री समरपाल सिंह—

जी हां। मु0 175648.26 रु0 व्यय हुआ।

जी हां। तत्कालीन सचिव द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से स्ट्रांग रूम बनवाने हेतु कोई अनुबन्ध न करने के कारण बैंक के अनवरत् प्रयासों के उपरान्त भी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उन्नाव स्ट्रांग रूम हैण्ड ओवर नहीं कर पा रहा है।

श्री एस0 एन0 श्रीवास्तव, तत्कालीन सचिव तथा सम्बन्धित अधिकारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उन्नाव उक्त के लिए दोषी हैं। श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ को भी लिखा गया है। स्ट्रांग रूम बैंक को हैण्ड ओवर होते ही तत्काल लाकर कार्य का शुभारम्भ करा दिया जायेगा।

जनपद बलिया के नगर बिल्थरा रोड में सहकारी शीतगृह स्थापित करने की मांग

155—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के नगर बिल्थरा रोड में सहकारी शीतगृह स्थापित करने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0 बिल्थरा रोड जिला बलिया का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो सहकारी शीतगृह की स्थापना कब तक हो जायेगी?

श्री समर पाल सिंह—

जी नहीं। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्तावित क्षेत्र में आलू की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण शीतगृह की स्थापना लाभप्रद/आर्थिक नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया में सहकारी चावल मिल स्थापित करने की मांग

156–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सहकारिता मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए जनपद बलिया में धान के पर्याप्त उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए क्या सहकारी क्षेत्र में सहकारी चावल मिल की स्थापना के लिए सरकार व्यवस्था करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

जी नहीं ।

चावल मिल की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में ही चावल मिल स्थापना पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा ।

भूगर्भ जल विभाग में तृतीय श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों को श्रेणी दो के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति की मांग

157–श्री फजलुल बारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-15/8/86-कार्मिक-1/1986 के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा न करके निचले संवर्ग से तदर्थ प्रोन्नति करने का आदेश है और इसके लिए उस पद की अर्हता और शर्त वही होनी चाहिए जो लोक सेवा आयोग को अधिवाचन भेजने के समय दिया जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भू-गर्भ जल विभाग में श्रेणी-3 के विभिन्न संवर्गों में कौन-कौन से अभ्यर्थी इस आधार पर श्रेणी दो के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति के योग्य हैं ? इन्हें तदर्थ प्रोन्नति कब तक दे दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–15/8/86 कार्मिक-1/86 के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां यथा संभव सीधी भर्ती से न करके निचले संवर्ग से तदर्थी रूप से प्रोन्नति देकर केवल अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में करने का प्राविधान है । इस विभाग में एम0 एस0 सी0 (जियो) जियोफिजिक्स अर्हता रखने वाले कार्मिकों को शासन द्वारा कार्यहित में तदर्थ रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी जो कि लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए अधियाचन में निर्धारित अर्हता को पूर्ण करते हैं ।

वर्तमान समय में श्रेणी-3 के विभिन्न संवर्गों में केवल प्राविधिक सहायक (ज्योलाजी) के पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत निम्नलिखित कार्मिक श्रेणी-2 के पद हेतु शैक्षिक योग्यता को पूरा करते हैं :–

(1) सर्वश्री त्रिभुवन कुमार सिन्हा,
(2) जहीरूद्दीन
(3) उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
(4) सै0 जाफर अली
(5) अनिल कुमार मिश्रा
(6) जावेद सिराज
(7) रघु नरेश सिंह चौहान ।

वर्तमान समय में पदोन्नति कोटे के पदों के विरुद्ध पूर्व से ही अधिकारी तदर्थ रूप से कार्यरत हैं इस लिए श्रेणी-3 से श्रेणी-2 के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति किया जाना संभव नहीं है ।

भूगर्भ जल विभाग में कार्यरत श्रेणी-तीन के अवर अभियंता एवं समकक्षी पदों से पदोन्नति करने का प्राविधान

158—श्री फजलुल बारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी—3 के अवर अभियन्ता एवं समकक्षी पदों के पदोन्नति कोटे 25 प्रतिशत के बढ़ाकर 33-1/8 प्रतिशत किये जाने में देर के क्या कारण हैं । श्रेणी-2 के पद पर सभी पदोन्नति कोटे श्रेणी-3 के विभिन्न संवर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा न भरे जाने के क्या कारण हैं तथा स्थायी पदों को 6 वर्षों से रिक्त होते हुए भी प्राविधिक सहायकों को क्यों नहीं स्थायी किया जा रहा है ? क्या ज्योलाजी संवर्ग में द्वितीय श्रेणी के सभी पद सीधी भर्ती के अंतर्गत भरे जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो ज्योलाजी संवर्ग में श्रेणी-2 के पद पर अभी तक कोई प्रोन्नति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल विभाग में शासनादेश संख्या-2379/54-3-1800 (8)/79, दिनांक 10-5-88 द्वारा श्रेणी-2 में 75 प्रतिशत पर सीधी भर्ती से तथा 25 प्रतिशत श्रेणी-3 से अवर अभियंता एवं समकक्षी पदों से पदोन्नति करने का प्राविधान किया गया है । इस विभाग में अभियंत्रण वर्ग के अतिरिक्त वैज्ञानिक वर्ग के समकक्ष पद भी हैं अतः यह विभाग पूर्णतः अभियंत्रण विभाग नहीं है अस्तु पदोन्नति कोटा बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रेणी-2 के अंतर्गत सिविल अभियंत्रण वर्ग में सहायक अभियंता/हाइड्रोलाजिस्ट के 5 पद भरे हैं तथा यांत्रिक अभियंत्रण संवर्ग के सहायक अभियन्ता/हाइड्रोलाजिस्ट के 3 प्रोन्नति कोटे के पदों के विरुद्ध 4 पद भरे हुए हैं । इसके अतिरिक्त अन्य संवर्ग के द्वितीय श्रेणी के प्रोन्नति कोटे के पदों पर शासन के कार्यकारी आदेश-2379/54-3-1800(8)/79, दिनांक 10-5-88 के अंतर्गत दिये गये मापदण्डों के अनुसार विभाग में श्रेणी-3 के अवर अभियंता एवं समकक्षीय पदों पर कार्यरत नियमित कर्मचारी प्रोन्नति की पात्रता में अभी नहीं आते हैं । जहां तक प्राविधिक सहायकों के स्थाई रिक्त पदों पर प्राविधिक सहायकों को स्थाई घोषित किये जाने का प्रश्न है, विभाग में कार्यरत समस्त प्राविधिक सहायकों की संवर्गवार ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । अनन्तिम रूप ज्येष्ठता सूची प्रकाशित होने पर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा एवं स्थाई पदों की संवर्गवार निर्धारित कर पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को (प्राविधिक सहायकों) स्थाई घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

जियोलाजी संवर्ग में द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर शासन द्वारा दिनांक 1-5-83 से पूर्व कार्यहित में नियमित तथा तदर्थ नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं, जो विनियमितीकरण नियमावली 1984 के अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु पात्रता क्षेत्र में आते हैं ।

जियोलाजी संवर्ग में श्रेणी-2 के पदों के सृजन के समय व उसके कुछ समय बाद भी विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर 1 मई, 1983 के पूर्व किसी भी पात्र कर्मचारी के कार्य-रत न होने के कारण तथा बाद में प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में कोई कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण शासकीय कार्य की महत्ता को देखते हुए ज्योलाजी संवर्ग में श्रेणी-2 के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्तियां शासन द्वारा विचारोपरान्त जनहित में प्रदान की गई । जिसके फलस्वरूप ज्योलाजी संवर्ग में श्रेणी-2 के पद पर अभी तक कोई प्रोन्नतियां प्रदान नहीं की जा सकी ।

जनपद लखनऊ में विकास खण्ड स्तर पर स्थित विद्यालयों के जर्जर भवनों का निर्माण

159–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल कितने जूनियर व सीनियर बेसिक विद्यालय हैं ? इनमें से कितने विद्यालयों के भवन जर्जर हालत में हैं अथवा विद्यालय भवनहीन हैं ? क्या मंत्री जी उक्त विद्यालयों के जिनके भवन जर्जर एवं जीर्ण हैं उन्हें निर्मित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 828 तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 85 है ।

181 जूनियर बेसिक स्कूल एवं 16 सीनियर बेसिक स्कूल जर्जर अथवा भवनहीन हैं ।

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर बेसिक स्कूल भवनों का निर्माण वर्ष 1989-90 में तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के भवनों का निर्माण जनपद की जिला योजना में किए गये प्राविधान के अनुसार कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

160–श्री राज किशोर सिंह, श्री विष्णु देव तथा श्री अकबर हुसैन बाबर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के वृक्षों का अनुपात कम करने की मांग

161–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के जंगलों चीड़ की पत्तियों की अम्लता, जड़ों के द्वारा भूमि को शुष्क कर देने तथा चीड़ के वृक्षों की दुर्गन्ध व वन-वातावरण को आद्रता विहीन करने के कारण उसमें छोटी चिड़ियां तथा जानवर नहीं रहते हैं और पूरे परिस्थिति तंत्र को दीर्घकालीन आघात लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में नयी वृक्षारोपण कर चीड़ के वृक्षों का अनुपात न्यूनतम कर, चौड़ी पत्ती के चारा ईंधन, रेशा, फल खाद व परिस्थितिकीय गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन करने वाली प्रजातियों का प्रसार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी नहीं ।

प्राकृतिक रूप से चीड़ ऐसे ही स्थानों पर पाया जाता है जहां कम एवं शुष्क मृदा होती है। चीड़ के जंगलों में भी विभिन्न प्रकार की चिड़ियां एवं वन्य जन्तु पाये जाते हैं।

विभाग द्वारा वृक्षारोपण में प्रजातियों का चयन भूमि विशेष पर मिट्टी की गहराई, नमी तथा अन्य कारकों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। पथरील, शुष्क एवं कम मृदा वाले स्थानों पर चीड़ तथा अच्छी और गहरी मृदा वाले नम स्थानों पर चौड़ी पत्ती की पौध लगाने का कार्य विभिन्न योजनाओं में पहले से ही प्रारम्भ है जिससे परिस्थितिकीय गुणवत्ता में सुधार के अतिरिक्त चारा, ईंधन, प्रकाष्ठ आदि की व्यवस्था भी होगी।

अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई) (श्री विजेन्द्र पाल) मुरादाबाद मंडल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई जांच का विवरण

162–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 8-12-88 को अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई) (श्री विजेन्द्र पाल) मुरादाबाद मण्डल के विरुद्ध एक पत्र आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद को प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है तथा शासन द्वारा उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण तकनीकी होने के कारण जांच का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई, बरेली को मण्डलायुक्त द्वारा सौंपा गया है। जांच उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

163–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर विधान सभा क्षेत्र चांदा, के विकास खण्ड भदैया के ग्राम रामगढ़ कन्धईपुर व कनौरा आदि में निर्मित इन्दिरा आवासों की मरम्मत

164–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र चांदा, जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड भदैया, ग्राम कन्हईपुर कनौरा टटरीपुर में पिछले वर्ष निर्मित इन्दिरा आवास की छत टपक रही है और आवंटियों के रहने लायक नहीं है? यदि हां, तो क्या उक्त आवासों के निर्माण के दोषी को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विधान सभा क्षेत्र चांदा जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड भदैया के ग्राम रामगढ़, कन्धईपुर कोरा में वर्ष 86-87 में निर्मित इन्दिरा आवास आंधी एवं तूफान के कारण खपड़ैल उड़ जाने की शिकायत होने पर उसे ठीक करा दिया गया एवं सभी आवंटी स्थायी रूप से आवासों में निवास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड भदैया में टटरीपुर नाम का कोई ग्राम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी की चकिया तहसील के अन्तर्गत मुबारकपुर बंधी नम्बर 2 (मझराती बंधी) की आरक्षित वनक्षेत्र भूमि पर अवैध कब्जा रखने वाले खेत मजदूरों के साथ अत्याचार की शिकायत

165–श्री राम सजीवन–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद वाराणसी की चकिया तहसील के अन्तर्गत मुबारकपुर बंधी नम्बर 2 (मझराती बंधी) की खाली पड़ी जमीनों को अभी तक भूमिहीन आदिवासी हरिजन खेत मजदूरों में वितरित नहीं किया गया है? क्या यह सही है कि 10 सितम्बर, सन् 1988 से सैकड़ों खेत मजदूर वहां पर झोपड़ियां डालकर आबाद हैं और उन्होंने करीब चार सौ एकड़ भूमि पर सरसों की फसल तैयार कर ली है? क्या यह भी सही है कि तीन अक्तूबर, 1988 को उनकी झोपड़ियां जला दी गई थीं तथा सामान लूट लिया गया था जिसकी रिपोर्ट परगनाधिकारी व जिला प्रशासन को भेजी गयी थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? क्या भूमि का आवंटन काबिज मजदूर आदिवासियों हरिजनों के हित में कर दिया जायगा तथा जिन मजदूरों की झोपड़ियां जलायी गयी, को आर्थिक सहायता दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी नहीं। प्रश्नगत जमीन आरक्षित वन क्षेत्र है, जिसका गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत प्रतिबन्धित है।

दिनांक 10 सितम्बर, 1988 को सैकड़ों मजदूरों ने लगभग 75 एकड़ क्षेत्र पर अनाधिकार कब्जा करने के उद्देश्य से घास-फूस की अस्थाई झोपड़ियां डाली, जिसे पुलिस के सहयोग से हटा दिया गया, परन्तु उनके द्वारा पुनः उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उक्त क्षेत्र के कुछ स्थानों पर अनधिकृत रूप से झाड़ियां काटकर सफाई एवं जुताई का कार्य किया गया है।

जी नहीं। यह सही नहीं है कि 3 अक्तूबर, 1988 को उक्त स्थल पर डाली गई झोपड़ियां जला दी गई और यह भी सही नहीं है कि उनमें रखा हुआ सामान लूटा गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। अनधिकृत रूप से कब्जा की गई प्रश्नगत भूमि का आवंटन नियमानुसार सम्भव नहीं है। जहां तक आर्थिक सहायता का सम्बन्ध है, चूंकि झोपड़ियां जलाई नहीं गई अतः किसी ऐसी सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्डों में पुष्टाहार योजना को लागू करने की मांग

166—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में मातृ धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार वितरण की योजना जो विकास खण्ड प्रताप-नगर में चल रही थी, को समाप्त किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या उक्त योजना को टिहरी गढ़वाल जनपद के अन्य विकास खण्डों में आरम्भ करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक और किस रूप में? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्तमान नीति के अनुसार पुष्टाहार कार्यक्रम केवल उन्हीं विकास खण्डों में चलाया जा रहा है जिन्हें ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों की उत्थान योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल में यह योजना अभी नहीं चलाई जा रही है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पुराना महानगर घोसियाना में स्थित शौचालय के मरम्मत की मांग

167—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि पुराना महानगर घोसियाना लखनऊ में शौचालय काफी समय से जर्जर व गन्दी हालत में है, जिसकी वजह से यहां के स्थानीय निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या जनहित में उक्त शौचालय जो इस समय जीर्ण स्थिति में है, की मरम्मत व सफाई हेतु कर्मचारी की स्थायी व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

प्रश्नगत शौचालय की सफाई हेतु कर्मचारी की व्यवस्था है, किन्तु तकनीकी दृष्टि से इसकी मरम्मत कराया जाना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के कोचिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव

168—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रशासनिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु कोचिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक स्थापना होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

वर्ष 1989-90 में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्री कृष्ण पील सिंह द्वारा जाली मोहरें बनाकर ऋण वितरण व खाद वितरण आदि की सी0 आई0 डी0 जांच

169–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 अप्रैल, 1988 जो ग्राम प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह, ग्राम सभा माल्हीपुर कंजाश, थाना-कंधई, जिला प्रतापगढ़ की फर्जी मोहर बनाकर ऋण वितरण एवं खाद वितरण तथा अनेक जालसाजी किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो प्राप्त प्रार्थना-पत्र एवं संलग्नक के समस्त तथ्यों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मामले की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मारौरा से कराई गयी तो प्रश्नगत जालसाजी का मामला प्रकाश में नहीं आया। अतः सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

जनपद फैजाबाद में स्थित माधुरी बालिका विद्यालय, कटहेरी को अमसिन में स्थानान्तरित करने का निर्णय

170–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित बालिका विद्यालय, कटहेरी के संबंध में विचार करने के लिए जिलाधिकारी, फैजाबाद ने दिनांक 20-8-88 को प्रातः 9 बजे अपने आवास पर प्रश्नकर्ता तथा जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलायी थी? क्या यह सत्य है कि उस बैठक में सर्वसम्मति से कुछ फैसले हुए थे लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं जिसकी लिखित शिकायत प्रश्नकर्ता ने एक पत्र द्वारा दिनांक 31-8-88 को जिलाधिकारी, फैजाबाद से किया है? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जी हां।

अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) फैजाबाद ने अपने आदेश दिनांक 30-6-84 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थानान्तरण कटहेरी से अमसिन के लिए कर दिया था। बाद में उन्होंने अपने आदेश दिनांक 13-8-85 द्वारा अपने उक्त आदेश को निरस्त करते हुए विद्यालय को कटहेरी ले जाने का आदेश दिया जिसके विरुद्ध प्रबन्धतंत्र ने जिला जज के यहां वाद दायर कर दिया था।

अब तृतीय अपर सिविल जज ने वाद में अन्तिम रूप से निर्णय दिया है कि विद्यालय अमसिन में ही कार्य करेगा। अतः अब अध्यापिकाओं को अमसिन में ही जाकर कार्य करना पड़ेगा तभी वह वेतन पाने वाले अधिकारी होंगी।

जनपद एटा के सहायक अध्यापक श्री ऋषीराम द्वारा अध्यापक के पद से चुनाव लड़ा जाना

171—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए वर्ष 1985 में हुए आम चुनाव में विधान सभा क्षेत्र 345 सकीट, जनपद एटा से श्री ऋषीराम ने बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रा0 पा0 में सहायक अध्यापक रहते हुए चुनाव लड़ा था जिसकी लिखित शिकायत विमल सिंह, महामंत्री, युवक कांग्रेस ने जिलाधिकारी, एटा से की थी जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने उसकी जांच अपर जिलाधिकारी (राजस्व) को सौंप दी थी ? क्या यह सही है कि अपर जिलाधिकारी महोदय ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 21-11-87 को जिलाधिकारी को सौंप दी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सही है कि श्री ऋषीराम ने अध्यापक रहते हुये चुनाव लड़ा था ।

शिक्षा निदेशक को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद की तहसील टांडा के अन्तर्गत ग्राम तिवारी का पुरा को नरवर पट्टी से सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में स्थानीय व्यक्तियों की शिकायत पर सम्पर्क मार्ग को स्थगित किया जाना

172—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जहांगीरगंज, तहसील-टाण्डा, जनपद फैजाबाद अन्तर्गत ग्राम तिवारी का पुरा को नरवर पट्टी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के नाम पर कुछ किसानों की कृषि योग्य जमीन में हरी फसल को नुकसान पहुंचाने, दर्जनों हरे पेड़ों को काटने तथा गरीब हरिजनों की आबादी, मकान, कुआं, आदि को सम्पर्क मार्ग से मिलाने की साजिश की गई, जिसके विरोध स्वरूप प्रभावित किसानों एवं गरीब हरिजनों द्वारा फरवरी, 1988 से निरन्तर शासन एवं जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाता रहा है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 87-88 में सूखा राहत योजनान्तर्गत ग्राम तिवारी का पुरा को नरवर पट्टी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु एक कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किया गया था। उक्त मार्ग के निर्माण प्रारम्भ होने के पूर्व ही स्थानीय लोगों की शिकायत पर परगनाधिकारी, टाण्डा तथा खण्ड विकास अधिकारी जहांगीरगंज द्वारा जांच की गई। जांचोपरान्त स्वीकृत मार्ग निरस्त कर दिया गया है तथा मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है।

प्रदेश के महानगरों में सूखे पेड़ों आदि की कटान को स्वीकृति देने हेतु नामित सक्षम अधिकारी

173—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों में सूखे पेड़ों की कटान, बागों की कटान आदि की स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है ? क्या महापालिका अधिकारियों को भी कटान की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

महानगरों के नगर महापालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में सूखे पेड़ों तथा बागों आदि के काटने की स्वीकृति देने के लिए उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 297, 382 तथा 398 के अधीन मुख्य नगर अधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अल्मोड़ा व नैनीताल के वन विभाग के जंगलों में उ0 प्र0 वन निगम द्वारा कार्य के आधार पर बोनस दिया जाना

174–श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 व 1981-82 में जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के वन विभाग के जंगलों में उ0 प्र0 वन निगम द्वारा पेड़ गिरान, कटान, पीठ ढुलान, ट्रक भरान व उतराई तथा ट्रक भाड़े के लिए कार्य समाप्त हो जाने पर क्रमशः किन-किन दरों से बोनस का भुगतान किया गया था? इन दरों की असमानता को दूर करने के लिए मानकीकरण करते हुए भुगतान की दरों को समान करने के लिए प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम रानीखेत के पत्रांक-1268/-एस0पी0एम0/दिनांक 19-7-82 द्वारा चीफ कामिर्शियल मैनेजर स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर से अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो पेपर मिल्स द्वारा इस वैज्ञानिक संस्तुति को अस्वीकार करने पर कार्य कराने में मध्यस्थ होने के कारण वन निगम ने क्रमशः क्या-क्या वैधानिक कदम उठाये हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 व 1981-82 में जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के वन विभाग के जंगलों में उ0 प्र0 वन निगम को पेड़ गिरान, कटान, पीठ ढुलान, ट्रक भरान व उतराई तथा ट्रक भाड़े के लिए कार्य समाप्त हो जाने पर निम्नदरों के अनुसार बोनस का भुगतान किया गया :–

(अ) जनपद पिथौरागढ़ से प्रश्नगत मिल को वन निगम द्वारा कोई लकड़ी की आपूर्ति उक्त अवधि में नहीं की गयी। अतः बोनस दिये जाने का कोई अवसर नहीं था।

(ब) जनपद अल्मोड़ा (पूर्व रानीखेत लागिंग प्रभाग) में बोनस भुगतान की दरें निम्नवत् थी :—

वनकक्ष का नाम	बोनस दर प्रति क्0
1–उल्लेख–14	0·25
2–सिमगांव–5 बी	0·25
3–द्वारसो–14	0·25
4–चन्थरिया-10	1·00
5–चन्थरिया–14	1·00
6–लखनपुर–2	2·00
7–चिलियानाला-5	2·00

(स) जनपद नैनीताल में स्टार पेपर मिल को वन निगम द्वारा लकड़ी की आपूर्ति की गई थी, परन्तु इस जनपद में स्टार पेपर मिल, सहारनपुर द्वारा किसी भी दर से बोनस का भुगतान नहीं किया गया।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, रानीखेत ने अपने पत्रांक : 1268/एस0 पी0 एम0/दिनांक 19-7-82 के द्वारा उल्लेख-14 व सिमगांव-5 इत्यादि में किये गये कार्यों के लिए दरों में वृद्धि एवं बोनस दिये जाने का अनुरोध चीफ कामर्शियल मैनेजर, स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर से किया था।

टेण्डर की शर्त संख्या–32 के अनुसार "निर्धारित समय में कार्य समाप्त करने पर एवं सम्पूर्ण उपलब्ध आवंटित मात्रा सप्लाई करने पर मै0 स्टार पेपर मिल्स लि0 द्वारा 25 पैसा प्रति क्विं0 तक बोनस दिया जा सकता है, परन्तु कानूनी तौर पर टेण्डरदाता किसी प्रकार के बोनस को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।"

उक्त शर्त के अनुसार, टेन्डरदाता बोनस पाने का कानूनी हकदार नहीं था। इसलिए वन निगम द्वारा वैधानिक कदम उठाने का कोई आधार नहीं था। बोनस की देयता स्टार पेपर मिल्स पर ही निर्भर थी, अतः उनसे केवल अनुरोध ही किया जा सकता था, जो प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक ने अपने पत्र दिनांक 19-7-82 में किया भी, परन्तु स्टार पेपर मिल्स ने स्वीकार नहीं किया।

जनपद देवरिया के कतिपय ग्राम सभाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा पुरस्कृत करने हेतु धन का आवंटन

175–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1986-87 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए गांव सभाओं को पुरस्कृत करने हेतु शासन द्वारा धन का आवंटन किया गया था? यदि नहीं, तो जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया ने किसी मद से जनपद की 164 गांव सभाओं को नसबन्दी के आधार पर 15, 25 व 40 हजार की दर से 26,10,000/- बिना संबंधित गांव सभाओं की योजना स्वीकृत किये व मांग पत्र व रसीद प्राप्त किये वितरित कराया है? उक्त वितरित धनराशि में कितनी धनराशि कितने प्रधानों ने अपने निजी खाते में जमा किया है? कुल कितनी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है? क्या उन गांव सभाओं ने शासनादेश के अनुसार अपना अंश जमा किया था? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारी को मनमाने ढंग से शासकीय धन को व्यय करने हेतु दंडित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जांच करायी जा रही है।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलाल गंज के ग्राम पंचायत भसन्डा के ग्राम धनवारा को मतदान केन्द्र बनाने की मांग

176—श्री भगौती सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत भसन्डा, तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ में ग्राम धनवारा जो ग्राम पंचायत के बीच में होने तथा स्थान और आवागमन की उपयुक्तता के कारण लोक सभा, विधान सभा और पंचायतों के चुनाव में सदैव से मतदान केन्द्र रहा है उसे विगत पंचायत के चुनाव में उस पंचायत के रहने वाले तथा जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सहदेव सिंह गौतम की आपत्ति के बाद भी ग्राम भसन्डा कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? क्या मतदान के समय वहां कोई झगड़ा हुआ है जिसका स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गत लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन में धनवारा में मतदान केन्द्र रहा परन्तु गांव पंचायत निर्वाचन 1982 में इस ग्राम में मतदान केन्द्र नहीं रहा है। जी हां, श्री सहदेव सिंह गौतम अधिवक्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-6-88 को जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र खण्ड विकास अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 3-7-88 को प्राप्त हुआ। चूंकि मतदान की तिथि 5-7-88 थी, इसलिए इतने अल्प समय में मतदान केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जा सका। मतदान केन्द्र भसन्डा पर मतदान के समय कोई झगड़ा इत्यादि नहीं हुआ था।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट की जांच

177—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में माह मई, 1988 में प्राविधिक परीक्षक—1 टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा विकास खण्ड सरदार नगर, गोरखपुर के कतिपय एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजनान्तर्गत बनवाये गये प्रोजेक्ट की टेक्निकल जांच की गयी थी? यदि हां, तो उसमें दोषी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी? क्या यह सत्य है कि वर्तमान बी0 डी0 ओ0 (श्री शिव मंगल) द्वारा ग्राम डुमरीखास, ग्राम चौरी में सामुदायिक विकास भवनों जिसकी जांच टी0 ए0 सी0 ने किया था, में अपने कार्यकाल में खर्च किये गये धन के बाउचर व कागजात टी0 ए0 सी0 को जांच हेतु नहीं प्रस्तुत किये हैं? क्या इस संबंध में विधायकों द्वारा ग्राम्य विकास सचिव, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव ग्राम विकास अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश शासन तथा टी0 ए0 सी0 सेल को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में इन्दिरा आवास घोटाला काण्ड से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

178—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त सन् 1987 में विकास खण्ड सरदार नगर (जिला गोरखपुर) में इन्दिरा आवास घोटाला काण्ड के मामले में ग्रामीण आवास आयुक्त की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किये गये जांच के मामले में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि सितम्बर, 1987 से लगायत जून, 1988 तक उक्त विकास खण्ड में बनवाये गये इन्दिरा आवासों में भी भ्रष्टाचार व घोटाला की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा तथा अन्य जनपद के जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस अवधि में विकास खण्ड सरदार नगर में बनवाये गये इंदिरा आवासों की भी जांच आवास आयुक्त के जांच दल द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा ग्राम विकास अभियंत्रण द्वारा स्वीकृत नये विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी

179—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में 25 जून, 1988 को डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक ग्राम विकास अभियंत्रण कार्यालय मथुरा में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें स्वीकृत किये गये नये विकास कार्यों में नवम्बर, 1988 तक कोई प्रगति हुई ? यदि हां, तो क्या कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी हां ।

किये गये नये विकास कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम-संख्या	कार्य का मद	हुआ कार्य
1	पुलिया निर्माण—क—350 एम0एम0	33
	ख—600 एम0एम0	16
	ग—900 एम0एम0	1
2	सम्पर्क मार्ग—इन्टर कोट स्तर तक	6.10 कि. मी.
3	भूमि संरक्षण कार्य	313.54 हेक्टेयर
4	सामाजिक वानिकी कार्य—	
	क—वृक्षारोपण	105.00 हेक्टेयर
	ख—अग्रिम मृदा कार्य	50.00 हेक्टेयर
	ग—पौधों का रख रखाव। (11.00 हैक्टे.)	12.00 लाख
	घ—गैप फिलिंग	67.00 हेक्टेयर
	ज—नवीन पौध उगाना	30.00 लाख

प्रश्न नहीं उठता

जनगणना कार्य में रत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण आदेश का स्थगन

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–141 के क्रम में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस एक मात्र अध्यापिका का स्थानान्तरण मध्य सत्र में किया गया था एवं जनगणना कार्य नहीं कर रही थी, का नाम श्रीमती कमला देवी (प्रथम) या श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) तथा इनका स्थानान्तरण कहां के लिए किया गया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्रीमती कमला देवी (प्रथम) तथा श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) दोनों का स्थानान्तरण किया गया था । दोनों अध्यापिकाओं का नाम एक ही होने तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में हुई लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्ष 1982 में दिये गये उत्तर में भूल से यह कह दिया गया था कि केवल एक अध्यापिका का स्थानान्तरण किया गया था ।

श्रीमती कमला देवी (प्रथम) का स्थानान्तरण कन्या प्राइमरी पाठशाला, खोबरी तथा श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) का प्राइमरी पाठशाला, मेंढ़ियां के लिये किया गया था ।।

प्रदेश में भवन हीन व क्षतिग्रस्त प्राइमरी स्कूलों की संख्या

181–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनकी सरकारी इमारतें नहीं हैं तथा कितनी इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

भवनहीन प्राइमरी स्कूलों की संख्या 9920 एवं क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या 2504 है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड माया बाजार के ग्राम सभा गौहनियां में सड़क की पटाई में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

182–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौहनियां, विकास खण्ड माया बाजार, जनपद फैजाबाद में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत पटाई गई सड़क में की गई अनियमितता विषयक कोई शिकायती पत्र मा0 विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी कटेहरी, फैजाबाद प्रश्नकर्ता तथा महादेव वर्मा, सदस्य, जिला किसान सलाहकार समिति, फैजाबाद द्वारा दिनांक 8-4-88 को मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को दिया गया है? यदि हां, तो उक्त विषयक शिकायती प्रकरण की जांच आख्या क्या है और यदि अभी तक जांच नहीं कराई गई तो उक्त के लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इस संबंध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, विधायक कटेहरी फैजाबाद का कोई पत्र मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है। श्री तिवारी का पत्र दिनांक 19-1-88 का पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ था जिसके साथ श्री महादेव वर्मा, का दिनांक रहित पत्र भी संलग्न है। पुनः श्री लाल जी वर्मा सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 7-4-88 मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद को दिनांक 8-4-88 को प्राप्त हुआ है।

शिकायती प्रकरण की जांच कराई गयी तथा यह पाया गया कि सड़क की चौड़ाई कुछ स्थानों पर प्राक्कलन से कम थी एवं कहीं-कहीं मिट्टी भी कम डाली गयी थी। संबंधित अवर अभियंता, लघु सिंचाई फैजाबाद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कृष्ण मोहन तिवारी तत्कालीन अभियंता जिला परिषद् बहराइच के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की मांग

183–श्री चन्द्र सेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभियंता कृष्ण मोहन तिवारी, जिला परिषद् जौनपुर में हैं जो इसके पहले बहराइच में थे और इनके खिलाफ शासन द्वारा जांच हो रही थी? यदि हां, तो उस जांच में क्या हुआ? क्या शासन द्वारा कोई कार्यवाही उनके खिलाफ हुई ? अगर नहीं हुई, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

श्री कृष्ण मोहन तिवारी तत्कालीन अभियंता जिला परिषद् बहराइच के विरुद्ध श्री राम सागर राव विधायक एवं अन्य के शिकायती पत्र शासन को वर्ष 1985-86 में प्राप्त हुए थे जिनकी जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् बहराइच को लिखा गया था। टेकनिकल आडिट सेल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसमें श्री तिवारी के विरुद्ध निर्माण कार्यों से संबंधित कोई अनियमितता बरतने का आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है केवल इनके द्वारा गारण्टी-रिश्वत लेने आदि संबंधी शिकायत की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् बहराइच को भेजे गए शिकायती पत्र पर जांच आख्या अभी शासन को अप्राप्त है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार तत्समय उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्रीयित सेवा (ई0 ओ0 जे0 ई0 एस0 आई0) के अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण का नीतिगत आधार

184—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 87 से जुलाई, 88 तक केन्द्रीयत सेवा (ई0 ओ0 ई0, एस0 आई0) कितने अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण उपरोक्त अवधि में दो या दो से अधिक बार किए गए ? क्या इन स्थानान्तरण का कोई नीतिगत आधार है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो इन स्थानान्तरण का मकसद क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उक्त अवधि में केन्द्रीयित सेवा के 14 अधिशासी अधिकारियों, 16 जूनियर इन्जीनियरों तथा 31 एस0 आई0 के स्थानान्तरण उक्त अवधि में दो या दो से अधिक बार किये गए ।

जी हां।

उक्त स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर के ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) के विरुद्ध श्री प्रियदर्शी जेटली के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

185—श्री शिव दर्शन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेटली द्वारा दिनांक 4-10-88 को, जिलाधिकारी, फैजाबाद को पूर्व ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) विकास खण्ड अकबरपुर के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर चल रही जांच के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक की गई जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री श्याम सरन उपाध्याय—

जी हां ।

शिकायती पत्र दिनांक 4-10-88 के पूर्व अन्य माध्यम से इन्हीं बिन्दुओं पर शिकायत की गई थी जिस पर परगना अधिकारी अकबरपुर से जांच कराई गई थी । जांच रिपोर्ट के अनुसार फ्री बोरिंग के पांच प्रकरणों में मजदूरी व ढुलाई का भुगतान लाभार्थियों ने कर दिया है परन्तु विभाग के ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुयी है । मुख्य अभियन्ता (ल0 सिं0) द्वारा सम्बन्धित अवर अभियन्ता (ल0 सिं0) के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । इंदिरा आवास के मामले में पहली जांच दिनांक 27-7-87 के आधार पर कुछ कमियां पायी गई थी परन्तु पुनः जांच दिनांक 29-8-87 के आधार पर लाभार्थी संतुष्ट है और कार्य पूर्ण है ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर ब्लाक भटनी के अंतर्गत ग्राम खजुरी करीता में खड़ंजा एवं पक्की नाली के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह यादव सा0 वि0 स0 के पत्र पर कार्यवाही

186—श्री बलराम यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया, तहसील-सलेमपुर, ब्लाक-भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करीता में खड़ंजा एवं गांव के नाबदानों के पानी की समुचित व्यवस्था पक्की नालियों से कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मुलायम सिंह यादव, नेता उत्तर प्रदेश लोकदल विधान मण्डल दल का पत्रांक-1175/एल डी/88, दिनांक 6-9-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? क्या ग्राम सभा में खड़ंजा एवं पक्की नालियों की व्यवस्था करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बरेली की मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका द्वारा श्रीमती वी0 चन्द्रा प्रधानाचार्य (निलम्बित) के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही की जानकारी

187—श्री नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका तृतीय मण्डल, बरेली को प्रबन्धक, आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, शाहजहांपुर का कोई आरोप पत्र दिनांक 6-2-88 [श्रीमती वी0 चन्द्रा प्रधानाचार्य (निलम्बित) आर्य कन्या पाठशाला इ0 कालेज, शाहजहांपुर के सम्बन्ध में] प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आरोप पत्र पर मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, तृतीय मण्डल, बरेली द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने निलम्बन आदेश तथा आरोप पत्र प्रधानाचार्य को प्राप्त करा दिया किन्तु निलम्बन आदेश का अनुमोदन प्रदान नहीं किया ।

जनपद हरदोई अन्धे की चौकी से हलुवापुर व माल को जाने वाली सड़क की मरम्मत तथा बेहता नाले पर पुल निर्माण की मांग

188—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हरदोई रोड से जुड़ा हुआ अन्धे की चौकी से डामर रोड हलुवापुर कस्मन्डा कला होते हुए माल को गयी है, बुरी तरह से खराब हो गयी है तथा उस पर बजरी गिट्टी उखड़ गयी है और उसी रोड पर झाखर बाग के पास नहर की पुलिया टूट गयी है जिसमें भारी गाड़ियों को आने जाने में कठिनाई होती है? यदि हां, तो उक्त सड़क तथा पुलिया को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त रोड पर हलुवापुर के पास बेहता नाला पर पुल बनवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 15 किमी0 है जिसमें से 6.800 किमी0 मार्ग जिला परिषद् व शेष 8.200 किमी0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण में है । जिला परिषद् के नियंत्रणाधीन मार्ग पर 1.800 किमी0 मार्ग की मरम्मत वर्ष 1987-88 में की गयी थी जिस पर 5846.00 रुपये का व्यय जिला परिषद् द्वारा किया गया । प्रसंगत पुलिया नहर विभाग के नियंत्रण में है अतः क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण उसी विभाग द्वारा सम्भव होगा । बेहता नाले के पुल के निर्माण से जिला परिषद् सम्बन्धित नहीं है ।

जनपद हरदोई के सी0 एस0 नेहरू महाविद्यालय के बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27 मार्च, 1989 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं :–

पहली सूचना श्री अशोक बाजपेयी की, दूसरी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की, तीसरी सूचना श्री राय लक्ष्मी नारायण की, चौथी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की, पांचवी सूचना डा0 दिनेश जौहरी की, छठी सूचना श्री रतन स्वरूप राही की, सातवीं सूचना श्री किशन लाल की है । ये सब सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

[मान्यवर, सी0एस0 नेहरू महाविद्यालय हरदोई गत एक माह से बन्द है । विद्यालय में प्रवेश संख्या में भारी कटौती के प्रश्न को लेकर पूरे जनपद के छात्रों में रोष एवं असन्तोष है । छात्र कई बार प्रदर्शन एवं जिलाधिकारी का घेराव कर चुके हैं । निरन्तर छात्रों की गिरफ्तारी चल रही है। ज्ञातव्य हो कि हरदोई जनपद में यही मात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जिसमें प्रतिवर्ष 1800 छात्र बी0 ए0 कक्षाओं में प्रवेश पाते थे । इस वर्ष यह छात्र संख्या घटाकर मात्र 700 कर दी गयी है। अगर तत्काल समस्या का निदान न किया गया तो छात्र संघर्ष विकराल रूप धारण कर सकता है ।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाने की अनुज्ञा चाहता हूं ।]

जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड के भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[मान्यवर, देवरिया जनपद में मेरे क्षेत्र के अंतर्गत चल रही बेसिक शिक्षा परिषद् के कई दर्जन प्राइमरी पाठशालायें भवन हीन हैं जिसमें पथरदेवा विकास खण्ड में कोटवा,

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नरायनपुर, धर्मचौरा, अमवा, हरखौली, दूलारपट्टी, कसाया विकास खण्ड में महुआपाटन, सिरसिया, गोठा, सबया विशुनपुरा मगुरहा, जलुआ पटखौली, मल्लूडीह तथा फाजिलनगर विकास खण्ड में यहुअवा बुजुर्ग प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ और कार्यवाही विभागों का आवश्यक परिव्यय उपलब्ध करा देने के बाद भी आज तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा जिला परिषद् देवरिया में व्याप्त कमीशन खोरी और लापरवाही के कारण निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ, जिससे हजारों की संख्या में छोटे बच्चे भी भीषण धूप में बैठने को बाध्य हैं, निर्माण कार्य घटिया सामानों के उपयोग के कारण इन्हीं वर्षों में निर्मित भवनों के प्लास्टर गिर रहे हैं और छतों से पानी टपकने लगा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को सदन की संज्ञान में लाकर शासन तथा ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वर्षों से स्वीकृत प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण को अविलम्ब पूरा कराने की मांग करता हूं तथा भवन निर्माण अविलम्ब पूरा कराने में प्रयुक्त घटिया किस्म के सामग्री के जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर में अकटही ताजपुर डेहमा गड़ार मार्ग का लेपन स्तर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राय लक्ष्मी नारायण—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के विकास खंड बाराचंवर में अकटही ताजपुर, डेहमा गड़ार मार्ग (लम्बाई साढ़े चार कि0 मी0) की ओर आकर्षित करता हूं। यह मार्ग सा0नि0वि0 द्वारा मिट्टी, पुलिया खड़ंजे स्तर तक बनाया गया है। इस मार्ग पर अधूरा कार्य किया गया। जिसमें मिट्टी कम डाली गयी एवं मिट्टी भी खराब स्तर की एवं कम मात्रा में दी गयी। इससे यहां के हजारों कृषकों एवं जनता में रोष एवं क्षोभ है। इस कारण यहां के स्थानीय जनता ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया। लेकिन उस विभाग के अभियन्ताओं द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई इसकी जांच टेकनिकल सेल से करवायी जाय।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त मार्ग को लेपन स्तर तक बनाया जाय एवं अधूरे कार्यों को पूरा किया जाय जिससे इस मार्ग से उस क्षेत्र की जनता को लाभ एवं सुविधाएं मिल सकें।

स्वास्थ्य महानिदेशालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये सिविल इंजीनियरों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा—

[मान्यवर, स्वास्थ्य महानिदेशालय में कुछ सिविल इंजीनियरों को शासन के आदेशों की घोर अवहेलना करके गत 14-15 वर्षों से लगातार लखनऊ में ही प्रतिनियुक्ति पर रखा हुआ है। इनमें से कुछ इंजीनियर पी0डब्लू0डी0 से पहले असिस्टेण्ट इंजीनियर पद पर आये तथा उनमें से कुछ उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करके 2-3 वर्षों में ही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के प्रोन्नति के पद पर तैनाती पा गये। प्रति-

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियुक्ति पर पांच वर्ष की सीमा सम्बन्धी वित्त विभाग के 14-12-82 के शासनादेशों तथा विधायक गण व अन्य अभियन्ता संगठनों आदि मांगों के बावजूद एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निदेशालय से पी0 डब्लू0 डी0 में वापस नहीं भेजा जा रहा है जिससे स्वास्थ्य विभाग एवं पी0डब्लू0डी0 विभाग के इंजीनियरों में भी रोष है। नियमानुसार अधिकतम पांच वर्ष उपरान्त वापिस भेजकर अन्य साधनों जैसे लोक सेवा आयोग या पी0 डब्लू0डी0 आदि से अन्य इंजीनियरों को भी लखनऊ में इन पदों पर कार्य का अवसर देना चाहिए। इस बारे में स्वास्थ्य सेवा अभियंत्रण संघ एवं यू0पी0 इंजीनियर्स एशोसियेशन ने भी अप्रैल 1988, जनवरी 1989 एवं मार्च 1989 में शासन से मांग की है। शासन के आदेशों के बाद भी एवं उक्त संगठनों की भावनाओं के विरुद्ध व्यक्ति विशेष को नियम विरुद्ध रोकना खेद जनक है।

अतः पुराने प्रतिनियुक्ति इंजीनियरों को वापिस करके अन्य प्रबन्ध प्राथमिकता पर किये जायें।

लोकहित के इस अविलम्बनीय मामले को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के पुराने शहर क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी–

[मान्यवर, बरेली नगर के पुराना शहर क्षेत्र में काफी दिनों से कन्या इन्टर कालेज खोले जाने की मांग चल रही है। इस क्षेत्र में कन्याओं की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय न होने के कारण उन्हें अपने घरों से काफी दूर नगर में आना पड़ता है जो लोग कन्याओं को विद्यालय पहुंचाने के लिए धन व साधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं उनकी कन्यायें शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं व उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाना पड़ता है। कई बार मंत्रियों ने यहां कन्या इन्टर कालेज खोलने के आश्वासन दिये हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में यथा शीघ्र कन्या इन्टर कालेज खोला जावे।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में परजीपुर से नगवा महुवारी मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रतन स्वरूप राही–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद-गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में परजीपुर से नगवा महुवारी मार्ग (लम्बाई साढ़े चार कि0 मी0) की ओर आकर्षित करता हूं। यह मार्ग सा0 नि0 वि0 द्वारा मिट्टी, पुलिया खड़ंजे स्तर तक बनाया गया है। इस मार्ग पर अधूरा कार्य किया गया। जिसमें कम मिट्टी डाली गयी एवं मिट्टी भी खराब स्तर की एवं कम मात्रा में दी गयी। इससे यहां के हजारों कृषकों एवं जनता में रोष एवं क्षोभ है। इस कारण यहां के स्थानीय जनता ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया लेकिन उस विभाग के अभियन्ताओं द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसकी जांच टेक्निकल सेल से करवाया जाय।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त मार्ग को लेपन स्तर तक बनाया जाय एवं अधूरे कार्यों को पूरा किया जाय जिससे इस मार्ग से उस क्षेत्र के जनता को लाभ एवं सुविधाएं मिल सकें।]

साधन सहकारी समिति कोरोना जनपद सीतापुर के सचिव द्वारा गबन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल–

[मान्यवर, साधन सहकारी समिति लि0 कोरौना सीतापुर के सचिव द्वारा किये गये अनियमित कार्यों तथा भ्रष्टाचार की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर उच्चस्तरीय जांच तथा आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं। उक्त सचिव दिनांक 1-4-79 से नियुक्त है। उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 1,65,000.00 अंश धन का 18,000.00 अपने नाम से तथा सहयोगी के नाम से अग्रिम डालकर डेड स्टाक रूप में लगभग 40,000.00 का, दीगर देना लगभग 2,00,000 का कुल 4,23,000.00 का गबन किया है तथा बिना सभायें हुए समिति के कार्यवाही रजिस्टर में 20-9-88, 29-10-88, 15-11-88, 20-1-89 को सभायें लिखने का जघन्य अपराध किया है और इन सभाओं में समिति के सभापति को बिना सूचित किये ही समिति अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार समिति के उपाध्यक्ष को अधिकृत नियमों के विपरीत कार्य किया है और यह कृत्य समिति के सभापति एवं समिति के साथ विश्वासघात है। स्थानीय संचालक जिला सहकारी बैंक सीतापुर जो कि साधन सहकारी समिति के पूर्व प्रशासक भी रह चुके हैं के बकाया धनराशि की केवल ट्रान्सफर इन्ट्री करके समिति का अहित किया है।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय रमा शंकर कौशिक जी की है, दूसरी सूचना माननीय राम आसरे वर्मा जी और काशी सिंह एरी जी की है, तीसरी सूचना माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की है, चौथी सूचना माननीय विष्णुदेव जी की है, पांचवीं सूचना माननीय हृदय नरायन दीक्षित जी की है, छठीं सूचना माननीय सरदार सिंह जी और माननीय हरेन्द्र सिंह जी की है, सातवीं सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है।

माननीय मुलायम सिंह जी, आप कृपा करके ग्राह्यता पर बोलें।

सिंथैटिक एवं केमिकल्स लिमिटेड बरेली तथा मेसर्स सोमैय्या आर्गेनिक बाराबंकी पर करोड़ों रुपये का बकाया के बाद भी शासन द्वारा रियायतें देने के संबंध पर औचित्य का प्रश्न

*श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर अनुमति चाहता हूं और इसकी ग्राह्यता पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आज उत्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश की वित्तीय हालत बहुत ही गम्भीर है और दूसरी तरफ विकास की योजनाएं सारी ठप्प पड़ी हैं और सरकार इसके पक्ष में यह कहती है कि वित्तीय साधन नहीं हैं, इसलिए विकास की योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और दूसरी तरफ गरीब लोगों पर अनेक प्रकार के टैक्स लादे जा रहे हैं और जो छोटे-छोटे किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनसे सख्ती के साथ टैक्स की वसूली की जा रही है। दूसरी तरफ जो बड़े घराने के पूंजीपति लोग हैं, उन पर करोड़ों रुपये की बकायेदारी है, लेकिन उनके कारोबार में कोई कमी नहीं है। उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक सिंथेटिक एण्ड केमिकल्स लि0 बरेली है, इस पर 31 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें 2.50 करोड़ क्रयकर बाकी है और 28.50 करोड़ बैंड फीस का बाकी है। (इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) एक तरफ तो 31 करोड़ रुपया एक परिवार पर बकायेदारी है और उल्टे उनके कारोबार जो हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। चाहिए यह कि जब 31 करोड़ रुपये की वसूली हो जाए, तब उनको लाइसेंस दिया जाय, लेकिन उनको और सुविधायें दी जा रही हैं। सिंथेटिक एण्ड केमिकल्स लि0 बरेली के ऊपर जो सन् 1960 से चल रही है, और जिसको 7.78 लाख लीटर प्रतिवर्ष औद्योगिक अल्कोहल देने का कोटा निर्धारित किया गया और जिस कम्पनी ने इस समझौते का पालन न करके 200 लाख लीटर प्रति वर्ष कम उठाया तथा प्रदेश की सरकार को राजस्व की जबर्दस्त क्षति पहुंचाई, कीमत की कम प्राप्ति और आसवनियों को उत्पादन की क्षति के कारण भी राजस्व की जबर्दस्त हानि कराई गयी। इस प्रकार से राजस्व की हानि हुई और बिक्रेता उसको चुरा ले गया। दूसरी तरफ अल्कोहल का बाहुल्य ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि आज जो शराब बन रही है, और उसके कारण जो अनेकों मौतें हो रही हैं, जो खराब चीजें लेकर शराब बनाई जा रही है, इसी कारण से मौतें हो रही हैं।

दूसरी तरफ सोमैया आर्गेनिक्स, बाराबंकी को भी 3 करोड़ 15 लाख रुपया बकाया होने पर भी अतिरिक्त 115 लीटर, जो उनका 135 लाख लीटर का कोटा था, देकर सरकार अपने राजस्व की उगाही में बड़े घरानों को छूट दे रही है। तो मान्यवर, एक तरफ तो सरकार गरीब लोगों पर टैक्स लाद रही है और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के बड़े घराने के लोग हैं, उन पर यह सरकार 31 करोड़ रुपये वसूल न करने के बजाय, उन पर कोई रोक नहीं लगा रही है। न और कोई रोक लगायी जा रही है और वहां न ही वसूली करने का कोई इरादा लगता है इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह जो सोमैया आर्गेनिक्स, बाराबंकी और सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली इसमें 31 करोड़ रुपया बकाया है और बाराबंकी वाले में 3 करोड़ 15 लाख है, हम यह सरकार से जानना चाहते हैं कि उनके लाइसेंस निरस्त्रीकरण की कोई कार्यवाई की है यदि नहीं की है तो क्यों नहीं की है और दूसरे अल्कोहल क्यों दिया जा रहा है और दूसरी सुविधायें क्यों दी जा रही हैं? जो लगान माफी की बात इस सदन में हम लोगों ने कही कई बार आपसे बात की है तो उसमें 31 जिलों में भी 31 करोड़ नहीं आता है तो मेरा स्पष्ट आरोप है इस सरकार पर कि यह सरकार, यह सत्तापक्ष अपने भले के लिए इन लोगों से रुपया वसूल नहीं रही है, यह निजी हित के लिए अपनी पार्टी हित

के लिए इनसे रुपया वसूल नहीं रही है और गरीब जनता पर टैक्स लगाकर शहरी विकास योजनाओं को ठप्प किये हैं क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है, यह असंवैधानिक कार्य है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस औचित्य के सवाल को स्वीकार करने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मुलायम सिंह जी ने जो सवाल उठाया है और सौभाग्य है कि आज मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। मान्यवर, यह केवल 31 करोड़ का मामला नहीं है, सदन में मान्यवर, इस तरह के कई सवाल पहले भी आ चुके हैं, आपको याद होगा कि बिजली का कई सौ करोड़ रुपया बकाया है बड़े लोगों का लेकिन सरकार उसकी वसूली नहीं कर पा रही है, उनके पास स्थगन आदेश भी नहीं है लेकिन छोटे काश्तकारों को जिनके ट्यूबवेल हैं उनके ट्यूबवेल काट दिये जायं। एक उदाहरण भी सरकार का यह है कि जो अपने को कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और बिजली काटेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी उसकी गम्भीरता को आप देखें साढ़े 31 करोड़ रुपया बकाया है उसका वसूलने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी का वारन्ट नहीं होगा और उनको एलकोहल आज तक बन्द नहीं किया गया है बल्कि सप्लाई बढ़ा दी है इन्होंने और उसका नतीजा यह है कि आज पूरे प्रदेश में होली के मौके पर 30 आदमियों की मृत्यु हो गयी बाराबंकी में और कई जिलों में, बनारस में और कई जिलों में मिलाकर। मान्यवर, एक उदाहरण यह है कि गुजरात में 100, 125 आदमी मरे और वहां के डी0 जी0 को तत्काल हटा दिया गया लेकिन आज यहां 30 आदमी मर गये लेकिन एक भी इक्साइज के अधिकारी को पुलिस को नहीं हटाया गया, सब बदस्तूर कायम हैं अपनी अपनी जगह पर, इसका क्या औचित्य है आज हमारी विकास की योजनाएं प्रदेश की ठप्प हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, सरकार दिवालियेपन की कगार पर खड़ी है तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है उसके बावजूद आज इतनी बड़ी धनराशि बकाया है उसकी वसूली नहीं कर पा रहे हैं और उनके लाइसेंस की निरस्तीकरण की कोई कार्यवाही नहीं किया है बल्कि जो एल्कोहल उनको दे रहे हैं उसको दूसरी जगह में परिवर्तित कर देते तो ज्यादा पैसा मिलता इस प्रदेश को लेकिन हमने नहीं किया। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में 31 करोड़ रुपया कितना मायने रखता है जबकि इस समय इस प्रदेश को एक-एक पैसे की जरूरत है। मेरा आरोप है कि सरकार जानबूझकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है और दूसरी तरफ गरीब किसानों का उत्पीड़न कर रही है और उनकी अवहेलना कर रही है। मेरी आपसे मांग है कि आज यह मुख्य मंत्री जी इस सदन को स्पष्ट जानकारी दें कि यह कार्यवाही किन परिस्थितियों में और कैसे की गयी ?

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, यह चुनावी साल है और चुनावी साल होने पर हमारी सरकार की, जो मौजूदा सरकार हमारी है उसकी हमेशा से यह कोशिश रहती है कि एक तो आबकारी विभाग के जरिये से और दूसरी बिक्रीकर विभाग के जरिये से कालेधन की

उगाही करें ताकि चुनाव में पैसे का दुरुपयोग किया जा सके, उसका इस्तेमाल किया जा सके और यही कारण है कि बरेली सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री आबकारी विभाग के नियमों का उल्लंघन करती रहती है, लेकिन सरकार उनकी ओर से आंख ही नहीं मूंदती, बल्कि अतिरिक्त सुविधा देने की कोशिश करती है चुनावी साल में । आप देखें कि 200 लाख लीटर जो उनका कोटा था, उसे फैक्ट्री उठाती नहीं बल्कि अब एक और आसवनी खोलने के लिए साढ़े 34 करोड़ के बकाये के बावजूद, नियमों का पालन न करने के बावजूद और दिये जा रहे हैं । इसी प्रकार से बाराबंकी में साढ़े तीन करोड़ का बकाया है लेकिन उन्हें अब 33 लाख लीटर के अतिरिक्त कोटे का आवंटन किया जा रहा है । यह चुनावी साल है और पैसा वसूल किया जा रहा है ताकि चुनाव में पैसे का दुरुपयोग किया जाय, भले ही हमारे नियमों, अधिनियमों, कानून का उल्लंघन होता है और वित्तीय संसाधन पर असर पड़ता हो और उत्तर प्रदेश सरकार को कितना ही घाटा क्यों न उठाना पड़े । श्रीमन्, हमारे नियमों और कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है । इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न को लेते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण करा दें कि क्यों चुनावी वर्ष में यह कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मैनेजर सिंह–

मा0 उपाध्यक्ष जी, इस औचित्य के प्रश्न के संबंध में मा0 मुलायम सिंह जी, रेवती रमण सिंह जी और कालेशक जी ने विस्तार से तर्क प्रस्तुत किये । यह औचित्य का प्रश्न इसलिए भी बनता है कि इस प्रदेश में छोटे-छोटे व्यापारियों को बिक्रीकर विभाग के बकायों में बन्द किया जा रहा है, किसानों को छोटे-छोटे सरकारी ऋणों के बकाये में बन्द किया जा रहा है । बिजली के बारे में इसी सदन में चर्चा हुई, हमारे विद्युत मंत्री जी नहीं हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि तीन महीने के लिए किसानों के बकायों की वसूली स्थगित की जायगी । श्रीमन्, इतनी बेरहमी से छोटे व्यापारियों और किसानों से वसूली हो रही है और बड़े-बड़ी पूंजीपतियों, चाहे बरेली के हों, हिन्दालको के हों, सिन्थेटिक्स बरेली के हों या बाराबंकी के हों, इतने जबरदस्त और प्रभावशाली लोगों से वसूली नहीं की जा रही है । इसमें आबकारी के अधिकारी ही नहीं, शासन के लोगों की सांठ-गांठ से यह काम चल रहा है और इसलिए भी इसका और भी औचित्य बनता है कि आज इस प्रदेश की सरकार के मुखिया हमारे समाजवादी साथी हैं जिनके बारे में सदन को विश्वास है कि इनके मुख्य मंत्रित्व काल में इस प्रकार की असमानता की और अन्याय-पूर्ण कार्यवाही हो रही है । इसलिए इस प्रश्न की गम्भीरता बनती है और कोई दूसरे मंत्री होते, संसदीय कार्य मंत्री होते, तो बात दूसरी थी । लेकिन मा0 नारायण दत्त तिवारी जैसे विद्वान और समाजवादी नेता वहां पर बैठे हैं, फिर भी ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है । यह विचारणीय विषय है । एक बात सरकार की ओर से कही जाती है कि हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है । स्टे वसूली के लिए है । हिन्दालको, सिंथेटिक्स और बाराबंकी की कम्पनी को मिला है लेकिन आप लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं, अल्कोहल का कोटा बन्द कर सकते हैं । यह कार्यवाही क्यों

नहीं करते हैं ? इससे सिद्ध होता है कि शासन उनको संरक्षण दे रहा है, चाहे चुनाव कोष के लिए हो या और कोई कारण हो । इसलिए इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय पर शासन से उत्तर दिलावें ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं मा0 अध्यक्ष, जनता दल और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, मा0 सदस्य इटावा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और अन्य मा0 सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अपने विनम्र विचार सदन के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया । श्रीमन्, सामान्यतः तो यह प्रश्न राजस्व वसूली का और बकाया वसूली का इस तरह से सदन के सामने आया है । मेरे पास अभी वह पूरे तथ्य नहीं हैं जिनके आधार पर जहां तक वसूली का प्रश्न है उसके संबंध में मैंने पूरी जानकारी मंगायी है। कितना बकाया किस पर था किस आदेश के आधार पर किश्तें हुईं ? मैं उसका विवरण स्वयं देखना चाहूंगा और सदन के माननीय नेतागण को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि नियमों से बाहर जाकर किसी को कोई छूट दें । श्रीमन्, एक प्रश्न अवश्य है जिसके संबंध में शायद माननीय सदस्यों की जानकारी हो और वह जनहित में आवश्यक है कि जानकारी सभी को अवश्य हो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है चीनी का उत्पादन बढ़ा है, शीरे का उत्पादन बढ़ा है, गुड़ का उत्पादन बढ़ा है । यदाकदाचित कभी उतार चढ़ाव होता रहता है कभी कारखानों में ज्यादा चीनी बनती है । कुल मिलाकर शीरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ा है । मुलासिज जिसे कहते हैं शीरे को ।

बहुत से माननीय सदस्य चीनी मिल क्षेत्रों से आते हैं । वहां शीरा बह रहा था, सदन में इस पर सवाल भी आये थे कि स्टोरेज, भण्डारण बढ़ गया शीरे का उठान नहीं हुआ । एक पर्यावरण की समस्या पैदा हुई यह भी हुआ कि अगले वर्ष गन्ना कैसे पेरा जायेगा शीरा निकलना ही है । यह एक वर्ष का सवाल नहीं है । गन्ने के उत्पादन के साथ-साथ चीनी मिलों की वृद्धि के साथ-साथ आज 103 मिलें हो गयी हैं जहां पहले कुल 60 मिलें थीं । यह प्रश्न शीरे के उपयोग का, यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश के सामने कि अब इस संबंध में क्या करें हम लोग शीरे के इसको बहने दें या शीरे बेचने दें । शीरे के रूप में बेचें, अल्कोहल के रूप में बेचें इन्डस्ट्रियल अल्कोहल के रूप में बेचें, पोटेबिल अल्कोहल के रूप में बेचें, यह नीतिगत प्रश्न रहा, भिन्न-भिन्न सरकारों के सामने आता रहा । मैं जब भारत सरकार में केन्द्र में था, उत्तर प्रदेश को केन्द्र से राय दी गयी कि एक तो यहां औद्योगीकरण कम है दूसरी तरफ हमारा शीरा बह रहा है तो यह राय दी गयी कि उत्तर प्रदेश शासन अल्कोहल बेस इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन दे । मुलासिज को शीरे में, इन्डस्ट्रियल अल्कोहल में बदली जाय, इन्डस्ट्रियल अल्कोहल को अल्कोहल बेस इन्डस्ट्री में बदला जाय ताकि गन्ना मिलों की क्षमता बढ़ जाय, पेमेण्ट किसानों का हो सके, रोजगार बढ़े औद्योगीकरण हो सके राज्य को भी लाभ मिल सके । इस शीरे से अल्कोहल मिलेगा एक लांग टर्म बेसिस पर लाभ मिल सके उत्तर प्रदेश को ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए भिन्न-भिन्न कमेटियों ने यह राय दी कि अल्कोहल बेस इण्डस्ट्री उत्तर प्रदेश में बढ़ायी जाय, अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाया जाय । इण्डस्ट्रियल अल्कोहल का, पोटेबिल नहीं, उत्पादन बढ़ाया जाय । इन संस्तुतियों के आधार पर हमारे यहां पर पहले से सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, अल्कोहल बेस इण्डस्ट्री के लिये विज्ञापन दिये गये पिकप और यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 के जरिये वैसे भी किया । कोआपरेटिव सेक्टर की डिस्ट्लरी बढ़ गयी चीनी मिलों में । जहां अल्कोहल डिस्ट्लरी नहीं थी वहां मिलों में डिस्ट्लरर बढ़ाने की परमिशन दी गयी, सहकारी मिलों में स्टेट शुगर कारपोरेशन की स्टेट सेक्टर की मिलों में, फिर भी शीरे की समस्या बनी हुई है। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है, जैसा बताया गया है 900 मिलियन गैलन लीटर जो शीरा है वह फिर भी सरप्लस रहा उत्तर प्रदेश में, उद्योग विभाग के बजट में बहस नहीं हो पायी शायद इस सम्बन्ध में । यह आम तौर पर कहा गया है कि अल्कोहल बेस इन्डस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगे । हम कोआपरेटिव मिलों में चीनी मिलों में यह सुविधा भी दे रहे हैं डिस्ट्लिरी ज्यादा लगें । भारत सरकार से प्रेरित करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को अल्कोहल बेस इण्डस्ट्री दी जाय। सिंथेटिक केमिकल इण्डस्ट्री बरेली का जिक्र आया, इसका इतिहास मैंने पिछले सालों का देखा है, माननीय मैनेजर सिंह और हम एक साथ जब बैठते थे तब से कई साल यह बन्द रही । बरेली के सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं, वह साक्षी होंगे कि इसको कई बार हम लोगों ने बन्द भी रखा लेकिन बार-बार मजदूरों ने कहा कि इसको खुलवा दीजिए । तब मजदूरों का ध्यान भी रखना पड़ा । वैसे यह कभी एक महीना बन्द रही, कभी एक साल बन्द रही, कभी आठ महीना बन्द रही । यह बन्द इसलिए रही क्योंकि सरकार कठोर रही । बाद में यह फिर मजदूरों के लिए चलानी पड़ी और व्यवस्था करनी पड़ी ।

एक सदस्य–

लाखों किसानों को नुकसान जो हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अरे मैं तो बधाई दूंगा कि औरय्या में 2000 करोड़ रुपये की इन्डस्ट्री आपके यहां लगने जा रही है। आप इन्डस्ट्री का विरोध मत कीजिए । इन्डस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगने दीजिये । हम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन कामधेनु गाय लगने दीजिए । पूंजीपतियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, उनके नाम से तो मैं खुद चौंकता हूं । मैं तो केन्द्र में भी वित्त मंत्री के पद पर रहा और 4 साल तक इन लोगों से बात करता रहा । मैं तो स्वयं जानता हूं कि इन लोगों से बात करने के लिए मुझे मनोविज्ञान बनाना पड़ता था । मैं तो स्वयं डरता था कि पूंजीपतियों से बात करो, पता नहीं यह क्या कह देंगे ? वैसे आप इन्हें पूंजीपति नहीं उद्योगपति कह सकते हैं । आज यह लोग भारत के अरबों-करोड़ों रुपये के कर्जदार हैं, जिन्हें आप पूंजीपति कह रहे हैं, यह कर्जपति हैं । यह बहुत बड़े कर्जदार हैं, लेकिन यह लोग इन्डस्ट्रियलिस्ट अवश्य हैं । अगर हम अपने यहां इन्डस्ट्री नहीं लगायेंगे, तो यह हरियाणा चले जायेंगे, क्योंकि वहां की पालिसी बहुत अच्छी है, पंजाब चले जायेंगे, कहीं और चले जायेंगे । आज अगर आल इन्डिया पालिसी के मुताबिक यू0 पी0 को

लाइसेंस मिलता है, चाहे ज्वाइन्ट सेक्टर में हो, या प्राइवेट सेक्टर में हो, मेरी सलाह यही है कि यहां इन्डस्ट्री लगने दीजिये । वैसे आप सब विद्वान हैं । आज अगर हम नहीं लगायेंगे, तो यह आन्ध्र चले जायेंगे, बंगाल चले जायेंगे । आज बंगाल ने बहुत ठीक काम किया है, उन्होंने कहा है कि बड़े से बड़े उद्योगपतियों को कलकत्ता में लगाओ, बंगाल में लगाओ ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

लेकिन मान्यवर, प्रश्न तो दूसरे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नहीं प्रश्न तो यही है कि जो यह डिस्टलरी हैं, जिनके अल्कोहल से टायर बनते हैं, वही कच्चा माल है । इसलिए अल्कोहल बेस्ड इन्डस्ट्री उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगें । इसमें किसी का नुकसान होने वाला नहीं है । मुझसे भी कुछ लोग डिस्टलरी एसोसियेशन वाले मिले थे, उन्हें डर लग रहा है कि उनके अल्कोहल की खरीद नहीं होगी, उसे कोई नहीं लेगा । आपसे भी मिले होंगे सोमैया वाले, बरेली सिन्थेटिक केमिकल वाले । उन्हें डर है, उनकी खरीद बन्द हो जायगी । मैंने उनसे कहा आप परेशान न हों, आपका अल्कोहल बिकेगा, जो मुलासेज है, वह बिकेगा । लेकिन जहां तक चुनावों का प्रश्न है, अब मैं इस बारे में क्या कहूं ? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कहीं आप सत्ता पक्ष के हैं, और कहीं हम विपक्ष के हैं, आज सभी सत्ता पक्षा के हैं। यह बात आप निश्चय मानिये कि जो लोग आज आपको हमारे यहां बैठे दिखेंगे, वहीं आप हरियाणा चले जायें, वहां भी दिखेंगे । इसमें नाराजी वाली कोई बात नहीं है । आज हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम दूसरे राज्यों में जाकर धन दे सकें । हमारे पुराने छोटे भाई, इसमें चुनाव का कोई प्रश्न नहीं है और इस मामले में मैं यह नहीं कहता कि राजनैतिक दल चुनावों के लिए पैसा इक्ट्ठा नहीं करते, इक्ट्ठा करना चाहिए, नहीं तो लड़ेंगे कैसे ? एक नोट व एक वोट की बात जो अभी एक माननीय सदस्य ने उधर से कही है, उसमें वे लोग भी आते हैं, जिनका उन्होंने उल्लेख किया है । बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं इसका कोई चुनाव आदि से संबंध नहीं है । जब मैं वित्त मंत्री था, तब से यह झगड़ा चल रहा है । कभी हाईकोर्ट में मामला चला गया तो कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि कोर्ट के आदेशों के उपरान्त भी अगर कहीं पर भी कोई वसूलियाबी सरप्लस होगी तो यह शासन आपके सहयोग से वसूली की कार्यवाही करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा । दूसरा, उत्पीड़न की बात श्री मैनेजर सिंह जी ने कही । हमने यह आदेश दे दिए हैं कि किसानों पर जो छोटे-छोटे लैण्ड रेवेन्यू हैं, और उनका उत्पीड़न किया जाता है, इस सारे सिस्टम को रिव्यू किया जाय । यह मैंने राजस्व मंत्री जी से भी कहा है कि इसको कैसे रोका जा सकता है ? वसूली बिना उत्पीड़न के कैसे होगी, जिससे छोटे-छोटे किसानों को परेशानी न हो ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और नेता सदन हर चीज को समझते हैं। लेकिन असली बात को छिपाने की उन्होंने कोशिश की।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सोमैय्या सिन्थेटिक पर जो टैक्स बकाया है, वह माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगित है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अल्कोहल ज्यादा देने के लिए कोई स्टे नहीं है। दूसरी तरफ उनके लाइसेंस के निरस्त्रीकरण की कार्यवाही करनी होगी। हमारी फैक्ट्री दूसरे सूबे में चली जायेगी, ऐसा कह कर उनके मनोबल को और ऊंचा कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि जो वह देना भी चाहते होंगे, वह भी अब नहीं देंगे। इस पर कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि औद्योगिक नीति के हम भी खिलाफ नहीं हैं। उद्योग चलायें जायें, इससे हमारा कहीं पर भी विरोध नहीं है, लेकिन हम छोटे उद्योगों के समर्थक हैं। इन उद्योगों पर जो बकाया है, सार्वजनिक रूप से यह बयान देना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वह दूसरे सूबे में चले जायेंगे, जिससे आप पूंजीपतियों का मनोबल और बढ़ गया है। यह सरकार पूंजीपतियों के चंगुल में फंस गयी है। आपने कहा चुनाव कैसे लड़ा जायेगा ? हरियाणा में तो आपने देख ही लिया है। हमें चुनाव हारना मंजूर है, लेकिन हमें पूंजीपतियों का पैसा लेना मंजूर नहीं है। पूंजीपतियों के इशारे पर यह सरकार चल रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सोमैया ने हाईकोर्ट से स्टे आदेश ले लिया है, इसलिए उनसे वसूलियाबी नहीं हो सकती है। छोटे-छोटे किसानों पर जो लगभग डेढ़ अरब रुपए बकाया है, वहीं आज आपके जो बड़े उद्योग हैं, उन पर 6 अरब रुपए बकाया है। बड़े लोग तो कोर्ट से स्टे ले आते हैं और छोटे-छोटे किसान हैं, वे लोग स्टे नहीं ला पाते हैं, उन पर आप उत्पीड़न की कार्यवाही करते हैं। जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। सदन का त्याग करना ही उचित समझता हूं।

(नेता विरोधी दल ने भी सदन का त्याग किया।

जनपद हरदोई में बनने वाली नवीन तहसील का मुख्यालय पाली के बजाय हरपालपुर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री हरदेव के खड़े होने से व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो सदन के द्वारा निर्वाचित माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित कमेटियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं वे सदन का लघु रूप हैं । उनको भी वही विशेषाधिकार हैं, जो सदन को प्राप्त हैं । इसी सम्बन्ध में एक जानकारी देना चाहूंगा । याचिका समिति में याचिका संख्या 16/88-हरदोई में नई बनने वाली तहसील का मुख्यालय पाली के बजाय हरपालपुर में रखने के सम्बन्ध में याचिका प्रस्तुत की गयी थी । उस पर याचिका समिति ने विचार किया । याचिका समिति ने अपनी 20 दिसम्बर की बैठक में इस पर निर्णय लिया और याचिका समिति का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो गया । याचिका समिति ने लिखा था कि "विचारोपरान्त यह संस्तुति की जाती है कि शासन राजस्व परिषद् के किसी सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इस प्रश्न पर पुनर्विचार करायें जो नई प्रस्तावित तहसील के मुख्यालय के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों, मुख्यालय की तहसील के विभिन्न भागों से दूरी, आवागमन के साधन, भवनों आदि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विचार करके तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।"

अभी तीन माह बीते नहीं, सरकार ने समिति गठित की नहीं । बिना इन सब बातों पर विचार किये हुए मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक आदेश पारित कर दिया कि उस तहसील का मुख्यालय पाली में कर दिया जाय । उस कमेटी के गठित किये बिना, उसकी रिपोर्ट आये बिना अगर पाली में मुख्यालय बनाने का आदेश पारित किया गया है तो मुख्य मंत्री द्वारा जानबूझकर उस कमेटी की और इस सदन की अवमानना की गयी है । अभी तीन महीने बीते नहीं थे, होना यह चाहिये था कि वह कमेटी बनती और अपनी रिपोर्ट देती तब मुख्यालय बनाया जाता, किन्तु मंत्रि परिषद् के एक सदस्य के दबाव में आकर यह काम किया गया है । इससे हमारे अधिकारों का अतिक्रमण होता है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को आदेश पारित करने चाहिये थे? यदि नहीं, तो क्यों पारित किये? यदि पारित कर दिये हैं तो सदन में आश्वासन देंगे कि आदेश वापस लेते हैं और कमेटी गठित करते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वैसे यह प्रकरण तो सरकार में विचाराधीन है । जहां तक कमेटियों की संस्तुतियों का प्रश्न है, सरकार उनका पूरा आदर करती है और जहां तक संभव होता है, प्रशासनिक मामलों में भी समितियों का गठन करते हैं, जहां तक आज औचित्य का प्रश्न रखने की बात है आप नियम 300(5) को देखें तो यह औचित्य में नहीं आता है । उन्होंने कहा है कि तहसील का हेडक्वार्टर क्या रहेगा, उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश पारित कर दिये हैं, यह भी निश्चित नहीं है । इसकी जानकारी मंगा रहा हूं, पूरी जानकारी आने पर याचिका समिति की संस्तुति को भी सामने रखेंगे और उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे । मा0 सदस्य को भी सूचित करेंगे कि क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने कहा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश पारित कर दिये हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा करूंगा कि यदि मा0 मुख्य मंत्री जी ने भूलवश या चूकवश आदेश कर दिया है तो रोक दिया जायगा, ऐसी घोषणा करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

जब सम्मानित सदस्य ने मामला सम्मानित सदन के सामने उठा दिया और सरकार की तरफ से कहा गया कि विचार किया जायगा, तो यह सारा प्रकरण विचाराधीन है तो

इस समय उस पर कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मथुरा जनपद के दो परगनाधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो परगनाधिकारियों के बारे में घोषणा की थी कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करके वे एक सप्ताह में सदन को बतला देंगे कि जिलाधिकारी, मथुरा को क्यों नहीं सजा दी जा रही है? 10 मार्च को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि दो-तीन दिन में हम सदन को बतला देंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में न तो हमें और न ही सदन को अवगत कराया गया है कि सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में दिया था उसके हर अक्षर का पालन किया गया है । जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर आश्वासन दिया था उसके बाद एस0 डी0 एम0, श्री अंजोर जो कि परगनाधिकारी छाता थे, उन्हें निलम्बित करके और उसके बाद उनको आरोप-पत्र दे कर, मुख्य विकास अधिकारी की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं । जहां तक श्री अंजोर के निलम्बन का प्रश्न है, इसकी सूचना राजस्व परिषद् को भी दे दी गयी है । श्री बसन्त लाल को भर्त्सना की प्रविष्टी दे दी गयी है और यह कार्यवाही भी हो गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन को औचित्य के रूप में उठाया नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया था सदन में, उसके अनुसार कार्यवाही कर दी गयी है ।

विधान सभा के विरोध पक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो मैंने औचित्य की सूचना दी है उसके अनुसार जितने सदस्य यहां चुन कर आते हैं वे सभी भारतीय संविधान के प्राविधानों के अनुसार ही चुन कर आते हैं चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या चाहे विपक्ष के सदस्य हों, लेकिन होता यह है कि विपक्षी सदस्यों के क्षेत्रों में होने वाली विकास योजनाओं को सरकार नजर अन्दाज कर देती है क्योंकि वे सरकार की आलोचना करते हैं, सरकारी मशीनरी के तहत होनी अनियमितताओं के तथ्यों का पर्दाफाश करते हैं, आलोचना करते हैं । यद्यपि भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जब विपक्ष का सदस्य या सत्ता का कोई सदस्य आलोचना करेगा तो उसे सरकार आरोप नहीं मानेगी और उस पर कोई आरोप नहीं बनेगा । लेकिन होता यह है कि विपक्ष के सदस्य को आलोचना के कारण ही राज्य सेक्टर की योजनाओं में वरीयता नहीं दी जाती है और विकास योजनाओं का कोई कार्य उसके क्षेत्र में नहीं किया जाता है । कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि जिलाधिकारी की मातहती में बैठना नहीं पसन्द करते हैं उनके भी कार्य जिला योजनाओं में सफर करते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा की कार्यवाही के माध्यम से हम लोग अनेक बार जो ऐसे विचार प्रकट करते हैं सुझाव देते हैं सरकार उनको नजर अन्दाज कर देती है । मैं उदाहरण के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं कि यहां पर पी0 डब्लू0 डी0 के मंत्री जी बैठे हुए हैं और वे ही अभी औचित्य के प्रश्न का उत्तर भी संयोग से देंगे, मैंने उनसे कहा है कि हमारे क्षेत्र में राज्य सेक्टर की कोई सड़क नहीं है, यह मैंने उनको लिख कर भेजा था, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री अभी यहां बैठे थे, अब उठ कर चले गये हैं, उनका शैडों जो है उसके गांव तक सड़क मंजूर हो गयी है, एक सिपाही की बात मान ली गई विधायक की नहीं लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई । इसलिए मैं चाहता हूं कि विधान सभा का सदस्य चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको आप संरक्षण दें । इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, माननीय हृदय नरायन दीक्षित जी ने जिस सड़क के बारे में कहा है, मैं उसको दिखलवाऊंगा । राज्य सेक्टर की सड़क के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कहां-कहां के लिए लिया जायेगा, उनके क्षेत्र की सड़क जिसके बारे में उन्होंने कहा है, मैं देखूंगा कि जो नहीं बनी है उसे बनना चाहिए । लेकिन जो प्रश्न उठाया गया है, वह औचित्य में किसी भी तरह से नहीं आता है और एक चीज सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जिले के अंतर्गत जितनी भी समितियां बनी हुयी हैं, चाहे वह सलाहकार समिति हो, वहां पर माननीय सदस्यगण बैठते हैं, और उनमें हर मसले में निर्णय होते हैं और बजट का एलोकेशन डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है ताकि जो प्लानिंग राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उनमें बहुत सी चीजें स्थानीय स्तर पर मालूम नहीं हो पाती हैं, इसलिए वर्ष 1981 में यह योजना बनायी गयी थी, उसके अनुसार यह सारी चीजें वहां भेज दी जाती हैं ताकि वहां पर डी0 आर0 डी0 ए0 व अन्य जितनी भी समितियां हैं, उनकी जानकारी में आ सके और उसके हिसाब से आगे के कार्य किए जा सकें । और अगर किसी मामले में यह बात वहां नहीं देखी जा सकी तो राज्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जा सकता था, इसलिए जो माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उसे मैं अन्य क्षेत्रों में भी और विशेष तौर पर इनके क्षेत्र में भी दिखवा लूंगा, लेकिन यह औचित्य में किसी भी तरह से आता नहीं है ।

ठक्कर आयोग के सम्बन्ध में नियम 3/11 के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् हमारा जो औचित्य का प्रश्न है, वह उस प्रस्ताव से सम्बन्धित है, जिसके कारण दो दिनों तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही और पूरा सदन पूरे तौर पर अव्यवस्थित रहा, लेकिन आपने ऐसी स्थिति में भी कृपा करके वह बजट पास करा दिए । इन दोनों दिनों में बराबर मैं बड़ी गम्भीरता पूर्वक उस प्रस्ताव को पेश करने का प्रयास करता रहा और माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में भी गया और वहां भी उनसे अनुरोध करता रहा, लेकिन कहीं कोई बात सुनी नहीं गयी जबकि उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी जो प्रशंसनीय हो और वह प्रस्ताव हर तरह से संविधान सम्मत था, नियमों के विपरीत नहीं था और सदन के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं था, इसलिए श्रीमन् हम लोग समझ नहीं सके कि कौन

से ऐसे कारण थे, जिससे आपने उसे पेश करने की अनुमति भी नहीं दी । मैं आपकी अनुमति से ही यह प्रस्ताव रख कर ध्यान आकर्षित करना चाहा था कि "यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि व्यापक राष्ट्र हित और जनता की जानकारी के लिए ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए ।" और इस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में और है क्या ? हमारे देश की प्रधान मंत्री की जो निर्मम हत्या हुयी थी उस निर्मम हत्या से सारे देश के निवासी मर्माहत होकर रह गये थे और इस घटना को लेकर जगह-जगह पर जो अन्य घटनाएं घटीं और थोड़े समय के लिए हर चीज बेकाबू हो गयी थी, इसी पर ठक्कर आयोग गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए, किन कारणों से हमारे देश के प्रधान मंत्री की हत्या हुयी, मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी ऐसी बातें थीं हमारे प्रस्ताव में जो प्रदेश के साढ़े 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह सदन उससे सिफारिश का एक प्रस्ताव लाने में क्या परेशानी थी और इस पर आपके आसन से जो निर्णय दिए गये, वह आगे आने वाली पीढ़ी में एक भ्रम पैदा करेंगे जो उसको पढ़ेंगे और सोचेंगे कि प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन क्या भारत सरकार से इतना भी सिफारिश करने का अधिकार नहीं रखते हैं कि वह इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकें । जबकि मान्यवर अब इस देश के प्रधान मंत्री ने इसे मान लिया है और उस रिपोर्ट को संसद के सामने केन्द्र सरकार रखने जा रही है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है आपने जो उस रोज अपनी पीठ से निर्णय लिया, वह नहीं लिया जाना चाहिए था कि क्योंकि वह प्रस्ताव कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि संविधान सम्मत नहीं था, या नियमों के विपरीत था या यह इस सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी, इस प्रकार से हमारे अधिकारों की बजाए रक्षा करने के कुठाराघात किया है, इसलिए श्रीमन्, आपके आसन से यह शंका हो गयी है कि अब भविष्य में आने वाली पीढ़ी इस सदन के अधिकारों के प्रति भ्रमित होगी आपके ऐसा करने से । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय पर, अपनी उस दिन की व्यवस्था पर पुनर्विचार करें । यह प्रस्ताव जो था उसे लाने का अधिकार मुझे था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे कोई नयी बात नहीं कहनी है, जो बात तिवारी जी ने की है, उसी में जोड़ना है –

जान बूझकर जिसे दबाया जाता है,
दबने वाला उठकर खूब सताता है ।
रपट दबाई गयी उठी ले हंगामा ।
[x x x]
चित्त पड़ी सरकार लगाई ऐसी टक्कर ।
दबी रपट एवं बोल रही है, ठक्कर-ठक्कर ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि कार्यवाही का

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अंग बनने लायक नहीं है । इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए । जो उन्होंने कहा है वह प्रापर नहीं है । संसदीय नहीं है, जो लाइनें हैं, वह प्रापर नहीं है । आप इसको देख लें और कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या असंसदीय है ? टक्कर और ठक्कर कहा है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं समझता हूं कि गुप्ता जी स्वयं मेरी बात से सहमत होंगे । मुझे पता नहीं उनकी स्ट्रेट जी क्या है ? हम दूसरे का [xxx] के लिए नहीं आये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह तो कहावत है । वह परेशान हो गये । इसमें कोई असंसदीय बात नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें । जो औचित्य का प्रश्न दिया है, जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा, दो दिन तक सदन नहीं चला और अखबारों में आया कि सदन न चलने के कारण जनता की कमाई का करोड़ों रुपया बरबाद हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि दो दिन आपकी पीठ से प्रस्ताव को रखने के लिए अनुमति नहीं मिली और उसके कारण सदन नहीं चला और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, तो उसका भुगतान कौन करेगा ? क्या वह संविधान सम्मत नहीं था, क्या वह नियमावली के विरुद्ध था, किन कारणों से आपने उसे नहीं आने दिया। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जो अखबारों में आया है, उससे ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष के कारण ऐसा हुआ है, प्रतिपक्ष के हल्ला करने से सदन नहीं चला और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, [x x x] आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने और चौधरी साहेब ने एक प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि उनके सामने नियमावली होगी और उसका नियम 311 उनके सामने होगा । इस सम्बन्ध में मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 803 से पढ़ना चाहता हूं । -अंग्रेजी में है, मैं इसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा–ए मेम्बर मे विथ दि कन्सेंट आफ दि स्पीकर मूव दैट एनी रूल मे बी ससपेन्ड इन इट्स एप्लीकेशन टू ए पार्टीकुलर मोशन विफोर दि हाउस एन्ड इफ दि मोसन इज कैरीड दि रूल इन क्वेश्चन इज सस्पेंडेड फार दि टाइम बीइंग आफटर ए मोसन अन्डर ए पार्टीकुलर रूल हैज बीन मेड ए मोशन फार सस्पेशन आफ दैट रूल कैननाट बी मूव्ड।

दि स्पीकर एलोन इज वेस्टेड विथ दि पावर टू गिव हिज कन्सेन्ट टू दि मूविंग आफ ए मोसन फार सस्पेशन आफ ए रूल नो रेफरेंस टू दि रूल्स कमेटी इज नेससरी इन दि मैटर एन्ड इट इज फार दि हाउस टू डिसाइड वेदर ए पार्टीकुलर रूल सुड बी सस्पेन्डेड आर नाट कनसेंट गिवेन बाई स्पीकर फार मूविंग ए0 मोसन फार सस्पेशन आफ रूल्स कैननाट बी क्वेश्चन ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर उसके अन्दर यह भी है कि स्पीकर को यह अधिकार है कि वह अपना निर्णय इसके ऊपर दे दे । वह किसी कमेटी के सामने नहीं रखा जायेगा जो निर्णय माननीय अध्यक्ष या पीठ का होगा । उसको किसी तरह से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है ।' यह हमारी नियमावली के नियम 311 में भी है । वह मैं पढ़ना नहीं चाहता । जब एक निर्णय दे दिया गया है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जायेगा । यह सारी चीजें उस वक्त उठायी जा सकती थीं जिस वक्त वह प्रस्तुत किया गया था । निर्णय 311 में दे दिया गया था। मान्यवर, यही प्रोसीजर लोक सभा में भी है और यही आकिंसन की पुस्तक में दिया है। हाउस आफ कामन्स में भी यही प्रोसीजर है । इसलिए मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । इस निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मंत्री जी ने कौल और शकधर का जो अंश पढ़ा है उसी के अन्त में यह भी लिखा है कि सदन इस बात का निश्चय करेगा कि कोई नियम सस्पेंड होगा या नहीं । मेरा अनुरोध यही था कि उसे सदन के सामने रखा ही नहीं गया है । मंत्री जी कौल और शकधर के उस अंश को पढ़कर यदि यह अर्थ निकालते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अम्मार रिजवी–

इसमें लिखा है कि दि स्पीकर इज वेस्टेड विद दि पावर्स टु गिव हिज कंसेन्ट- स्पीकर को पूरा अधिकार है कि वह अपनी राय अपना फैसला इसमें दे । टु दि मूविंग आफ ए मोशन इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा जाय या न रखा जाय, फोर सस्पेंशन आफ ए रूल किस नियम को निलम्बित किया जाय? इट इज नोट फोर दि हाउस टु डिसाइड हवैदर द पर्टिकुलर रूल शुड बि आर नोट । माननीय तिवारी जी जो बात कह रहे हैं वह इसी लाइन के बारे में कह रहे हैं । मान्यवर, वे एक वकील हैं । लेकिन इसके लिये प्री-कंडीशन्स क्यों होंगी, प्री रिक्वीजिट्स क्या होंगी वह आपकी पीठ से आयेगा । इस सदन में कोई सदस्य आता है तो वह चुनाव के बाद आयेगा, उसकी एक प्रक्रिया है, प्री कंडीशन्स हैं । इसलिये जब यह प्री-कंडीशन्स या प्री रिक्विजिट्स पूरी हो जायेंगी तब यह पार्ट आता है । जब अध्यक्ष ने इजाजत नहीं दी तब इस बात का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब तक माननीय अध्यक्ष सुनेंगे नहीं . . . (व्यवधान) । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष सुनने के बाद ही तो कोई व्यवस्था देंगे कि किसको करें किसको न करें ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह कहां है?

श्री मुहम्मद आजम खां–

जब आपने सुना ही नहीं तो व्यवस्था किस बात की?

नेता, विरोधीदल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दी है ।

उन्होंने इस बात के लिये कहा है कि हम विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग और स्वयं आप भी यानी हम सभी नियमावली से और संविधान से बंधे हुये हैं । आज औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपने इस बात का आग्रह किया है और यह चाहा है कि उन दिनों जब 311 के निलम्बन का प्रस्ताव आया था तो वह बगैर सदन में प्रस्तुत हुये यह आपका अधिकार नहीं है कि आप कोई निर्णय ले लें । इसलिये तिवारी जी का कहना है कि उस प्रस्ताव में कौन सी असंवैधानिक बात थी या कौन सी बात नियमों के प्रतिकूल थी जिसके आधार पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया? यह सदन में आता उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार बहुमत या अल्पमत के आधार पर किया जाता वह दूसरी बात होती । आने वाली पीढ़ियां इस बात को जान सकें कि किस आधार पर अस्वीकार किया गया वह कौन सी कमियां थीं जिनके तहत आपने 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । अगर कोई कमी नहीं है तो अनुरोध है कि आप अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार कर लें । ऐसा पहली बार ही नहीं हो रहा है कि पुनर्विचार के लिये कहा गया हो, पुनर्विचार हुआ भी है । इसलिये तिवारी जी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये अपने उस पूर्व निर्णय पर विचार कर लें । कोई आर्बिट्रेरी निर्णय नहीं होना चाहिये ताकि भविष्य में कोई कमी न रह जाय । आप निडर होकर अपनी व्यवस्था दें और वह जो 311 के तहत प्रस्ताव है वह सही है । इससे संसदीय परम्पराओं की रक्षा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज संसद में ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पेश हो रही है । अच्छा यह होगा कि यह प्रकरण यहीं समाप्त किया जाय (व्यवधान) अब इस पर क्या निर्णय होना है जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष ने सहमति नहीं दी अब उस पर क्या हो सकता है? पेश करने की अनुज्ञा नहीं दी तो फिर अब उनके निर्णय पर क्या कहना है उस पर कुछ कहना 314 के प्रतिकूल होगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

311 के उस प्रस्ताव में क्या कमी थी जिसके कारण माननीय अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब एक निर्णय अध्यक्ष जी ने ले लिया तो उसे चुनौती कैसे दी जा सकती है?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश–

मैंने एक सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह सूचना मेरे पास है, पहले वर्मा जी को सुन लें । (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

जो 311 में नहीं आया उसमें क्या कमी थी (व्यवधान) इसमें आपने क्या निर्णय लिया?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

दो दिन जो सदन नहीं चला (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो निर्णय हो चुका है उस पर क्या विचार होगा ? (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

आज हम नये सिरे से 311 में नहीं उठा रहे हैं (व्यवधान) किन कारणों से वह अस्वीकार हुआ ? यह भविष्य के लिए मिसाल बनेगी इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर फिर से विचार कर लें. . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह निर्णय दे दिया है । (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

यह बतायें कि उसमें क्या कमी थी ? हम इस व्यवस्था के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं (व्यवधान) सदन की इस भावना से अध्यक्ष जी को अवगत करा दीजिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अवगत करा दूंगा ।

(माननीय नेता विरोधी दल अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने का निर्णय लेने से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की उपेक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, संविधान में व्यवस्था की गयी है जिसमें तीन सूचियां बनाई गयीं हैं केन्द्रीय सूची, राज्यों की सूची और समवर्ती सूची इनमें अधिकारों की सीमा तय की गयी है । इस समय केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में और जनवादी विकेन्द्रीकरण के बारे में चिन्ता व्यक्त की जा रही है । इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कहा कि यदि संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी तो वह भी किया जायेगा । और इसी के साथ अन्य कदम भी उठाये जायेंगे । इस सिलसिले में प्रयास भी सामने आये हैं । पंचायतों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन बुलाये गये, इससे पहले जिलाधिकारियों की कई बैठकें हुईं और इसके बाद कैबिनेट सब-कमेटी भी बना दी गयी । कई मुद्दों पर देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार सीधे ग्राम स्तर तक पंचायतों के माध्यम से जा रही है और राज्य सरकार के अधिकारों पर हस्तक्षेप किया जा रहा है । यह चुनावी साल होने के कारण टुकड़े फेंक कर केन्द्र सरकार तानाशाही का ताना-बाना बुन रही है । राज्य सरकारों को नकारा जा रहा है इस तरह से एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। भाषायी आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया और एक संघीय ढांचा बनाया गया उसको भी नकारा जा रहा है राज्य सरकारों के अधिकारों को केन्द्र सरकार खोखला कर रही है जिससे एक अहम सवाल पैदा हो गया है कि यह सब क्यों किया जा रहा है। यह इसलिए कर रहे हैं कि एक के बाद एक प्रान्त इनके हाथ से अलग होते जा रहे हैं जैसे आन्ध्र प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु अलग हो गये हैं और इस खतरे से यह आगाह है कि दूसरे प्रान्त भी इनके हाथ से निकल जाने की स्थिति में आ रहे हैं । इसलिए केन्द्र में बैठ कर गांव सभाओं और जिला निकायों में हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार की जा रही है । यह तानाशाही पूर्ण कदम लोकतन्त्र के

लबादे में उठाया जा रहा है । इसलिए इस गम्भीर प्रश्न पर औचित्य का प्रश्न बनता है, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री काशी सिंह एरेरी–

मान्यवर, वर्मा जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, राज्य और केन्द्र के अलग-अलग विधायी क्षेत्र हैं और सूचियां हैं, इसमें मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि यह सारी प्रक्रिया चल रही है कि उसमें पंचायत राज को और सुदृढ़ बनाने एवं विकेन्द्रीकरण के नाम पर केन्द्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारों को अलग करके दिल्ली में बैठे-बैठे एक फरमान जारी कर सारे जिले और गांव उसके अधिकार क्षेत्र में आ जायं । यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है । मान्यवर, दूसरा गम्भीर प्रश्न यह है कि यह सारी बातें हो चुकी हैं । जिलाधिकारियों और पंचायतराज संस्थाओं का सम्मेलन बुला लिया गया लेकिन राज्य सरकारों से कोई इसमें राय नहीं ली गयी । हमारे सदन और दूसरे राज्यों के सदन चल रहे हैं लेकिन किसी राज्य सरकार को भी इस विषय पर विचार विमर्श करने और उसको भावना जानने के लिए केन्द्र सरकार ने नहीं लिखा है और न राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लायी गयी है । आज मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि पंचायतराज का बजट है तो जो सुझाव आ जायेंगे उनको केन्द्र सरकार को भेज देंगे । लेकिन इतने गम्भीर विषय पर यहां चर्चा करने का मौका क्यों नहीं दिया गया ? इसलिए यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का जो यह प्रयास है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपकी बात हो गयी, आप बैठ जायं ।

श्री काशी सिंह एरेरी–

इसलिए इस प्रक्रिया में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस पर क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)–

उपाध्यक्ष महोदय, औचित्य के प्रश्न के रूप में श्री वर्मा जी और श्री काशी सिंह एरेरी ने जो प्रश्न उठाया है मैं समझता था कि इस पर बधाई देंगे क्योंकि एक बात जो बहुत दिनों से सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है उसमें पंचायती राज को और ग्राम सभाओं को पूरे अधिकार नहीं मिले हैं जो वहां तक अधिकार पहुंचने चाहिए और ज्यादा अधिकार देने चाहिए । मान्यवर, केन्द्र सरकार ने जो किया उसमें दो प्रश्न उठाये गये। एक कहा गया कि केन्द्र सरकार को यह बात कहने का अधिकार नहीं था दूसरे कहा गया कि जिला अधिकारियों की आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो भी अधिकारियों की मीटिंग दिल्ली में हुई, केन्द्र सरकार ने किया, वह सारी कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकारों के माध्यम से हुई और डाइरेक्ट अधिकारियों को निमंत्रण नहीं आया था । इसी तरह से जिलाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी तो वहां प्रदेश के मुख्य मंत्री भी मौजूद थे । मान्यवर, यह भी कहा गया कि केन्द्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वहां संविधान में संशोधन किया जाये, तो संविधान के बारे में एक बात

जो माननीय सदस्य ने उठाई है उससे जस्टीफाई हो जाती है कि संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकार केन्द्र सरकार को है और यह बात केन्द्र सरकार ने कहकर एक बात जस्टीफाई कर दी है कि यदि कोई स्थिति ऐसी आती है, तो उसके लिए केन्द्र सरकार संविधान में संशोधन करेगी। जब वह करेगी तब प्रदेश सरकार को कान्फीडेंस में लिया जाना लाजिमी है। यह भी कहा गया कि जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, उनका असर ग्रामों तक पहुंचे और यदि केन्द्र सरकार में यह कहा जाता है कि ग्रामों की स्थिति ठीक हो तो क्या यह इससे स्टेट लिस्ट पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होगा ? यदि केन्द्र सरकार से यह कहा जाता है कि प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति दुरुस्त हो, क्योंकि यह राज्य का विषय है, तो क्या यह उस स्टेट लिस्ट पर किसी प्रकार का हमला होगा? यह नीति विषयक बात है और इसके लिए केन्द्र सरकार को उन्हें बधाई देनी चाहिए कि उसने जागरूक होकर, गतिशील और सक्रिय होकर इस पर विचार किया है और कदम उठाये हैं। गांधी जी के सपनों का भारत तभी साकार होकर सामने आएगा जब ग्रामसभाएं और ग्राम पंचायतें अच्छी तरह से, मजबूती के साथ एक्टीविटाईज हों, सक्रिय हों, जैसे आज से 3-4 हजार साल पहले भारत में थीं। इस तरह औचित्य का यह प्रश्न उठता नहीं। हमारी सरकार उससे प्रभावित नहीं हो रही है, इसको उठाया नहीं जा सकता है। राम आसरे वर्मा और एरी जी ने जो यह प्रश्न उठाया है, उन्हें तो उल्टे केन्द्र सरकार को इसके माध्यम से इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए। मैं आशा करता था कि यह इसके माध्यम से केन्द्र सरकार को बधाई देंगे और मान्यवर, आप उस बधाई को वहां तक पहुंचायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 में कोई सूचना नहीं आती है, इसलिए सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

इस संबंध में जिस तरह से मसले को सरकार की ओर से टालने का प्रयास किया गया है, उसकी तरफ मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पंचायती राज और जिला निकाय जो हैं, यह दोनों मसले राज्य सूची में आते हैं, तो इनके सिलसिले में राज्य सरकार की क्या भूमिका है, मंत्री जी यह बता दें। जो भी केन्द्र सरकार के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उसमें राज्य सरकार की भूमिका का किस तरह निर्धारित किया जा रहा है, यह हमें उनसे पूछना है।

विद्युत वितरण खण्ड सीतापुर के अधिशासी अभियंता श्री सक्सेना एवं विद्युत कर्मियों द्वारा श्री बरियाव हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उनके घर की बिजली पानी के कनेक्शन काटने व फर्जी रिपोर्ट लिखाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं आपका ध्यान एक बहुत गम्भीर मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य सीतापुर, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के साथ जो दुर्व्यवहार 23 मार्च, 89 को सीतापुर में किया गया था, उनको यह धमकी दी गई कि इस सवाल को विधान सभा में न उठाया जाए। इस तरह के कई और मामले सदन में, माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार के आ चुके हैं और इस तरह के मामलों में हमेशा गृह मंत्री और सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिलता है कि विधायकों की सुरक्षा के लिए सारी कार्यवाही की जाएगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। 23 मार्च को 1 बजे दिन में जब वह बिजली विभाग में बुनकरों को उनकी समस्याओं के बारे में लेकर गये थे वितरण शाखा के कोई अधिकारी श्री सक्सेना के पास, यह कहने कि उनके बिल गलत हैं, जरूरत से ज्यादा आये हैं, तो उनके साथ वहां पर घोर दुर्व्यवहार किया गया और इतना ही नहीं उनको दफ्तर से निकाल दिया गया और उनके साथ गये साथियों को भी निकाल दिया गया। इतना ही नहीं उनके विरुद्ध थाना कोतवाली में तोड़फोड़ की एक फर्जी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इसके बाद शाम को उन लोगों ने अधिशासी अभियन्ता के कहने पर उनके मकान की बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए। यह उस समय किया गया जब उनकी पत्नी और बच्चे तथा दूसरे परिवार के लोग भी घर पर मौजूद थे। तो इसे देखकर ऐसा लगा कि इस समय कोई कानून व्यवस्था का राज नहीं है। इसके बाद पूरे सीतापुर में बिजली कर्मचारियों ने उस इंजीनियर के कहने पर हड़ताल कर दी। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो यह फिर दुबारा कहना पड़ रहा है कि इस समय कानून का राज्य नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। संसदीय कार्य मंत्री जी सीतापुर से संबंधित हैं, इससे बड़ा आघात विधान सभा के सदस्यों को और कोई नहीं लग सकता है पूरे के पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाए, चूंकि जनता की समस्याओं को लेकर विधायक गये थे और उसके बाद उन्हें धमकी दी जाए कि विधान सभा में अगर यह सवाल उठा तो इससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया जाएगा तो विधान सभा और विधान सभा के सदस्यों के लिए इससे ज्यादा अपमान की बात क्या हो सकती है? मेरी मांग है कि के0 पी0 सक्सेना को तत्काल सदन में बुलाया जाए और उनके घर का जो बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन काटा गया इसकी जांच कराई जाए और के0 पी0 सक्सेना का तत्काल ट्रांसफर किया जाए और जो उन्होंने सदन का अपमान किया है इसके लिए उन्हें तत्काल सदन में बुलाया जाए।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बुनियाद जी के अलावा और सदस्यों को भी इस विषय पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बुनियाद जी को बुला लिया है।

श्री सोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, बहुत से बुनकर वहां गये, यह बहुत से बुनकरों से सम्बन्धित मामला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बुनियाद जी को बुला लिया है। उनको ज्यादा जानकारी है कि आपको ज्यादा जानकारी है?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, सीतापुर जनपद में जो मेरा विधान सभा का क्षेत्र है कस्बा खैराबाद वहां दस दिन से हड़ताल चल रही थी उस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए मैं गया और जिलाधिकारी को ज्ञापन 23 तारीख को सवा 11 बजे उनके निवास स्थान पर दिया। उस ज्ञापन में एक सूत्र यह भी था कि जो बुनकरों के ऊपर औद्योगिक रेट (कामर्शियल रेट) पर गलत आंकलन करके बिल में धन अधिक लगाकर भेज दिया गया। लाइट एण्ड फैन पर बिल कनेक्शन चार्ज 85 पैसे था वही लगाया जाए। हथकरघा में बिजली का प्रयोग नहीं होता है। माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने कहा अगर गलत लगे हैं तो उसको ठीक किया जाएगा। इस समस्या का मैमोरेण्डम लेकर हम और बुनकर लोग अधिशासी अभियन्ता के यहां कार्यालय में गये। बुनकर लोग वहां नारे लगाने लगे कि "बुनकर एकता जिन्दाबाद" "बुनकर एक्शन कमेटी जिन्दाबाद" बिजली के दाम कम करो, हमारे साथ इंसाफ करो, मान्यवर, मेरी बात शुरू भी नहीं हो पाई कि सारे (इम्प्लाइज) कर्मचारीगण इकट्ठा होकर अन्दर घुस आए और काउन्टर नारे लगाने लगे, और बुनकरों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। मान्यवर, जब मैंने देखा कि मामला बढ़ जाएगा और मारपीट हो जाएगी तो मैं सारे लोगों को लेकर बाहर आया जब एम्प्लाइज बुनकरों को धक्का देने लगे तो मैं उनको लेकर बाहर आ गया। उसके बाद वहां सभा हुई उसमें नियोजित ढंग से मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लिखाई गई और मुझे धमकी दी गयी कि यदि इस मामले को उठायेंगे तो इससे ज्यादा करेंगे। उन लोगों ने कोतवाली में जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखायी। उन्होंने क्या रिपोर्ट लिखायी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद वह लोग एक जुलूस की शक्ल में मेरे घर पर पहुंचे और मेरे घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया, पत्नी का कनेक्शन काट दिया और बड़ा उपद्रव किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां थे उनको गालियां दीं और अपशब्दों का प्रयोग किया। मान्यवर, इतना ही नहीं हमारे घर में खंभे से जो केबिल जाता है उसको निकाल कर ले गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोतवाली में जो रिपोर्ट लिखायी गयी है उसके आधार पर मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी इस तरह की फर्जी रिपोर्ट लिखाई है लिखाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी। अगर नहीं की जायगी तो इस तरीके से आये दिन हम सदस्यगण अपमानित होते रहेंगे, और इसको हम कहां तक बर्दाश्त करते रहेंगे।

मान्यवर, यह हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं थी जिसके लिये मैं कार्यालय गया था यह बुनकरों की जायज बात थी उनकी मांग सही थी जिसके लिये मैं गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कामर्शियल रेट से बुनकरों के बिल नहीं भेजे जाते लेकिन खैराबाद, सीतापुर में जहां एक भी पावर लूम नहीं लगा है उसके बावजूद भी

कामर्शियल रेट पर बिल भेजे जा रहे हैं ; अगर कोई सही बात कहने जायें तो कर्मचारी हमारा मुकाबला करें, कर्मचारियों के जरिये बुनकरों को पिटवाया जाय, गालियां दिलवायी जायें, अपशब्दों का प्रयोग किया जाय इससे ज्यादा अपमानजनक बात और नहीं हो सकती है । मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरा अपमान किया गया क्योंकि मेरे घर का कनेक्शन काटा गया, कनेक्शन काटने की कोई वजह नहीं थी । जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को लेकर मैं कार्यालय गया था । इसके बदले मेरे घर का कनेक्शन काटा गया । मेरे बच्चे हाई स्कूल का इम्तहान दे रहे हैं । मेरे यहां अंधेरा है । यदि कोई अप्रिय घटना हो सकती है । जिस तरह से गुण्डा एलीमेंट उनके साथ हैं, अगर कोई डकैती हो जाय, चोरी हो जाय या अप्रिय घटना हो जाय तो उसकी जिम्मेदारी मान्यवर, उन्हीं की होगी जिन लोगों ने मेरे घर में अंधेरा किया है । मान्यवर, मैं इंसाफ चाहता हूं और इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं । जिन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट लिखाई है, इस तरह की रिपोर्ट लिखाने वाले को सदन में पेश किया जाय और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही यहां पर की जाय ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

हम तो डंडा छेक लें, आप कोई सुझाव तो दें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, आप सुनते ही नहीं हैं । आप सुन तो लें ।

मान्यवर, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि सीतापुर एक बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है । वहां बुनकर लोग हथकरघा पर काम करते हैं । हथकरघा विद्युत से नहीं चलता है । पावरलूम विद्युत से चलता है । लेकिन वहां के जो अधिशासी अभियंता हैं वह फर्जी बिल बनाकर बुनकरों को देते हैं । इसी संबंध में जब बुनियाद साहब वहां गये तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया । इसके हल्के फुल्के ढंग से न लेकर विधिवत् कार्यवाही करें और अपने स्तर के दण्डित करने का काम करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस समस्या की ओर माननीय बुनियाद हुसैन जी ने ध्यान आकर्षित किया वह वास्तव में बहुत गम्भीर है । जहां बुनकरों का प्रदर्शन हुआ वहां हम दोनों संयुक्त रूप से जाने वाले थे । आवश्यक कार्यवश मैं बाहर गया था, लौट नहीं पाया इसलिए नहीं जा पाया । मान्यवर, यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां बुनकर

बिजली का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन उनके ऊपर कामर्शियल रेट लगाये जाते हैं । इस संबंध में जब मेरी बातचीत हुई तो अधिशासी अभियंता ने बताया कि वहां दरी बुनी जाती है और उसकी बिक्री होती है इसलिए वह व्यापार हुआ, इसलिए कामर्शियल बिजली के रेट लगाये गये हैं । मैंने कहा कि कहीं दुनिया में इस तर्क को कोई मानेगा कि डोमेस्टिक और कामर्शियल में फर्क नहीं है ? जहां पर कामर्शियल काम होगा, वहां पर कामर्शियल बिजली होगी । अगर कुम्हार अपने घर पर कुल्हड़ बनायेगा, तो उस पर क्या कामर्शियल बिजली मान ली जायेगी ? बुनियाद हुसैन साहब की बिजली काट दी गयी थी, इस तरह का काम करने से साफ जाहिर होता है कि बदले की भावना से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने यह घिनौना काम किया है और एक सुनियोजित ढंग से बिजली काटने का काम किया । मेरे हस्तक्षेप से बिजली रिस्टोर हुई । जो माननीय बुनियाद हुसैन साहब ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देते हुए, जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर क्या करने वाली है, उसके बाद हम लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे ।

*श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मामला सिर्फ बुनकरों का नहीं है । बुनकरों का मामला लेकर माननीय सदस्य गये थे, सदन में यह बार-बार मामला आया है कि जिस तरह से अधिकारी लोग माननीय सदस्यों को अपमानित करने लगे हैं, उससे सदन में बेचैनी होना स्वाभाविक है । यह मामला माननीय सदस्य के अपमान का है । माननीय सदस्य के घर पर लोगों ने हमला किया, बिजली का कनेक्शन काटा, पानी का कनेक्शन काटा और बाद में पन्द्रह मिनट तक पूरे शहर में अंधेरा रखा गया । माननीय सदस्य ने बर्दाश्त कैसे किया। मुझे तो इस बात पर हैरत है। जो कर्मचारी इनके घर में घुसने आये, इन्हें जवाब देना चाहिए था । मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने इस पर कुछ नहीं किया, जिसका इन्हें अख्तियार था, इन्हें अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए था । मैं इस पर सरकार को बताना चाहता हूं कि ऐसे मामलों पर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ? क्या हमारे गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं है ? क्या माननीय सदस्यों की जान-माल की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं है ? वह दिन दूर नहीं होगा, जब लोग अपनी जान-माल की हिफाजत के लिए खुद हथियार उठायेंगे । ऐसा उसी वक्त होता है, जब मामला हद से गुजर जाता है और इन्साफ के तमाम दरवाजे बन्द हो जाते हैं । तब वह शासन से मांग नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं अपनी हिफाजत करेंगे। एक ऐसे सदस्य को जिसने अपनी इज्जत बचाने की खुद नहीं सोचा है सदन इस पर सोचेगा ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह कोई पहला मामला नहीं है । बार-बार ऐसे मामले आते हैं, जिसमें कि विधायक और ये जो अधिकारी हैं, इनके बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं। श्रीमन्, आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोगों को, जनता के लोगों को लेकर जनसभायें करनी होती हैं, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं । उनको यह कहां से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकार मिल गया कि बुनियाद हुसैन साहब के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दें। जनता हम लोगों को चुन कर इसलिए यहां पर भेजती है कि हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां के अधिकारियों से मिलें। यह एक तरह से हम लोगों के ऊपर अंकुश लग रहा है। इनकी अक्षमता का यह परिणाम है कि हम लोगों को यह नतीजा रोज-रोज देखना पड़ रहा है। इनके इस प्रकार के रवैये को देखते हुए, इन पर कुछ अंकुश लगायें। यह सरकार इतनी बेशर्म हो गयी है, इतनी गूंगी बहरी हो गयी है इनको यहां पर सुनने की फुर्सत नहीं है जब कि विधायक का अपमान हुआ है और यह उसी जिले के रहने वाले हैं। श्रीमन्, [x x x] यही मुझे कहना है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, बड़ा अफसोस हुआ कि माननीय वर्मा जी ने इस तरह के शब्द कहे, वह तो बड़ा कंट्रोल अपने ऊपर रखते हैं। मैं तो माननीय विद्युत मंत्री जी से सारी घटना के बारे में जानकारी चाह रहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सरकार बेशर्म है।

ग्राम्य विकास एवं प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, बहरे गूंगे होने का क्या सवाल है, यह शब्द निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

देख लेंगे कार्यवाही को, निकालने लायक होगा तो निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी, मंत्री रह चुके हैं लगता है कि यह शब्द उनके लिए भले लागू होते हों लेकिन इस मंत्रिमंडल के लिए लागू नहीं होते हैं तो जो इनके समय में इनके लिए लागू हो वह इस मंत्रिमंडल में लागू नहीं होते, इन्होंने जो शब्द कहे हैं उसको निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सरकार वास्तव में बेशर्म भी है और बहरी भी और इसीलिए बेशर्मी से खड़े होकर एक विधायक अपमानित हो रहा है उसकी इन्हें चिन्ता नहीं है लेकिन अगर सरकार को बहरा कह दिया है, बेशर्म कह दिया है तो बड़ी चिन्ता हो गयी। यह संसदीय है उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा से लेकर, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, सरकार को बेशर्म कह सकते हैं, बहरी कह सकते हैं, संसदीय भाषा है उनको इसका ज्ञान ही नहीं है यह अलग चीज है। सवाल इतना है कि यह मामला माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी का नहीं, माननीय दत्ता से लेकर और एक तो हमारे रणजीत सिंह की हत्या भी हो गयी है, उनके साथ में हुआ था अभी कांग्रेस के विधायक श्री राम

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लक्ष्मन प्रसाद जी के साथ भी हुआ इसके बाद हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव के साथ हुआ तो आये दिन रोजाना विधायकों के साथ जो अपमान किया जा रहा है उसका एक ही कारण है कि यह सरकार सुनना नहीं चाहती और यह नहीं सवाल केवल इधर का है यह पूरे सदस्य चाहे विपक्ष का हों या सत्ता पक्ष के हों, सारे विधायकों को नौकर-शाही अपमानित कर रही है तो हमें इसका समाधान करना है । यह गम्भीर मामला है इसलिए इसमें सबूत देने की बात नहीं है । हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना है, उस संवैधानिक अधिकार को चुनौती दी और बुनियाद हुसैन अंसारी को हमारे माननीय सदस्य को अपमानित किया और उनको धमकी दी कि असेम्बली में सवाल उठाया तो आपको देख लेंगे और उनके घर की बिजली और पानी काट दिया । इसका सबूत क्या है एक तो समझ लिया, एक ही बात का पता लगा लीजिए बिजली कटी या नहीं, पानी कटा या नहीं कटा ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

हमारी बात सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तो एक ही मांग है वह समस्या जांच की ही नहीं रह गयी । यह अपमानित हो गये और बदले की भावना से बिजली भी काटी गयी, धमकी दी इसलिए उस अधिशासी अभियन्ता को पेश किया जाय सदन के अन्दर । एक कड़ी कार्यवाही होगी तो यह अपमान बन्द हो जायेगा तो यह कार्यवाही कीजिए जब तक यह नहीं करेंगे जब तक यह अपमानित हो रहे हैं (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यहां प्रसंग क्या था विषय की गम्भीरता उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गयी थी और माननीय सदस्य की जो घटना थी उसको बड़ी ही गम्भीरता के साथ में शासन पक्ष में बैठे हुए लोग उस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । लेकिन इतने वरिष्ठ मा0 सदस्य मुलायम सिंह जी कहें कि शासन ने गम्भीरता से नहीं लिया, मा0 मुलायम सिंह जी स्वयं मंत्री रहे हैं, मा0 वर्मा जी भी मंत्री रहे हैं, किसी भी दल की सरकार हो, उसे गूंगा बहरा कहना ठीक नहीं है। कोई भी बात शालीनता के साथ भी कही जा सकती है । गम्भीरता के साथ कही जा सकती है और इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती है । मेरा अनुरोध है कि यह जो शासन को गूंगा, बहरा, बेशरम कहा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह शब्दावली कार्यवाही से निकाल दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री हरदेव–

[x x x]

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम आंतार दीक्षित)–

मान्यवर, यहां चर्चा दूसरी हो रही थी और इस विषय पर आरम्भ कर दी गयी । स्वयं मा0 बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने जो बताया है, उनके साथ जो भी हुआ, उसके बारे में उनके मुखारबिन्द से सुना । जहां तक विधायकों के सम्मान का प्रश्न है, उसके लिए शासन जागरूक है और व्यक्तिगत रूप से मैं तो बहुत ही जागरूक हूं । इतना शायद, विरोधी दल के बहुत से हमारे मित्र बैठे हैं, वे इतना जागरूक नहीं होंगे । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है । आज मेरी जानकारी में यह घटना आयी है, मैं इस घटना के बारे में विधिवत जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा, मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेने में कोई संकोच नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री नेक चन्द्र पाण्डेय के खड़े होने पर) पाण्डेय जी मंत्री जी ने जवाब दे दिया । अब विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिये । बजट सामने है।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे समाचार पत्र से जानकारी हुई है कि मा0 सदस्य का घेराव किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या अब समाचार-पत्रों पर चर्चा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं किसी बात को दोहरा नहीं रहा हूं । मैं केवल एक बात मा0 राम आंतार दीक्षित, मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो घटना हुई, इसमें मा0 बुनियाद हुसैन अंसारी जी किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर नहीं गये थे । बुनकरों की समस्या को लेकर गये थे । जिन बुनकरों के यहां बिजली इस्तेमाल ही नहीं होती, फिर भी उनको बिजली का बिल दिया गया । अगर एक विधायक जी की ओर से कोई बात थी तो अधिशासी अभियंता ने एफ0 आई0 आर0 लिखाई है, उसमें इन्वेस्टीगेशन में पता चल जायेगा, लेकिन इसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से जाकर मा0 बुनियाद हुसैन अंसारी के घर की बिजली ही नहीं काटी बल्कि केबिल तक उखाड़ ले गये । यह प्राग्दर्शन में इतनी बड़ी बात थी, जो मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए थी । अगर आप जागरूक हैं, सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विधायक सुरक्षित रहेंगे, अपमानित नहीं होंगे तो उस अधिशासी अभियन्ता को, जिसने इनकी बिजली कटवाई और घर जाकर उनको अपमानित किया और मा0 बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने वह काम नहीं किया, जो मा0 आजम साहब ने

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कहा, तो उस अधिशासी अभियंता को तत्काल वहां से हटाकर जांच करवा लें और उसको निलम्बित कीजिये । दोषी न पाया जाय तो निलम्बित मत कीजिये, लेकिन तत्काल उसको वहां से हटाकर जांच अवश्य करा लें ।

श्री राम आतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि हाउस में कोई बात कहूं । मैं आपके माध्यम से सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मैं स्वयं सीतापुर जाऊंगा और माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को भी लेकर पूरी विधिवत जानकारी करके जो भी निष्पक्ष न्याय की बात होगी उसके लिए मैं करूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, मैंने यह सवाल उठाया, माननीय सदन का भी अपमान हुआ है और माननीय सदस्य का भी अपमान हुआ है । यह धमकी भी उनको दी गयी है कि अगर विधान सभा में सवाल उठाया जायेगा तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत की जायेगी । यह धमकी दी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कोई माननीय सदस्य सदन के अन्दर बात न कह सकें इससे माननीय सदन का भी अपमान हुआ है, माननीय सदस्य का भी अपमान हुआ है । श्री सक्सेना जो अधिशासी अभियंता हैं उनको सदन के अंदर बुलाया जाय उनको यहां बुलाकर सजा दी जाय । यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है सदन के अपमान का प्रश्न बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर , सरकार सवाल न छोड़ दें । आप उस अधिकारी को यहां पर बुलायें ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप लोग बैठें । मैं उपना निर्णय दे रहा हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

उस अधिशासी अभियंता को वहां से हटाकर, जांच करायी जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, मान्यवर, जो सामान्य प्रकार के मामले होते हैं उनके लिए इस तरह के आश्वासन का महत्व रहता है । यह माननीय सदस्य से संबंधित मामला है । माननीय सदस्य का अपमान हुआ है । पूरे सदन का यह मामला है । इस पर आपको निर्णय लेना है । माननीय मंत्री जी को निर्णय नहीं लेना है । यह

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है । आप उस अधिकारी को सदन में बुलायें यहां बुलाकर उसका स्पष्टीकरण लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप लोग बैठें मैं निर्णय दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा नाम लिया माननीय मंत्री जी ने । मुझे एक मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

उनके कहने से आप गाइड कहां होते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं तो जानता हूं कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों का व्यवहार सही नहीं था । इसलिए मेरा आपके साथ जाने का सवाल नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप सब लोग बैठें । मुझे निर्णय लेने दें ।

माननीय श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के घर की बिजली और पानी जोड़ने की तुरन्त व्यवस्था की जाय । इसके अतिरिक्त इस मामले को मैं विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह मामला तात्कालिक महत्व का है ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री गया प्रसाद वर्मा सदन के फ्लोर पर आ गये और पहले उस अधिकारी को वहां से हटाये जाने की मांग करने लगे लेकिन श्री बेनी प्रसाद वर्मा व श्री मुहम्मद आजम खां के प्रयास से श्री शारदानन्द अंचल व श्री बुनियाद हुसैन अंसारी वापस चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार समिति तो आपकी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह तात्कालिक महत्व का मामला है, इसमें तात्कालिकता का सवाल है। आज बुनियाद हुसैन अंसारी का मामला सदन में उठा, इनको धमकी दी गई थी, अब जब यह वहां जायेंगे तो फिर कोई बात हो सकती है उसके बाद फिर सवाल वहां उठाया जायेगा । क्योंकि वह अधिकारी वहां मौजूद है । मेरा आपसे अनुरोध है कि विशेषाधिकार समिति को सौंपने के पहले उस अधिकारी को यहां सदन में बुलाने के आदेश दें । सरकार उसे तुरन्त बुलाने की व्यवस्था करे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपका जो निर्णय है, वह सही है । उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होने की बात कर दी जाय । कम से कम आप उसके ट्रांसफर की बात कह दीजिए । मामले की गंभीरता को समझते हुए ही आपने इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात कही है । उस अधिशासी अभियन्ता को वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं है तो मान्यवर, कार्यवाही क्या हुई ? एक विधायक को अपमानित किया गया इनकी बिजली काटी गई पानी काटा गया और धमकी भी दी गयी, इतनी सारी बातें हो गयीं, लेकिन कोई तात्कालिक कार्यवाही नहीं हुई । जहां तक विशेषाधिकार समिति की बात है, तो जब दूसरा सदन आयेगा, तब इसमें कुछ हो पायेगा । आज रोजाना विधायकों के साथ अपमान हो रहा है, जब तक तात्कालिक कार्यवाही नहीं होगी, विधायकों का अपमान होता रहेगा, इसलिए मान्यवर, इसे गम्भीरता से लीजिए । माननीय मंत्री जी ने इसमें उदारता अवश्य दिखाई है लेकिन . . . .

(श्री राम अंतार दीक्षित जी द्वारा बैठे-बैठे ही "आप खुद भी चले चलिये" कहने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

लेकिन मान्यवर, इनके जाने से इनकी हैसियत गिरेगी ।

श्री राम अंतार दीक्षित–

मान्यवर, इसमें हमारी कोई हैसियत नहीं गिरेगी, बल्कि मुलायम सिंह यादव जी की ही हैसियत गिरेगी । विधायकों के मामले में जाने में मैं तो अपना गौरव महसूस करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपने जो निर्णय दिया है, उसको हम शिरोधार्य करते हैं, लेकिन इसमें कोई तात्कालिक कार्यवाही नहीं हुई । माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि हमारा अपमान हुआ है और इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो बात यहां माननीय सदस्य कहते हैं, उसे यही माना जाता है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जांच करायेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बात पर इनको विश्वास नहीं है । हम चाहते हैं और सरकार मांग है कि तत्काल उस अधिकारी को, जिसने बदमाशी की है, बुनियाद जी को अपमानित किया है, उसको तत्काल निलम्बित करने की यहां घोषणा की जाय और इससे कम पर हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं । विशेषाधिकार समिति को सौंपने वाला निर्णय आपका हमें शिरोधार्य है । लेकिन सरकार की तरफ से अगर निलम्बित करने की कार्यवाही नहीं होगी, तो हमको संतोष नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रशासनिक मामला है, उस पर चर्चा नहीं होगी ।

(श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अंचल जी आप बैठिये, आप इस प्रकरण को समाप्त कीजिए ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

आज मान्यवर, विधायकों के साथ बराबर अपमान जनक घटनायें हो रही हैं और जो प्रदेश के मतदाता चुनकर हम लोगों को यहां भेजते हैं, उनके दिल पर गहरा असर पड़ता है। यह गम्भीर मसला है और आप इस पर विचार करें तथा माननीय मंत्री जी को चाहिए कि . .

श्री उपाध्यक्ष–

अंचल जी बैठिए , बजट भी होना है । यह तो प्रशासनिक मामला है, इस पर बैठकर तय कर लीजिएगा । मैंने तो विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर ही दिया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपने जो भी निर्णय दिया है, वह अपनी जगह सही है लेकिन मुझे इतना कहना है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन लोगों का बुनकरों के साथ प्रदर्शन होना था और बाद में बुनियाद जी की बदले की भावना से बिजली काट दी गयी । जिसकी अंसारी जी ने पुष्टि की है । अब प्राग्दर्शन में इतना तय है कि कम से कम जांच से पहले उस अधिकारी को आप स्थान्तरित तो कर ही दें इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप माननीय मंत्री जी को आदेशित करिये । बिजली जोड़ने का आदेश आपने दिया, विशेषाधिकार समिति को सौंपने का आदेश आपने दिया अब तीसरा आदेश देने का अधिकार भी आपको है कि जांच तभी हो, जब उस अधिकारी की वहां से स्थान्तरित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो मंत्री जी का काम है, जहां तक ट्रांसफर की बात है, वह काम मेरा नहीं है ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपने अपनी पीठ से निर्णय दे दिया और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात भी आपने कही । अब जब उसका निर्णय आयेगा, वह सिर-आंखों पर होगा उसको सरकार क्रियान्वित करेगी । लेकिन आपके निर्णय के बाद इस तरह कहना तो एक चुनौती देना हुआ । अब इस तरह की मांग करना तो एक चुनौती देना हुआ । अब इस तरह की मांग करना उचित नहीं है ।

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, आपने यह विषय विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया । मैंने स्वयं आश्वस्त किया कि मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा एक सहयोगी को यहां से ले जाकर । मैंने सहयोगी का नाम भी ले लिया था, क्योंकि वह सीतापुर जनपद के ही रहने वाले हैं । जबकि श्री मुलालम सिंह जी कह रहे थे कि आपको स्वयं नहीं जाना चाहिए । मैंने कहा कि मैं स्वयं इसकी विधिवत जांच करूंगा और जो उचित कार्यवाही होगी वह करूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी किस बात की जांच करेंगे । विधायक जी ने अपनी बात कह दी । आप क्या तत्काल कार्यवाही कर रहे हैं, उसके बारे में सदन को आश्वासन दें । अन्यथा सदन की कार्यवाही आज नहीं चलेगी ।

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री बाबू राम यादव, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी , श्री गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रसाद वर्मा, श्री मोहम्मद आजम खां के सदन के फ्लोर पर आने से घोर व्यवधान हो गया। तदुपरांत श्री मुलायम सिंह यादव के प्रयास से सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

यह अच्छी परम्परा नहीं है कि हम यहां पर अधिकारियों के ट्रांसफर वगैरह की बात करें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, एक विषय यहां पर उपस्थित हुआ और आपने व्यवस्था दे दी, आपने शासन की तरफ नहीं देखा। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि उस अधिशासी अभियंता का वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय। आज आपके चेयर की यही गरिमा है। जब दो आदेश आपने दे दिये हैं तो तीसरा भी आप दे दें। आज आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें और मंत्री जी को आदेश दें कि वहां से अधिकारी का स्थानान्तरण किया जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को ले जाकर मैं स्वयं जांच करूंगा। जांच तो जो करनी है, वह सब तो उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा भी कि अधिकारी ने गलती की है, बिजली काट दी, पानी काट दिया। अधिशासी अभियंता के बारे में जो कुछ भी श्री बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने कहा, उसका श्री गुप्ता जी ने समर्थन किया। उन्हें आप साथ ले जाना चाहते हैं।

श्री राम अवतार दीक्षित–

आपके पास समय हो तो आप चलें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम तो स्वयं जायेंगे नहीं। हमारा इकबाल यहां से चलेगा।

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री बाबूराम यादव व श्री गया प्रसाद वर्मा जी हाउस के वेल पर आकर बैठ गये और स्थानान्तरण की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया। व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 25 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया।

2 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। तदुपरांत 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी कृपया ऐसा सदन में जवाब दीजिए ताकि आपका आज का बजट पेश हो सके और जिस अधिशासी अभियन्ता पर आरोप लगाए गए हैं और इस पर माननीय

सदस्यों ने जो कहा है, जिनकी बातों को सही माना जाता है, इस पर ऐसा आश्वासन दीजिए और ऐसी कुछ बात कहिए जिससे सदन चल सके ।

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, ऐसी परिपाटी तो अब तक सदन में रही नहीं कि माननीय नेता विरोधी दल पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं . . . (व्यवधान)

खैर मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है और उनसे विचार-विमर्श करने के बाद ही शीघ्र ही जो घटना हुई है, उसके बारे में निर्णय ले लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 3

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर, स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारश के दिनांक 13 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक

16 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989, के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाक 18 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या—5

(मा0 उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 5 पुकारी गयी किन्तु प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह सदन में उस समय उपस्थित नहीं थे।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 मार्च, 1989 की अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 28 मार्च, 1989 को वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पश्चात उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसके पारण संबंधी प्रस्ताव लिए जाएं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की जो सूचना अभी माननीय उपाध्यक्ष जी ने दी है, से सदन सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अभी जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा समिति के बारे में रखा है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की

धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

1—नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, 31 मार्च, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2—नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि व समय	शनिवार, 1 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कक्ष में)
3—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि अन्तिम तिथि तथा समय	वृहस्पतिवार, 6 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4—मत-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय (यदि मान्य नाम-निर्देशनों की संख्या के फलस्वरूप निर्वाचन आवश्यक हुआ)	शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 3.00 बजे तक
5—मतों की परिनिरीक्षा एवं गणना की तिथि	शनिवार, 29 अप्रैल, 1989 (समिति कक्ष संख्या—15 में)

उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा डाक शलाका से किया जायेगा ।

उक्त निर्वाचन सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को निर्दिष्ट प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव . .

*नगर विकास एवं सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ सदन को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और सदन द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा द्वारा समय-समय पर स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक है;

और, चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है;

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय सदन के आगामी सत्र के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यह प्रवर समिति उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 पर बहुत दिनों से विचार कर रही है । मैं भी इस समिति का सदस्य हूं और मैंने मीटिंग में कहा था कि अब इस समिति का समय बढ़ाना लाभदायक नहीं होगा, इसमें खण्डों पर विचार करके इसे सदन के पटल पर रख दिया जाना चाहिए लेकिन लगता है कि इसमें सरकार की नियत साफ नहीं है इसलिए इस पर सरकार समय-समय पर प्रस्ताव करके समय बढ़ाने की मांग करती है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी जो इसके लिए आगामी सत्र के अंतिम दिन तक के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उसे आप स्वीकार न करके यह स्वीकार करें कि अगले एक महीने में यह प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे ।

मान्यवर, मेरा प्रश्न रख दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय माता प्रसाद पान्डेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ)

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

वोटिंग करा दी जाये । "हां" की संख्या अधिक है और "न" की संख्या कम है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

घंटी बजायी जाये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, दरवाजे बन्द करवायें ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह कौन लोग आ रहे हैं ? आप दरवाजे बन्द करवायें । समय हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब 5 मिनट पूरे हो जायेंगे तो दरवाजे बन्द हो जायेंगे । घन्टी तो इसीलिए बजती है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप सभी लोगों को बुलवाकर प्रस्ताव भले ही गिरवा लें, लेकिन सरकार की जो नियत है वह मालूम हो जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 6 मिनट हो गये हैं, लेकिन आप दरवाजा नहीं बन्द करवा रहे हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह घन्टी बज रही है, या घन्टा बज रहा है । अब तो समय हो गया । कब तक आप घन्टी बजवाते रहेंगे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अभी तक दरवाजा नहीं बन्द हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

दरवाजे बन्द करवा दिये जायें ।

जो प्रश्न माननीय माता प्रसाद पान्डेय जी ने उठाया है, उसके पक्ष में जो सदस्य हों वह हाथ उठायें । एक-एक ही हाथ उठावें ।

(हाथ उठा कर मतगणना होने के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

व्यवस्था का सवाल है । आप वोटिंग करवा रहे हैं और इधर श्याम सूरत उपाध्याय जी माननीय सदस्य का हाथ नीचे कर रहे हैं . . (व्यवधान) । व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था बाद में होगी।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे और सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

आप लोग शांत रहें । जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे हाथ उठायें ।

(मत गणना के मध्य)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

देखिए श्याम सूरत जी क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे पूरा होने दें । उसके बाद व्यवस्था का सवाल उठायें ।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें । मत गणना का परिणाम इस प्रकार है –

संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 56 मत ।

संशोधन प्रस्ताव के विपक्ष में 64 मत । अतः यह संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह नहीं चलेगा । यह गलत हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सूचना राज्य मंत्री ने रखा है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य लॉबी में डिवीजन की मांग करने लगे ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, हम डिवीजन क्लेम कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है कि गणना सही नहीं हुई है । दो-दो हाथ उठाये गये हैं ।इसलिए हम लाबी में डिवीजन क्लेम करते हैं।....(व्यवधान)। मेरा आपसे निवेदन है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने दो-दो हाथ उठाये हैं। गिनती गलत हुई है। इसलिए हम डिवीजन की मांग करते हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

हम लोग डिविजन की मांग करते हैं आप निर्णय दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो प्रस्ताव समाप्त हो गया क्या डिविजन करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

हम लाबी में डिवीजन की मांग करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मनेजर सिंह–

आप हमारी मांग को मानने के लिए मजबूर हैं । आपको माननी होगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

यह लाबी से कौन आ रहा है?

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें मैं दिखवा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जिस समय मतदान हो रहा था और हाथ उठा रहे थे उस समय ग्राम्य विकास मंत्री जबरदस्ती माननीय सदस्य से हाथ उठवा रहे थे।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कौन आ रहा है उधर से।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई नहीं आ रहा है दरवाजा बंद है।

श्री राम आसरे वर्मा–

जिस तरह से सरकार की तरफ से गुण्डा गर्दी की जा रही है उसे आपने खुद अपने आंखों से देखा है। दो बातें सदन के सामने आईं एक तो यह कि जोर-जबरदस्ती हो रही थी और अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था कह रहे थे कि सदस्यता समाप्त करा देंगे। दूसरा यह कि माननीय सदस्य के हाथ पकड़ कर उठाया जा रहा था और नीचे किया जा रहा था।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

जब कोई घटना आपके सामने हो चुकी है तो उसे नकारा नहीं जा सकता है। इस पर आप व्यवस्था दें जबरदस्ती हाथ उठवा रहे थे। दूसरा यह कि जब डिवीजन की मांग हो गयी है तो उसे आप मानें।

श्री मैनेजर सिंह–

अब इसमें न मानने की बात नहीं है हमारा संवैधानिक अधिकार है हम डिवीजन की मांग करते हैं माननीय उप नेता रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने डिवीजन मांगा है आप उसे कराइये।

श्री उपाध्यक्ष–

अधिकार हाउस को है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

आप डिवीजन की मांग को स्वीकार कीजिये। (व्यवधान) आपको डिवीजन कराना होगा। आप मना नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपकी मांग को मान रहा हूं। आप उत्तेजित हो जाते हैं। मैं मान रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह गैलरीज बन्द कराइये। उधर से लोग आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

लाबीज तो खुली रहेंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, सदन के दरवाजे खुले हुए हैं और माननीय सदस्य अब भी आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

चारों तरफ सदन के दरवाजे बन्द हैं और कोई दरवाजा नहीं खुला है।

(व्यवधान)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, एक विरोध पक्ष का कोई सदस्य और एक इस पक्ष का कोई सदस्य भेज दें लाबी में जो देख लें कि कोई न आये।

श्री उपाध्यक्ष–

चाभी मेरे पास यहां रखी है और दरवाजे बंद हैं। मैं अब डिवीजन के लिए उसे रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सूचना राज्य मंत्री ने रखा है उसके समर्थन में जो माननीय सदस्य हों वह "हां" की लाबी में जाकर अपने-अपने मत अंकित करें और जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हों वह "न" लाबी में जाकर अपने मत अंकित करें।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पांडेय–

(व्यवधान) यह डिवीजन तो उसी संशोधन प्रस्ताव पर मांगा गया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रस्ताव गिर गया है, इसलिए डिवीजन के लिए आप लोग जायं। जो राज्य मंत्री सूचना ने प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में जो हैं वह "हां" और जो नहीं समर्थन में है वह "न" लाबी में जाएं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी तो संशोधन पर ही आपत्ति थी। आपने पता नहीं कौन सी नयी परम्परा यहां चालू की है। इस सदन की गौरवमयी परम्पराओं की रक्षा करना आपका काम है, आप थोड़ी हिम्मत करें . . .

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें हिम्मत की कौन सी बात आ गयी जो हमने 56, 64 का रखा है। जो संशोधन इन्होंने रखा था, वह अस्वीकार हो चुका है . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह पहले कहां से पेश हो जाएगा। आप नियमों के प्राविधानों के बारे में व्यवस्था तो देख लें . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

64-65 का फर्क हो गया तो मैंने कहा-हां-न करा दिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने प्रस्ताव रख दिया और उस पर डिवीजन मांग लिया . . . (व्यवधान) मैं कहता हूं जो प्रस्ताव हुआ था, उस पर हां-न कराई और उसमें गिनती करा लो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो मान्यवर, विचाराधीन है, चल रहा है और प्रक्रिया के अनुसार है वहां तो आप करायेंगे। माता प्रसाद जी का चल रहा था, लेकिन प्रश्न दूसरे पर करा दिया. . . . (व्यवधान) हमारे प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया था तो आप 298 का पालन क्यों कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

जब पान्डेय जी के संशोधन पर हां-न करा दिया, प्रस्ताव गिर गया और अस्वीकार हो गया . . . (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

उसी पर तो डिवीजन मांगा गया था (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप किसी का नाम तो लीजिए, तभी तो मैं बोलना शुरू करूं . . . (व्यवधान) हमारे नियमों में मत-विभाजन की प्रक्रिया दी हुई है, एक प्रस्ताव सूचना राज्य मंत्री ने रखा, उस पर एक संशोधन माता प्रसाद ने रख दिया। आपने उसको प्रस्तुत किया और उस पर ध्वनियां आईं। और उसी पर मुलायम सिंह आदि ने आपत्ति की थी कि यह गलत हुआ, तो आपने हाथ उठवाया। तो उस पर हमने फिर आपत्ति की कि उधर से सदस्यों ने दो-दो हाथ उठा दिए और यहां तक मंत्रियों ने भी उठा दिये और यह भी कहा गया कि एक मंत्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग कर किसी का हाथ उठवा दिया जो नहीं उठाना चाहते थे और कभी किसी का गिरा दिया। तो मैंने कहा लाबी में करा दें। आप विभाजन की मांग स्वीकार करेंगे, इसका प्राविधान है। एक प्रक्रिया के तहद हमारी विभाजन की मांग को आपने स्वीकार किया है . . (व्यवधान) वह कहां से बीच में बात आ गयी कि आप उनके प्रस्ताव पर यह करा रहे हैं। तो अभी यहां जितनी भी कार्यवाही हुई है अवैधानिक हुई है और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन की जो गौरवमयी परम्परा है, उस पर आज कालिख लगी है (व्यवधान) आपके द्वारा भी हमें संरक्षण नहीं मिलता है। आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें, माता प्रसाद पान्डेय के संशोधन पर हो रहा है न कि माननीय सूचना राज्य मंत्री जी के।

श्री उपाध्यक्ष–

जो डिवीजन का प्रश्न था, तो उस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं यह कह रहा हूं कि आप सर्वोच्च हैं, आपने एक निर्णय इस पर ले लिया है, उसके बाद पुनः निर्णय हो ही नहीं सकता है, आप अपने निर्णय पर अडिग रहें। . . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । डिवीजन हो जाय, उसका रिजल्ट आ जाय, उसके बाद व्यवस्था की बात सुनूंगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

जिस पर वोटिंग करायी उसी पर डिवीजन मांगा गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

डिवीजन का रिजल्ट आ जाय उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपका निर्णय सर्वोपरि है, आप अपने निर्णय पर रहें मान्यवर ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिये रिजल्ट आने दीजिये ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, उधर प्रभावशाली मंत्री बूथ कैपचरिंग करा रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, उस तरफ बूथ कैपचरिंग हो गयी । एक सदस्य दो-तीन सदस्यों के हस्ताक्षर कर रहे हैं । उधर के जो लोग अनुपस्थित हैं, उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं फर्जी हस्ताक्षर हो रहे हैं । [x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

श्याम सूरत उपाध्याय जी जो हैं, जो मंत्री हैं, यह इसके हीरो हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं चलेगा क्योंकि डिवीजन हो रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं आपका ध्यान 2–3 बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आप उस आसन पर बैठे हैं, अगल-बगल न देखें बात अलग है, अब सामने न दिखायी पड़े तो कैसे होगा ? आपके सामने बैठे विश्राम दास जी संशोधन के पक्ष में हाथ उठाये माननीय पंचायती राज मंत्री उपाध्याय जी गये और उनका हाथ पकड़कर नीचे गिराये । आप देख रहे थे, सचिव महोदय देख रहे थे । आप लोग मूकदर्शक बने हैं ।

(घोर व्यवधान)

[x x x] उधर मंत्रिमंडल के लोग दो-दो हाथ उठा रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

गिनने वाले ने एक ही गिना होगा, दो नहीं गिना होगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती है।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री का वोट नहीं है तो वे वहां क्या करने गये थे । अभी वहां से आये हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य मतदान के अधिकारी नहीं हैं उनको लाबी में नहीं जाना चाहिए । यह वहां डायरेक्शन देने गये थे । इनकी क्या जिम्मेदारी थी वहां पर जाने की । जो मतदान के अधिकारी नहीं हैं वे लाबी में नहीं जा सकते हैं। वे कैसे गये लाबी में । फर्जी दस्तखत कराने के लिये गये ।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अपोजिशन के लोग जो दस्तखत कर चुके हैं, वे भी मौजूद थे इधर ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वहां पर जाने का कोई हक नहीं है । डिवीजन के समय, जिनको वोट देने का हक नहीं है वे वहां क्यों जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब हाउस में बैठते हैं तो लाबी में जा सकते हैं । वोट नहीं दे सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इनके जाने का क्या औचित्य था । यह उचित था या अनुचित यह बता दें ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, दो बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी कुछ व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती । जब डिवीजन चल रहा है तो व्यवस्था क्या उठायेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने अनुमति दी थी व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, अभी आपके सामने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने एक माननीय सदस्य का हाथ नीचा किया और बाद में जब वह हाथ नहीं उठा रहे थे, तो उनके स्थान पर अपना हाथ खड़ा किया और इस प्रकार से मतदान में जोर दबाव किया और धमकी दी गयी कि उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । यह सब आपके सामने हुआ । आपने मेरी व्यवस्था पर कोई निर्णय नहीं दिया । इसी प्रकार की स्थिति बाद में और हो गयी जब चोर दरवाजे से कांग्रेसी सदस्य आते रहे और उसको भी आप देखते रहे और आपने मतदान का ढोंग रचाया है और यह सब सदन की गरिमा के प्रतिकूल हुआ है । आपके कान में यह भी बात डाली गयी । आपको तुरन्त उसको दिखवाना चाहिये था, यह सब कहा गया कि दस्तखत फर्जी कराये जा रहे हैं, तो भी आपने ध्यान नहीं दिया । आपको दिखलवाना चाहिये था. लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ तो कहें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । रिजल्ट तो आ जाये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

वह आता रहेगा । आप सुन तो लें । माननीय विश्राम दास जी हाथ उठा रहे थे संशोधन के पक्ष में तो श्याम सूरत उपाध्याय जी ने उनका हाथ नीचा करवाया और जब वह नहीं उठा रहे थे, तो उनका हाथ उठवाया और जब नहीं उठाया तो अपना हाथ उठा दिया और इस चीज को आप देखते रहे । पटल कार्यालय से कई माननीय सदस्य आये और तीसरी बात यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को वोट का अधिकार नहीं है, फिर भी वह लाबी में गये और फर्जी दस्तखत करवा दिये हैं । सदन की गरिमा को देखते हुए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था । इसमें बेईमानी की गयी है । हमारा इस चुनाव में विश्वास नहीं है और हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन त्याग कर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो मुलायम सिंह जी ने कहा है, वह बिल्कुल सत्य कहा है । घंटी जो बजायी गयी, वह 8-9 मिनट बजायी गयी, 10 मिनट तक वह बजती रही, तब दरवाजे बन्द किये गये और फिर ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो आचरण किया है, वह आज भले ही वोट से जीत जाये लेकिन जनता के सामने [xx] हो गये हैं और आने वाले चुनाव में लौटकर नहीं आयेंगे । इन्होंने जनता के सामने बेइमानी का काम किया है । एक सदस्य का हाथ उठवा रहे थे, यही मंत्री का आचरण है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, शशि शर्मा का दस्तखत जाली बनाया गया है । यह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं । मैं नाम बता रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं चैलेन्ज कर रहा हूं । मैं आपको सूचना दे रहा हूं । शशि शर्मा का दस्तखत जाली बनाया गया है । मैं आपको सूचना दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं आपको सूचना दे रहा हूं . . . (व्यवधान)

श्री हरदेव–

नारी का रूप धारण न करें रेवती रमण जी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त कुछ सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया यहां पर हुई है उसके विरोध में हम इसका बहिष्कार करते हैं ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री अम्मार रिजवी–

इस तरह से मैदाने जंग से नहीं भागा जाता आजम साहब।

(सत्ता पक्ष की तरफ से लोक तंत्र के हत्यारे हैं, चोर हैं, चोर हैं नारे लगाये जाने पर घोर व्यवधान हो गया)

श्री प्रमोद कुमार–

जनता के सामने विपक्ष की कलई खुल गई है। इन्होंने श्रीमती शशि शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर किये हैं । इस तरह से विपक्ष के लोक तंत्र का परदाफाश हो गया है । आप श्रीमती शशि शर्मा से पूछ लीजिये ।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, शशि शर्मा से आप पूछ लें ।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, किसी ने मेरे फर्जी दस्तखत किये हैं तो मैं क्या करूं ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, मेरे दस्तखत 'हां' लाबी में हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बोलते रहें । किसी को इजाजत नहीं दी गई है ।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि विपक्ष के लोग मेरे फर्जी दस्तखत किये हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मतगणना का परिणाम इस प्रकार है–

पक्ष में–70†

विपक्ष में–63†

इस प्रकार सूचना राज्य मंत्री का प्रस्ताव पारित हुआ ।

नोट:–†मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार जारी बुलेटिन संख्या–73 दिनांक 14 जून, 1989 के अनुसार पुनरीक्षित ।

पक्ष में--70

अच्युता नन्द तिवारी, डा0
अजीत कुमार सिंह, श्री
अमर चन्द्र, श्री
अवधेश राय शास्त्री, श्री
अहिबरन, श्री
उमा त्रिपाठी, श्रीमती
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री
ओमवती, श्रीमती
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती
किशन सिंह तड़ागी, श्री
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0
खरपत राम, श्री
खुरशेद अहमद, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गोरखनाथ, श्री
गौरी शंकर, श्री
चेतराम, श्री
दीप नारायन, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
द्वारिका प्रसाद, श्री
नत्थू लाल, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नारायन हरि शर्मा, श्री
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री
परागी लाल, चौधरी
पुष्पा देवी, श्रीमती
पुष्पा सिंघल, श्रीमती
पूरन सिंह माहरा, श्री
प्रदीप माथुर, श्री
प्रमोद कुमार, श्री
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री सिंह, श्री
भगवती प्रसाद, चौधरी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भीखाराम, श्री
मनहरन नाथ कौल, श्री
मरगूब अहमद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मिही लाल, श्री
राजपति देवी, श्रीमती
राम औतार दीक्षित, श्री
राम औतार मिश्र, श्री उर्फ ननकू
राम करन पटेल, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चन्द्र शर्मा, श्री
राम जनम सिंह, श्री
राम नाथ मुन्शी, श्री
राम भजन लाल, श्री
राम बिशून आजाद, श्री
राम सकल तिवारी, श्री
लाल चन्द्र निषाद, श्री
विनोद कुमार, श्री
शशि शर्मा, श्रीमती
शिव नारायण मिश्र, श्री
श्याम सूरत उपाध्याय श्री
सैयद सईदुज्जमा, श्री
संतोष चतुर्वेदी, श्री
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सीताराम निषाद, श्री
सुल्खन सिंह, श्री
सुनील शास्त्री, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरदेव, श्री
हितेश कुमारी, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विपक्ष में—63

अनुग्रह नारायण सिंह, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
कमलेश कुमार पाठक, श्री
काशी सिंह ऐरी, श्री
किशन लाल, श्री
कुशल पाल सिंह, श्री
कौशिक, रमा शंकर, श्री
गौरी शंकर भईया, श्री
गोपी नाथ वर्मा, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा,
जवाहर सिंह यादव, श्री
तिलक सिंह, श्री
दिनेश जौहरी, डा0
नरेन्द्र सिंह, कुंवर
परमाई लाल, श्री
फसीउर्रहमान, श्री उर्फ मुन्नन खां
बदन सिंह, श्री
बाबू राम यादव, श्री
बालेश्वर, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
महेन्द्र भाटी, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद आजम खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राकेश धर त्रिपाठी, श्री
राज किशोर सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोविन्द चौधरी, श्री
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती
राम शरण दास, श्री
राम सागर, श्री
रिछपाल सिंह बंसल, श्री
रेवती रमण सिंह, कुंवर
लक्ष्मी नारायण, श्री
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री
विजय लक्ष्मी, श्रीमती
विजय सिंह, श्री
बिमला राकेश, श्रीमती
विष्णु देव, श्री
शत्रुरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा नन्द अंचल, श्री
शारदा प्रताप शुक्ल, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
सरदार सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री
सूर्य प्रताप शाही, श्री
हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री
हर्ष वर्धन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मनेजर सिंह–

उपाध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर आपको बधाई देना चाहता हूं ।

[xxx]

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दें ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989†

ग्राम्य विकास, नियोजन एवं प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) जिस तरह से [xxx] सरकार की तरफ से हो रहा है उसमें इनको [xxx] आनी चाहिये । माननीय मंत्री गौरी शंकर जिस तरह से बोल रहे थे जैसे बच्चा बोल रहा हो वह अपनी मद बच्चे की तरह पेश कर रहे थे आप वहां पर बैठे हैं सुन रहे थे । (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

मैं विधान सभा में 4 बार आया हूं (व्यवधान) चार टर्म मुझे हो गये हैं और आपको बच्चा नजर आ रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

यह कोई चुनाव कराया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का सवाल सुन लीजिये । जब माननीय गौरी शंकर जी प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो आपने सुना किस तरह पढ़ रहे थे उस पर माननीय राम शरण दास जी ने बच्चा कहा या [xxx] कहा कुछ सुनाई नहीं पड़ा . . .

श्री उपाध्यक्ष–

जो शब्द असंसदीय होगा उसे निकाल दिया जायेगा ।

नोट–[xx] यह अंश उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 30-3-89 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

असंसदीय होगा तो उसे निकाल देंगे ।

न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के अनुसार 10 सूचनायें चयनित की गयी जो इस प्रकार हैं :—

पहली सूचना डा0 दिनेश जौहरी, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह और श्री किशन लाल की मुरादाबाद में शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किये गये निर्मम लाठी चार्ज से सैकड़ों लोगों के घायल होने एवं उससे सम्पूर्ण जनपद में उत्पन्न भयावह तनाव के संबंध में है ।

---

†दिनांक 30-3-1989 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष ने आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन की प्रदेश में सरकारी व सहकारी दयों की जबरिया वसूली किये जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री काशी सिंह एरी की जनपद पिथौरागढ़ में आदमखोर बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री अशोक वाजपेयी की लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग पर कटरा पकास के पास हुई टैम्पो दुर्घटना में पांच लोगों की मृत्यु तथा अशोक मार्ग पर हुई दुर्घटना में एक बालक के हताहत होने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री कमलेश कुमार पाठक, चौ0 महराज सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री बाबू राम यादव की इटावा जनपद में अपराधियों को पुलिस सुरक्षा गार्ड दिये जाने के संबंध में है।

छठी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्षवर्धन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री मैजर सिंह तथा उसी से संबंधित श्री राज किशोर सिंह तथा श्री गौरी शंकर भैय्या की प्रदेश में विकृत स्प्रिट तथा विषैली शराब पीने से 24 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के संबंध में है।

सातवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जोहरपुर निवासी श्री जगमेर सिंह की हत्या किये जाने के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री गोपीनाथ वर्मा की है। इन्होंने प्रदेश भर में बोरिंग कार्य के लिए जल निगम द्वारा मनमाने रेट निर्धारित किये जाने के संबंध में सूचना दी है।

नवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री धनराज यादव, श्री मयंकर सिंह, श्री कमेश्वर उपाध्याय, श्री बालेश्वर यादव की है, इन्होंने गाजियाबाद की एक्यूरेट कम्पनी से निम्न स्तर के ट्रांसफार्मर एवं मीटर खरीदे जाने के संबंध में सूचना दी है। दसवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है इन्होंने जनपद बस्ती व सिद्धार्थ नगर में अपनी निजी सुरक्षा के लिए फरसा बल्लम रखे जाने पर दण्डित किये जाने के संबंध में सूचना दी है।

*डाक्टर दिनेश जौहरी-

मान्यवर, मेरा काम रोको प्रस्ताव 18 मार्च को मुरादाबाद में पुलिस द्वारा व्यापारियों पर लाठीचार्ज के विषय में है इस वर्ष मान्यवर, मुरादाबाद के बर्तन उद्योग टैक्सों के कारण भारी दबाव में आ गया है।

मुरादाबाद में बर्तन उद्योग पर 25 से 30 परसेंट टैक्स लगने के कारण यह उद्योग खत्म हो रहा है। सेल्स टैक्स एक्साइज टैक्स आदि और चुंगी मिलाकर 25 से 30 परसेन्ट के करीब टैक्स पड़ता है, जिससे व्यापारी बहुत परेशान थे इसी बीच सेल्स टैक्स विभाग के सचल दल ने परेशान करना शुरू कर दिया और आठ तारीख को व्यापारियों को प्रताड़ित किया। मान्यवर, 10 तारीख को व्यापारी सेल्सटैक्स के दफ्तर गये, वह लोग इस आशय से सेल्स टैक्स के दफ्तर गये कि वहां शिकायत करेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि सचल दल ने परेशान किया है, लेकिन सेल्स टैक्स दफ्तर में उल्टे उन्हें ही मारा पीटा गया और उनके स्कूटर में चीनी डाली गई । उन लोगों की मार पीट में यह हालत कर दी कि उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा । मान्यवर, 11 तारीख को बर्तन व्यापारियों और बर्तन मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी । नौ दिन की हड़ताल के बाद भी कुछ नहीं सुना गया । 18 तारीख को मुरादाबाद बन्द का आवाह्न हुआ। बर्तन व्यापारी और बर्तन मजदूर तीस चालीस हजार की संख्या में एकत्रित हुए । मान्यवर, पुलिस ने उस समय उन पर इतनी बर्बरता से लाठी चार्ज किया जिसको कि सोचा नहीं जा सकता है । ढाई सौ लोग घायल हो गये । मुरादाबाद के जिला अस्पताल में 101 लोग भर्ती हुए । 101 लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हुए । मान्यवर, यही नहीं एक दस बारह साल के बच्चे को इतना मारा गया कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई । एक व्यापारी को दुकान से खींचकर मारा गया अगर उसको और व्यापारीगण न उठाते तो वह मर जाता । महिलाओं को धर्मशालाओं से और स्कूलों से निकालकर मारा गया । व्यापारियों का दोष मान्यवर इतना था कि वह सेल्स टैक्स के दफ्तर में यह शिकायत करने गये थे कि सचल दल ने किस तरह से परेशान किया है । उन्होंने कोई हिंसा का वातावरण पैदा नहीं किया था, मान्यवर, जब पुलिस ने उनसे कहा कि वह राजमार्ग पर न जाएं तो वह वहीं बैठ गये, तो उन पर बर्बर लाठी-चार्ज कर दिया गया । ऐसा वातावरण पांच दिन तक मुरादाबाद में रहा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, एस0 पी0 सिटी और एस0 डी0 एम0 ने जो लाठी चार्ज कराया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए । जिन अधिकारियों ने इस तरह से बर्तन व्यापारियों को प्रताड़ित किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । उन लोगों को लम्बी छुट्टी पर भेज दिया गया है और वह वहीं घूम रहे हैं । पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । मान्यवर, मेरी मांग है कि सेल्स टैक्स और बाकी सब टैक्स खत्म करके कम्पाउन्ड टैक्स रखा जाए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस गंभीर मामले की ओर माननीय डा0 जौहरी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह केवल मुरादाबाद का मामला नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के व्यापारी आज आंदोलित हैं। अगर कोई व्यापारी कर चोरी करता है तो सरकार को उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन अनिवार्य रूप से सभी व्यापारियों को प्रताड़ित करने का कोई समर्थन नहीं करेगा। जैसा कि सचल दल के बारे में कहा गया, सचल दल जान-बूझकर लोगों को प्रताड़ित करता है, हैरेसमेंट करता है। इस विभाग में बड़ा भारी भ्रष्टाचार है । मेरी जानकारी को सही मानकर कि जितना अंशदान सचल दल द्वारा लिया जाता है उससे 3 गुना, 4 गुना पैसा भ्रष्टाचार के कारण बिक्रीकर अधिकारियों की जेब में चला जाता है । मैं भ्रष्टाचार का उदाहरण देना चाहता हूं । कम्प्यूटर के कारण उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन नंबर बदल दिये गये हैं और आदेश कर दिया गया है कि यदि रबड़ की मुहर लगा दी जायगी तो माना जायगा।

लेकिन अभी एक जे0 बी0 ग्रुप का सेट पकड़ गया और साढ़े 12 हजार रुपया जुरमाना लगा दिया गया । यह मामला बिक्रीकर आयुक्त के यहां गया तो रिफंड के आर्डर किये गये लेकिन पैसा पड़ा हुआ है। विभाग में भ्रष्टाचार के कारण फर्जी फर्में बन जाती हैं। यह फर्जी फर्में कैसे बन जाती हैं जबकि उनका पंजीकरण सेल्स टैक्स विभाग करता है। सेल्सटैक्स विभाग के कारण आज ईमानदार व्यापारी आफत की जिंदगी जी रहा है। मुरादाबाद में जब व्यापारी अपनी मांगों को लेकर गये तो उन पर लाठीचार्ज किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों को घातक चोटें आयीं । जो दोषी अधिकारी हैं उनमें से न तो किसी का ट्रांसफर किया गया और न किसी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि बिक्रीकर विभाग के और गृह विभाग के जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके सदन को अवगत कराया जाय, शासन की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है उसको बताया जाय।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, बिक्रीकर की चेकिंग के संबंध में 10-3-89 को 50 व्यक्तियों ने बिक्रीकर अधिकारियों से अभद्र व्यवहार किया। दोनों तरफ से इस संबंध में मुकदमें कायम किये गये हैं जिनकी विवेचना जारी है। 18 तारीख को रास्ता रोक कर अवरोध पैदा किया गया तो उसमें पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और रास्ता खुलवाया। इस संबंध में पुलिस की तरफ से मुकदमा कायम कराया गया और दूसरे पक्ष की तरफ से भी मुकदमा कायम कराया गया और गिरफ्तारियां हुयीं। इसमें खास बात यह है कि 21/22 की रात को आपस में समझौता हो गया है। अब व्यापारियों में कोई रोष नहीं है। विवाद खत्म हो गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि हल्का सा बल प्रयोग हुआ है। वहां की विधायिका सिंघल जी बैठी हुई हैं उनसे पूछें 100 से अधिक लोगों का मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ है। लोगों को काफी चोटें आयीं । मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं। यह बता दें कि समझौता किन शर्तों पर हुआ है?

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मुरादाबाद में व्यापारियों के साथ पुलिस के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया । 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं । हिन्दुओं ने वहां पर होली नहीं मनायी और मुसलमानों ने अपना त्योहार नहीं मनाया। सारा मुरादाबाद बंद रहा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसकी जांच करायी जानी चाहिए। सेल्स टैक्स अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं और गलत ढंग से टैक्स लेते हैं ।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र की विधायिका हूं जहां पर यह घटना हुई है इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ी सी बातें सदन के संज्ञान में लाऊं । 8 तारीख को कोई घटना हुई किसी व्यापारी के साथ सचल दल की । उसके उपरांत काफी व्यापारी इकट्ठे होकर बिक्रीकर कार्यालय गये और वहां पर जाकर वार्ता करनी चाही।

श्री उपाध्यक्ष–

पुष्पा जी चर्चा नहीं हो रही है। वह नियम 56 पर बोल रहे थे आप किस पर बोल रही हैं?

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मैं इसलिए बोल रही हूं कि जो कुछ घटना हुई है उसका तजकिरा हो चुका है। जो वहां पर लाठी चार्ज हुआ उसके लिये हम पूरे तरीके से उनके साथ हमदर्दी रखते हैं और उस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने 29 तारीख को समय दिया है बिक्री कर के ऊपर उनसे वार्ता होगी। इसलिये बिक्री कर के ऊपर कोई बात कहना मैं समझती हूं कि उचित नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इतना बड़ा लाठी चार्ज हुआ है कि पूरे प्रदेश भर के व्यापारियों ने हड़ताल करने का फैसला किया है। अगर सरकार ने संतोष जनक ढंग से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की. . . .

(व्यवधान)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, ऐसा बर्बर लाठी चार्ज हुआ कि ढाई सौ घायल हुए. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया, अब तो बाकी काम सरकार का है. . . . .

(व्यवधान)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, व्यापार में लगे सब मजदूर हड़ताल पर हैं, आपने क्या कार्यवाही की? बताइये. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर सरकार को निर्णय लेना है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप क्षमा कीजिएगा, सदन का समय तो आप स्वयं नष्ट कर रहे हैं, इतनी देर में तो आप मंत्री जी को बोलवा लिये होते।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

मैंने मान्यवर, सदन को सारे तथ्यों से अवगत करा दिया और समझौता हो गया, तो क्या चीज बाकी रह गयी है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि समझौते के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी, और की गयी, तो क्या कार्यवाही की गयी? . . . .

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने पिटवा करके माफी मंगवा दिया है। क्या पुलिस वालों ने उन लोगों को पीटा और उसके बाद मंत्री जी ने माफी मंगवा दिया है? मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उनको दण्ड देने के लिए तैयार नहीं हैं? जब आपके हाथ में पुलिस का डण्डा है, तो आप जैसा चाहें, वैसा फैसला करवा दीजिए । . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं स्टेटमेंट स्वीकार किये देता हूं, आ जायेगा उनका वक्तव्य। . . .

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह यादव)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने नियम 56 के अन्तर्गत जवाब दिया, उससे हमारे सदस्यों को तसल्ली नहीं हो रही है। व्यापारी वर्ग और सरकार में क्या समझौता हुआ है और कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है?

(व्यवधान)

समझौता क्या हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, यह समझौता क्या हुआ है, इसकी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। समझौता हो गया है।

कृषि मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य सीतापुर ने अभी अपने भाषण में यह कहा कि सदन के समय का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और हठ भी आप कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि वह अपने शब्द वापस लें अथवा उसको कार्यवाही से निकाल दें यह आपकी सीट पर आक्षेप है । माननीय सदस्य ने कहा कि आप सदन का समय दुरुपयोग कर रहे हैं यह आक्षेप है आपकी सीट पर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने कहा था कि बार-बार हमसे बात करके आप सदन का समय का नष्ट करते हैं मंत्री को बुला लीजिए इसमें हमने कोई अमर्यादित बात नहीं कही । बार-बार आप मुझे बोलने का मौका अकारण देते हैं नेता विरोधी दल ने चाहा था कि मंत्री जी को बुलवायें । मान्यवर, मंत्री जी कितनी जिम्मेदारी से बोलते हैं इसकी कल्पना खुद कर लें माननीय मुरादाबाद की सदस्या ने जानकारी दी समझौते की शर्तें बताईं वह समझौते में थी उसके बाद सरकार का यह कहना कि हमको समझौते की जानकारी नहीं है इससे गैर जिम्मेदाराना कौन सी बात होगी । मान्यवर, माननीय कौशल जी खड़े हो गये वह भी मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं अगर वह इस बात का समर्थन करेंगे कि समझौता 3-4 दिन पहले होने के बाद मंत्री जी कहें कि मुझे जानकारी नहीं

है अगर वह समर्थन करते हैं तो मैं नमन करूंगा, बैठ जाऊंगा लेकिन अगर समर्थन नहीं करते हैं तो आप हमें संरक्षण प्रदान कीजिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री, वित्तमंत्री बैठे हुए हैं उनसे साफ-साफ बतायें कि क्या समझौता हुआ ? माननीय सदस्या की बात भी हम साफ-साफ सुनना चाहते हैं । 4 बज रहे हैं आज सदन उठने तक हमें यह बात बता दी जाय अन्यथा हमारा आरोप सही है कि सरकार व्यापारी वर्ग को प्रताड़ित कर रही है और विभाग के भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है यह आरोप लगाने को मजबूर होना पड़ेगा ।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

उपाध्यक्ष जी, आप मुझे इजाजत देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप एक बार बोल चुकी, अब काहे को खड़ी हो गयी ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय सदस्या से मार्गदर्शन करवा लें ।

मेरा आपसे कहना यह है कि बहुत से माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, सेल्स टैक्स अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई क्योंकि इन लोगों ने व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी को जवाब देने दीजिये सिंघल जी आप काहे को खड़ी हो गयी हैं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आज एक मंत्री जी की पूरी सरकार बैठी हुई है जैसा गुप्ता जी ने सुझाव दिया है अगर इस समय इनके पास सूचना नहीं है तो सदन समाप्त होने से पहले गृह मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि समझौता किन-किन बातों का हुआ है और कितना क्रियान्वित हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

यह समझौता जो किया गया है, मान्यवर, आज ही कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है, कल तक हम समझौते की शर्तें पेश कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि राज्य मंत्री जी जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आग लग जायेगी 2 दिन के बाद प्रदेश में हड़ताल होगी अगर सरकार की तरफ से उसके समाधान की कार्यवाही नहीं की गयी। यह अपने दायित्वों को छिपा रहे हैं । यह सरकार विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और सच्चे इमानदारी व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है । इन शब्दों के साथ मैं बहिर्गमन करता हूं । (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये) (व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

मैं भी बहिर्गमन करता हूं । (व्यवधान)

(श्री शफीकुर्रहमान वर्क सदन त्याग कर चले गये)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, हरदेव जी को बैठाइये तो बोलूं । मान्यवर, आज हजारों किसान प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों और तहसील केन्द्रों पर धरना दे रहे हैं । यह धरना उत्तर प्रदेश किसान सभा के झण्डे के नीचे हो रहा है उनकी मांग है कि सवा छः एकड़ तक के किसानों के कर्जे माफ किये जायं । उनके कर्जे के जो ब्याज है उसको माफ किया जाय और मूलधन को किस्तों में वसूल किया जाय और जो सरकारी और सहकारी देयों की वसूली हो रही है, और उसमें जो जोर जबर्दस्ती की जा रही, है, उसको तत्काल बन्द किया जाय । इन मांगों को लेकर हजारों-हजार किसान प्रदेश में धरने दे रहे हैं । अभी रबी की फसल किसान के घर नहीं पहुंची है । इधर के और उधर के सभी मा0 सदस्य यह बात जानते हैं । सदन में यह कहा जाता है कि यह निर्देश दे दिये गये हैं कि जबर्दस्ती नहीं की जायगी । लेकिन जबर्दस्ती की सीमा पार की जा चुकी है । बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं । मा0 मुलायम सिंह जी ने आज जो मामला पेश किया कि पूंजीपतियों के ऊपर करोड़ों करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन उनको छूट दी जा रही है । और किसानों पर एक हजार, पांच सौ, चार सौ, सात सौ बकाया होने पर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं । उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है । अपमानित किया जा रहा है तहसील में बन्द किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है । पूरे प्रदेश का किसान दुःखी है । उनमें रोष और क्षोभ है । स्थिति यह है कि कई वर्षों से बराबर सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि की प्रक्रिया चलते रहने के कारण किसान की कमर टूट गयी है । लेकिन सरकार पूरी जबर्दस्ती के साथ वसूली कर रही है । इससे किसानों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । महेन्द्र सिंह टिकैत ने जो स्थिति पैदा कर दी कि उस इलाके में सरकार वसूली नहीं कर पा रही है, कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं, क्या सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश में किसानों द्वारा यही स्थिति पैदा कर दी जाय । पूरे प्रदेश के किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त है । मैं अनुरोध करूंगा कि सदन का कार्य स्थगित कराकर इस गम्भीर समस्या पर चर्चा करावें और सरकार को निर्देशित करें कि सदन में जो आश्वासन दिया जाय, उसका कड़ाई से पालन हो। खाली रेडियों और टेलीवीजन प्रसारण के लिये आश्वासन न दिये जायं । और किसानों का उत्पीड़न तत्काल बन्द किया जाय ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, यह जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मेरी ओर से भी यह प्रस्ताव है । यह इस प्रदेश के 75 प्रतिशत किसानों की गम्भीर समस्या है । किसानों से लगातार कर्जे की वसूली की जा रही है। सरकार का अरबों रुपया पूंजीपतियों पर बाकी है लेकिन उनसे वसूली नहीं की जा रही है और किसानों के कर्जे की जबर्दस्ती वसूली की जा रही है । पिछले साल ओलावृष्टि बाढ़ और सूखे के कारण किसान उबर नहीं पाया है । किसान का आलू सड़कों पर पड़ा है । उसके गन्ने के दाम मिले नहीं हैं । फसल खेतों में खड़ी है, लेकिन कर्जों की जबर्दस्ती वसूली की जा रही है । पूरे प्रदेश के हर जनपद में किसान सभा के झण्डे के नीचे कर्जे की माफी और जबर्दस्ती वसूली के खिलाफ किसान धरने पर बैठ गया है । हमारे जिले में एक हजार किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर डी0 एम0 के कार्यालय पर बैठा है। इस तरह से जो जबर्दस्ती वसूली की जा रही है, उसे रोकने के लिये और कर्जे की माफी के सवाल

पर इस सदन में चर्चा स्वीकार करें । मान्यवर, हमारा जो कोआपरेटिव है, उसके जो फर्जी कर्जे हैं उनकी भी जबर्दस्ती वसूली की जा रही है । इसलिये मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि जो किसान 25 बीघे से कम हैं और सवा 6 एकड़ के हैं, उनके कर्जे माफ किये जायं और इससे ऊपर के किसानों को ब्याज माफ किया जाय और इनको जेलों में बन्द न किया जाय तथा इस विकट प्रश्न पर, जो उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों से जुड़ा है, सदन में चर्चा कराई जाय ।

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

मान्यवर, दिनांक 27-2 को इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि किसानों से राजस्व वसूली के संबंध में उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी। इस संबंध में 17-3-89 को समस्त कलेक्टरों, मंडलायुक्तों को यह आदेश भेजे जा चुके हैं कि भू-राजस्व, भूमि विकास कर, सिंचाई शुल्क, जी0 एन0 एफ0, ई0 एन0 एफ0, तकावी, कृषि तकावी आदि सभी देयों की वसूली 1 मई तक न की जाये और इसके लिये किसी के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जायगी, लेकिन हमारे बलिया में ही एक किसान का ट्रैक्टर जबरन ले जाकर बन्द कर दिया गया और मंत्री जी कह रहे हैं कि दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी ।

(श्री राम शरण दास जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि 17-3-89 को समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधीशों को यह आदेश भेज दिये गये हैं कि एक मई तक कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जायगी और खासतौर से भू-राजस्व, भूमि विकास कर, सिंचाई शुल्क, जी0 एन0 एफ, ई0एन0 एस0, तकावी तथा कृषि तकावी के लिये उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी । जो लोग आसानी से दे सकते हैं, वह दें और इसके अलावा जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था की जो नियमावली 1952 की है, उसके 247 के अन्तर्गत पहले से व्यवस्था है कि 500 रुपये तक अगर किसी किसान पर बकाया है, तो उससे बिल्कुल उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय । बाढ़ और ओले के संबंध में भी बहुत पहले 3-10-88 को आदेश भेजे जा चुके हैं कि 31 मार्च तक किसी वसूली की कार्यवाही न की जाय । यह जनरल प्रश्न है अगर किसी भी जिले के संबंध में अगर उत्पीड़न की सूचना आती है, तो उसे देख लिया जायगा । अगर किसी किसान का उत्पीड़न होता है, तो उस संबंध में कार्यवाही की जायगी और यह कार्यस्थगन का कोई प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, बिजली की वसूली, सिंचाई की वसूली, आदि तमाम चीजें हैं, लेकिन मंत्री जी ने केवल भू-राजस्व की बात यहां की । इसका मतलब कि सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया । मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और सदन में झूठी घोषणायें करती है । बार-बार निर्देश जाते हैं, लेकिन

उन निर्देशों का पालन नहीं होता है न यह सरकार चाहती है कि पालन हो और लगातार उत्पीड़न जारी है, अतः इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हुये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन की सूचना दी है, वह इतनी गम्भीर है । मेरे पत्र में एक आदमखोर शेर 9 महिलाओं और बच्चों को खा चुका है और उन्हें मार डाला है और इस पत्र में जिसमें नाकोट, सिस्तोली, भुरमुनी, नेकीना, बास और अन्य संबंधित ग्राम आते हैं इस पत्रों में 16 लोगों को घायल कर चुका है तथा इस शेर का आतंक जनपद मुख्यालय तक पहुंच चुका है । इससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है और पूरे इलाके में एक कर्फ्यू जैसा लग गया है । शाम 5 बजे के बाद लोगों ने बाहर निकलना बन्द कर दिया है, न हो कोई बाहर निकलने की स्थिति में है । आजकल बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं और छात्र जब परीक्षा केन्द्रों तक जाते हैं तो उनके साथ पूरे गांव के लोग जुलूस बनाकर शोर मचाते हुये उनको छोड़ने जाते हैं । बड़ी विकट स्थिति वहां पैदा हो गयी है तथा शेर का अत्यन्त आतंक वहां व्याप्त है, लोग बुरी तरह भयभीत हैं । अबकी बार वहां पर लोगों ने जो होली खेली और उसमें यह कहते हुये होली खेली कि हे मइया तू अपने वाहन को समझा दे । इतनी भयानक स्थिति है । विभाग ने और जिला प्रशासन ने जो कार्यवाही वहां पर की है वह यह है कि शेर को पकड़ने के लिए केवल एक पिंजरा वहां धर दिया गया है, इसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की है । आम लोगों में वहां पर भय व आतंक का वातावरण पैदा हो गया है । समय-समय पर इस प्रकार के आदमखोर होते रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाय, इस पर गम्भीर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है ताकि कोई ऐसा हल निकले जिससे आतंक को खत्म किया या सके और शेरों को कन्ट्रोल में किया जा सके । इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो मवेशियों को नुकसान होता है और जो आदमी मारे जाते हैं, उनको तुरन्त मुआवजे का भुगतान हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय श्री एरी जी ने जो सूचना दी है कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में । पहले तो मैं यह कह दूं कि यह प्रस्ताव कार्य स्थगन का नहीं बनता है । इस सम्बन्ध में मेरी बात भी हुई है । वहां पर आदेश दिये जा चुके हैं कि या तो इस आदमखोर को पकड़ लिया जाय और या फिर खत्म कर दिया जाय । एक पिंजरा वहां पर है, फिर केज भिजवाने की बात है । मैं इस सम्बन्ध में बाद में भी माननीय श्री एरी जी से बात कर लूंगा और वन मंत्री जी से भी कह दूंगा कि वह इस संबंध में श्री एरी जी से विस्तार से चर्चा कर लें । क्योंकि वहीं के वह रहने वाले हैं । सरकार प्रयास कर रही है कि यह आतंक जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाय । एक सैंचु-एशन आ गई है, उससे निपटा जायेगा ।

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को बिल्कुल जानकारी नहीं है। वन मंत्री जी की

ऊपर बात टाल रहे हैं। कक्ष में क्या बात करेंगे। क्षेत्र में भयानक स्थिति है, आतंक व्याप्त है। हमने कहा कि शेर को जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाय या फिर मार दिया जाय। जो लोग मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं और मवेशियों को जो नुकसान होता है, उन्हें तुरन्त मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस बारे में मान्यवर, या तो आप वक्तव्य दिलवा दें या फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करवा दें।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं बड़े ही गम्भीर जन समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। लखनऊ नगर में टैम्पो से निरन्तर घटनाएं हो रही हैं। पूरे लखनऊ नगर में वर्ष 1988 में 4 हजार दुर्घटनायें हुई हैं। स्थिति यह है कि सड़कों पर एक सामान्य नागरिक के लिए चलना खतरनाक हो गया है। न कोई नियम है और न कोई ट्रैफिक रूल्स हैं। ज्यादातर टैम्पो चालक अपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं और 30 प्रतिशत चालक ऐसे हैं जो 18 साल से कम आयु के हैं, जो शराब पीकर, धुत्त होकर तेज रफ्तार से टैम्पो चलाते हैं, फलस्वरूप दुर्घटना का कारण बनते हैं। टैम्पो में यात्रा कर रहे लोग ही दुर्घटना के शिकार नहीं होते बल्कि सड़क पर चल रहा आम यात्री भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। साइकिल पर चल रहा और स्कूटर पर चल रहा नौजवान दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इसी लखनऊ नगर में इसी टैम्पो दुर्घटना में 113 मौतें हुईं, 658 लोग बुरी तरह से घायल हो गये। लगभग 4 हजार के करीब दुर्घटनायें हुईं, परन्तु पुलिस में केवल 800 दुर्घटनायें ही पंजीकृत हुईं। दिसम्बर के बाद इन दुर्घटनाओं में 30 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है। लखनऊ में दो हजार से ज्यादा टैम्पो चलते हैं। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर रोड पर 9 यात्री जा रहे थे, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के दो चिकित्सक भी थे, 5 लोग मारे गये। एक प्रधान था दिनेश तिवारी, वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 6 महीने से अस्पताल में है। उसके सारे शरीर में "बैड सोर" हो गये हैं। उसके छोटे-छोटे बच्चे अनाथ हो गये हैं। शासन ने न उसकी दवा-दारू की चिन्ता की और न उसके परिवार की। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव के लड़के को टैम्पो ने टक्कर मारी, वह लड़का अस्पताल में पड़ा है। इससे ज्यादा तात्कालिक और लोक महत्व की घटना हो नहीं सकती है। इस समय परिवहन मंत्री जी उपलब्ध हैं। ऐसा प्राविधान करें कि टैम्पो चालकों को लाइसेंस देते समय कड़ाई से नियमों का पालन किया जाय। जो लोग अपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनको लाइसेंस न दिया जाय। जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनको टैम्पो चलाने का लाइसेंस न दिया जाय। टैम्पो चालक दुर्घटना करके गायब हो जाते हैं, मुश्किल से 5 प्रतिशत ही फंसते हैं। दिनेश तिवारी, जिसका मैंने जिक्र किया, युवा लोकदल का अध्यक्ष था। वह पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसकी जीविका का कोई साधन नहीं है। वह एक अच्छा नौजवान लड़का था, उसकी पत्नी इण्टरमीडिएट पास है। मैं शासन से मांग करता हूं कि उसके इलाज की समुचित व्यवस्था करें और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करें। उसकी पत्नी को राजकीय सेवा में काम करने का मौका दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मा0 अशोक बाजपेयी जी ने सारी बातें कह दीं । हमें कहना है कि वह नौजवान बेकार हो गया और ठीक होने वाला नहीं है, ऐसी डाक्टरों की राय है । या तो उसका निधन हो जायगा या जीवन भर के लिए बेकार हो जायेगा। उसकी पत्नी इण्टर पास है । अगर उस परिवार की जीविका के लिए आपकी मेहरबानी हो जाय और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवा दें, तो यह मानवीय दृष्टि से ठीक रहेगा ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, माननीय सदस्य अशोक बाजपेयी जी जिस समस्या की ओर ध्यान खींचा है, उसके लिए सभी व्यवस्थायें करायी जा रही हैं कि दुर्घटनायें कम से कम हों । आपको याद होगा पहले जो टैम्पो गणेश टाइप के चलते थे, उनको निरुत्साहित किया गया । "विक्रम", जो ज्यादा सुरक्षित है, उन्हीं को प्रचलित किया जा रहा है । यह सही है कि बढ़ती हुई आबादी के साथ टैम्पो की संख्या भी बढ़ रही है । नगर बस सेवा के माध्यम से या मिनी बस के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है । इसको देखेंगे कि जो 20 वर्ष से कम आयु के हैं उनको टैम्पो चलाने के लिए प्रेरित न किया जाय। आप देखें कि अगर आज टैम्पो पूरी तरह से रोक दें तो एक कियास्क सा उत्पन्न हो जायगा क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है । लेकिन हम प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं और इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि या तो नगर बस सेवा को बढ़ाया जाय या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाय यात्रियों की सेवा के लिए । हम माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करते हैं और हम इसके लिए एक सघन अभियान चला करके कि जो पात्र नहीं हैं और टैम्पो चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे और मानवीय आधार पर सहायता देने की जो बात अभी माननीय मुलायम सिंह जी ने कही है तो जो भी सम्भव सहायता शासन की ओर से हो सकेगी, उसे हम देखेंगे कि वह सहायता उनको मिले ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उनकी पत्नी को आप नौकरी पर लेने के लिए विचार कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इस समय केवल यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जो भी वे कहेंगे और जैसा भी कहेंगे, हर सम्भव सहायता देने का हम प्रयास करेंगे ।

*श्री कमलेश कुमार पाठक–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत ही गम्भीर मामले को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । यह एक सुनियोजित मामला है कि जनपद इटावा में दर्जनों माफिया गैंग के लोगों को, अपराधिक तत्वों को दर्जनों सुरक्षा गार्ड प्रदान किये गये हैं । जो सिद्ध अपराधी हैं जिन्होंने विभिन्न न्यायालयों से सजा पायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, जेलों में रहे हैं, आजीवन सजा में कारावास की सजा भोग कर बाहर आये हैं, उनको इटावा की पुलिस ने सुरक्षा गार्ड प्रदान कर दिया है । यह अपराधी सामाजिक जीवन के लिए खतरा बन गये हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बन्द किये गये थे और एक-एक साल तक जेलों में रहे हैं और अब जब वे बाहर आये हैं तो उनको सुरक्षा गार्ड प्रदान कर दिये गये हैं । अपराधियों के संबंध में गिरोह बन्द कानून है। उसके अन्तर्गत जेलों में बन्द रहने के बाद अब जब ये लोग बाहर आये हैं तो डकैतियां डालते हैं, हत्यायें करते हैं, लूट-पाट और राहजनी करते हैं, जेलों में इसके लिए बन्द रहे हैं और अब जब ये बाहर आये हैं तो इस सरकार ने उनको सुरक्षा गार्ड प्रदान कर दिये हैं । दो दर्जन माफिया सरदारों को सुरक्षा गार्ड दे दिये गये हैं । अब ये अपराधी पुलिस की मौजूदगी में जुल्म करते हैं, जुआं घर चलाते हैं, सट्टा खेलते हैं । कांग्रेस पार्टी के सफेदपोश लोग वहां पुलिस से मिल-जुल कर अपराधियों को सुरक्षा गार्ड दे रहे हैं । उनकी मौजूदगी में क्लब चल रहे हैं और वहां पर सट्टे हो रहे हैं । अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है । इटावा में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है । इनकी मंशा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस प्रकार से अपराधियों को सुरक्षा गार्ड देकर उनको बूथ कैपचरिंग के लिए तैयार किया जा रहा है । मामला बहुत गम्भीर है । मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सदन की सभी कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दी जाय। एक नहीं श्रीमन्, मैं बड़ी निर्भीकता के साथ कहता हूं कि ऐसे मैं बीसों नाम गिना सकता हूं । इस सरकार ने गैंगस्टर के अनेक लोगों को सुरक्षा गार्ड दे रखा है । मैं जानना चाहता हूं कि दोष सिद्ध अपराधी को सुरक्षा गार्ड क्यों दिया गया है ? इस पर आप चर्चा करा दें ताकि सभी बिन्दु सदन के सामने आ जायं ।

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कमलेश पाठक ने जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा है, वह सही है कि जनपद इटावा में तमाम अपराधी तत्वों को सुरक्षा गार्ड दिये गये हैं । इससे जिले में भय का वातावरण पैदा हो गया है । इसके कारण जो अपराधी हैं और जिनको सरकार के इशारे पर सुरक्षा गार्ड दिए गये हैं वे ही लोग अपराध कर रहे हैं थाने में बैठकर गलत-सलत काम कर रहे हैं । इसलिए मेरी मांग है जिसमें से कल्लू नामक व्यक्ति जो कि दीनपुरा का रहने वाला है उसको भी सुरक्षा गार्ड दे दिया गया है । उसकी जांच करायी जाए और तुरन्त सुरक्षा गार्ड हटाया जाए । और जो लोग अच्छे हैं जिन्हें परेशान किया जा रहा है और इसकी वजह से उनमें भय व्याप्त है और इसके अतिरिक्त जो लोग लगातार विरोध करते रहते हैं और अपराधिक तत्वों से उनकी जान असुरक्षित है, तो उनको सुरक्षा गार्ड नहीं दिया जाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और अभी कुछ दिन पहले जब गृह विभाग का बजट चल रहा था, उस समय भी मैंने इस बात को रखा था कि भोला शंकर सेंगर जो अजीतमल ब्लाक के हैं, उनके लिए सुरक्षा गार्ड की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इनके मामले में आज तक कोई जांच नहीं हुयी और न ही अब तक उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था की गयी, इसलिए हमारी मांग है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि हमारे यहां जो अपराधिक तत्व हैं और जिन्हें सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं, सभी की जांच कराए और जो सुरक्षा उनको दी गयी है, वह हटायी जाए और कल्लू नाम का जो अपराधी है, उससे भी सुरक्षा गार्ड हटायी जाये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी कमलेश पाठक जी ने गम्भीर मामला उठाया है, उन बातों को दुबारा दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इनसे जो दो नाम अपराधियों के लेने से रह गये हैं, वह बता दूं और यदि आप इस पर चर्चा स्वीकार करें तो ऐसे दर्जनों अपराधियों के नाम चर्चा के दौरान आयेंगे, उन्हीं में से एक नाम है अरविन्द शुक्ला का, जिसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जिस पर 14 मुकदमें, चोरी के डकैती के, बलात्कार के 307 के अन्तर्गत दर्ज हैं, विचाराधीन हैं, उसको मान्यवर, सरकार की तरफ से सुरक्षा गार्ड दे दी गयी है, जो खुले आम सट्टे-बाजी करा रहा है। इसी प्रकार से मान्यवर, दूसरा नाम है बंटी, इस पर भी 2-3 मुकदमें 307 के अन्तर्गत विचाराधीन हैं, इसे भी सुरक्षा गार्ड दिया जा चुका है । मैं अधिक बात इस पर नहीं करना चाहता क्योंकि अभी माननीय राम शरण दास जी को भी बोलना है, वैसे मैं इन बातों की सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री को भी लिखित रूप में दे चुका हूं, साथ ही गृह सचिव व चीफ सेक्रेट्री को भी लिखित सूचना दी कि माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं और ऐसे अपराधिक तत्वों को सुरक्षा गार्ड दिया जा रहा है, तो मुझे सूचना मिली है कि मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचना पहुंचायी जा चुकी है, परन्तु फिर भी उन्हें सुरक्षा दी जा रही है इन दोनों को अरविन्द शुक्ला को भी और दूसरे बंटी को भी और इसी प्रकार से दूसरे मनन ब्लाक के कुछ लोग हैं देवेन्द्र सिंह और इसी प्रकार से झींगर ब्लाक के सुल्तान को । इस प्रकार से मान्यवर, 14-15 दर्जन ऐसे लोग हैं, जिन्हें सुरक्षा गार्ड दिया गया है जो पूरी तरह से अपराधिक प्रवृत्ति के हैं, यह तो सिर्फ इटावा की बात है, जिन्हें आजीवन कारावास भी हो चुका है, लेकिन एस0 एस0 पी0 द्वारा ऐसे ही लोगों को सुरक्षा गार्ड दिया जा रहा है यह मान्यवर, बड़ा ही गम्भीर मामला है, इसकी वजह से खुलेआम जुआं, सट्टेबाजी, डकैती आदि हो रही हैं और शराब की दुकानें दिन-दहाड़े लूटी जा रही हैं, इस प्रकार से पूरे जिले में अराजकता फैली हुई है, इसलिए इस पर आप चर्चा स्वीकार करें, यह मामला मैं माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव सभी को बता चुका हूं, इसलिए इस पर अवश्य आज आप चर्चा स्वीकार करें ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इसका बहुत प्रयास किया जा रहा है कि जिनका आपराधिक इतिहास है उनको सुरक्षा गार्ड न दिया जाये । लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उनकी जान का खतरा पैदा हो जाता है रंजिश के कारण तो देना पड़ता है । इसके अलावा जो गार्ड दिये गये हैं वह विधायकों की संस्तुति पर दिये गये हैं । आपने 12 कहा है तो ऐसा नहीं है । जानकारी में आया है कि आदमी हैं जिनमें तीन का आपराधिक इतिहास है । जो बंदी है उसका गार्ड समाप्त कर दिया है और 14-3-89 को हटा लिया गया है । श्री अब्दुल सलीम और राम औतार इनका कोई

अपराधिक इतिहास नहीं है । सिर्फ तीन हैं जिनका अपराधिक इतिहास है । अरबिन्द और राधे का अपराधिक इतिहास है, उनकी जान का भयंकर खतरा होने के कारण गार्ड दिया गया है . . ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अरबिन्द शुक्ला को क्यों गार्ड दिया गया है?

श्री सईदुज्जमा—

मैंने बताया कि उनकी जान का खतरा है । लेकिन इसकी जांच करा लेंगे और तब समाप्त किया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपसे आग्रह है कि आप हम लोगों को संरक्षण दें । मंत्री जी के जवाब को देखें कह रहे हैं कि अपराधियों की जान का गंभीर खतरा पैदा हो गया है इसलिये गार्ड दिया गया है । वह कितने कत्ल कर चुके हैं और उनको गार्ड दे रहे हैं । आज पूरे प्रदेश में जरूरतमंद और किसान लोगों को हथियारों के लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं लेकिन इन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी जान का गंभीर खतरा है । इसलिये ऐसे जवाब से काम नहीं चलेगा, यह आपका कौन सा पैमाना है । इसलिये मेरा आग्रह है कि इस गंभीर मसले को और मसले भी हम कल देंगे जिनको आप इकट्ठा करके एक घंटे की चर्चा करा दें जिससे सदन में सब बातें आ जायं या आप वक्तव्य दिलवा दें ।

(श्री गया प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गया प्रसाद वर्मा जी आप बैठ जायं । मैंने एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लिया है ।

डा0 दिनेश जौहरी की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

श्री अशोक बाजपेई की सूचना को भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

श्री कमलेश कुमार पाठक की सूचना पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

शेष सभी नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मैंने आपको डकैती के सम्बन्ध में एक सूचना दिया था . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

शलाका में नहीं आयी तो मैं क्या करूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान ट्यूब वेल पर नहीं जा रहे हैं और आपके अधिकारियों के संरक्षण में सब अदल बदल कर रहे हैं । आप गरीब किसान की कोई सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं . . (व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

आप यह शलाका खत्म कीजिए । आप अपने विवेक पर रखिये, क्योंकि इससे गम्भीर मामले नहीं आ पाते हैं और हल्के फुल्के तमाम मामले आ जाते हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

राजकिशोर जी, आपका छठवें नम्बर पर है, कल चाहें तो दे दीजिएगा, बैठिये।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

सवाल यह है कि मैं आपसे कह चुका हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस मसले पर लिखकर दे चुका हूं और एक दिन कहा था जब वह सुरक्षा गार्ड उसे देने जा रहे थे। तो चीफ सेक्रेटरी तक से कहा था कि इसे आप मुख्य मंत्री तक खबर पहुंचा दें। पांच साल तक यह प्रयास होता रहा। पहले वाले मुख्य मंत्री ने उसे नहीं दिया था सारी कोशिशों के बावजूद इसी ग्राउन्ड पर और इसके बाद नये मुख्य मंत्री के आने पर फिर इसे दे दिया गया। इस अरबिन्द शुक्ला ने कमलेश पाठक पर गोली भी चलाई और हमारी पार्टी के एक उपाध्यक्ष स्वामी चरण सिंह पर भी और वह मुकदमा भी दर्ज है। यह अरविन्द शुक्ला ने अभी पेट्रोल पम्प पर आदमियों पर भी गोलियां चलाई हैं. . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इनको बाध्य नहीं कर सकता हूं, यह तो आप जानते हैं। (व्यवधान) चर्चा तो मैंने स्वीकार कर ली है, यह आपकी समझ में नहीं आता है, इसका मैं क्या करूं। . . . (व्यवधान)

तिवारी जी, अब तो मसला निबट गया है, (गौरी भैइया से) आप कल दुबारा दे दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

उसे वक्तव्य के लिए रख लीजिए. .।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मलिक जी, आप वाले पर वक्तव्य दिला दूं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

चर्चा करा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

तो आप फिर भेज दीजिएगा। बर्मा जी, आपकी सूचना शलाका में नहीं आई, नाम पढ़कर सुनाया गया था. . (व्यवधान) (श्री गोपीनाथ वर्मा से) आठवें नम्बर पर आपका है, उस पर शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया गया है। चलिए वक्तव्य दिलवाए देता हूं। तिवारी जी आपका कराये देता हूं. . . . (व्यवधान) (सरदार सिंह से) आपका भी कराये देता हूं। दोनों कराये देता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

छठवें नम्बर पर एक सूचना है। प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा लोग विषाक्त स्प्रिट पीने से मर चुके हैं। इस पर आपने वक्तव्य दिलवाने के लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, छठवें नम्बर पर वक्तव्य होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द जी आपका वक्तव्य स्वीकार कर लिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पूरे मुजफ्फरनगर जनपद में हाहाकार मचा हुआ है आप इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं इसलिए मैं सदन का वहिष्कार करता हूं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह ने सदन से वहिष्कार किया ।)

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) अनुदान संख्या-19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) अनुदान संख्या–52 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,96,01,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,49,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,66,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय 4 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, जो मैंने बजट प्रस्तुत किया है इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है । भूमिहीन खेतीहर मजदूर सीमान्त कृषक और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर दिए जायें निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए, सृजित सिंचन क्षमता का बेहतर तरीके से उपयोग हो और अतिरिक्त सिंचन क्षमता किस तरह से बढ़

सके यह काम इस विभाग द्वारा होता है । पंचायती राज संस्थाओं को किस तरह से सुदृढ़ करके ग्रामीण अंचलों में उनका उपयोग करें और ग्रामों का विकास बढ़ सके, यह कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है । जो नव युवक वर्ग है ग्रामीण अंचलों में इनको शारीरिक और मानसिक विकास के कार्यक्रम में लगाकर जो इनके बौद्धिक विकास के कार्य भी हमारे विभाग द्वारा किया जाता है । मुझे यह कहने में गर्व का अनुभव होता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन कार्यक्रमों को सम्पादित करने में विभाग ने सराहनीय कार्य किया है । खासतौर से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में और ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें जो हमने लक्ष्य रखे थे उससे अधिक उपलब्धियां हासिल होने की आशा है । निर्बल वर्ग आवास योजना तथा जो सिंचन क्षमता को बढ़ाने की हमारी योजना है, निशुल्क बोरिंग की जो योजना है उसमें भी विभाग ने बहुत सराहनीय काम किया है । एकीकृत ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जो गरीबी उन्मूलन की योजना ग्रामीण अंचलों में चल रही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति तथा सीमांत कृषक, लघु कृषक जो हैं उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों का हम सृजन कर रहे हैं । इसमें बहुत गुणात्मक सुधार आया है । जो भारत सरकार ने समवर्ती मूल्यांकन कराया है, पूरे देश में इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता की जो जांच की गयी है उसमें पाया गया है कि वर्ष 1987 में 85 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश में ऐसे पाये गये हैं जहां लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं की बैठक में हुआ है जबकि देश में यह प्रतिशत 59 था ।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 88 प्रतिशत लाभार्थी परिसंपत्तियों के क्रय मूल्य के औचित्य से संतुष्ट थे जबकि देश में यह प्रतिशत 73 था । इसी प्रकार से 78 प्रतिशत मामले में उत्तर प्रदेश में परिसंपत्तियां सुरक्षित पायी गयीं जबकि देश का औसत 72 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत मामलों में एक हजार रुपये से अधिक वार्षिक आय हमारे प्रदेश में पायी गयी जबकि देश में यह औसत केवल 51 प्रतिशत रहा । श्रीमन्, फरवरी, 1989 तक प्रदेश के नये लाभार्थियों को दी जाने वाली जो इकाइयां थीं उनका औसत पूंजीनिवेश 5759 रुपये हो गया जबकि देश में यह औसत 4390 रुपये था । इसी प्रकार से लाभार्थियों के चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 47.9 प्रतिशत था जबकि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के चयन का प्रतिशत 43.6 रहा । मान्यवर, इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम विकास के कार्यक्रमों के अंतर्गत जो कार्य हुये हैं, हमारे देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत सराहनीय कार्य हुये हैं । हम चाहते हैं कि इनकी गुणवत्ता में और सुधार आये । लाभार्थी जिन्हें हम गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए जो परिसंपत्तियां सृजित की जा रही हैं उनसे अधिक लाभ हो उसके लिए हम और सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं । श्रीमन्, अक्सर शिकायतें आती हैं कि लाभार्थियों का चयन ठीक से नहीं होता है । शासन ने पिछले वर्ष यह निर्णय लिया है कि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में हो । जब खुली बैठक होगी और वहां चयन होगा तो लाजिमी है कि वही लाभार्थी चयनित होंगे जिनकी रुचि उस व्यवसाय में है और जो उस व्यवसाय को चलाना चाहते हैं । इसके साथ-साथ जो फर्जी लाभार्थियों का चयन दिखा दिया जाता था कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उसको खुली बैठक में चयन करके रोका जा सकता है ।

इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में हर ग्राम सभाओं में आर्थिक रजिस्टर तैयार कराये गये हैं । आर्थिक रजिस्टर में उस ग्राम सभा में जितने परिवार रहते हैं उनकी आमदनी कितनी है, आमदनी के साधन कितने हैं, खेती कितनी है, सिंचित भूमि कितनी है और असिंचित भूमि कितनी है, पानी पीने के साधन क्या हैं, हैंड पम्प या कुआ है, खेतों की सिंचाई नहर से होती है या कुयें से होती है, सवारी के साधन क्या हैं, साइकिल है या मोटर साइकिल या कार है इसी तरह से कच्चा मकान है या पक्का मकान है, इस रजिस्टर में सारा ब्योरा ग्राम सभा के हर नागरिक का लिखा रहता है । आर्थिक रजिस्टर से हम यह पकड़ सकते हैं कि किसी फर्जी आदमी का चयन तो नहीं हुआ है और चयन ठीक से हुआ है या नहीं । इसी के साथ-साथ जो ग्राम सभा की खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन होता है उसमें हमने युवक मंगल दल को शामिल किया है । जिससे कि एक वाइडर प्रासपेक्टिव में लाभार्थियों का चयन ठीक ढंग से हो सके और इसका लाभ भी हमारे सामने आया है लाभार्थियों के चयन में जो त्रुटियां हमें प्राप्त होती रही हैं उतनी अब नहीं प्राप्त हो रही हैं ।

इस प्रकार जो हमारे चयनित लाभार्थी हैं जब तक उनका बैकवर्ड लिंकेज और फारवर्ड लिंकेज नहीं करेंगे तथा कच्चे माल की उपलब्धि और पक्का माल जो तैयार होगा उनको बेचने की सुविधा नहीं होगी, उन लाभार्थियों को लाभ नहीं हो सकता, इसीलिए हमने प्रयास किया है लाभार्थियों का जब चयन हो तो बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था हो इसके लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला सहकारी संघ, रेशम निदेशालय, हथकरघा निगम जैसी संस्था को अधिक से अधिक हमने दायित्व सौंपा है । इससे सम्बद्ध कार्य बैकवर्ड लिंकेज और फारवर्ड लिंकेज की उपलब्धता कराकर उन लाभार्थियों को अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं । इसी प्रकार से ट्राइसम की जो योजना है, हमें कोशिश करते हैं कि जिन लाभार्थियों का चयन हो उन लाभार्थियों को ट्राइसम की योजना में ट्रेनिंग के लिए भेजें । यह जो योजना है उसमें ऐसे टेड की ट्रेनिंग दी जाय जिस ट्रेड की उसमें आवश्यकता हो जिसकी मांग हो । अगर उसी तरह की ट्रेनिंग हमारे लाभार्थी लेकर उस व्यवसाय में, उस कार्यक्रम में अपना उद्योग लगाते हैं व्यवसाय करते हैं तो अवश्य उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए धन प्राप्त हो सक्रिय हम यह प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में, विकास खण्ड में किस क्षेत्र को जरूरत है जैसे इंडिया मार्क-2 के हैंड पम्प लग रहे हैं उनकी मरम्मत की जरूरत है अगर नवयुवकों को ट्रेनिंग में इंडिया मार्क-2 की मरम्मत का काम सिखाया जायेगा तो उनको लाभ होगा । इसी तरह से बायोगैस मिस्त्री, राजमिस्त्री है । आज गांवों में राज मिस्त्री की बहुत जरूरत है तो हम कोशिश करते हैं कि जिनकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है, ऐसे लोग उस ट्रेड में ट्रेनिंग लें जिनकी आवश्यकता है ।

श्रीमन्, 1989-90 में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 148 करोड़ 56 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा मान्यवर, 5.80 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत मैदानी क्षेत्र में 50 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्र में 30 प्रतिशत रहेगा । आगामी वर्ष में इसी तरह महिलाओं का प्रतिशत जो लगभग 16 प्रतिशत है इस साल इसको बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष में रखा गया है । श्रीमन्, इसके साथ-साथ हमारी जो ग्रामीण महिलायें

हैं । पुरुषों के साथ महिलाओं को भी हम विकास की गति के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनकी भी विकास में भागीदारी चाहते हैं जब महिलाओं का भी उत्थान होगा तभी गांवों का उत्थान होगा । इसके लिए डी0 डब्लू0 सी0 आर0 योजना जो 17 जनपदों के 166 विकास खण्डों में इस समय चलायी जा रही है जिसके जरिये महिलाओं को धन उपलब्ध कराकर संसाधन उपलब्ध करा करके उनको व्यवसाय जैसे रस्सी बटना, मोमबत्ती, टाट पट्टी, सूत उत्पादन, दियासलाई बनाने आदि में इसमें उनको ट्रेनिंग दिला करके व्यवसाय स्थापित कराया जाता है जिससे कि महिलायें भी आमदनी कर सकें जो इसमें मूल्यांकन किया गया उसमें पाया गया कि महिलाएं भी औसतन 10 से 15 रुपये आमदनी कर रही हैं इस योजना के तहत इस वर्ष 4 जिलों में यह योजना और चलायी जायेगी इस तरह से पूरे प्रदेश में 17 के स्थान पर 21 जिलों में इस योजना का विस्तार किया जायेगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे भूमिहीन मजदूर हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, सीमान्त कृषक, लघु कृषक और मुक्त बंधुवा मजदूर हैं, इनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 की योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही थी लेकिन इस वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, आपने देखा होगा कि इन दोनों योजनाओं को एक करके एक रोजगार योजना चलाई जा रही है। भारत सरकार ने संकेत दिया है कि यह योजना नीचे स्तर से चलाई जायगी । अभी हम यह योजना स्टेट लेविल पर बना रहे थे । आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 से बनाई जाती है, डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा और विभाग द्वारा बनाई जाती है, लेकिन भारत सरकार ने संकेत दिया है कि यह योजना गांव स्तर पर बनाई जाय और गांव सभा को कार्यान्वियन में इन्वाल्व किया जाय। गांव सभा को धन उपलब्ध कराया जायगा और गांव सभा योजना बनायेगी, इम्प्लीमेंट करेगी और रखरखाव और देखभाल करेगी । इस तरह से इस योजना के जरिये अब गांव सभायें इन कार्यक्रम को चलायेंगी। जो शिकायतें आती रही हैं कि ठेकेदारी से काम होता रहा, फर्जी मस्टर रोल भरे जाते हैं, बाहर से मजदूर आते हैं, तो ये शिकायतें काफी हद तक दूर हो जायेंगी, जब गांव सभा का इन्वाल्वमेंट हो जायगा । सभी मा0 सदस्य चाहते हैं कि हमारी पंचायत राज संस्थायें मजबूत हों और जो विकास के कार्यक्रम हैं वे इन पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से कराये जायं ।

इसके लिए मैं प्रधान मंत्री राजीव गांधी को बधाई देना चाहता हूं इस मौके पर कि इस दिशा में महात्मा गांधी के सपनों को कार्यान्वित करके एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उन्होंने उठाया है । यह गरीबी उन्मूलन और गांवों के विकास की जो योजना है, इसको पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किस प्रकार से कराया जाय, इस पर बड़ी तेजी से भारत सरकार में विचार हो रहा है और इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस वर्ष बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए देश के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां बहुत ही पिछड़ापन है और बहुत तेजी से गरीबी बढ़ी है । वहां की गरीबी को मिटाने के लिए 500 करोड़ रुपये की एक जवाहर लाल नेहरू योजना, एक नयी योजना भारत सरकार ने चलायी है और इसमें

हमारे उत्तर प्रदेश को करीब 100 करोड़ रुपये के धन का आवंटन किया गया है। जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के तहत 23 जनपदों में, जो पिछड़े हैं, जहां बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पर इस कार्यक्रम को चलाया जायगा और यह कार्यक्रम सीधे गांव सभा के माध्यम से चलाया जायगा। इसी तरह से आज हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिये, गरीबों को काम देने के लिए तेजी से नयी योजनाएं देकर और पुरानी योजनाओं को क्रान्तिकारी ढंग से चलाकर इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की है। श्रीमन्, इस वर्ष एक और योजना हमने चलाई है। इस वर्ष हम 20 करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत, जिसके जरिए से श्रीमन्, प्रत्येक विकास खण्ड में 2 गांव सभाओं में सीधे आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना का रुपया देकर गांव सभा के माध्यम से गांव सभा के पर्यावरण सुधार के लिए, खड़न्जे और नाली के लिए गांव सभा को सीधे धन का आवंटन कर रहे हैं, यह योजना शुरू कर दी है। आदेश जारी हो गये हैं। आप घर पहुंचेंगे, तो पहली तारीख से हर विकास खण्ड में दो गांव में यह योजना ले ली जायगी। श्रीमन्, इसी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के तहत . . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, दो गांव जो लेंगे, इनकी स्वीकृति कहां से करेंगे? ग्राम प्रधान करेगा, ब्लाक प्रमुख करेगा, या कौन करेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आप सबकी राय से होगा। डी0 आर0 डी0 ए0 का धन है, आपकी राय, ब्लाक प्रमुख की राय या और जन-प्रतिनिधियों की राय से दो सबसे अधिक हरिजन बाहुल्य गांवों का चयन करना है। विरोध नहीं होगा उसका क्योंकि आपके क्षेत्र में होंगे दो गांव। शासन के पास इतने संसाधन नहीं हैं।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा तब अपनी बात कहें। अभी बैठें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शासन के पास इतने संसाधन नहीं है कि सरकार अपने संसाधनों से गांव में पर्यावरण सुधार का काम सभी जगह एक साथ चालू करे। इसके लिये मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में एक नयी योजना ग्रामीण अंचलों में आबादी एवं पर्यावरण सुधार की आवश्यकता को देखते हुए आवास एवं नगर विकास निगम हडको की सहायता से एक अग्रगामी योजना लागू की जा रही है। चयनित ग्राम में सड़क निर्माण आबादी क्षेत्र में खड़ंजा निधूर्म चूल्हे मार्ग प्रकाश तथा अन्य अवस्थापना संबंधी कार्य किये जायेंगे। विभिन्न स्रोतों में 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत हडको से रियायती ऋण जो 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर होगा यह ग्राम सभा को प्राप्त कराया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत उन ग्राम सभाओं को वरीयता दी जायेगी जो अपने संसाधनों से ऋण के भुगतान करने के लिये तैयार हैं। इस योजना पर काफी उत्साह है गांवों में। बहुत से गांवों के प्रार्थना पत्र आये हैं कि वे अपने संसाधन से ऋण अदायगी करेंगे और उन्हें हडको से ऋण दिलाया जाय अनुदान दिलाया जाय जिससे

गांव में इस अग्रगामी योजना को अच्छी तरह से चलाये जाने से गांव के पर्यावरण में सुधार होगा और वहां के आर्थिक विकास में काफी मदद मिलेगी । ग्रामीण आवास की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे प्रदेश में । बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं निर्बल वर्ग के लोग हैं जिन्हें आवास की बड़ी कमी है । पिछले 40 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के जरिये करीब 2 लाख 41 हजार मकान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिये निर्मित हो सके थे । आप सुन लीजिये, माननीय बदन सिंह जी को तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को बधाई देनी चाहिये इस एक वर्ष में सरकार ने दो लाख निर्बल वर्ग आवास बनाने का निर्णय लिया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी यह बता दें . .

श्री अधिष्ठाता–

अभी स्पष्टीकरण का मौका नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जो मकान बन रहे हैं उनमें माननीय मंत्री जी, बेनी बाई, राम शरण दास जी दोनों जा पायेंगे, समा पायेंगे या नहीं यह बता दें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस वर्ष 2 लाख मकान जून तक बनाने का निर्णय लिया गया है और इंदिरा आवास योजना के तहत करीब 22 हजार मकान बनाये जायेंगे इन दो लाख निर्बल वर्ग आवास के अतिरिक्त इसमें से करीब एक लाख मकान मार्च तक पूरे हो जायेंगे और 2 लाख मकान जून तक पूरे हो जायेंगे । श्रीमन् जो पिछले वर्ष मकान बन रहे थे, उन्हें कोई सरकारी एजेन्सी बना रही थी, जैसे आर0ई0एस0 या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी बनवा रहा था लेकिन इस निर्बल आवास योजना में हमने लाभार्थियों को सम्बद्ध किया है और हर विकास खंड के हर न्याय पंचायत में 2 गांवों को चुना गया है और एक-एक गांव में कम से कम 10-10 मकानों का कलस्टर बन रहा है जो लाभार्थी चुने गये हैं, उन्हीं में से एक उसका अध्यक्ष चुना जाता है और उसके नाम से उसके खाते में पूरा रुपया जमा कर दिया जाता है । पहले यह शिकायत आती थी कि बी0डी0ओ0 ने खरीद में रुपया खा लिया, सीमेंट खराब लगा दिया, ईंटा खराब खरीदा, लेकिन इस योजना में लाभार्थियों को अधिकृत किया गया है कि लाभार्थी स्वयं ईंटा खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, लकड़ी खरीदेगा और अपने मकान का निर्माण करायेगा। हमारे अधिकारी जो ब्लाक में तैनात हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, आर0ई0एस0 का इंजीनियर आदि लाभार्थी को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेंगे।

श्रीमन् लाभार्थियों के चयन में भी हमने यह व्यवस्था की है कि लाभार्थियों का चयन जो हो, वह गांव सभा की खुली बैठक में हो तथा लाभार्थियों के चयन में युवक मंगल दल के अध्यक्ष को भी हमने सम्मिलित किया है। श्रीमन् युवक मंगल दल के अध्यक्ष ग्राम प्रधान की देख रेख में अगर निर्माण होता है तो मकान सही ढंग से बन सकता है और मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश से इस बात की तारीफ आ रही है कि इस वर्ष मकान अच्छे बन रहे हैं । श्रीमन् जो मकान बन रहे हैं, उसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि आप चाहें तो जमीन भी छोड़ सकते हैं, बगल बगल में और पीछे

भी । लाभार्थी उसमें अपने हिसाब से एडीशन कर सकता है, वह आगन बना सकता है, कमरा एक और बना सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकता है । श्रीमन् इस वर्ष इस निर्बल आवास योजना में 2 लाख मकान बन रहे हैं और इसके अलावा इन्दिरा आवास योजना के तहत 22,265 आवासों का निर्माण कराने का लक्ष्य था, जिसमें से फरवरी के अन्त तक 21,060 मकान बनकर पूर्ण हो चुके हैं, बाकी आवास मार्च तक पूरे हो जायेंगे ।

इसी प्रकार वर्ष 1989-90 में 25 हजार मकान इन्दिरा आवास योजना में बनाये जायेंगे । निर्बल आवास योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 3 लाख मकान बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है और वर्मा जी ने पिछले दिनों इसी विधान सभा में एक सवाल भी पूछा था कि हरिजन आवास आप बनवा रहे हैं, लेकिन गैर हरिजन, गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है । तो इस वर्ष इस प्रकार के लोग जिनके पास मकान नहीं हैं, और जो गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं, उनके लिये 50 हजार मकान बनवाने की व्यवस्था की जा रही है । आवास योजना के अलावा ग्रामीण अंचलों में पर्यावरण की रक्षा के लिये और जो जलाऊ लकड़ी की कमी तथा उससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखते हुये हम बायोगैस परियोजना चला रहे हैं तथा धुयें रहित चूल्हों की योजना चला रहे हैं । वर्ष 88-89 में करीब 18 हजार बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, जो करीब मार्च तक पूरा हो जायगा ।

जो विगत वर्षों में सयंत्र लगाये गये थे, उनका सर्वेक्षण कराया गया और पाया गया कि 1 लाख 42 हजार सयंत्रों की क्रियाशीलता ठीक नहीं है, इसलिए माननीय सदस्यों की शिकायत पर कि जो गोबर गैस प्लान्ट लगाये जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, इसलिए इसे सुधारने की बहुत आवश्यकता है । जो लाभार्थी गोबर गैस लगाते हैं, वे चलते नहीं हैं, इसका एक कारण यह है कि प्रचुर मात्रा में गोबर की उपलब्धता नहीं हो पाती है और कभी कोई तकनीकी खराबी आ गई तो उसे लाभार्थी ठीक भी नहीं कर पाता है । इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए आगामी वर्षों में गोबर गैस सयंत्र वहीं लगाये जायेंगे जहां गोबर की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होगी । जो गोबर गैस लगायेंगे, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जायेगी कि किस प्रकार गोबर गैस प्लान्ट के खराब होने पर उसे ठीक किया जा सकता है । त्रुटिहीन स्थापना व अनुरक्षण के लिए जो सुलभ इन्टरनेशनल संस्था पटना की है, उनसे हम सहयोग लेना चाहते हैं । क्योंकि जो काम इस संस्था ने किये हैं, वे बहुत अच्छे किए हैं, इसकी बड़ी रेपुटेशन है । अभी इनसे बातचीत चल रही है । वे इस गोबर गैस सयंत्र की स्थापना अच्छी तरीके से कर सकते हैं । 2-3 साल की गारन्टी भी यह संस्था देना चाहती है । विकास खण्डों पर प्रशिक्षित मिस्त्रियों की भी व्यवस्था की जा रही है । इसी तरह से लगभग 80 हजार निर्धूम चूल्हों का लक्ष्य रखा गया है । 1989-90 में 1 लाख 80 हजार के लक्ष्य का विचार है ।

इसी प्रकार आगामी वर्ष में विभिन्न आवासीय योजनाओं में जैसे निर्बल वर्ग आवासीय योजनायें हैं, इन्द्रा विकास की योजना है, उनमें भी निर्धूम चूल्हे की स्थापना का विचार है । कृषकों की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो हमारी सिंचन क्षमता है, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । इसी उद्देश्य के जरिये 1984-85

में निःशुल्क बोरिंग के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। अभी तक 3 हजार रुपए की लागत से जो बोरिंग होती थी, उसका पूरा खर्च सरकार वहन करती थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर लघु कृषकों के लिए 3 हजार, सीमान्त कृषकों के लिए 4 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति जन जाति के लिए 5 हजार रुपए की लागत तक बोरिंग का खर्च सरकार वहन करेगी। श्रीमन्, जो पम्प सेट लगाये जाते हैं, इसमें भी अधिकतम लघु कृषकों के लिए डेढ़ हजार, सीमान्त कृषकों के लिए 2 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति व जन जाति के कृषकों को 3 हजार रुपए तक पम्प सेट खरीदने के लिए अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। 1984-85 में यह योजना चलाई गई और 1987-88 तक 1,86,663 बोरिंग पूरे कर दिये गये और इससे 9.32 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। इसकी महत्ता को देखते हुए कृषकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए इस वर्ष बोरिंग के लक्ष्य को 2 लाख 12 हजार कर दिया गया है, इसमें से करीब डेढ़ लाख बोरिंग मार्च तक पूरी होने की आशा है। अगले वर्ष भी इस कार्यक्रम को इसी तरह से चलाया जायेगा, जिससे हमारे लघु, सीमान्त व अनुसूचित जाति व जन जाति के कृषकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके।

श्रीमन्, इसी प्रकार कठिन और गहरे स्टेटा वाले पठारी क्षेत्र में निजी नलकूपों को रिंग मशीनों से बनाने की व्यवस्था करायी जाती है। कृषकों के लिये कूपों को ब्लास्टिंग यूनिट से कूपों को गहरा कराने की सुविधा दी जाती है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हाईड्रम और आर्टीजियन वेल का निर्माण शत प्रतिशत शासकीय व्यय पर कराया जाता है। आप देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा 52804 बोरिंग करायी गयीं, इसके विपरीत सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 1,80,000 निःशुल्क बोरिंग इस विभाग द्वारा करायी गयी। योजनाकाल में कुल सिंचन क्षमता 14.44 लाख हेक्टेयर, छठी योजना में 52.59 लाख हेक्टेयर हो गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 107.3 लाख हेक्टेयर हो गयी सिंचन क्षमता में वृद्धि। इस विभाग द्वारा छोटे किसानों हेतु खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जो योजना चलायी गयी, उससे उनका बहुत बड़ा हित हुआ है। हमारी जो नहरें हैं शारदा सहायक, गण्डक, रामगंगा, इन नहरों का पानी किस तरह से किसान के खेतों में पहुंचे, इसके लिए समादेश विकास प्रक्षेम ये जो परियोजनायें चल रही हैं, उनके माध्यम से यह काम हो रहा है। इस सिलसिले में केवल यह कहना चाहूंगा कि शारदा सहायक क्षेत्र में जो काम हो रहा है था, वह करीब-करीब पूरा होने की स्थिति में है। शारदा नहर जो पुरानी है, उसके क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है और इसी वर्ष इस क्षेत्र में भी यह काम चालू किया जा रहा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

सरयू परियोजना को भी इसी में ले लीजिये।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

नहर तो बनने दीजिये। इन परियोजनाओं को वहीं चला सकते हैं जहां नहर

का पानी खेतों में जाने की आवश्यकता हो । पहले नहर बन जाय, जब पानी नहर विभाग देगा तब उसको लिया जा सकता है । सरयू नहर का तो अभी कम ही शुरू नहीं हुआ है ।

इस स्तर पर मैं पंचायती राज के बारे में भी कुछ कहना मुनासिब समझूंगा । प्रदेश में 73914 ग्राम सभायें, 8791 न्याय पंचायत, 895 क्षेत्र समितियां और 56 जिला परिषदें थीं, अब जिला परिषदों की संख्या बढ़कर 62 हो जायगी । ग्राम सभाओं का, क्षेत्र समितियों का चुनाव हो गया, 47 जिला परिषदों का भी चुनाव हो चुका है । जो बाकी 15 जिले बचे हैं, उनके भी चुनाव के विषय में शासन ने निर्णय लिया है कि जो भी फारमेलिटीज होंगी, जल्द ही पूरी करने के बाद इन जिलों में भी जिला परिषदों का चुनाव शीघ्र करा दिया जायगा । पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण अंचल में सर्वांगीण विकास के लिये अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं। इनको सुदृढ़ किया जाय और ग्राम्य विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आदि के कार्यक्रम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम के चलाये जायं, इस पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । भारत सरकार को जो भी निर्णय होगा, भारत सरकार ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो इसके लिये बिल लाया जायेगा और भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर आवश्यकता हुई तो इसके लिये संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उसी दिशा में तेजी से काम करेगी । फिर भी हमारी सरकार गांव सभाओं को मजबूर करने की दिशा में कई कदम उठा रही है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जहां तक हम राज्यों की स्वायत्ता की बात करते हैं, गांव सभायें राज्य का विषय हैं, इसके लिये केन्द्र सरकार से अपेक्षा करना, जहां स्टेट एकोनामी की बात हो रही है, क्या ऐसी बात करना उचित है ?

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने विषय को सन्दर्भित किया है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

गांव सभायें सुदृढ़ हों, इसके लिए शासन द्वारा उन्हें जो अनुदान मिलता था, अभी पिछले वर्षों तक गांव सभाओं को उसकी तुलना में 25 से 50 प्रतिशत तक अंशदान देना पड़ता था । अब उस 25 से 50 प्रतिशत के अंशदान को समाप्त करके यह किया गया है कि जो शासन से उनको अनुदान उपलब्ध होगा उसमें उनका अंशदान 10 प्रतिशत रहेगा । इससे वे विकास का कार्य करा सकते हैं । अभी सुबह ही मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है, वह प्रत्यावेदन देगी शासन को कि गांव सभाओं की आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। 25 प्रतिशत टैक्स भी गांव सभा वसूल नहीं कर पाती थी। हमने कमेटी से अपेक्षा की है कि इसकी वसूली कैसे हो, 115 सी और 122 बी में जुर्माना की धन-राशि भी गांव सभाओं को नहीं मिल पाती है। अन्य कौन-कौन से साधन ऐसे हो सकते हैं जिनके जरिये से गांव सभा की आमदनी बढ़ सके। गांव सभाओं को इनवाल्व करने की दिशा में शासन ने कई कदम उठाये हैं जैसे कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था का कुर्म जो कि

बिजली विभाग के द्वारा कराया जा रहा था इसके लिये हमने निर्णय लिया है कि बल्ब के पूरे पैसे गांव सभा के खाते में शासन के द्वारा जमा कर दिया जायेगा और गांव सभा स्वयं ही हरिजन एवं गैर हरिजन आबादी में जहां कि उर्जीकरण हो गया है, वहां बल्ब लगाने का कार्य स्वयं ही करेगी।

इसी तरह से आगामी वित्तीय वर्ष में तेरह हजार प्राईमरी स्कूलों के भवन निर्माण की योजना है कि जो विद्यालय भवनहीन थे । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिये 73 करोड़ रुपया रखा है कि आगामी वर्ष में तेरह हजार भवनहीन प्राईमरी स्कूलों का भवन निर्माण हो सके और यह काम गांव सभा के माध्यम से ही होगा। गांव सभा प्राईमरी स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य का उत्तरदायित्व स्वयं सम्भालेगी।

गांव सभाओं के चुनाव हो गये, लेकिन एक संस्था और है जिसके लिए समय-समय पर हमारे माननीय सदस्य कहते रहते हैं वह है ग्रामीण आंचलों में न्याय पंचायत का गठन और इसकी मांग हमारे मा0 ओझा जी भी करते रहते हैं । तो हम इसका गठन 31 मई, 1989 तक करा देंगे ऐसा शासन ने निर्णय लिया है कि इस तिथि तक न्याय पंचायतों के भी चुनाव हो जांय। श्रीमन् युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा युवकों के शारीरिक सम्बर्धन, बौद्धिक विकास, युवा नेतृत्व का विकास तथा उनमें सांस्कृतिक चेतना, सहसिक प्रवृत्ति संचारित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही समाज में अनुशासन की भावना को बल प्रदान करने के लिए इस विभाग द्वारा प्रादेशिक विकास दल के जवानों को वर्दी और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मैं श्रीमन् अब ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, केवल मोटी मोटी बातें ही सामने रखना चाहता हूं। विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जिले के सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल को 5,000 रु0 का नकद पुरस्कार तथा एक हजार रुपये की शील्ड इसी प्रकार से प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल को एक लाख रु0 का नकद पुरस्कार एवं चल वैजयन्ती शील्ड प्रदान की जाती है। इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन पुरस्कारों में दो पुरस्कार और बढ़ाये जाने के निर्णय लिये हैं राज्य स्तर पर। इस तरह से तीन पुरस्कार हो जायेंगे । एक, एक लाख रु0 तथा चल बैजयन्ती शील्ड, दूसरा 50,000 रु0 का और तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपये के प्रदान किये जायेंगे। यह सारे पुरस्कार महिला मंगल दलों को भी दिए जायेंगे इन युवा दलों ने काफी तथा सराहनीय कार्य किए हैं वृक्षा रोपण के भी सिलसिले में, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न विकास के कार्य किए हैं, और अन्य बहुत से विकास कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय बचत योजना में भी इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं।

इसी प्रकार से ग्रामीण खेल-कूद के संचालन में इस विभाग ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम ने वर्ष 1988-89 में बहरामपुर (उड़ीसा), बंगलौर (कर्नाटक), इडेन गार्डेन स्टेडियम (कलकत्ता) में भाग लेकर 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत तथा 7 कांस्य पदक प्राप्त किए। इसके साथ ही मैं बहुत संक्षेप में कहते हुए यह बताना चाहता हूं कि युवा छात्रावास योजना के तहत लखनऊ, इलाहाबाद, उत्तरकाशी तथा मंसूरी में युवा छात्रावास स्थापित किए जा रहे हैं इसके अलावा भी राज्य सरकार की योजना के तहत, प्रदेश के 13 मंडलों में एक-एक युवा

केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि वर्ष 1989-90 में युवा कल्याण विभाग के कार्यक्रमों में 505.6 लाख रु0 परिव्यय निर्धारित किया गया है ताकि युवा शक्ति का सर्वांगीय विकास हो सके। हमें उम्मीद है कि ऐसे अच्छे कार्यक्रमों व योजनाओं को देखते हुए प्रशिक्षण योजनाओं को देखते हुए माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इसको पास कराने में हमारी पूरी मदद करेंगे।

*श्री राम शरण दास–

मैं मान्यवर आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-79-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी श्याम सूरत उपाध्याय, यह मेरे बहुत ही पुराने साथी रहे हैं और मैं और यह एक ही दल में थे। (व्यवधान) कुछ तो सुनों। हमारे परम मित्र थे। इनका और हमारा संबंध भी अच्छा था, अब भी है। हमारे साथ रहे हैं और हमारे एल के एम0एल0ए0 रहे हैं। मैं महामंत्री था और मैं इनका अफसर था और आज यह सरकार के अफसर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उपाध्याय जी, यह आपका आखिरी बजट है, आपका आखिरी समय है और मान्यवर, सुनिये, मैं कभी टोका टोकी नहीं करता हूं। यह मेरा भी आखिरी कटौती का प्रस्ताव है। अगले साल मैं कोई बजट पेश करूंगा, यह तो नहीं कह सकता हूं कि किस विभाग का करूंगा, लेकिन जरूर मंत्री की हैसियत से किसी विभाग का बजट पेश करूंगा और यह भी कह सकता हूं कि आपको कटौती का भी प्रस्ताव पेश करने को नहीं मिलेगा। यह मैं स्पष्ट कहता हूं।

मान्यवर, जिस तरीके से यह प्रस्ताव कर रहे थे, अच्छा होता, अगर इनकी जगह पर बेनी बाई जी इसको पेश करती और तो मुझे भी कुछ आनन्द आता और जिस रोने चेहरे से इन्होंने इस बजट को पेश किया है सभी लोग हंस रहे थे, कि बोल क्या रहे हैं। यह बड़ी खड़खड़ी आवाज से बोलती हैं, तो अच्छा लगता जब बजट पेश करती हैं। आप तो अच्छे नहीं लगते।

मान्यवर, यह देश महात्मा गांधी का देश है, लोक नायक जय प्रकाश नारायण का देश है, डा0 राम मनोहर लोहिया का देश है, जिनके अन्डर हम और आपने काम किया है और चौधरी चरण सिंह का देश है। ..(व्यवधान) ..(सत्ता पक्ष की ओर से आवाज नेहरू जी का देश है..नेहरू जी का भी देश है।) ज्यादा न बोलें। नेहरू जी इस देश का विकास चाहते थे, मैं उनका देश मानने के लिये तैयार हूं। इसमें कोई संदेह नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । जवाहर लाल जी से मेरा मतभेद नहीं है । जब हम लोग पढ़ते थे तो तुम पता नहीं किस मुल्क में रहे होगें, बैल रहे होगें, भैंस रहे होंगे । सन् 42 में हम लोग जवाहर लाल जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी सरहदी का नारा निकाला करते थे। मुझे यह कहते हुये खुशी होती है कि हम तब से आज कहां हैं । तो मान्यवर, यह देश ऐसे लोगों का देश है जो इस देश में कुछ चाहते थे, जिनकी कुछ तमन्नायें थीं, जो कुछ करना चाहते थे । इसलिये यह ग्रामीणों का देश है । इस देश और प्रदेश की 82 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, देहात में रहती है और इस देश के गांवों में रहने वाली जनसंख्या के दुख दर्द तकलीफ, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आप नहीं जानते हैं । मैं जानता हूं । मैं यह चैलेंज के साथ कांग्रेस के लोगों से कह सकता हूं कि आप चाहे किसी भी तबके से आये हों. . (व्यवधान) । मैं आज भी कच्चे मकान में रहता हूं, वहीं आज भी सोता हूं । तुम क्या जानों, बंगलों में और एयर कंडीशन में रहने वाले हो । मैं भी उसी मकान में सोता हूं जहां मेरे मां, बाप, दादा सोते थे । मैं जानता हूं गरीबी किसे कहते हैं । . . (व्यवधान) आपका भी कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, बाद में कहूंगा । मान्यवर, गरीब जनता, हरिजन जिनके लिये मकान बनाने का ढिंढोरा आप पीटते हो और स्वरूप कुमारी बख्शी जी मौजूद हैं, रानी हैं, बेनी बाई जी हैं यह जानती हैं क्योंकि यह गरीब घर में पैदा हुई हैं, अनुसूचित जाति की हैं । बख्शी जी को क्या पता कि गरीबों के मकान कैसे होते हैं. . (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मैं टीचर रही हूं ।

श्री राम शरण दास–

टीचर तो हजार रहे हैं । (व्यवधान)। देहात में हरिजन घरों में लोग छोटे-छोटे मोहल्लों में झोपड़ियों में रहते हैं, उनके मकान के अंदर बख्शी जी और श्याम सूरत उपाध्याय जी, आप सो नहीं सकते हैं। अगर एक रात भी आप दोनों वहां काट लें तो सुबह आपकी नब्ज देखकर ही उठाना पड़ेगा कि कहीं आप मर तो नहीं गये या जिन्दे हैं । वहां पर क्लोरो-फार्म की आवश्यकता ही नहीं है । इतने बड़े-बड़े मच्छर और गन्दगी वहां पर रहती है। मैं वहां रहता हूं इसलिये उनके बारे में जानता हूं । आप गरीबों के उद्धार और उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं । आप क्या जानों । गौरी शंकर, मस्ती मनाओ। आप मिनिस्टर हो गये हो । खूब सफारी सूट पहनकर घूमते हो . . (व्यवधान)।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा श्री गौरी शंकर एक साथ बोलते रहे जिससे किसी की बात स्पष्ट नहीं हो सकी।)

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

गरीबों की झोपड़ी और हरिजनों की बस्तियों में आपको गन्दगी नहीं मिलेगी । इतने साफ सुथरे हम लोगों के मकान भी नहीं होंगे । उनकी झोपड़ियां साफ सुथरी और चमचमाती हुई आपको मिलेंगी । वहां पर आप रसोई बना सकते हैं । . . (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, गरीब का बेटा मंत्री हो जाय आप यह नहीं देख सकते हैं । यही आपकी मानसिकता का परिचायक है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें।

श्री राम शरण दास–

गौरी शंकर, भूल गये हो। और मान्यवर, आप तो कश्मीरी नश्ल के हैं। आपको क्या पता है गरीबों की बस्तियों का..

श्री गौरी शंकर–

मैं जातीय व्यवस्था की बात तो नहीं करता लेकिन...

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, सुनते रहो, दर्द की बात कह रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, अगर वह अंताक्षरी करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का मुझे पता है वह कैसा जीवन जीते हैं मैं जानता हूं (व्यवधान) बख्शी दीदी तो अपने को पंजाब की कुड़ी कहती हैं उन्हें क्या पता।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं पंजाब की कुड़ी हूं। (व्यवधान)

श्री हरदेव–

यह जो नौटंकी हो रही है वह शादी विवाह में होती है।

श्री गौरी शंकर–

सदन की गरिमा से यह अवगत नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कुड़ी माने लड़की होता है।

श्री राम शरण दास–

मैंने बहू या बीबी नहीं कहा, बीबी तो लखनऊ की हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

गौरी शंकर जी को बेटी कहने में क्या आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इनकी किताब है जो अभी ब्लाकों में गयी हैं (व्यवधान) यह किताब ग्राम प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों को बंटी, क्षेत्र समितियों में गयी हैं, जितनी योजनायें माननीय श्याम सूरत उपाध्याय ने पढ़ कर सुनाई हैं वह सब इसमें हैं जैसे एकीकृत ग्राम

विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ट्राईसेम योजना, ग्रामीण निर्बल वर्ग आवासीय योजना, राष्ट्रीय निर्धूम चूल्हा कार्यक्रम, ग्रामीण पेय जल हैण्डपम्प योजना जिसमें इण्डिया मार्क टू है, सामाजिक बानकी, डी0 पी0 ए0 पी0 आदि कई योजनायें हैं एक और हाल ही में योजना आई है जवाहर लाल नेहरू के नाम पर, इस तरह से चार सौ कार्यक्रम हैं और उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम एक और है तो इस प्रकार कुल मिलाकर 420 योजनायें इनकी हैं, कुछ इनकी हैं कुछ उनकी हैं तो इस तरह से कुल मिलाकर 420 कार्यक्रम इनके चल रहे हैं (व्यवधान)।

श्री गौरी शंकर–

इनसे इससे ज्यादा गम्भीरता की आशा क्या कर सकते हैं।

श्री राम शरण दास–

सही बात कहने पर इनको बुरा लगता है। अखबार जो कह रहे हैं वह मैं बता रहा हूं आंकड़े पेश करके भ्रमा रहे हैं जनता को, यह मेरा अखबार नहीं है, यह हैडिंग है गांव पानी के लिए तरस रहे हैं (व्यवधान) मथुरा आगरा, मिर्जापुर में आप देख लीजिये। आगे लिखा है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की प्रगति असंतोषजनक (व्यवधान)।

श्री गौरी शंकर–

यह स्वरचित संकलन क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री राम शरण दास–

सरकारी योजनायें यहां कागजी हैं। यह मैं नहीं बल्कि अखबार लिख रहा है। आई0 आर0 डी0 योजना से किसका भला हो रहा है वह हैं सचिव, डाक्टर, ए0 डी0 ओ0 आदि का भला हो रहा है। इनकी योजनाओं से सचिव, बी0 डी0 ओ0 आदि अधिकारियों का भला हो रहा है।

मान्यवर, अब मैं इनकी जन्मकुंडली बता दूं। इनकी जो विकेन्द्रीकरण प्रणाली है इसके अन्तर्गत जनपदों में प्लान बनाये जाते हैं और प्लान जिला कमेटियां बनाती हैं और प्लान कमेटियां बनाकर आपके पास भेजती हैं और उसमें आप कटौती कर देते हैं, तो प्लान बनाने की क्या आवश्यकता है जब यहीं से सब चीजें पास करनी हैं।

मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे लोग गुजर बसर कर रहे हैं उनको ऊपर उठाने की योजना है। प्रदेश में 13 करोड़ की आबादी है जिसमें साढ़े दस करोड़ जनता देहातों में रहती है और ढाई करोड़ जनता शहरों में रहती है। मेरे ख्याल में 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं लेकिन यह जो आपके कागजी आंकड़े हैं, आपके अधिकारी लोग आपको एक मिनट में इतनी ऊंचाई दिखा देते हैं जितनी ऊंचा विधान मंडल का यह हाल है इसके ऊपर की चोटी है उस तक चढ़ा दिखा देंगे और घटाने पर आ जायं तो पाताल में आपको पहुंचा देंगे, यह तो आंकड़ों का जाल है।

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमिहीनों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें ऐसे लोगों को 13.50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रोजी देते हैं लेकिन किसी को क्या मिलती है? सारा का सारा काम ठेकेदारी पर आपका हो रहा है। आपकी इन योजनाओं के तहत कोई कार्य नहीं हो रहा है।

मान्यवर, ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक भूमिहीन बेरोजगार परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों के लिए अवश्य कार्य दिया जायेगा। लेकिन ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर बतायें कि क्या हर भूमिहीन बेरोजगार परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिनों के लिए आप काम दे रहे हैं? मैं आपको संकेत कर रहा हूं, आप छाती पर हाथ रखिये, रखकर बताइये कि इटावा जिले के अजीतमल क्षेत्र में, वहां हमारी बिरादरी के भी लोग रहते हैं, हर परिवार में से जो बेरोजगार भूमिहीन परिवार हैं, उनमें क्या 100 दिन का वर्क किसी को मिलता है ? मैं यह गौरी शंकर से पूछ रहा हूं, वह बता दें, मैं उनके क्षेत्र में जाकर देखूंगा भी। एक सोशल कम्पोनेन्ट प्लान है, जो महात्मा गांधी के जन्म-दिन सन् 80 से शुरू किया गया था। हमारे प्रदेश में 21 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं। इसका मतलब यह था इन जाति के लोगों को कुछ छूट दिलाना। यह इनके कार्यक्रम में है, लेकिन मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि किसी को यह छूट मिलती नहीं। यह सिर्फ कागजों और अखबारों में ही है। अभी कुछ बात को लेकर दीदी जी से कहा तो वह बुरा मान गईं, (व्यवधान) बड़ी हैं, दीदी जी से माफी मांग लूंगा . . .

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

आपके यहां सहारनपुर में बहिन से भी मजाक होता है? (व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

देहाती जीवन से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। इनकी एक ग्रामीण स्वच्छता संबंधित स्कीम है। आप शाम के वक्त कार में बैठकर किसी तरफ चले जाइये कानपुर से इटावा चले जाएं, चाहे लखनऊ से फैजाबाद बाराबंकी होते हुए चले जाएं या फिर बाराबंकी से दीक्षित जी के यहां या इलाहाबाद चले जाएं और अंधेरा हो जाए, तो जब आपकी कार अंधेरे में सड़क पर से गुजरेगी तो आपको मिलेगा कि सैकड़ों औरतें, महिलाएं, बहिन बहुवें सड़क पर टट्टी फिर रही होंगी, वह फारेन कार की बत्ती की रोशनी में टट्टी फिरते-फिरते उठकर खड़ी हो जाएंगी, चली जाएंगी। (व्यवधान) छोड़ो-छोड़ो यह तो इंसान है ही नहीं, यह हैवान है। जिस देश में महिलाओं को टट्टी करने के लिए बन्द यानी पर्देदार स्थान न हो, वहां पर उन्नति और उत्थान और विकास की क्या बात हम सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग बेशरमी के साथ और मिनिस्टर लोग शराब पीकर ऐसे दृश्यों को देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन कोई शर्म नहीं आती है। किसी की टट्टी नहीं उतरती है, कोई अधफिरा रह जाए, कोई बीमार हो जाए, इसका इन्हें इस हालत में कोई अंदाजा नहीं है। हमारे डा0 लोहिया का कहना था यह जो खुले में उनके टट्टी फिरने की मजबूरी है, यह ग्रामीण महिलाओं का जीवन नर्क के बराबर है। हमें तो बड़ी शर्म लगती है, जब हम सड़कों से गुजरते हैं। रुमरपाल जी बताओ, मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं। सही सही बताओ, मिनिस्टरी आपकी बहुत दिन नहीं रहेगी। सीताराम जी क्या बतायेंगे यह तो निषाद हैं, खुद ही चमकते हैं।

एक इनकी योजना ट्राइसेम योजना है। इनकी योजनाएं पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए कि क्या अर्थ है इनका।

क्या इनका अर्थ है, कैसे यह पैसा खाते हैं यह तो यही जानते हैं। यह इनके खाने

कमाने का धन्धा है । हर विकास खण्ड में लड़कों को लड़कियों को, महिलाओं को सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दें । इनकी मान्यवर हर ब्लाक में ट्रेनिंग देने की स्कीम है ट्रेनिंग तो यह दे देते हैं लेकिन उसके बाद किसी को ही लोन मिलता होगा वरना लोन नहीं मिलता है वह घूमते फिरते हैं । यहां भी मुझे सन्देह है आपके विभाग के लोग जो पैसा ट्रेनिंग के नाम पर, जिसको कि आप खर्च करते हैं वह उसके झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते होंगे ऐसा मुझे लगता है । अगले साल इस बात को जब हम उधर आयेंगे तो चेक करेंगे । निर्बल आवास योजना के लिए आप 6 हजार देते हैं दो हजार का अनुदान है । मेरे मित्र जो बलिया के हैं हरदेव जी वह जानते होंगे, इसमें जो रुपया देते हैं उसको ए0 डी0 ओ0, वी0 डी0 ओ0, और ग्राम प्रधान आदि सब लोग खा जाया करते हैं । ऐसे ही इन्दिरा आवास योजना है चमन लाल चमन मेरे क्षेत्र का एम0 एल0 ए0 है यह विचारा शिकायत करते-करते कलेक्टर को, मिनिस्टर को मर गया, इसके एक गांव में इन्दिरा आवास कालोनी बनी ।

यदुनाथ जी के यहां आवास कालोनी बनी इसका कोई पता नहीं है, बनी है या नहीं बनी है । सारा पेमेन्ट भी हो गया और रुपया भी सब खा लिया गया । एम0 एल0 ए0 कांग्रेस आई का लिखते-लिखते तबाह हो गया, तो यह इन्दिरा आवास कालोनी का हाल है। गोबर गैस प्लान्ट के बारे में सब जानते होंगे । 70-80 कट्टे बोरे सीमेन्ट के मिलते थे । लोगों ने सीमेन्ट लिया और वह मकानों में लगाया और पांच कट्टे लगाकर उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया कुछ समझ में नहीं आता है कैसे प्लान्ट लगा लिया और वह प्लान्ट चल ही नहीं रहा है ए0डी0ओ0, बी0डी0ओ0, बी0एल0डब्लू0 आदि सब लोग मिल कर खा गये । आपके यहां के समरपाल जी हैं यह हमारे यहां के अधिकारियों से 30 हजार रुपया ले आयें तो इस तरह के लोगों की वजह से विधायकों का और मिनिस्टरों का स्तर गिरा है । किसानों के लिए अच्छी बात कही आप फ्री बोरिंग की बात करते हैं जो आप फ्री बोरिंग कर रहे हैं उसमें आधा रुपया रिश्वत में चला जाता है । 3 हजार रुपया देते हैं तो 15 सौ रुपया ब्लाक के अधिकारियों ने खा लिया है । श्रीमन्, अब मैं पम्पिंग सेट के बारे में कहना चाहता हूं । इनके यहां एक दुकान फिक्स कर दी जाती है कि इसी दुकान से खरीदना है । जब चेक कटता है तो जो बीच के दलाल होते हैं वह वहां ले जाते हैं और सड़े हुए, बोदे, बेकार पंपिंग सेट को किसान के मत्थे मढ़ दिया जाता है । यह पंपिंग सेट चल ही नहीं पाते हैं । इससे किसान का बड़ा नुकसान होता है । अगर आप किसान को पैसा दे दें और फ्री कर दें कि वह जहां चाहे अपना पम्पिंग सेट खरीदे तो इससे किसान का भला हो सकता है । आप कहेंगे कि ऐसा करने से मिसयूज पैसों का होगा । अबही कौन सा मिसयूज नहीं हो रहा है । अगर मिसयूज हो रहा है तो होने दीजिए किसान सोचेगा कि मैं ही कर रहा हूं । अगर वह मिसयूज करेगा तो कर्जा उसके ऊपर चढ़ेगा।

इसी तरह आपने जो बड़ी-बड़ी स्कीमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चलायी हैं उसमें लोगों को , हरिजनों को भैंसें , घोड़े वगैरह दिये गये हैं इसमें भी बड़ा भारी भ्रष्टाचार

हो रहा है। मेरे जिले में ब्लाक रामपुर और आसपास के ब्लाकों में सब भैंसे यमुनानगर के बाजार से खरीदी जाती हैं। ए0 डी0 ओ0, डाक्टर, कर्मचारी लोग बीच में ही पैसा खा जाते हैं। मेरे गांव और कप्लि के गांव के बीच में एक मुंडी खेड़ी है। वहां का एक हरिजन मेरे पास आया। वह बताने लगा कि वह भैंस लेने गया तो उसके नीचे कटरी थी लेकिन जब लिखापढ़ी हो गयी और भैंस लादी जाने लगी तो कटरी नहीं थी। कहा गया कि वह तो दूसरी भैंस की है। मैं उस आदमी को चंद्रमौली जो कलेक्टर थे उनके पास ले गया। उन्होंने आदेश किया कि इसकी जांच की जाय और वह कागज ए0 डी0 एम0 के पास गया। आजतक पता नहीं है कि उसके बाद वह दर्ख्वास्त कहां गयी जबकि मैं खुद ही उस आदमी को लेकर गया था। तो इस तरह से गड़बड़ियां की जा रही हैं। बी0 एल0 डब्लू0, ए0डी0ओ0, बी0डी0ओ0 पैसा खा जाते हैं और लोगों को ऐसी भैंसे दी जाती हैं और ऐसे घोड़े दिये जाते हैं जो कुछ दिनों में मर जाते हैं।

मेरे यहां किसानों को बोगी दी जाती है, गन्ना या फसलें ढोने के लिए। उसमें भी बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। बोगी के जो बंबे होते हैं वह युकिलिप्टस के होते हैं जबकि साल के होने चाहिए, उसमें भी बीच में पैसा खाया जा रहा है। यह जो अनुदान या छूट आप देते हैं उसको बीच के दलाल और अधिकारी तथा कर्मचारी खा जाते हैं। मेरे यहां एक आदमी को घोड़ा दिया गया जो बेचारा 15 दिन में ही मर गया। चूंकि सर्टीफिकेट तो डाक्टर दे रहे हैं और सब मिलकर खा गये। तो यह हाल है आपके जितने अनुदान हैं। श्रीमन् मैं आपके सामने यह जो ग्राम्य विकास विभाग है, इसके लिए बोला। अब थोड़ा पंचायती राज के बारे में बोलना चाहता हूं। मान्यवर, पंचायती राज में इन्होंने चुनाव कराया ग्राम सभाओं के, उसके बाद ब्लाक प्रमुखों के चुनाव कराये, उसके बाद जिला परिषदों चुनाव कराये। इस प्रकार से तीन चुनाव कराये। अभी 47 जिलों के जिला परिषदों के चुनाव कराये हैं, 15 अभी बाकी हैं और अभी जो आपके नये जिले बनने जा रहे हैं, उसमें नये ब्लाक प्रमुखों का सृजन होने जा रहा है, उसमें भी चुनाव शायद कराएंगे। चूंकि नये जिले बनेंगे, तो नये ब्लाक बनेंगे। जो कुंवर नरेन्द्र सिंह का जिला हरिद्वार है, उसमें भी चुनाव करावेंगे। एक तो ग्राम सभाओं के चुनावों में धांधली हुई, जो असरदार लोग थे, असरदार लोगों ने गरीब लोगों के वोट जबर दस्ती डलवाये हैं। मान्यवर, उसमें धांधली हुई है, असरदार लोगों ने गरीब लोगों को नहीं होने दिया।

हम भी प्रधान रहे और 12 साल प्रधान रहे और निर्विरोध हुए थे, तुम्हारी तरह नहीं हैं, तुम तो हवाई लोग हो, हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, हमने तो पता नहीं कितनी दफा तुमको हराया। श्रीमन् गांवों में रिवाज चल गया है कि जो ज्यादा शराब पिलावे, वह कन्ट्री की कंट्री, 100-100 बोतल उधर वह प्रधान पिला रहा है और इधर वह प्रधान के लोग पिला रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, इधर भी पिये और उधर भी पिये। यही स्थिति एम0 एल0 ए0 के चुनाव में भी आने वाली है। यह जब शराब की आदतें ग्राम समाज के चुनावों में चल गयी हैं, तो यह कितना दूषित करेगी चुनावों को। जो ग्राम प्रधान उसमें वोटर थे, 20-20 दिन ऐसे रखा है, न उन्हें औरतों से मिलने दिया, न बच्चों से मिलने दिया, जैसे कैदखाने में रहे हों। जो शराब के आदी थे, शराब पिलाया गया है, जो मांस के आदी थे, मांस खिलाया गया है। माना किसी ब्लाक में 80 प्रधान हैं, तो 30-40 उसके हाथ में और 30-40 उसके हाथ में। यह तो खैर सुझाव में कहूंगा आगे चलकर। यह मेरे लिए तो खतरा है ही लेकिन खतरा आपके लिए

भी है । अभी जिला परिषदों के चुनाव आपके हुए हैं, नतीजा आपके सामने है । आप बहुत डींग मार रहे हैं कि 47 में से हमको इतने वोट मिले । 5 आपने नामिनेट कर लिये, वहां तो आप 3 या 4 वोट से हार ही रहे हो । जहां आप एक वोट से जीते हैं नामिनेट आप 5 कर ले तो एक वोट से हार ली है । कहीं ट्राई से हुए हैं, कहीं ब्रेन-मानी से हुए हैं बुलन्दशहर में तो ट्राई से हुए । इनके यहां मेरठ में 4 थे एक वोट काफी फर्क हुआ नामिनेट आपने 5 कर लिए । माननीय बलराम सिंह यादव, अध्यक्ष कांग्रेस आई हमारे अच्छे परिचित हैं । मैं जब एम0 एल0 सी0 था और वह जब मिनिस्टर थे उन्होंने बयान दिया कि हमने बड़ा तीसमार खां की है, इतना हमने जीत लिया है । जिला परिषद् का ही बताइये इमानदारी से श्याम सूरत उपाध्याय जी, कि बनारस के चुनाव से आप सैटिसफाइड हैं या डिससैटिसफाइड ? संकठा शास्त्री बताये कि बनारस के चुनाव से आप लोग कांग्रेस हाईकमान.

श्री नरेन्द्र देव–

शतरुद्र प्रकाश जी से पूंछ लीजिए ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री राम शरण दास–

बनारस के चुनाव में उसमें प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष दोनों को ही मैं दोष देता हूं मैं यह कहां कह रहा हूं कि यह बड़े उजले चेहरे के लोग बैठे हैं और आप भद्दे चेहरे के हैं । मैं तो कहता हूं कि आप सैटिसफाइड हैं, यही प्रथा चलेगी कि एक सबसे बड़ा ठेकेदार भेड़ बकरी की तरह एम0 एल0 ए0 को खरीदकर वोट डलवाता है, मिनिस्टर तक बिके क्या जवाहर लाल यही विकास चाहते थे या अबुल कलाम आजाद चाहते हैं या कौन चाहता है डा0 लोहिया, चौधरी चरण सिंह का नाम लूंगा तो आप बिचक जायेंगे । मैं चौधरी साहब का ही नाम ले रहा हूं क्या इससे हम सैटिसफाइड हैं कहां जा रही है डेमोक्रेसी कहां जा रहे हैं हम लोग, इस पर रुकावट होगी । हमारे जनप्रतिनिधि चाहे ब्लाक स्तर के हों चाहे राज्य स्तर के हों या केन्द्र के हों अगर लाख-लाख दो-दो लाख रुपया लेकर वोट करेंगे जिला परिषद् के चेयरमैन के लिए तो हे भगवान हम लोग तो मर जांय यह नक्शा हम नहीं देखना चाहते हैं यह कोई मामूली बात नहीं है इसी के लिए हमने लड़ा था ।

एक सदस्य–

सहारनपुर की बात कहें ।

श्री राम शरण दास–

सहारनपुर की ही बात कह रहा हूं हमारे साथ एक मेम्बर थे हमने कहा था तुम एक हजार रुपया दो चुनाव फण्ड में उस आदमी को लेकिन एक हजार रुपया देने के बाद भी लोग कहेंगे कि एक लाख लिया है इससे अच्छा रिश्वत कतई न दो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस देश में शराब का राज्य हो गया है जयसवालों का राज्य हो गया है । उसमें तो मैं आपसे उपाध्याय जी चाहूंगा कि यह चुनाव आप सीधे करवायें जिला परिषद् के चुनाव, ब्लाक के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर विकास मंत्री यहां हैं नहीं जितने चेयरमैन आपके यहां खड़े हुए शायद उनको पर्चा दाखिल

करने की हिम्मत न हो जो छपकर आये तो यह है आपका खाका । श्री बलराम सिंह यादव इस सदन के मेम्बर हैं नहीं, अगर आप नामिनेशन के बल पर अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो यह कांग्रेस के हक में अच्छी बात नहीं है । मान्यवर, मुझे तो फख्र है कि इटावा जिले में 19 वोट से, जहां के मा0 अध्यक्ष कांग्रेस (ई) और मा0 अध्यक्ष जनता दल, दोनों एक ही जनपद के हैं, वहां जनता दल के अध्यक्ष 19 वोट से जीत कर आये हैं । इन लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए । अब अगर गौरीशंकर डूबें नहीं तो मैं क्या करूं । ये बातें मैंने आपके सामने रखीं । आशा है कि आप इन पर ध्यान देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 राम शरण दास जी 45 मिनट हो गये हैं ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं समाप्त करने जा रहा हूं । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सुझाव रखूंगा । मेरी आदत किसी की व्यक्तिगत आलोचना की या किसी का व्यक्तिगत चरित्र लांछित करने का नहीं है । मैं शांतिप्रिय हूं । मैं चाहता हूं कि हम लोगों में सुधार हो, उधर के लोगों में सुधार हो, हम दोनों का सुधार होगा तो देश का और प्रदेश का सुधार होगा । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने साथियों से कहूंगा कि पूरी ताकत से मेरे कटौती के प्रस्ताव को पास करावें ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मा0 सदस्य राम शरण दास जी ने विषय की गम्भीरता को तो ताक पर रख दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उन पर कुछ बातचीत मैं भी कर सकूं । जो उनके दिमाग में और मुंह में थी, वही उन्होंने अपने तरीके से मा0 सदन को परोसीं । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि इसमें सभी लोगों को सहभागी होना पड़ेगा लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा भोजन न परोसूं जो मा0 सदन की गरिमा के अनुरूप न हो । मान्यवर, किसी को कभी-कभी दृष्टि दोष होता है...

श्री अधिष्ठाता–

इससे पूर्व कि आपका भाषण आरम्भ हो मा0 नेताओं के लिए 10 मिनट और मा0 सदस्यों के लिये 5 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

श्री गौरी शंकर–

तो मान्यवर, "एवरी थिंग लुक्स यलोइश ए जांडिस्ड आई" यानी सावन के अंधे को हरा-हरा सूझता है । मा0 राम शरण जी को दृष्टि दोष है । मा0 राम शरण दास के एक-एक बिन्दु ने मुझे कुछ कहने के लिये अनुप्राणित कर दिया अन्यथा मैं सोच रहा था कि नहीं बोलूंगा । लेकिन मा0 सदस्य के जो सुझाव आए, उन्होंने मुझे इतना प्रेरित कर दिया कि मैं खड़ा हो गया और आपकी कृपापूर्ण अनुमति के लिए मैं आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मा0 राम शरण दास जी की बात बौद्धिक स्तर से परे है और भी विद्यमान मा0 सदस्य हैं, अध्ययन करने वाले, स्वाध्यायी हैं, उन मा0 सदस्यों के सानिध्य में रहने का अवसर मिला है । यह मेरी चौथी विधान सभा इस उम्र में है । मुझे तमाम मा0 सदस्यों का स्नेह मिला है। तमाम मा0 मंत्रीगण का स्नेह मिला है और उनके कार्यकलाप को

नजदीक से देखने का अवसर मिला है । तो मैं कह रहा था कि दृष्टि दोष है । हरीश जी आ गये हैं । वह मेरी बात को एप्रीशियेट करेंगे । मैं दृष्टि दोष की बात कह रहा था । हरीश जी आ गये हैं और भी दूसरे मा0 सदस्य बैठे हैं, मा0 राम शरण दास जी की स्थिति तो, मैं काट न करता, लेकिन कालीदास की बात इसलिये कर रहा हूं... (व्यवधान) मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा । तो मैं कहना चाह रहा था कि कालीदास जी ने मेघदूत में लिखा है कि "अनस्त रत्नप्रभवस्य यस्य, हिम न सौभाग्य विलोपि जातम" यानी वह हिमालय जिसमें न जाने कितने रत्न भरे पड़े हैं, दोष ढूंढने वाले उसमें भी दोष ढूंढते हैं कि इसकी चोटियां बर्फ से आच्छादित रहती हैं । हिमालय की पहाड़ी आच्छादित न हो, गंगोत्री जमनोत्री की धारा बनकर न आये तो यहां की धारा सूख जाय । उनको दृष्टि दोष है, दिखायी नहीं पड़ेगा ।

"एकोहि दोषो गुण सन्नि पाते,
निमज्जितीन्दो: किरणेस्वांक: ।।"

गुण के समूह में एक दोष चन्द्रमा की किरणों में उसकी कालिमा की तरह लिप्त हो जाता है । पूरी बातों का अवलोकन करने के बाद माननीय राम शरण दास जी को कोई ऐसी बात नहीं दिखी जिसको वह एप्रीशियेट करते ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर दें कि वह बजट पर बोलें सब्जेक्ट पर बोलें । कालीदास ने क्या कहा राम शरण दास जी के बारे में उससे कोई मतलब नहीं है । सबजेक्ट पर बोलें ।

श्री गौरी शंकर–

माननीय राम शरण दास जी बैठे होते तो न कहता । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, माननीय हरीश जी, माननीय ओझा जी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, इसलिये यह बात कही, इसे काट कर दिया । अब अगर वह भारी पड़ रही हो तो उसे दिल से निकाल दें । कार्यवाही में उसे बने रहने दें क्योंकि एक बात आ गयी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राम शरण दास जी को दिखायी नहीं दिया उपलब्धियों का लेखा जोखा, जो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत रूप में यहां पर रखा । उसमें आपको एक बिन्दु भी एप्रीशियेट करने वाला नहीं दिखा । यह दृष्टि दोष है । मान्यवर, हमारा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम है । यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु तथा सीमान्त कृषकों खेतिहर मजदूरों एवं ग्रामीण शिल्पकारों को आर्थिक सहायता दे कर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराना उनकी आय में वृद्धि करके गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विकास खण्डों में 2 अक्तूबर 1980 से शुभारम्भ किया गया । इसमें केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत के आधार पर धनराशि की व्यवस्था की जाती है ।

अब माननीय राम शरण जी की इस योजना को एप्रीशियेट करने की दृष्टि नहीं है । यह दृष्टि दोष है । इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को ऊपर उठाने की बात है । माननीय राम शरण दास जी ने अनुसूचित

जाति जन जाति के परिवारों के संबंध में बड़ी टिप्पणी की वह जब इस संबंध में बोल रहे रहे थे तो ऐसा लगता था कि अनुसूचित जाति जनजाति का उनका कोई नजदीक का संबंध नहीं । मैं बता सकता हूं कि माननीय राम शरण दास जी की दृष्टि में बेचारे हरिजन की कल्पना यह है कि इस हाउस में लंगोटी पहन कर कोई आधे चीथड़े कपड़े पहन कर आये तो वह अनुसूचित जाति के परिवार से संबंधित है और यदि कोई साफ कपड़े पहन कर आये और मंत्रिमंडल में हो जाय तो यह असहय है । यह उनकी प्रवृत्ति का द्योतक है । यह आप सहन नहीं कर सकते हैं । आप कैसे चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ? मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की बाबत कह रहा था कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये 50 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । यह भी बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को उनके द्वारा ली गयी योजनाओं के अनुरूप नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है । माननीय राम शरण दास जी के लिये नाबार्ड की व्याख्या करना कठिन है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, समय का ध्यान रखें ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, वैसे तो मंत्रियों के लिये 20 मिनट का समय रहता है आप कहते हैं तो जल्दी खत्म कर देता हूं । इसके बाद विभाग की महत्वपूर्ण योजना ट्राइसम योजना है । यह माननीय राम शरण दास जी को दिखायी नहीं दी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवक युवतियों को तकनीकी कुशलता प्रदान की जाती है जिससे वे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों से व्यवसायिक क्षेत्रों, उद्योग तथा व्यापार कार्यकलापों में स्वरोजगार प्रारम्भ कर सके । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एन0 आर0 पी0-ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के तथा इन क्षेत्रों में सामुदायिक महत्व की स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन के उद्देश्य से यह योजना 2 अक्टूबर, 1980 से प्रारम्भ की गयी । केन्द्र तथा प्रदेश सरकार इस योजना पर होने वाले व्यय का 50:50 के अनुपात में वहन करते हैं । इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन में बहुमुखी सुधार–इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य किये जाते हैं वह मैं बता रहा हूं । सरकार तथा पंचायत आदि की जमीन की सामाजिक वानिकी का, सड़क के दोनों किनारों पर पौध रोपना, नहरों के दोनों किनारों एवं रेलवे लाइन के दोनों किनारे पर पौध लगाना । भूमि तथा जल सर्वेक्षण कार्य, लघु सिंचाई कार्य, सम्पर्क मार्ग का निर्माण, बाढ़ बचाव एवं नालियों का निर्माण, प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण । यह कार्य इनको दिखायी नहीं पड़ेंगे । यह इनके चश्मे से दिखायी नहीं पड़ेगा यह इनका दृष्टि दोष है । इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है–ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 । अब आर0 एल0ई0 जी0 पी0 माननीय राम शरण दास जी के समझने की बात नहीं है, यह नहीं दिखायी देगा ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इन्होंने कहा कि आर0एल0 जी0 ई0 पी0 को कोई समझ नहीं पायेगा ।

श्री गौरी शंकर–

नहीं मान्यवर, मैंने यह कहा था कि राम शरण दास जी से मैं अपेक्षा नहीं करता कि वह इसे समझ पाये होंगे । मैं दो बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । हम लोग बहुत अच्छी तरह हरिजन को पहचानते हैं और हम और हमारी सरकार गरीबों को आगे बढ़ाने के लिये, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिये सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है और उसके लिये निरन्तर प्रयास करती रहेगी । इसी सिलसिले में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा ।

नूर बनके न चमके वह रोशनी क्या है,
अंधेरिया न मिटा दे वह फुलझड़ी क्या है ।
किसी के काम न आये वह जिन्दगी क्या है,
किसी का दर्द न जाने वह आदमी क्या है ।

दो लाइन मैं और कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं,

जाके पाव न फटी बिवांई,
वह क्या जीने पीर पराई ।

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते, यह नहीं जानते कि हरिजन क्या होता है । अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय राम शरण दास जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और अपने साथियों से यह प्रार्थना करता हूं कि वह कृपा पूर्वक इस बजट पर अपने विचार रखें ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी । चूंकि सम्मानित राम शरण दास जी ने उनका नाम ले लिया था, इसलिये वह अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे । उन्होंने बजट पर कुछ ज्यादा नहीं कहा और न उसका समर्थन किया न कटौती का विरोध किया । इसलिये अब आपको मुझे सत्ता पक्ष की ओर से बोलने का अवसर देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

वह कोई सत्ता पक्ष से अलग नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो माननीय राम शरण दास जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, निवेदन यह है कि सत्ता और विपक्ष के बीच यह दोनों को जानकारी है कि बहुमत के बल पर जो भी रुपया मंत्री जी चाहते हैं, उन्हें मिल जायगा लेकिन इस चर्चा का एक लाभ होगा कि सत्ता पक्ष जो काम

करता है, विपक्ष उसकी कमियों को उजागर करता है और इसका उद्देश्य यही है कि शासन इससे सतर्क होकर उसमें सुधार करेगा, इसलिए मान्यवर, सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य को उत्तेजना में इसलिए नहीं आना चाहिए कि उसकी कमियां उजागर की जा रही हैं, यही इस चर्चा का लाभ है अन्यथा हम सभी जानते हैं कि हमारा कटौती प्रस्ताव बहुमत से गिराया जायगा और आप निश्चित रूप से पैसा प्राप्त करेंगे ।

लेकिन मान्यवर, यह बात सत्य है कि जो भी पैसा यहां मांगा गया है, बजट में, तो मंत्री जी आप स्वीकार कर लीजिये जो माननीय श्री राम शरण दास जी ने जो बैलगाड़ी, इक्का, घोड़ा, रिक्शा आदि में कमीशन खाने की बात कही है वह तो ठीक है । लेकिन यह भी सही है कि इसमें तमाम लोग हिस्सा बांटते हैं और उन्हीं का उल्लेख उन्होंने यहां कर डाला । जो भी पैसा आप अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में, गरीबों के उत्थान के लिए देते हैं, उसमें यह बात आप सत्य मान लें कि पहले 40 परसेन्ट बांट खाया जाता था और अब वह प्रतिशत 60 तक चला गया । आप इसका कोई उपाय तो निकालते ? एक उपाय निकाला और कहते हैं कि जो मकान बन रहे हैं उसमें सीधे रुपया लाभार्थी को दिया जा रहा है । मान्यवर, मैं सूचना दे रहा हूं कि यह बात बिल्कुल असत्य है और लाभार्थी को सीधे कुछ नहीं मिल रहा है । आप ही मटीरियल खरीदकर देते हैं और हजार रुपये की जो सहायता है, वह भी सीधे नहीं देते हैं । अनेक तरीकों से हिसाब-किताब बनाकर दे रहे हैं कोई भी पैसा लाभार्थी को इन्दिरा आवास योजना में अथवा दुर्बल वर्ग आवास योजना में नहीं मिल पा रहा है । एक मुद्दा मैंने रखा । जो भी पैसा आप दे रहे हैं, वह लाभार्थी तक नहीं पहुंच रहा है । शासन को चाहिए कि वह इस पर विचार करे और बिचौलियों को हटाया जाय । शत-प्रतिशत पैसा लाभार्थी तक सीधा पहुंचना चाहिए । जिस दिन आप यह कर लेंगे, उस दिन आपका पैसा देना सार्थक हो जायेगा, अन्यथा निरर्थक होगा । मान्यवर, आज मैं जिस गांव में भी जाता हूं तो सात बातें कही जाती हैं । बाबू, गांव में खडन्जा बिछवा दें, पीने का पानी उपलब्ध करा दें, बिजली लगवा दें, सड़क से गांव को जुड़वा दें, स्कूल खुलवा दें, अस्पताल बनवा दें और हमारे साथी श्री राम शरण दास जी ने जो कहा कि महिलाओं के लिए शौचालय बनवा दें । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ गांवों में आदेश दिये गये हैं । आप एक काम करिये । जैसा मैंने अध्ययन किया है कि आप ये सात प्वान्ट्स प्रोग्राम हर गांव में पहुंचा दें । मैं कहता हूं कि यह काम जापान ने 6 साल में किया, रूस ने 11 साल में किया, अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने 12 साल में किया, तो आखिर आज 40 साल बीत गये हैं, हम इसे क्यों नहीं कर पाये, इसके लिए हम और आप दोनों दोषी हैं । हर गाव में यह सात प्वान्ट्स प्रोग्राम पहुंचाया जाना चाहिए । आप एक सर्वेक्षण करवा लें कि एक वर्ष में कितनी आबादी में यह 7 प्वान्ट्स प्रोग्राम पहुंचा है ।

आपने हरिजन आवास की बात कही है । मैंने यहां हिसाब लगाया है, उस हिसाब से हरिजनों को आवास मिलने में 300 वर्ष लग जायेंगे । इसलिए इस धीमे काम की जो गति है, उसको सुधारने के लिए आप इन 7 प्वान्ट्स प्रोग्राम को हर गांव में पहुंचा दें । तभी यह ग्राम्य विकास हो पायेगा । इसके साथ ही जिस प्रकार

जिला योजना की बनती है, एक प्रान्तीय सेक्टर की योजना है। आप एक अलग से ग्राम योजना विभाग खोल दें और उसके लिए अलग से धन आवंटित कर दें। ये 2-2 गांव के नमूने लेने से कुछ होने वाला नहीं है, यह तो इसी प्रकार चलता रहेगा। आपका एक आर0 ई0 एस0 विभाग है। इसके द्वारा सुदूर अंचलों में काम चल रहा है। इसके काम में भी कुछ गड़बड़ियां होंगी, कम से कम जो इसे आप काम दे रहे हैं, उसे जिला योजना में शामिल कर उसके लिए अलग से धन आवंटित कर दें ताकि किसी की कृपा पर उनको न रहना पड़े। इस पर आप ध्यान दें। एक बात मैं नहीं समझ पाया हूं कि शहर में सड़क बनने पर नागरिक से पैसा नहीं लिया जाता है लेकिन गांव में खडन्जा भी बिछाया जाता है तो उनसे 2-2 हजार रुपए पहले लिया जाता है, जो उनके साथ सरासर अन्याय है। उर्जीकृत गांवों में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की बात कही गई है। जो आपने यह प्रगति प्रतिवेदन वाली पुस्तक दी है, उसमें आपने लिखा है कि "उर्जीकृत गांवों में सामान्य तथा हरिजन बस्तियों में रोशनी की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा पंचायतों को सहगामी बनाने के उद्देश्य से विभाग के माध्यम से खराब बल्बों को बदलने और विद्युत व्यय को सरकार की ओर से भुगतान कराने की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए चालू वर्ष के बजट में लाख रुपये की व्यवस्था की गयी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के प्रकाश की निःशुल्क और निरन्तर सुविधा जन साधारण के सुविधार्थ उपलब्ध रहे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

लाख रुपये नहीं, यहां पर 52 लाख रुपये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

यह मेरे समझ में नहीं आ पाया कि लाख रुपए क्या है? अब आपने कहा, इसे आप ठीक भी करा दीजिए। जो उर्जीकृत गांवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की है, इसमें खाने-पीने का सारा प्रबन्ध है हरिजन बस्ती में अन्धेरा छाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज ग्रामीण विकास के बजट पर यह सोचकर बैठे थे कि एक गम्भीर बहस और चर्चा सुनने को मिलेगी। कुछ सुझाव आये भी लेकिन आज से कई वर्ष पहले जब माननीया इन्दिरा जी ने 20–सूत्री कार्यक्रम का शुभारम्भ किया तो विपक्ष के लोगों ने कहा कि यह कार्यक्रम एक धोखा है। आज विडम्बना है कि विपक्ष के लोगों को उन 20–सूत्रों में से एक-एक सूत्र का विवेचन करना पड़ रहा है और मानना पड़ रहा है कि इन्दिरा जी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम इस देश के लिए प्रभावशाली और गरीबी उन्मूलन करने वाला है। 1977 से 80 के बीच में "फूड फार वर्क" की योजना, जिसमें सुदूर गांवों के अंचल में मिट्टी फेंकने की मजदूरी गेहूं के रूप में दी जाती थी रुपया नहीं दिया जाता था, तो मजदूर नमक तेल के लिए अपनी आधी मजदूरी बनिये के हाथ बेचता था। जो सड़कें थीं, उनका निशान भी ये नहीं बता सकते। चलें अपने क्षेत्र में और बतायें।

आज यही हमारी सरकार है जो मिट्टी के काम के बाद गिट्टी डालती है, सोलिंग करती है और पेण्टिंग करती है। आज हमारी बनायी हुई सारी सड़कों का वजूद मौजूद है। यह हमारी सरकार है जिसने जिला परिषदों के चुनाव कराये, ग्राम सभाओं के चुनाव कराये हैं। निश्चित रूप से श्री श्याम सूरत जी इसके लिए अभिनन्दन के पात्र हैं कि उनके समय में यह दुरूह कार्य हो पाया। जब किसी कार्यक्रम पर चर्चा होनी है तो एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी माननीय राम शरण दास जी ने चिन्ता प्रकट की भ्रष्टाचार के बारे में और नैतिकता के पतन के बारे में। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इसके लिए हम सभी को जिस प्रकार से वोटर्स को ट्रेनिंग देनी है, जितना उनको समय देना है, जितना उनको तैयार करना है, यह अकेले अखबार के लोग नहीं कर रहे हैं। वे एयर कण्डीशन में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। यही कारण है कि लोकतन्त्र में नई जनरेशन को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है और वह लोकतंत्र का सही प्रयोग नहीं कर पा रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो ये बात करते हैं जिला परिषदों के चुनाव में, ब्लाक प्रमुख के चुनाव में और ग्राम प्रधानों के चुनाव में पैसे का दुरुपयोग किया गया है, यह बात चिन्ता का विषय है लेकिन इसका मुकाबला इससे नहीं कर सकते कि आपने जिस तरह से 1977 में सारी चुनी हुई संस्थाओं को भंग करके अफसरों को सौंप दिया था। विकल्प लोकतंत्र को सुधार कर चलने का है। आज जो भी एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय रोजगार योजनायें हैं, इन सभी में आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, वह लोगों को इन कार्यक्रमों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है।

(लाल बत्ती होने पर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक मिनट का समय और दे दें, बस अब मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, आज मैं इतना कहते हुए इसे समाप्त करता हूं कि लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, उन्हें विकास कार्यक्रमों के बारे में बतलाना जरूरी है।

अन्त में मैं अपने जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर में अहिरौरा ब्लाक बनाया जाय और सोनभद्र में घोरावल ब्लाक जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लाक है जिसमें 147 ग्राम सभायें हैं तो उस ब्लाक का विभाजन करके कर्मा ब्लाक बनाने को मैं मांग करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राम शरण दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको मजबूती देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, गम्भीर बात को आसानी से कह देना, यह अच्छी बात है इसमें वे प्रकाण्ड हैं इसलिये इस संबंध में माननीय गौरी शंकर जी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह ग्राम्य विकास विभाग का बजट है, हमारी तो इच्छा है कि इस बजट को चार गुना बढ़ा दिया जाय। पूरे प्रदेश के विकास के लिये यह जो बजट है, मेरे हिसाब से 12-13 परसेन्ट भी यह नहीं है। हमारे युवा मित्र हैं वे सन् 1977 की बात करते हैं क्योंकि उसका फिर पूर्ण उत्थान

होने वाला है, उस समय ग्राम्य विकास विभाग को बजट का 44 फीसदी दिया गया था। जब तक हम उनको पैसा नहीं देंगे, 13 प्रतिशत पैसा देकर हम उसका विकास कैसे करेंगे ? इरादे इनके ठीक हो सकते हैं लेकिन आज तक आपकी कोई योजना पूरी क्यों नहीं हो रही है ? आज जो प्रदेश की स्थिति है, केन्द्र सरकार ग्राम्य समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है । माननीय अधिष्ठाता जी, इस संबंध में केन्द्र में बैठकें हुईं, क्यों यह बैठकें हुईं? क्या प्रदेश सरकार यह बैठकें नहीं कर सकती थी ? इसके पहले भी माननीय सांसदों को देखा कि पूरे प्रदेश को तोड़ने के लिये, यह एक कन्फ्रेन्ट्रेशन की सी स्थिति आ रही है सारे देश में। कहां पैसा माननीय मंत्री जी आप ग्रामों को दे रहे हैं?

मैं आपको बतलाता हूं कि गोरखपुर शहर में अरबों रुपया खर्च हुआ है, वहां गांवों में आज भी खुले आकाश के नीचे वहां का हरिजन डोम रह रहा है। एक प्रतिशत डोम के पास कोई मकान नहीं है। यह सरकार किस चीज की योजना बना रही है ? जो भी अनुदान आप दे रहे हैं उसका 15 से 25 प्रतिशत तक बैंक वाले ले रहे हैं । बैंक बिना कमीशन के अनुदान नहीं दे रहा है, कौन सा नियंत्रण सरकार उस पर कर रही है? क्या बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों पर कोई कानून नहीं है? आप चाहते हैं कि यह पैसा गरीब की झोपड़ी में जाय किन्तु यह पैसा वहां न देकर महलों में रहने वाले अधिकारी उससे लूट रहे हैं । बैंक के बड़े-बड़े अधिकारी, मैनेजर उससे पैसा ले रहे हैं और बिना पैसा लिये उसे अनुदान की राशि नहीं दे रहे हैं।

इसी आदरणीय सदन में एक मेरा सवाल था, उस समय मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह थे, उनके गांव पनीरा में गोबर गैस प्लान्ट के लिये पेमेन्ट हुआ था। उस पर मैंने सवाल किया था कि वहां पर गैस प्लान्ट के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी और पूरे के पूरे पैसा का भुगतान कर दिया गया था । कहां से भुगतान किया गया, कौन अधिकारी था ? लेकिन कोई अंकुश नहीं है नौकरशाही पर। जब तक हम इस सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारा पूरा राजनीतिक जीवन इससे जुड़ा हुआ है, जब मैं पी0 एच0 डी0 के लिए नील खेड़ा गया हुआ था. . .

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर यह गौरी शंकर जी सदन के बाहर जा रहे हैं, इन्हें आप बुलवाईए क्योंकि अब मैं बोलने जा रहा हूं. . .

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैं मान्यवर कहना चाह रहा था कि इस विभाग की सृष्टि ही इस आधार पर हुयी कि इसमें एक टीम होगी और इसमें जो खण्ड विकास अधिकारी होगा, जब तक ब्लाकों में काम करने वाले इस अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) के नियंत्रण में काम करेंगे तबतक तो विभाग सही काम करेगा, परन्तु आज मान्यवर हो क्या रहा है, ए0 आर0 ओ0 और डी0 आर0 ओ0 की ही चल रही है, वैसे जो बधाई माननीय मंत्री जी को अर्ज दी जा रही है, वह सही है, वह बधाई के पात्र हैं भी क्योंकि उन्होंने चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में हुआ क्या और कैसे-कैसे लोग आए और जहां पर 15-20 जगहों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने बाजी मारी वहीं पर एकाध बाजी हमने भी ले ली, लेकिन आज इन चुनावों में क्या हो रहा है, मान्यवर, जब मैं चुनाव लड़ा था सन् 1961 में तो मेरा सिर्फ एक रुपया 14 आना खर्च हुआ था और अभी हमारे एक साथी चुनाव लड़े जिनका डेढ़ हजार रु0 खर्च हुआ, लेकिन आज इन चुनावों में लाखों रु0 खर्च हो रहे हैं, यह क्यों खर्च हो रहे हैं, इस पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इस पर माननीय मंत्री जी आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आभा जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, आज इस पर हर तरफ से हमला हो रहा है बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है . . .

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, बोलने वाले अभी काफी हैं, इसलिए इसमें लगभग आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए . . .

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, अंत में मैं माननीय राम शरण दास जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का विरोध करता हूं . . . .

*श्री अफसर यू0 अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इसके लिए आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मा0 राम शरण दास जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और बहुत ही गम्भीरता से विचार करना होगा तो मैं उस वक्त समझ गया था जब इस पर कटौती का प्रस्ताव मा0 राम शरण दास जी ने रखा कि किस गम्भीरता से इस पर विचार होगा इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है । मान्यवर, जैसा कि सभी जानते हैं कि इस प्रदेश के ग्रामों की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है और इस बड़ी आबादी में हमारे जो संशाधन हैं, ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए, उनकी समस्त जरूरतों को मुहैया करने के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए, गरीबों की रेखा से ऊपर उठाने के लिए इन संसाधनों के तहत जो कार्यक्रम बनाए गये हैं, इनको मजबूत करने के लिए, समय से इनका क्रियान्वयन किया जाए यह तो सही बात है और साथ ही साथ गरीबी की रेखा के नीचे के मजदूरों को लिये जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार उनके लिये बधाई की पात्र है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस सदन में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को लाभ पहुंचेगा । जब ग्राम सभाओं में उनका खुला चयन होगा, तो बेइमानी करने का कोई अवसर नहीं होगा, अगर हम सतर्क रहें तो उनको अवश्य ही लाभ होगा। जब किसी का चयन खुली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई ग्राम सभा में होगा, तो बेइमानी की बात नहीं होगी, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक की देखरेख में कार्य हो और चाहे विरोध पक्ष के विधायक की देखरेख में कार्य हो। इस कार्य में ईमानदारी की जरूरत है और ईमानदारी बरतने की जरूरत है। यह देखने की जरूरत नहीं है कि सरकार का यह कार्यक्रम है इसलिये इसको फेल ही करना है और विरोध करना है। जहां पर खुले रूपे से काम होगा, तो वहां पर काम ठीक होगा।

हरीश जी ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं कि गरीबों को पूरा लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिये जरूरत इस बात की है कि हम इसका मजबूती के साथ निरीक्षण करें और अपना उसमें योगदान दें। मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण संवाओं के विकास के लिये, माननीय मंत्री जी को कहने का मौका नहीं दिया, जो आर0 ई0एस0 है, उसको मजबूत किया जाये। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 4 करोड़ रुपये से यह प्रारम्भ किया गया था और अब यह एक अरब रुपये का कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रदेश में जो आर0 ई0 एस0 के प्रमुख अभियन्ता का पद है, उसको अभी तक सृजित नहीं किया गया है, उसको सृजित किया जाये और आर0ई0एस0 में जो लम्बित पद हैं, उनके चयन की बात है, उनको भरा जाये जिससे जो बेरोजगार इन्जीनियर हैं, उनको सेवा करने का अवसर मिल सके। मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की 2-3 बातों को कहना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप का समय समाप्त हो गया है। आप के जो सुझाव हों, वह माननीय मंत्री जी के पास लिखकर भेज दें।

श्री अफसर यू0 अहमद–

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह सच है कि जब तक गांवों की दशा नहीं सुधरेगी प्रदेश और देश मजबूत नहीं हो सकता है माननीय मंत्री जी ने बड़ी लम्बी व्याख्या किया और अपनी योजनाओं के विषय में बताया। मान्यवर, समय बहुत कम है इसलिये 2-3 सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। गरीबी को दूर करने के लिये बहुत सी योजनाओं को चालू किया गया है, मैं एक उदाहरण बलिया जिले का देना चाहता हूं। वहां पर जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ था और सरकार ने घोषणा किया कि गांव के ऐसे लोग जो गरीब और असहाय हैं, निर्बल हैं और नौजवान हैं उनकी जीविका के लिए सूखा राहत योजना में सम्पर्क मार्गों के निर्माण द्वारा उनको भोजन दिलाने की व्यवस्था की जायेगी और आर0ई0एस0 जिला परिषद् और ब्लाक की सभी एजेन्सियों से काम कराया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कभी आपने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की कि बलिया जनपद में आज तक उन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। तत्कालीन जिलाधीश बलिया ने सूखा राहत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का सारा का सारा पैसा एन0एस0सी0 योजना में जमा कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कह दिया है कि हम सूखा राहत कार्यों का पैसा नहीं देंगे । जिन एजेन्सियों ने काम किया है चाहे वह ब्लाक की हों या जिला परिषद् की हों सारे लोग ने वहां पर उनका घेराव कर दिया है ।' मजदूरों के देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है । आपने इन योजनाओं को मजदूरों और गरीबों की खुशहाली के चलाया था या उन्हें मारने के चलाया था । इसलिये मान्यवर, हमारी मांग है कि आप तत्काल बलिया जिले के सूखा राहत कार्यों का पैसा मजदूरों को दिलायें ।

दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी योजना को काटना भी पड़े तो कम से कम जैसा कि राम शरण दास जी ने कहा है सड़कों के किनारे जो गांव हैं उन गांवों में शौचालयों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करें । कोई विरोध पक्ष का आदमी आपको मना नहीं करेगा । उनका वहां पर निर्माण कराना आवश्यक है । मंत्री जी ने बड़े जोर-जोर से कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से प्रदेश में 13 हजार प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण हो रहा है ।

मान्यवर, मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप में भी इस विषय पर डिस्कशन हो चुका है। जो काम गांवों में होता है उसके लिये गांव के लोग कहते हैं कि एक ईंट या डेढ़ ईंट की दीवाल से क्या होना है । उसमें थोड़ा बहुत सीमेन्ट लगाने की बात है तो उसमें भी देरी होती है और यह सब इंजीनियरों और ओवरसियरों के माध्यम से होता है । हम लोगों ने बलिया जनपद में स्टियरिंग कमेटी की बैठक में वहां के अधिकारियों से निवेदन किया कि माफ कर दो । हर चीज में आप लेते हैं । एक तो सरकार ने खुद कंजूसी की है कम से कम इसको तो कमीशन से मुक्त रखें । मैनेजर सिंह जी ने कह दिया कि जब तक हम नहीं कह देंगे हमारे क्षेत्र के स्कूल नहीं बनेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि स्कूलों के भवन निर्माण में आप पैसा बढ़ायें । क्योंकि नहीं तो फिर दो साल के बाद वे गिर जायेंगे। फिर वे भवनहीन हो जायेंगे और बच्चों को फिर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ेगा । कम पैसा होने की वजह से इंजीनियर और ओवरसियर भी बदनाम हो रहे हैं, सरकार भी बदनाम हो रही है और आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कहूंगा । मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां लखनऊ के एक अधिशासी अभियन्ता श्री डी0 एन0 तिवारी हैं । एशबाग में एक स्टील प्लान्ट है जो कहीं से भी प्रमाणित नहीं है । वह स्टील सप्लाई करता है । उनको 6,50,305 रुपये अग्रिम के रूप में दिया गया है सितम्बर में, स्टील सप्लाई करने के लिये । लेकिन आजतक इस कम्पनी ने सप्लाई नहीं किया है स्टील की । जब इस विषय में काफी हल्ला-गुल्ला हुआ इंगित करो आन्दोलन शुरू किया एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति श्री सी0 बी0 सिंह के नेतृत्व में जब उनके कार्यालय में प्रदर्शन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उस अधिशासी अभियन्ता ने गुंडों से फायरिंग करवाई । उसमें 307 में मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन आजतक उस अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ । वह यहीं पर बना हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप समाजवादी हैं । आप अपने ही जैसे सबको मत समझिये । ऐसे अनियमित काम करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को सजा नहीं मिलेगी तो फिर किसे आप सजा देंगे । इसलिये मेरी मांग है कि आप इस अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें ।

इसकी जांच करें और जो पैसा उनको अग्रिम के रूप में दिया गया है, कमीशन दिया गया है उसको वसूल करें। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया मैं ग्राम्य विकास के इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और श्री राम शरण दास जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं अपनी सरकार और विशेष रूप से ग्राम्य विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सबसे अच्छा कार्य किया है लाभार्थियों के चयन के संबंध में जो गड़बड़ियां हुआ करती थी उसको अब ग्राम सभा में सब के सामने लाभार्थियों का चयन होता है। माननीय राम शरण दास जी को सभी चीजों में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा और विकास के नाम पर उनको कोई चीज नहीं दिखाई पड़ी। मैं आवाहन करता हूं हमारे विधान सभा क्षेत्र 161 गोंडा में वह आयें मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनका वहां अभिनन्दन करूंगा जहां वह देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों का कितना विकास हुआ है (व्यवधान) मैं उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहा था अब वह मेरी बातें भी ध्यानपूर्वक सुनें। वह गांवों में जाकर देखें खड़ंजे का कार्य हो चाहे नाली बनाने का कार्य हो। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जिन सड़कों का निर्माण हुआ है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी सड़कों का निर्माण इस विभाग द्वारा हुआ है अगर यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास होता तो इतनी सड़कों का निर्माण होना संभव नहीं था। इस विभाग के पास बावजूद जो विशेष दिक्कत आती है ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़कों का निर्माण होता है तो उसमें यह जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं फिर भी सड़कों का निर्माण इस विभाग द्वारा हुआ है। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो दो ही मिनट हुये।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आई0 आर0 डी0 स्कीम के तहत आज गांवों में जो लोग तांगा, खडखडा, रिक्शा चलाते हैं या पशुपालन का काम करते हैं उसको वह किराये पर लेकर चलाते थे लेकिन आज हमारी सरकार और ग्राम विकास विभाग की देन है कि वह उसके मालिक बन गये हैं।

इसी तरह ट्राइसम योजना के अन्तर्गत जिस बात की ट्रेनिंग दी जाती है जैसे गोबर गैस प्लांट या इंडिया मार्क टू हैण्डपम्प आदि की मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें कार्य देने में उनको प्राथमिकता दी जायेगी जिससे उनको रोजी मिल सकेगी।

इसी तरह इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्बल वर्ग के लोगों को आवास देने की योजना है इससे इन लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर किसी को लाभार्थियों को देखना है वैसे तो सभी के यहां यह योजना मिलेगी अगर वह खुले दिल से देखेंगे तो अपने यहां भी उनको दिखाई देगी अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरे चश्मों से देखना चाहे तो

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आवें वहां के चार ब्लाकों में झंझरी, पड़रीपाल वजीरगंज और तरबगंज में आकर देख लें कि किस तरह से लाभ लोगों को हो रहा है । इस कार्य को ठीक से संपादित कराने में जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है ।

इसी तरह से पुष्टाहार योजना है इसमें जितना लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ होती है उसे ठीक करने की जरूरत है । इसी तरह से फ्री बोरिंग योजना है लेकिन इसमें भी गड़बड़ी होती है, इसलिये इसमें जनप्रतिनिधियों को जागरूक रहना चाहिए । मान्यवर, जितना लाभ फ्री बोरिंग से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । इसलिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है । इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री राम शरण दास जी को सद्बुद्धि ईश्वर दे और ग्राम्य विकास के लिये जो कटौती का उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसको वह वापस लें ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ग्राम प्रधानों को बहुत अधिकार दे रहे हैं और अभी श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी ने बहुत कुछ कहा, तो क्या इनको नही मालूम है कि गांव का प्रधान यदि मामूली गड्ढा भी 200 रुपये में नीलाम करता है तो इनका तहसीलदार उसको तलब करता है, अपमानित करता है और पैसा लेता है, तो यह प्रधानों को अधिकार है । तहसीलदार जब चाहे आपके प्रधान को सस्पेंड कर देता है, यह आपकी जम्हूरियत है । अपनी गांव सभाओं के संबंध में प्रधान मंत्री बहुत दम भरते हैं कि इनको और अधिकार देंगे ।

मान्यवर, अब मैं आर0 ई0 एस0 के संबंध में कहना चाहता हूं कि इसने जो सड़कें बनाई हैं और उनके लिये अपना बजट नहीं होगा तो जो मिट्टी का काम तीन साल पहले हुआ बरसात में कट जाता है इसलिये इसके लिये कोई आप परमानेन्ट गैंग की व्यवस्था करें जो मरम्मत सड़कों की करता रहे वरना सड़के बरबाद हो जाती हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस विभाग को धन दें । मान्यवर, प्राइमरी स्कूल यह बनाते हैं और पैसा नहीं रहता है तो पी0 डब्लू0 डी0 में जो स्कूल चला जाता है वह सत्यानाश हो जाता है । इसलिये इस विभाग को पैसा दें और आप अपना नियंत्रण रखें । इसके अधिकारी जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है । 843 में 412 जूनियर इंजीनियर कम हैं, आसिस्टेंट इंजीनियर कम हैं, अधिशासी अभियन्ता कम हैं । इसलिए यदि इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मजबूत बनाना चाहते हैं तो चीफ इंजीनियर के ऊपर कोई पद स्वीकृत कर रहे हैं तो उसकी जल्दी पूर्ति करायें और काम लें तभी पी0 डब्लू0 डी0 को राहत मिलेगी । जो आर0 ई0 एस0 खड़ंजा लगाता है तो लेपन का कार्य भी करायें । प्राइमरी स्कूलों के बारे में जो पैसा इनके पास पड़ा है वह कम है, इसलिए पैसा देकर स्कूलों को पूरा करायें ।

*श्रीमती कुदसिया बेगम–

जनाबे वाला, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं और जो कटौती का यहां प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं विरोध करती हूं । जनाबेवाला, मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने बजट भाषण में बहुत सी चीजों का जिक्र किया है जो सरकार की तरफ से नई-नई शुरू हो रही हैं और पुरानी जो योजनायें हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जा रहा है । जनाबेवाला, यह बजट ग्राम्य विकास विभाग का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि इसके ऊपर पूरे प्रदेश के विकास का दारोमदार है, इसलिए इसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत है । मैं समझती हूं कि जो कुछ भी इस विभाग में हो रहा है वह बहुत ही काबले तारीफदार है। यह जरूर है कि कुछ कमियां हों और इसलिए आलोचना हो सकती है चूंकि इतना बड़ा काम है इसलिए इसे आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और मुमकिन है कि बहुत सी कमियां भी रह जांय । समय की कमी की वजह से ज्यादा बातों की बाबत नहीं अर्ज करूंगी, हालांकि यह ऐसा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं चन्द बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं । जनाबेवाला, हमारे मंत्री जी ने अवास बनाने का जिक्र किया है, मैं उनसे यह अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे इस ग्राम विकास विभाग में बहुत सी कमी उसको पूरा करने में इसलिए भी है कि हमारे यहां क्षेत्रों में आवास की बहुत कमी है और जो हमारे कर्मचारी इन चीजों के जिम्मेदार हैं यानी बी0 डी0 ओ0 आदि वह दफ्तरों में बहुत दूर-दूर से आते हैं और उनकी नजर सारे दिन घड़ी पर लगी रहती है कि कब उनको जाने का समय हो, वह अपने घर चले जाएं। इसलिए कहना चाहती हूं कि आवास ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं । मैं यह भी अर्ज करना चाहती हूं कि बिजली की हमारे यहां बहुत कमी है । मेरे संडीला ब्लाक में 77 हैं, उसमें सिर्फ 17 में बिजली है । इसलिए मैं चाहती हूं कि बिजली की तरफ ज्यादा जोर दिया जाए और हमारे गांवों में जहां बिजली मिल रही है, वहां कम से कम 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए । मैं एक अर्ज और करना चाहती हूं, इस सरकार की एक स्कीम है-ग्रेन फार वर्क यानी काम के बदले अनाज, उस चीज को मैं चाहती हूं कि सरकार खत्म कर दे । क्योंकि वह चीज बिलकुल सही नहीं चल रही है । जहां भी सड़कें बनती हैं रोजाना की मजदूरी मिलती है, गेहूं बाद में आता है और बाद में वह सारा ब्लैक मार्केट में चला जाता है और मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए सरकार को सिर्फ नुकसान होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब बहुत हो गया, आप बैठें, लिखकर अपने सारे सुझाव भेज दीजिएगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती कुदसिया बेगम–

मैं एक बात और अर्ज करना चाहती हूं, महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम सरकार की तरफ से हैं, उनमें ज्यादा चुस्ती होनी चाहिए क्योंकि हमारी ग्रामीण महिलाओं की हालत बहुत पिछड़ी हुई है, . . . (व्यवधान) इसलिए मैं चाहती हूं कि उनकी वावंत योजनाएं पर ज्यादा जोर देना चाहिए। साथ ही लड़कियों के स्कूल भी और ज्यादा तादाद में वहां खुलने चाहिए । इधर देहातों में आजकल मच्छरों का भी बहुत जोर है, लोग परेशान हैं, अत: मच्छर मारने की दवा इस्तेमाल हो । मैं भी मच्छरों से बहुत आजिज हूं ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के लिए धोखा है, प्रदेश बचाओ मौका है । हमारे मंत्री जी डाक्टर लोहिया के सिद्धान्तों पर चलने वाले आदमी हैं, हमारे राम शरण दास के इसमें साथी रहे हैं और हमारे वह नेता रहे हैं । हमारी समझ में नहीं आता है कि उनके जैसे आदमी के रहते प्रदेश में क्या ग्राम विकास का कार्य हो रहा है । किसान आज गांव को छोड़कर शहर में भाग रहे हैं । पूरे वाराणसी में या लखनऊ में आप घूमकर देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए, विकास प्राधिकरण का काम देख लीजिए । आप केवल 13 परसेंट वहां पैसा देते हैं, जबकि जनता शासन में इससे कहीं ज्यादा मिलता था । आज मुख्य मंत्री जी को इस चर्चा के समय सदन में रहना चाहिए था । यह लोग तो कभी मुख्य मंत्री का और कभी राजीव गांधी का नाम लेते नहीं थकते हैं । राजीव गांधी के नाम पर पंचायती राज सम्मेलन पर जब ब्लाक प्रमुख का चेहरा टी0 वी0 पर आता है, तो वह लोग खुश हो जाते हैं । कोई जवाहर लाल नेहरू से हाथ मिलाकर खुश हो जाता आप किसान मेला की प्रदर्शनी लगाकर सोचते हैं कि गांव का विकास हो गया अगर ग्रामीण विकास आपको करना है तो आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के बारे में कहना चाहूंगा इसका मानक पी0 डब्लू0 डी0 के समान होना चाहिए । हम लोग नदिया के किनारे जो रास्ता होता है उस पर तो साइकिल से जा सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बनाई गई सड़कों पर साइकिल या फिएट कार से जाते हैं तो उसके टायर बस्ट हो जायेंगे, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है । मान्यवर, यह जगह-जगह जिले घोषित करने जा रहे हैं । चुनाव का साल है । 31 मार्च को पंचायती राज सम्मेलन है ब्लाक प्रमुख जा रहे हैं राजीव गांधी का दीदार करने और उसके लिए परियोजना निदेशक पैसा दे रहे हैं ।

राजीव गांधी के दर्शन करने के लिए ब्लाक प्रमुख जाते हैं, गांव के प्रधान जाते हैं आप गांव को क्या देना चाहते हैं। एक मंत्री जी कह रहे थे कि गांधीवादी तरीके से शासन चला रहे हैं । तीन तरीके से गांधीवाद चल रहा है । सरकारी गांधी, पुजात गांधी, मठाधीश गांधी। जवाहरलाल जी की पंक्तियों पर चलने वाले लोग सरकारी गांधी होते हैं विनोवा भावे की पंक्तियों पर चलने वाले लोग पुजात गांधी होते हैं। मान्यवर, श्याम सूरत उपाध्याय जी ग्रामीण विकास की बहुत बातें करते हैं 6 हजार में मैं किसी अधिकारी की तरफ इंगित नहीं करना चाहता हूं, आर0 ई0 एस0 का तो मैंने बता ही दिया, 6 हजार में कुछ नहीं हो सकता है कोई मकान किस तरह से बन सकता है जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

6 हजार की बात आई तो रघुवर दयाल जी ने कहा कि वेनीवाई जी और राम शरण दास जी उस मकान में नहीं रह सकते हैं श्याम सूरत उपाध्याय जी का परिवार वहां नहीं रह सकता है, जो मकान आप निर्बल वर्ग को दे रहे हैं तो क्या मंत्री जी इसमें ऐतिहासिक घोषणा करेंगे 6 हजार के बदले 12 हजार या 13 हजार रुपया निर्बल वर्ग को देंगे, जिससे ग्रामों का विकास हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

इन्जीनियर्स गो टू हैल नाट इन टू हैवेन इन्जीनियर्स शुड क्रिबेट हैल इन टू हैवेन, इंजीनियर तो नर्क में भी जाएगा तो स्वर्ग का निर्माण करेगा, तो जो इंजीनियर भ्रष्ट हैं उनकी छटनी करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

*श्री महमूदुल हसन अंसारी–

मान्यवर, आपने ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, जो श्याम सूरत उपाध्याय जी ने बजट पेश किया है यह बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है इससे देश और प्रदेश तरक्की करेगा। राम शरण दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इसी के साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है कच्ची पक्की सड़कों का जो जिक्र किया है मैं समझता हूं कच्ची पक्की सड़कें बनाने से देहातों की तरक्की होगी। ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो धन आर0 ई0 एस0 को दिया है उससे ग्रामों के विकास अच्छी तरह से होगा। 1987-88 में 72 करोड़ की लागत से इस कार्य को चलाया गया था और अब 80 करोड़ रुपये का अनुमान है, मैं समझता हूं कि इससे हर गांव बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर सकेगा। अभी-अभी विकास खण्डों का जिक्र किया गया, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि हर विकास खण्ड में टेलीफोन होना चाहिए क्योंकि वहां तमाम विकास के कार्य होते हैं टेलीफोन न होने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ ही साथ मैं बिजनौर की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। यहां पर हैण्ड पम्प का जिक्र किया गया है। बिजनौर के लिए 100 हैण्ड पम्प का निशाना बनाया गया है जो बहुत कम है। इसकी तादाद 2 गुनी होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र अफजलगढ़ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां के लिए 50 हैण्ड पम्प दिये जायं। मेरे क्षेत्र में एक गांव भीखावाला है जहां पर पानी की बहुत दिक्कत है। मैं चाहूंगा कि वहां स्पेशल तरीके से एक डबल मशीन लगाकर ट्यूबवेल बनवाया जाय ताकि गांव वालों को पानी मिल सके। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक बड़ापुरा-रायपुर रोड है। इस सड़क पर पुलिया नहीं बन पायी है और सड़क कच्ची पड़ी है। तो अगर 10 कि0 मी0 सड़क 31 मार्च तक पैसा भेजकर बनवा दी जाय तो यहां की तरक्की हो सकती है। इस तरह से धामपुर-सेवहरा रोड पर ग्राम सद्दूबियर उर्फ बेरखा पड़ता है। यह बहुत बड़ा ग्राम है

यहां की आबादी 3 हजार है। यहां पर 3 कि0 मी0 सड़क पक्की बनवा दी जाय ताकि लोगों को आसानी हो सके। इसी तरह से जो लैट्रिन ग्राम सभाओं में बनवाई जा रही हैं उनकी कुल लागत गवर्नमेंट दे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कुशलपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जब तक ग्राम विकास की योजना सही रूप में देहातों में कार्यान्वित नहीं होगी तब तक बेरोजगारी और गरीबी नहीं दूर हो सकती। देखने में यह आता है कि जितनी हमारी बेरोजगारी को दूर करने की योजनायें हैं, ट्राइसम की जो स्कीम है उसमें आमतौर पर जो ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया दिखाया जाता है और जो मटीरियल दिया हुआ दिखाया जाता है, को अगर ईमानदारी से देखा जाय तो न सामान दिया जाता है और न कोई ट्रेनिंग ही होती है। सब चीजें कागज पर हो जाती हैं और पैसा बांटकर खा लिया जाता है। जो बैंकों द्वारा सुविधायें दिलायी जाती हैं वह भी कागज पर दी जाती हैं वास्तव में लोगों को नहीं मिलती हैं। काफी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला हुआ दिखाया जाता है लेकिन जो संख्या दिखायी जाती है उसके 1/4 लोगों को ही लाभ मिल पाता है। मथुरा में ट्राइसम स्कीम ने मशीन सिलाई की स्कीम को शासन के निर्देशों द्वारा रद्द कर दिया गया था लेकिन वहां पर 735 लोगों को ट्रेनिंग दी गयी दिखलाकर लाखों रुपयों का गबन किया गया है। वहां पर किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गयी है।

इसी तरह से माड ब्लाक में 46 लाभार्थियों को सिलाई मशीन दी गयी दिखायी गयी है लेकिन लोगों को मशीनें नहीं मिली हैं, वह मारे-मारे फिर रहे हैं। इसी तरह से चाहे हथकरघा की योजना हो, चाहे बुग्गी की योजना हो सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार है और जो छूट तथा अनुदान लाभार्थियों को दिये जाने के निर्देश हैं वह उनको नहीं मिलता है। हरिजनों के लिए पेयजल योजना में जो शैलो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनमें कम पाइप डाला गया है जिससे उनमें पानी नहीं आ रहा है। जिनमें पानी आया भी था वह खराब पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से मानव दिवस सृजन नहीं होता है, सारा काम उसमें फर्जी होता है इसलिए इस स्कीम को रद्द किया जाय। हमारे यहां मथुरा जनपद में सूखा राहत योजना में भारी भ्रष्टाचार है। कोई सड़क पूरी नहीं की गयी है। मेरा निवेदन है कि जो सड़कें स्वीकृत की गयीं थीं और धन आवंटित किया गया था, उनको इस धन से पूरा कराया जाय। मथुरा जनपद में डी0 आर0 डी0 ए0 में भारी भ्रष्टाचार है। वहां तीन-तीन महीने प्रोसीडिंग नहीं लिखी जाती है। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वहां पर ए0 डी0 एम0 डी0 (पी) की नियुक्ति की जाय। हरिजन आवास के निर्माण में वी0डी0सी0 व डी0आर0डी0 की स्वीकृति 500-500 रुपया लेकर बनाये जा रहे अधिकारी स्वयं सामान खरीदते हैं। बनी हुई सड़कों का पुनः बनी दिखाकर सरकारी धन गबन किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कुशल पाल सिंह–

जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है, जिला परिषद् अध्यक्ष ऐसे आदेश देते हैं, जो मंत्री भी नहीं दे सकते, इससे अधिकारियों और जिला परिषद् के अध्यक्षों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इसलिए जरूरी है कि जिला परिषद् के अध्यक्षों और जिले के अधिकारियों के अधिकारों के बीच स्पष्ट लाइन आफ डिमारकेशन होना चाहिए, जिससे कि अधिकारियों को दबाव देकर अनुचित आदेशों का पालन न कराया जाय, उससे जगह-जगह अधिकारियों में अनावश्यक रूप से असंतोष है।

*श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी की देखरेख में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास में, क्षेत्रीय विकास में, पंचायती राज में, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में, समादेश क्षेत्र विकास में, निजी लघु सिंचाई, प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण, ट्राईसेम, पुष्टाहार, एकीकृत ग्राम्य विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान में, ग्रामीण आवास योजना, हरिजन पेयजल योजना में काफी प्रगति हुई है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद्, ब्लाक प्रमुख आदि के चुनाव भी समय से करा दिये गये। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बायोगैस, ग्रामीण परिषद् द्वारा आवासीय योजना के अन्तर्गत काफी काम हुए हैं। धूम्र रहित चूल्हा, बायोगैस तथा सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। पंचायत घर, सुलभ शौचालय आदि का निर्माण कराया गया।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। हमारे जनपद में सबसे बड़ा ब्लाक नगरा 113 ग्राम सभाओं का तथा ब्लाक सियर 103 ग्राम सभाओं का बड़ा ब्लाक है, इस कारण से छोटे-छोटे जनपद के अन्य ब्लाकों के बराबर ही विकास का धन आवंटित होता है, जिससे आधा हिस्से में इन दोनों ब्लाकों में विकास हो पाता है और आधा विकास कार्य से वंचित रह जाता है। इस कारण से दोनों ब्लाकों को मिलाकर 1/3 पश्चिमी छोर के पिछड़े क्षेत्र के 72 ग्राम सभाओं को मिलाकर भीमपुरा नं0 1, निकट किंडिहरापुर के पास एक नया ब्लाक शीघ्र बना दिया जाय। जब तक यह ब्लाक बन नहीं जाता है, तब तक जनपद बलिया के उन दोनों ब्लाकों के साथ-साथ ब्लाक रसड़ा, रतनपुरा, चिलकहा ब्लाक को अन्य ब्लाकों की अपेक्षा विकास के हर मदों के पैसे से दुगुना या डेढ़ा धन या योजनाएं दी जायं। पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना जनपद बलिया के ब्लाक रसड़ा में या गढ़वार अथवा ब्लाक रतनपुरा जनपद मऊ के हलधलपुर थाना के पास लघु इस्पात के लिए सर्वे की गयी भूमि पर स्थापित किया जाय। साथ ही ब्लाक रतनपुरा, रसड़ा, नगरा, चिलकहा, घोसी, फतेहपुर मंडराव में सामुदायिक विकास केन्द्र प्रत्येक ब्लाक के 12-12 ग्राम संभाओं में शीघ्र स्थापित किया जाय तथा प्रत्येक ब्लाक में 20-20 पंचायत घर और ट्राईसेम, पुष्टाहार कार्यक्रम, धूम्ररहित चूल्हा परियोजना लागू की जाय। इन्दिरा आवास और निर्बल वर्ग आवास में 6 हजार रुपया भवन के निर्माण हेतु है, उसे बढ़ा कर 10 हजार रुपया कर दिया जाय। हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत ब्लाक रसड़ा, रतनपुरा, सियर, चिलकहर में 500 हैण्ड पाइप शीघ्र लगाये जायं। ग्राम्य विकास विभाग एवं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायती राज तथा अन्य सभी विभागों में प्रत्येक श्रेणियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया जाय। मेरे क्षेत्र में शारदा सहायक नहर परियोजना में गूल निर्माण कार्य के लिए जो इकाई काम कर रही है, उसको धन देकर निर्माण कार्य चालू कराया जाय, उसे बन्द न किया जाय। ब्लाक रसड़ा के खण्ड विकास अधिकारी एवं ए0 डी0 ओ0 पंचायत श्री जमुना सिंह को, जो 19 वर्ष से मेरे क्षेत्र में है, उसे तत्काल कहीं पश्चिमी जिले में स्थानान्तरित किया जाय। मेरे क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग, हरिजन आवास हेतु धन आवंटित करके डी0 आर0 डी0 ए0, एल0 आर0 ई0 जी0 ई0 पी0, और एन0 आर0 ई0 पी0 योजना द्वारा कार्य कराया जाय ताकि पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अन्य सुझाव मान्यवर, जो मैं नहीं बोल सका हूं, उसे मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का भाषण पौने 9 बजे तक होना है, 4.45 पर प्रारम्भ हुआ, तो 4 घंटे तक यह चलेगा, तो पौने 9 बजे तक यह मान्यवर होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का जवाब और माननीय राम शरण दास जी का अंतिम भाषण यह सब उसी के अन्दर सम्मिलित है। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, ग्राम्य विकास के बजट पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो सड़कें ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा बन रही हैं वह सड़कें जिस साल बनती है उसके दूसरे साल वह जाया करती है। इन सड़कों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि वह परिसम्पत्ति के रूप में काम आये और उतनी ही सड़कें विभाग बनाये जितनी बाद में पक्की करायी जा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, जो सम्पर्क मार्ग गांवों में बन रहे हैं उसका जो रुपया जाता है उसका 40 फीसदी इस्तेमाल होता है बाकी 60 फीसदी रुपया कमीशन खोरी में इंजीनियर और ठेकेदारों में चला जाता है इसलिए इस पर भी गौर किया जाय तो अच्छा होगा मेरा एक सवाल था कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बहुत से प्रदेश में विकास भवन बनवाये गये हैं यह विकास भवन लाखों रुपये की लागत से बने हैं लेकिन उसका कोई उपयोग अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है।

माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इन विकास भवनों में ग्राम्य विकास के अधिकारी बैठा करेंगे। एक साल पहले का यह जवाब था लेकिन अभी तक इन विकास भवनों में कोई अधिकारी नहीं बैठा है। तो माननीय मंत्री जी इस तथ्य को भी अपने बजट भाषण के उत्तर में स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। मान्यवर, चीफ इंजीनियर आर0 ई0 एस0 के हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपये गबन के और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं इसको प्रश्न के माध्यम से कई बार उठाया गया इस आदरणीय सदन में और आश्वासन भी आये लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण का उत्तर भाषण

क्या देंगे तो इसमें इसकी भी जानकारी करा देंगे। मान्यवर, इसी तरह से लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आन्दोलन हुआ और आन्दोलनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ, एफ0 आई0 आर0 हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मान्यवर, अब मैं अपने उन्नाव जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण अभियन्त्र सेवा के जो इंजीनियर वहां हैं उन्होंने पूरा का पूरा गेहूं गत वर्ष बेच लिया और पंजाब नेशनल बैंक में महमूदल हसन जैदी के नाम से एक फर्जी खाता खोल लिया जिसमें उन्होंने सारा रुपया जमा कर दिया और जिन ठेकेदारों से काम लिया है उनको इसी चेक से पेमेन्ट करते रहे और महमूदुल हसन का फर्जी हस्ताक्षर बनाते हैं इस तथ्य की तरफ जब जिले की बैठक हुई तो मैंने ध्यान दिलाया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इस समय जो भी कार्य हमारे क्षेत्र में चल रहा है उसमें कोई भी कार्य ठीक से नहीं हुए हैं और सब में घपले हुए हैं। मान्यवर, इस विभाग ने पुरवा बिसनोहा मार्ग बनाया इस साल रिपेयर किया लेकिन चलने लायक नहीं है और उसमें सारी धनराशि इंजीनियर खा गये। इसी तरह हिलौली ब्लाक की बिल्डिंग बनने में काम हुआ लेकिन उसकी छत टपक रही है मैंने कई बार सवाल किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान्यवर, जितने भी हमारे क्षेत्र में काम चल रहे हैं उनमें जो धनराशि व्यय होती है उसका 20 प्रतिशत भी काम नहीं हो रहा है इसको ठीक कराये जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय राम शरण दास जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सामुदायिक विकास मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके लिए वह वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं और उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जो 80 फीसदी जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उसके उत्थान के लिए जो काम किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं एक तो आपने सबसे बड़ा उपकार जो इस वक्त किया कि 18 रुपये प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी निश्चित की क्योंकि पहले तो 13 रुपये की मजदूरी थी और उसमें फर्जी मस्टर रोल बन जाया करते थे जो अब नहीं होगा 18 रुपये करने के लिए वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो सड़कें और स्कूल बनते हैं उनकी गुणवत्ता कायम करने के लिए टी0 ए0 सी0 से रेन्डम चेकिंग करायी जाय अगर उसे वह कमेटी देख ले तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उसमें प्रगति होगी और गुणवत्ता में सुधार आ जायेगा मैंने स्वयं इसका परीक्षण कराया है और उससे बहुत अच्छी सड़कें बन पाई हैं हमारे अपने निर्वाचन क्षेत्र में। मान्यवर, आपने 13 हजार स्कूलों को बनाने का संकल्प लिया है मैं चाहता हूं कि इन स्कूलों के साथ-साथ धन ग्राम सभाओं के खाते में जमा कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें बाजपेई जी ने बोलना शुरू कर दिया है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय राम शरण दास जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि जो भी ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनी हैं वह देखने में तो बहुत रोचक लगती हैं परन्तु उनका पूरा लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है जो योजनाएं हो उनका सही ढंग से क्रियान्वयन एवं उनकी मानीटरिंग नहीं होती है और ग्रामीण विकास पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये का अपव्यय होता है। मान्यवर, इनकी जो आई0 आर0 डी0 ए0 की योजना है उसमें वर्ष 89-90 में 75 करोड़ का अंशदान केन्द्र शासन का और 75 करोड़ प्रदेश सरकार को व्यय करना है इस तरह से डेढ़ सौ करोड़ का परिव्यय उसमें निर्धारित किया गया है लेकिन दुख इस बात का है कि जिलों में यह पैसा 4-5 करोड़ हर जिले को जाता है लेकिन उसमें न तो सुपात्र व्यक्तियों का चयन हो पाता है और न उनको उद्योग लगाने की सुविधा दी जाती है उनको एक बार ऋण लेने के बाद कोई मानीटरिंग नहीं होती है कि उद्योग चल पाये या नहीं इससे लाभार्थी को कोई लाभ नहीं मिल पाता है और वह कर्जदार बन जाता है इसी तरह से इनकी आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 की योजना है जिसको इन्होंने काफी बड़ी योजना बना रखा है मान्यवर, उसमें इन्होंने 120 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान किया है, 106 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में और 14 करोड़ रुपये गेहूं के रूप में। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यह योजना अच्छी है लेकिन यह कार्यान्वित हो। जो मन्तव्य था कि मानव दिवस सृजित हो और रोजगार सृजित हो, वह पूरा नहीं हो पा रहा है और सारा काम ठेकेदारों से कराया जा रहा है। इससे इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। बायोगैस योजना में 574 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है। कुल 18 हजार बायो गैस प्लान्ट लगाएंगे। गत वर्ष भी यही लक्ष्य था 18 हजार का और अभी तक मात्र 7 हजार बायोगैस प्लान्ट लग पाए हैं वह भी आंकड़ों में 1 मार्च समाप्त हो रहा है। ग्यारह हजार अभी पिछले वर्ष के नहीं लगे हैं। जो लगे हैं, उनमें से कितने चल सकते हैं, इसको देखने की जरूरत है। इतनी बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं, फिर कितना लाभ मिल पा रहा है। दूसरे सेक्टोरियल आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 योजना में 50 परसेंट भारत सरकार अनुदान देती है। इसमें कुछ सड़कें प्रस्तावित हैं जिनका निर्माण कार्य कराया गया है। इसका जो पैसा है वह पी0 डब्लू0 डी0 को दिया जाता है। उसके बाद कोई भी रिव्यू नहीं है कि इन सड़कों का निर्माण हुआ है। दूसरे विभागों द्वारा पहले ही निर्माण करा दिया गया है, पैसा खर्च कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई तालमेल नहीं है कि इसको गन्ना विभाग ने बनवाया, पी0 डब्लू0 डी0 ने बनवाया या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ने बनवाया, किसने बनवाया। सड़कों का निर्माण काम्पेक्ट के रूप में कराया जाय। कार्यक्रम बने कि इतनी सड़कें और इस योजना में इतनी बनी हैं ताकि धन का अपव्यय न हो। चौथे हमें जो पुस्तिका मिली है, इसमें ग्रामीण अभियन्त्र सेवा के लिये 80 करोड़ का काम है।

इसमें मान्यवर, इन्होंने 3,227 भवनों का निर्माण किया है, 2200 किलोमीटर कच्चे मार्गों का निर्माण किया है, 740 किलोमीटर सोलिंग स्तर का काम किया है और ग्रामीण क्षेत्र में 4000 पुलियों का निर्माण किया है। मेरा निवेदन है कि जो

कार्य आप ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराते हैं, तो उसकी पेंटिंग करने के लिये पी0डब्लू0डी0 के अधिकारी आनाकानी करते हैं । मेरा निवेदन है कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान में रुचि रखते हैं तो उनकी पेंटिंग करने का काम आपको पी0 डब्लू0 डी0 को सौंपना चाहिये । आपके पास पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, तो गांव में बनने वाली सड़कों की देखरेख का कार्य पी0 डब्लू0 डी0 वालों से कराया जाय । पी0 डब्लू0 डी0 वाले उन सड़कों को अपने मानक के अनुरूप न होने के कारण नहीं करते हैं । आपके यहां ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में मुख्य अभियंता ग्रेड–1 का एक पद, मुख्य अभियन्ता ग्रेड–2 के दो पद, अधीक्षण अभियन्ता के 6 पद, सहायक अभियंता के 47 पद और अवर अभियन्ता के 412 पद रिक्त हैं । तो इन पदों के रिक्त रहते कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि यह विभाग सक्षम रूप से सारा काम कर सकेगा । एक तरफ इतने पद रिक्त हैं और दूसरी ओर तमाम बेरोजगार पढ़े लिखे इंजीनियर बेकार पड़े हैं । तो इन पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं । इन पदों को भरने का काम करें । मशीनों को वेलइक्विप्ड करने का काम करें । एक बात और पंचायती राज के संबंध में कहूंगा कि आप स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं, तो गांव सभा की जितनी जमीन है, उसको पट्टे में दे रहे हैं, तालाब के पट्टे कर रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि ग्राम सभा स्वावलम्बी हो जाय । इसके लिये विवेचना और विचार की आवश्यकता है कि ग्राम सभा को कैसे स्वावलम्बी बनाया जाय । आर्थिक स्थिति का पुनरुद्धार कैसे किया जाय । मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम बनाया है। मैं जानना चाहता हूं कि सन् 72 में यह निगम बना है लेकिन आज तक कितनी ग्रामसभाओं को इससे ऋण दिलवा सके । यह निगम कौन सा काम कर रहा है । ग्राम सभाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये इस निगम से ऋण दिलवाएं । आपने एक अच्छा काम किया है ग्राम सभाओं के स्कूलों बनवाने का काम दिया है । लेकिन आप बताएं कि इन ग्राम सभाओं के पास कौन सा तकनीकी ज्ञान है । तो पहले इसके लिये तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था सही ढंग से कर दें तभी सही निर्माण हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बिराजिये, बहुत समय हो गया ।

श्री अशोक बाजपेयी–

इन शब्दों के साथ, माननीय रामशरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि कुबेर का खजाना भी दे दिया उसके बाद भी यह गांव का विकास नहीं कर पायेंगे। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, पिछले दिनों में गाजीपुर जनपद में सूखा राहत के कार्य में 68 लाख रु0 गये थे, उस 68 लाख रु0 का सदुपयोग जिला परिषद् को देना था, उसमें मान्यवर, मैं किसी आलोचना या भ्रष्टाचार के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, वह सूखा राहत का पैसा किसी तरह से ग्राम के ग्रामीण मजदूरों खेतिहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मजदूरों को मिल सके, यह देखने की बात है। उन पर कोई विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया। जो इस संबंध में खाद्यान्न गया था वह बेच दिया गया, उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उस पैसे का सद्पयोग हो जो सहायता है वह मिल सके, उसकी मानिटरिंग हो सके इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, दो मिनट का मौका दें। एन0 आर0 ई0 पी0 में गाजीपुर में कुछ पैसा हरिजन आवास के लिये दिया गया। मान्यवर, छः हजार रु0 में बनाने की बात है। छः हजार रु0 में हरिजन का कौन सा घर बनेगा, दो हजार ऋण की बात कही गयी है। पिछले दिनों मैं अपने क्षेत्र के कासमाबाद, मर्दा, बाड़ाचोवर, विरनों में गया, प्रत्येक गांव में शिकायत थी कि इस पैसे की राशि को बढ़ाया जाय ताकि पैसे का सद्पयोग हो सके और आवास बन सकें। इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, एक मिनट एक सुझाव देना है। बस समाप्त कर रहा हूं। पिछले दिनों जो हमारे यहां आर0 ई0 एस0 को पैसा दिया गया, उसका कितना सद्पयोग किया गया। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां मिट्टी नहीं डाली गयी, मानव दिवस फर्जी तरीके से बनाये गये। तमाम फर्जी भुगतान किये गये। महेशपुर रोहिला रसूलपुर मार्ग विकासखण्ड कासमाबाद, सम्मनपुर नसुरा अलानुहपुर मार्ग इन मार्गों पर फर्जी तरीके से भुगतान किया गया। किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि जो वहां अधूरा काम पड़ा है उसे पूरा कराया जाय। उसमें व्यवस्था करायी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। माननीय सुरेन्द्र सिंह जी मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है। आपने अपनी बात कह दी।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, बस एक मिनट ले रहा हूं। सेक्टोरियल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के तहत मेरे जनपद में बहुत सी सड़कें स्वीकृत हो गयी जो पी0 डब्लू0 डी0 को दी गयी उदाहरण के तौर पर इतना मैं बताना चाहूंगा कि विकास खंड कासमाबाद, मरदह, बाड़ा-विरनो विकास खंड, लेकिन अभी तक अधूरी पड़ी हैं उनका पूरा काम नहीं किया गया। यह कहा गया कि पैसा लैप्स हो गया है संसाधन की कमी है। मैं कहूंगा कि जो आधी सड़क बन गयी हैं उनमें धन दिया जाय ताकि सड़कों का सद्पयोग हो सके, विकास हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के लिये ज्यादा पैसा दिया जाय।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हर जिले के कम से कम एक सदस्य को तो बोल लेने दें। बस्ती के कमाल युसूफ साहब बोल चुके हैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी तो जबरदस्ती बोल लेंगे। अब आपने माननीय सुखपाल पाण्डे जी को बुला लिया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि पहले आजमगढ़ को मौका दे दें।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, एक बात अंतिम कह लूं। जो गांव सभा के प्रधान हैं, गाजीपुर में कई ऐसे गांव हैं जहां के प्रधानों को आज तक अंशदान का पैसा नहीं मिला। उनको पैसा दिला दिया जाय ताकि गांव के खड़ंजे का काम हो सके दूसरे काम हो सकें। विकासखंड कासमाबाद, मर्दा, बाड़ाचोहर, विनोर आदि ऐसी जगहें हैं जहां पर ग्राम सभाओं में वहां के लोगों ने पैसा जमा किया है। मैं चाहूंगा कि जो अंशदान का पैसा है वह रिलीज करवाकर दिलवाया जाय ताकि जो खड़ंजे का पैसा है पानी निकास का पैसा है, वह मिल सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब माननीय सुखपाल पाण्डे जी, अपनी बात कहें। आप बैठें।

श्री सुख पाल पाण्डे–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय राम शरण दास जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं। कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से यह जो आंकड़ों का जाल प्रस्तुत किया है जो बिल्कुल सत्य से परे है।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुझाव दे दें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, सुझाव ही दे रहा हूं, आप दो मिनट का मौका दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो ग्राम्य विकास की बात है, वह विकास नहीं हो पा रहा है। आप जो भवन निर्माण करा रहे हैं, उसमें एक ईंट पर दीवाल बनवा रहे हैं, मिट्टी के गारे से चुनाई करवा रहे हैं। इनमें बच्चों के जाने की हिम्मत नहीं होती। छतें गिर जाती हैं और आप मंत्री जी स्वयं पता लगवा लें, जांच करवा लें कि कितनी जगह छतें गिर गयी हैं और आप इन्दिरा आवास, हरिजन आवास, निर्बल वर्ग आवास योजनाओं का निर्माण करा रहे हैं. लेकिन इससे भेदभाव की कड़ी दिखाई पड़ रही है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको समाप्त करके एक प्रकार से आवासों का निर्माण कराने की कृपा करें। मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत आप जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं और जिसके लिये प्रयास कर रहे हैं, इसमें पैसे का कुछ परसेन्ट भाग बैंक ले लेता है, कुछ हिस्सा ग्राम

सेवक ले लेता है और बाद में इसका और भी बंटवारा हो जाता है। आप स्वयं देख लीजिये कि गरीबों के पास कितना पैसा पहुंचता है, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिये नियंत्रण करें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे यहां दो लोगों के नाम से 6-6 हजार रुपया फर्जी निकाल लिया गया, छावनी बैंक में और 12 हजार निकालने के बाद 6 हजार जमा कर दिया। इस पर मान्यवर, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

इसी तरह मान्यवर, मानव दिवस के नाम पर ठेकेदारी होती है, इसे आप भी जानते हैं और आपके अधिकारी भी जानते हैं, क्यों नहीं आप इसे ठेकेदारी प्रथा में बदल देते हैं, उसमें भी मजदूर काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि टी0 ए0 सी0 के लोग जांच करने के लिये पैसा लेते हैं और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे यहां पनेरा का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वहां पर लाखों रुपया गांव की पटाई के नाम पर निकाल लिया गया और उसका पेमेन्ट कर दिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। मैंने इसकी शिकायत भी किया, तब टी0 ए0 सी0 वाले सौदा करने लगे। इसी तरह राजेश नाम का एक जे0ई0 है, जिसने लाखों रुपये निकाला है और उसे आपका संरक्षण प्राप्त है। मैं चाहता हूं कि आप उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डे जी, कृपया समाप्त करें, आप बैठें। आप लोग जो कहना चाहते हों, वह लिखकर दे दें। मैंने लोकेन्द्र दत्त सकलानी को बुला लिया है।

(श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी के खड़े होने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, जैसा आपने कह दिया कि लिखकर दे दें। उसे क्या प्रोसीडिंग का अंग मान लिया जायगा?

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, इसी उच्च आसन पर हमारे उप सभापति जी एक जमाने में विराजमान थे। उन्होंने भी कहा था कि आप लोग लिखकर दे दीजिये, कार्यवाही का अंग बन जायगा। आज आप यह इतिहास दोहरा दें कि जो माननीय सदस्य लिखकर दें, वह कार्यवाही का अंग हो जाय।

श्री अधिष्ठाता–

उसके लिये सदन की राय जरूरी है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ग्राम्य विकास बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, हमारे सम्मानित सदस्य विपक्ष में बैठे हैं, वह हमारे विकास को बहुत संकुचित दृष्टि से देख रहे हैं। आज हमको और सब को याद होना चाहिए कि जब हिन्दुस्तान सन् 1947 में आजाद हुआ था और उस समय हमारे जो साम्यवादी दल के लोग थे, उस समय उन्होंने यह नारा दिया था "भूखा नंगा हिन्दुस्तान, भूलो मत, भूलो मत"। आज यह नारा हमारे देश में और हमारे प्रदेश में कहीं सुनाई नहीं देता है।

हमारी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनायें गरीबी दूर करने के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं। भी सदस्य नहीं कह सकता हूं कि एन0आर0ई0पी0 व आर0एल0जी0पी0 योजनायें ठीक नहीं हैं या इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं ग्राम सभावों के चुनावों में, जिला परिषद् के चुनावों में, प्रमुखों के चुनावों में या अन्य चुनावों में ऐसे व्यक्तियों को न चुना जाय जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, शराबी हों और जिनका चरित्र दोष पूर्ण हो। कानूनी तौर पर ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर बन्दिश लगायी जाय। जब आप यह करेंगे तभी अच्छे किस्म के लोग आगे आयेंगे। हम सब लोग जनतंत्र में रहते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं हमें इसे और मजबूत करना चाहिए। तभी विकास हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं ग्राम्य विकास बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मैं आजमगढ़ की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। एन0आर0ई0पी0 में आप तो पैसा देते हैं वह डी0आर0डी0ए0 की गवर्निंग बाडी में पास होता है और उसी के एतवार से खर्च होती है। हर जिले की जो कार्यवाही होती है उसके लिए भी कोई सेक्रेट्री होता होगा। आप उस कार्यवाही को एक्जामिनेशन कर लें, आपको पता चल जायेगा। मैं आजमगढ़ के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ 76 लाख रुपये बिना गवर्निंग बाडी की स्वीकृति के खर्च कर दिया गया। जब यह खर्च हो गया तो 18 अक्टूबर, 1988 को जब गवर्निंग बाडी की मीटिंग हुई, जिसमें विपक्ष व सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने कहा कि गवर्निंग बाडी में जब पास ही नहीं हुआ तो पैसा कैसे खर्च कर दिया गया और उस पर काम कैसे हो गया। उसकी प्रोसिडिंग भी आई और सब लोगों की दरख्वास्त भी आई, परन्तु उस पर कुछ नहीं हुआ। वह काम भी हो गया और पेमेन्ट भी हो गया। ईमानदारी से देखा जाय तो होना यह चाहिए था कि अगर गवर्निंग बाडी से सेंक्शन नहीं हुआ तो जो पैसा खर्च किया गया था, वह सारा का सारा सी0 डी0 ओ0 की तनख्वाह से वसूला जाना चाहिए था। यदि आप इस पर एक मिसाल कायम कर दें तो अपने आप काम ठीक ढंग से शुरु होने लग जायेंगे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों में जिला परिषद् के चुनाव नहीं हो पाये हैं, वहां पर आप मई तक चुनाव करा दें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जो यह डी0आर0डी0ए0 है, इसमें आप अपने सत्ता पक्षा के ही व्यक्ति को अध्यक्ष बना दें तो भी अच्छा काम होगा। हम अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं हैं। जो यह डी0एम0 व सी0डी0ओ0 लूट कर खा रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उससे राहत मिल जायेगी। आजमगढ़ में हर विभाग को आप देख लें। मैं चाहूंगा कि आप सी0 आई0 डी0 की जांच करवा लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राम विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बड़ी महत्वपूर्ण योजनायें अभी सदन के समक्ष रखी। समय कम है, इसलिए मैं दो-तीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुझाव देना चाहता हूं। श्री राम शरण दास जी हमारे बहुत ही विद्वान सदस्य हैं और उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा। मैं यह समझता था कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। मान्यवर, आजकल सब लोग महाभारत देख रहे हैं। महाभारत में मामा शकुनि के रोल को सभी लोग देख रहे हैं, तो उससे कम रोल माननीय श्री राम शरण दास जी का हमने यहां नहीं देखा। माननीय श्री राम शरण दास जी के उस सुझावों से हम अनभिज्ञ रहे और उनके ज्ञान का लाभ हमें नहीं मिल पाया। अच्छा होता यदि महत्वपूर्ण सुझाव को रखते पहला सुझाव जो आज ग्रामीण अंचल में सड़कें बन रही हैं, जहां कच्ची सड़कें बना चुके हैं, इस वर्ष बहुत कम रुपया मिला है कि उनको खड़न्जा बना सकें। जो खड़न्जा बन जाता है उसको हम देखते हैं कि 6 महीने में या एक साल में टूट फूट जाता है क्योंकि देख-रेख और रख-रखाव के लिए पैसा नहीं होता है। इसके लिए अलग से रुपया रखा जाना चाहिए।

यह जो निर्बल वर्ग आवास योजना है। इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं कि एक-एक गांव में लाभार्थियों का चयन करते हैं मुश्किल से 10 लोगों का चयन कर पाते हैं, मेरा सुझाव है कि बजाय 10 लोगों का चयन करने के, पहले एक गांव को पूरा लाभ पहुंचायें, फिर दूसरे गांव को लें। इण्डिया मार्क-2 के हैण्डपम्प और लगायें जिससे पेयजल व्यवस्था अच्छी हो सके। बायोगैस संयंत्र की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इसका ग्रामीण महिलाओं को पूरा लाभ मिल सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें, बाकी सुझाव लिखकर भेज दें।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में गांवों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश की ज्यादा जनसंख्या गांवों में रहती है, उन गांवों को कुल बजट का 13 प्रतिशत बजट देकर एक मजाक किया गया है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विभाग का जहां 80 करोड़ रुपया का बजट है, वह आर0 ई0 एस0 को सुधार लें। आपके चीफ इन्जीनियर के विरुद्ध जो करोड़ों रुपये की दर्जनों शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित आई हैं उनकी जांच करा लें। आज पूरे प्रदेश में जो मिट्टी का काम और खड़न्जे का काम आर0 ई0 एस0 के द्वारा कराया जा रहा है, उसमें 5 प्रतिशत चीफ इन्जीनियर साथ ले रहा है। अगर गलत हो तो जो दण्ड देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। चौधरी चरण सिंह 40 प्रतिशत बजट देने की बात करते थे जबकि आपने केवल 13 प्रतिशत दिया है। निर्बल वर्ग आवास के संबंध में आपने कहा कि गांव की खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन किया जायगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में कादीखेड़ा में ग्राम प्रधान द्वारा लाभार्थियों का चयन न करके गुण्डों द्वारा चयन किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें, जो बाकी रह गया है लिखकर भेज दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

हमारा बुन्देलखण्ड पथरीला इलाका है, वहां पर जो तीन हजार रु0 बोरिंग के लिए दे रहे हैं, वह बुन्देलखण्ड के लिए पर्याप्त नहीं है । इस पथरीले इलाके को ध्यान में रखते हुए धनराशि बढ़ाइये । जो माइनर इरीगेशन डी0 आर0 डी0 ए0 के तहत बांदा या बुंदेल खण्ड में चेक डैम बनवाये हैं उनका अनुरक्षण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वे पहली बरसात में ही गिर गये हैं । उनके अनुरक्षण की व्यवस्था करें । टूट-फूट को ठीक करें ।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी लिखकर भेज दें । कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, अब भाषण करने का तो समय है नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं . . . .

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी, अब आप बिराजें ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मेरे यहां बांदा जनपद में अवर अभियन्ताओं की कमी है । जो कमी रह गयी है उसको आप पूरा कर दें । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को अनुरक्षण हेतु बजट सीधे शासन से दिया जाय, धन बढ़ाया जाय, दूसरे विभागों की तुलना में यह विभाग अच्छा कार्य कर रहा है इसके मुख्य अभियन्ता मृदुभाषी लोगों की सुनने वाले कार्य करने वाले मृदुभाषी हैं गड़बड़ी तो मंत्री जी कराते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । अब एक मिनट का भी समय नहीं मिलेगा ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तमाम भाषण दिया तमाम आंकड़े दिये लेकिन जिस चीज पर उन्होंने विचार नहीं किया, वह है मण्डलीय विकास निगम । मण्डलीय विकास निगम की स्थापना इस लिये की गयी थी कि वे हमारे साधन में, हमारे विकास में बढ़ोत्तरी करेंगे, लेकिन वह सारे के सारे बैठ गये हैं । इसके अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में तीन मिलें लगी हैं–राईस मिल जिस पर साल लाख रुपया ब्याज का वह दे रही है, रमुआपुर खांडसारी मिल जो है उसकी फैक्ट्री बन्द हो गयी है और इंजन व पुर्जा सब बेच ले रहे हैं । आपसे एक ही निवेदन है कि आप डी0 आर0 डी0 ए0 के तहत या अन्य किसी प्रकार से इसको चलाने की व्यवस्था कर लें क्योंकि इससे हजारों लोगों को रोजी मिलती थी, उनका रोजगार छूट गया है इसलिये इसको आप चलवाइये ।

आपको स्मरण होगा कि गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जब मीटिंग हो रही थी, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि शिकायत करने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरी आदत नहीं है, उस समय तीन बी0डी0ओ0 को सस्पेन्ड किया गया था और वो आर0 ई0 एस0 के जे0 ई0 थे, आपको स्मरण होगा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर आर0ई0एस0 के बारे में ऐसी ही शिकायतें रहीं तो हम आर0ई0एस0 को तोड़ देंगे। उसका बाद ए0एन0 सिंह को जेल भेज दिया गया, वे सस्पेन्ड हुए और मुकदमा चला, लेकिन आज वे अवर अभियन्ता के पदों तक पहुंच गये हैं लेकिन बी0डी0ओ0 अभी तक बहाल नहीं हुआ है। जे0 ई0 सारे के सारे मुख्य रूप से नेपाल के बार्डर की सीमा पर तैनात हैं। आप उनकी जांच करायें और उनके ऊपर अपराधिक दोष के मुकदमें चलायें जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा ख्याल है कि हम अब उस समय तक पहुंच जायेंगे जिस समय हमें काम खतम करना है।

श्री मैनेजर सिंह–

अभी थोड़ा सा समय है, आप दो-दो मिनट इनको सुन लें।

श्री मूलचन्द–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी के बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गरीबी मिटाने की जो योजना माननीय मंत्री जी की है, बात ठीक है मगर गरीबी मिटाने के लिए धन की जो आवश्यकता है, वह गरीबों को नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी केवल गरीबी मिटाने के लिये ऋण देते हैं, योजना बना देते हैं लेकिन उसकी जांच नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो धन का वितरण हो रहा है गरीबी मिटाने के लिये, गरीब आदमी उस धन का उपयोग नहीं कर पा रहा है। तमाम लोग जेल में जा रहे हैं। निर्बल वर्ग के आवास की बात है घटिया किस्म की है, गरीबी के नाम पर जिसकी दूकान कमजोर हुई, अपनी दूकान खोल दी। रजिस्ट्रेशन गरीबों के नाम पर। चैक उन्हीं को दिया जा रहा है।

श्री मूल चन्द–

मान्यवर आज गरीबों के नाम पर देखें आप क्या हो रहा है..... (व्यवधान)...

श्री अधिष्ठाता–

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाइए....

श्री मूल चन्द–

मान्यवर मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं सुझाव रूप में कि हमारे यहां गौरा से सराय केस राय तक एक सड़क बनाने की योजना बनी आर0 ई0 एस0 के माध्यम से, लेकिन यह सड़क आधी भी नहीं बनी थी, उसका पेमेन्ट पूरा का पूरा हो गया है। सराय होला में पचास हजार तालाब खोदने के लिए स्वीकृत है। तालाब नहीं खोदा गया, रुपया ले लिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मूल चन्द्र जी कृपया बैठ जाइये, हो गया आपका भी एक मिनट अब जो कुछ कहना है, उसे सुझाव रूप में लिखकर दे दीजिए. . . बैठ जाइए. . . . . (व्यवधान)

(इस पर भी मा0 मूलचन्द्र जी बोलते रहे और मा0 अधिष्ठाता बराबर इनसे बैठने का अनुरोध करते रहे, इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया ।)

श्री मूला चन्द्र–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मूलचन्द्र जी बैठ जाइए, अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा । . . . . . (व्यवधान)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मान्यवर बोलने का समय तो बहुत अब है नहीं, इसलिए मैं अब मात्र कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा । मान्यवर मैंने माननीय मंत्री जी का बजट भाषण बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और मैं अपेक्षा करता था माननीय मंत्री जी से कि इनके विभाग की जो योजनाएं हैं, इनके क्रियान्वयन में जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए यह क्रमश: कुछ घोषणायें करेंगे, लेकिन ऐसा भी इन्होंने नहीं किया, बल्कि एक शब्द भी इस संबंध में इन्होंने नहीं कहा ।

मान्यवर इनके विभाग के प्रति मेरा मत है कि यदि कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए ग्राम्य विकास विभाग को, तो भी इस विभाग में व्याप्त कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश न लगाया गया तो इनकी किसी भी योजना से किसी भी कार्यक्रम से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ग्रामीण जनता को इसलिए मेरा सुझाव है कि पिछली टी0 ए0 सी0 का आडिट रिपोर्ट, जो काफी समय से लम्बित है, जिसमें करोड़ों रुपयों की रिकवरी की सिफारिश की गयी है, उन रिपोर्ट की संस्तुतियों का क्रियान्वयन किया जाए, काफी समय से यह मामले दबे पड़े हैं, इससे शंका आप पर बढ़ती जा रही है।

इसी प्रकार से आई0 आर0 डी0 योजना में मैं पूरे फैजाबाद जिले की बात बताना चाहता हूं कि 17 परसेंट कमीशन बंधा हुआ है, किस बैंक से किस डीलर को चेक काटी गयी है, उस डीलर की परचेज बुक व सेल रजिस्टर को चेक कर ली जाए । यह नहीं मान्यवर, इस योजना का कुल मिलाकर होने वाला व्यय केवल 60 परसेंट से भी कम ही उपयोग हो रहा है । यही हाल निर्माण का आवासों का है । मैंने फैजाबाद के कलेक्टर से कहा कि मेरे क्षेत्र में आप देख लें चलकर तो कलेक्टर ने प्रोग्राम बनाया मेरे क्षेत्र के भीटी विकास खण्ड का वहां के अधिकारियों ने सड़क के किनारे के गांवों को दिखाना चाहा जिस पर मैंने परमानन्द वहां ले गया

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बगल में एक किवारी गांव है, यह एक मैं श्रीमन् उदाहरण अनुरोध करके दे रहा हूं। कलेक्टर वहां पर जाता है, लाभार्थी से पूछता है कि तुमको कितना पैसा मिला है, तो उसने कहा कि साहेब मैं नहीं जानता, ठेकेदार को बी0 डी0 ओ0 ने पैसे दिये थे और उन्होंने गिन कर रख लिये थे। कलेक्टर ने फिर पूछा कि कितना अनाज मिला, तो उसने कहा कि अनाज नहीं मिला, तो बी0 डी0 ओ0 कहते हैं कि अनाज निकाल कर दिया तो था, तो उसने कहा कि ठेकेदार की ट्राली खड़ी थी, उसी में लाद लिया और वह कहां गया हम नहीं जानते हैं। जो इस तरह से पैसा आप दे रहे हैं, वह ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। इस पर आप रोक लगायें, तभी योजनायें जो हैं, उन का सही कार्यान्वयन होगा। मान्यवर, यही हालत निःशुल्क बोरिंग की है। बोरिंग सेट ले जाने के लिए किसान को अपनी गाड़ी ले जानी पड़ती है और जितना पाइप इशू किया जाता है, वह पूरा दिया नहीं जाता है और मजदूरों की मजदूरी दी नहीं जाती है, वह ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) खा जाता है। अगर कोई किसान नकद पम्पिंग सेट खरीदता है, तो वह उसको 5 हजार में पड़ता है और अगर वह ब्लाक द्वारा खरीदता है, तो उसको वह 7–8 हजार रुपये में पड़ता है। माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, क्या अंकुश लगाने जा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी जिस समय उत्तर देने के लिए खड़े हों, उस समय इस बात का उत्तर अवश्य दें। निर्माण कार्यों के बारे में कहना चाहता हूं कि आप इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य के बीच में कहीं न कहीं एक तीसरी संस्था को बीच में अवश्य डालें, गांव सभा के प्रधान को डाल दें, तभी कार्य ठीक प्रकार से हो सकेंगे। जब आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो कार्य ठीक होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि स्वायत्त शासी संस्थाओं के अधिकार आपकी सरकार ने छीने हैं और उनको खोखला बना दिया है। अगर आप यह चाहते हैं कि स्वायत्तशासी संस्थायें ठीक प्रकार से कार्य करें तो जो अधिकार उनको कर्नाटक में दे दिये हैं, उसी पद्धति से आप भी उनको अधिकार दें। मान्यवर, इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। माननीय तिवारी जी ने संकेत दिया कि इस विभाग के जो क्रिया कलाप हैं, उससे माननीय मंत्री के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है। माननीय मंत्री जी हमारे पुराने मित्र हैं और दुख होता है, जब उनके विभाग की शिकायत सुनने को मिलती है। मैं चाहूंगा कि उसमें वह सुधार लावें। आपने जिन योजनाओं की चर्चा की है, वह वाकई गरीबी उन्मूलन के लिये जरूरी हैं। यह सही है कि इन योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर लूट हो रही है और यह कहना कि बी0 डी0 ओ0 ही करता है, ठीक नहीं है। यह लूट लखनऊ में बैठे बड़े 2 अधिकारी, जो आयुक्त स्तर के हैं, वह करते हैं। अंग्रेजी राज्य में एक के बाद एक अधिकारी इसलिए होता था कि वह उनकी निगरानी कर सके और उन पर नियंत्रण करे, लेकिन आज यह अधिकारी उनके लिये

संरक्षण के लिये होते हैं। ग्राम सेवक के ऊपर, ए0 डी0 ओ0 हैं, ए0 डी0 के ऊपर बी0 डी0 ओ0 हैं, बी0 डी0 ओ0 के ऊपर डी0 डी0 ओ0 हैं और उनके ऊपर यहां के अधिकारी हैं, जो उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। मैं इन्दिरा आवास की बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां प्रधवली, नौरंगा और बैरिया में इन्दिरा आवास बनाये गये हैं।

नवरार, ब्लाक मुरली छपरा में भी इन्दिरा आवास बनाये गये हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, मैं बताना चाहता हूं। किसी की छत नहीं है, किसी की दीवाल नहीं है, किसी में दरवाजा नहीं है और किसी में खिड़की नहीं है। नरेन्द्र सिंह जी हमारे जिले के 20 सूत्री कार्यक्रम के इन्चार्ज हैं। इन्दिरा आवासों की बड़ी तारीफ की गयी है और वहां के जिलाधिकारी, अशोक कुमार की बड़ी तारीफ की गयी है। मैंने इसके बारे में शिकायत की है, लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं की गयी है। मैंने इस बारे में डी0 डी0 ओ0 से कहा और सचिव, जायसवाल से कहा और लिख कर दिया है। जायसवाल को मैं समझता था कि वह एक अच्छा अधिकारी है लेकिन वह [xxx] का सरदार है मैंने कहा कि आप इसकी जांच कराइये लेकिन आजतक उस [xxx] सचिव ने जांच नहीं करायी। उसने मुझे यह नहीं बताया कि यह नौरंगा इंदिरा आवास की योजना मुकम्मल है या नहीं। यदि नहीं है तो कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जायसवाल उसको लेकर बैठ गया। मैं कहना चाहता हूं कि सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वे अयोग्य हैं, [xxx] और उनकी वजह से ही [xxx] हो रही है। मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि क्यों इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। जब एक विधायक कहता है कि अमुक गांव की इन्दिरा आवास योजना का क्या हुआ, क्यों जांच नहीं हुई क्यों आपके सचिव [xxx] हो गये कि वे जांच नहीं करवाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, ये लोग अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं। आप जो लिखकर देते हो तो सचिव जांच क्यों नहीं करवाता है? यदि शिकायत गलत है तो उसको कहना चाहिए कि विधायक जी गलत हैं। अगर हिम्मत हो तो कहें। लेकिन [xxx] हरदेव राम जी मौजूद हैं इसी इंदिरा आवास योजना के तहत उसके लालच में 60-70 साल की विधवाओं की नशबन्दी करा दी गई थी। अशोक कुमार के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने हमारे सामने एक दर्जन हरिजन महिलाओं को पेश किया था। उसकी जांच आजतक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां पर इन [xxx] बना हुआ है जो ग्राम सेवक से लेकर आई0 ए0 एस0 अफसर तक बने बैठे हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

अब कृपया बैठ जायं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी तो हमारे बड़े भाई हैं। उन्हें पूरा अधिकार है आलोचना करने का। वे अधिकारियों की तथा प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आलोचना करते वक्त किसी अधिकारी के बारे में कोई असंसदीय शब्द निकल गये हों तो उन्हें आप कार्यवाही से निकलवा दें।

नोट:—[xxx] श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

वह देख लिया जायेगा।

श्री मनेजर सिंह–

यह असंसदीय नहीं है। जो चोरों को संरक्षण देता है वह चोर है। मैं पुनः कहता हूं। मैंने जयसवाल की शिकायत की है। मेरे क्षेत्र मधुबनी, बेरिया तथा नौरंगा में इन्दिरा आवास पूरी नहीं हुई है। इसकी जांच क्यों नहीं की गई। यह चोरी नहीं हुई। वह [xxx] को संरक्षण देते हैं और आप कह रहे हैं यह संसदीय नहीं है। क्या चोर कहना भी असंसदीय हो चुका है। आप संसदीय असंसदीय के झगड़े में न पड़ें। [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें। दो मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री मनेजर सिंह–

प्राइमरी स्कूलों के बारे में और उनके भवन के बारे में मैंने अधिकारियों से कहा था कि एक ईंट वाली दीवाल बनाइये। लेकिन किसी कमबख्त इंजीनियर ने यह नक्शा दे दिया और एक ईंट की दीवाल गारे से बनायेंगे जो 6 महीने भी नहीं रुकेगी। मैंने कहा कि यह ठेका बन्द कराओ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री मनेजर सिंह–

10 परसेन्ट कमीशन में सीमेन्ट की जुड़ाई हो जायेगी। मैंने इस तरह का प्रस्ताव दिया भी था। हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल भवन बनेंगे उन सब में सीमेंट की जुड़ाई होगी और डेढ़ ईंट की दीवाल होगी। मैं गांव से चन्दा करके दिलवा दूंगा। आप आदेश दें। बी0 डी0 ओ0 को और तीन आदमियों की एक कमेटी बनाये जो रिपोर्ट दे. . . .

(व्यवधान)

एक सुझाव और देना चाहूंगा कि पंचायती राज के बारे में आपको राजीव जी को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वर्गीय नेता जवाहरलाल जी के जमाने में एस0 के0 डे जो केन्द्र में मंत्री थे, बलवन्त राव मेहता, लोक नायक जय प्रकाश जी के नेतृत्व में पंचायती राज की जो रूपरेखा देश को दी गई थी उसको आपने ऐसा बिगाड़ा जैसे कि समाज को राजनीतिक नेताओं ने बिगाड़ दिया है। आज समाजवाद की दुर्गति हो गयी है और वैसे ही पंचायतीराज की दुर्गति देश में हो गयी है। हम चाहते हैं कि हमारे बलवंत राव जी ने, लोक नायक जी ने और एस0 के0 डे तथा पंडित जवाहरलाल ने जो विचार रखे हैं उनके विचारों का अध्ययन किया जाय और उसके अनुसार काम किया जाय तभी देश में पंचायत राज मजबूत हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री राम शरण दास जी का नाम पुकारने पर) संक्षेप में कहें।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम शरण दास–

इस बजट को पेश करते हुये मंत्री जी बोले और उस पर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा इसके अलावा करीब 26 लोग इस बजट पर बोले हैं। मेरे बाद पहले नम्बर पर ही जो वक्ता उधर से बोले, चूंकि मैं पानी पीने चला गया था उन्होंने पूरा भाषण मेरे ही उपर कर डाला जैसे मैं ही समस्या बन कर उनके सामने आ गया हूं ।

जिस परिवार से मैं आता हूं, जिस समाज से मैं आता हूं उस समाज को मैं जानता हूं। मैं आज एम0 एल0 ए0 हूं पहले एम0 एल0 सी0 था अगर मैं अपना रहन सहन और तौर तरीका अपने बच्चों से अपने परिवार के लोगों से जुदा करूंगा तो मेरे जैसे आदमी को डूब मरना चाहिए । जैसे मैं खाना खाता हूं मेरे बच्चे भी खाते हैं, मेरे परिवार के लोग भी वैसा ही खाना खाते हैं। परिवार ही नहीं जिस समाज से मैं निकल कर आया हूं अगर वह समाज मेरे जैसे कपड़े पहने और जैसा मैं खाना खाता हूं वैसा खाना खाये तब तो मैं उससे ऊपर की सोच सकता हूं नहीं तो उनसे अच्छा खाना मैं खाता हूं तो फिर डूब कर मर जाना चाहिए । (व्यवधान) मेरे ऊपर जिस तरह की बातें कहीं गयी मैं हंस कर सुनता हूं। जो लोग गरीब समाज से आये हैं आज वह फैसन में पड़े हैं और जितने में पूरा परिवार खाता है उतने में पाउडर घिसते हैं चाहे वह नेता हों या मंत्री हों उनको डूब कर मर जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

अगर विषय पर आयें (व्यवधान) इनकी मानसिकता क्या है यह देखें अगर कोई गरीब अच्छी तरह रहने लगता है तो इनको बुरा लगता है।

श्री अधिष्ठाता–

किसी का नाम न लें।

श्री राम शरण दास–

उनको क्या हक है समाज में रहने का (व्यवधान) इनकी हैसियत क्या है हमारे उपर इलजाम लगाने का। मैं बोल रहा हूं आपकी तरफ मुंह करके बोल रहा हूं या फिर मंत्री की तरफ देख कर बोल रहा हूं। यह बोल रहे हैं तो आफिसरों की तरफ मुंह कर बोल रहे हैं। बड़े भारी मंत्री बनते हैं।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

इनकी मानसिकता देखिये जरा कल्पना करिये जब कोई सफारी पहन कर आता है, गरीब अगर सफारी पहन ले तो इनको बुरा लगता है यह चाहते हैं कि वह धोती लंगोटी पहन कर आये। (व्यवधान) इनको सहन नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

[xxx] हम तो तिवारी जी के बुलाने पर भी नहीं जाते हैं।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम शरण दास जी विषय पर आयें आपस में कटाक्ष न करें।....

श्री गौरी शंकर–

इनको अगर गरीब का बेटा अच्छे कपड़े पहन कर आता है तो अच्छा नहीं लगता है उसे यह देख नहीं सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है, विषय पर बोलिये भारी भरकम शब्दों में शालीनता होनी चाहिये अपनी बात को बिना किसी पर कटाक्ष किये कहें। बिना गुस्से के बात करें। तर्क से जवाब दें।

श्री राम शरण दास–

आपकी तरह मैं मुख्य मंत्री के घर पर बिना बुलाये नहीं जाता हूं। इंदिरा जी के फोन मेरे घर पर आये हैं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूं।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

(व्यवधान) यह आपका कोई चिंतन है। जो जिस समाज में पैदा हुआ और यदि वहां लंगोटी पहनकर रहता है तो क्या यहां लंगोटी पहनकर आयेगा ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायं। मा0 राज्य मंत्री जी आप बैठ जायं। कृपया शांति बनायें। तर्क को आप तर्क से काटें। गुस्से से बात न करें।

श्री राम शरण दास–

(व्यवधान) आप मेरी एक भी बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी [xxx] को पहचानता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो असंसदीय है उसको नहीं लिखा जायेगा और असंसदीय शब्दों को निकाल दिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपसे, श्री राम शरण दास जी से और श्री गौरी शंकर जी से अनुरोध है कि कृपया इस मामले को अब न छेड़ें और जो विषय है उस पर बात करें। अच्छा वातावरण सबेरे से रहा है तो अब समाप्त भी अच्छे वातावरण में होना चाहिए। श्री राम शरण दास जी सदन को हंसाते रहते हैं लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है और सदन सीरियस हो गया है। इसलिये जैसा वह हंसाने वाला भाषण देते हैं उसी तरह भाषण दें।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं कभी भी किसी को अपमानित नहीं करता हूं। मेरी यह आदत है कि मैं दुर्भावना से नहीं बोलता हूं। मैं दिल से बोलता हूं दुर्भावना से नहीं बोलता हूं।

नोट [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, उधर एक सम्मानित सदस्य हमारे बैठे हैं उनको धृतराष्ट्र अपने मान लें, हम इधर 5-6 आदमी जो बैठे हैं उनको पांडव मान लें और शकुनि अम्मार साहेब को जोड़ लें। हम तो पांडव हैं और उधर दुर्योधन की फौज बैठी है।

मान्यवर, अब बजट पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, 80 प्रतिशत जनता प्रदेश की देहातों में रहती है।

एक सदस्य–

यह कौन सी नई बात है ?

श्री राम शरण दास–

लेकिन इसके अनुसार आप काम तो करो। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च कितना करते हैं (व्यवधान) आप तो भीष्म पितामह हैं। हम आपका सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, पाण्डव यह हैं तो इनकी द्रोपती कहां हैं, इसे यह बता दें।

श्री राम शरण दास–

वह तो चली गयी, अभी थी। अगर माननीय मंत्री जी प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र को उठाना चाहते हैं, तो बजट का 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र पर आपका अवश्य खर्च करना चाहिए। जब तक 50 प्रतिशत खर्च नहीं करेंगे तब तक आप एक हजार 420 या चाहे जितनी योजनाएं बना लें, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में सबने काफी यहां कहा है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत वहां खर्च करो। यह हमारी नीति और हमारी पार्टी का नारा भी है। इससे आप वहां सड़क बनाओ, पुलिया बनाओ, खड़ंजे लगवाओ, स्कूल बनाओ, महिला शौचालय बनवाओ.. "व्यवधान" हां गोशाला भी बनाओ और तुम्हारे जैसे के लिए पिंजरा भी बने...

श्री अधिष्ठाता–

कुछ अपने लिए भी कहें।

श्री राम शरण दास–

वह तो मैं अभी बाद में कहूंगा और आपके लिए भी कहूंगा, क्योंकि हम दोनों के बाल सफेद हैं। महिला शौचालय के बारे में जो पहले कहा, फिर कहना चाहता हूं और हमारे किसी सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि जो गांव पक्की सड़कों के किनारे के हैं, वहां पर तो आप ग्रामीण शौचालय अवश्य ही बनवा दीजिए, उसके लिए आपको चाहे जो भी, जहां से कटौती करनी पड़े। पानी संकट के लिए कहना चाहता हूं। मथुरा और आगरा के अलावा हमारे क्षेत्र सहारनपुर में भी पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसलिए आप वहां भी 12 हजार वाले हैण्ड पम्पस ज्यादा से ज्यादा लगवायें। उससे कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा, हरिजन बस्तियों के पुराने कुएं अब समाप्त ही हो गये हैं, वहां पर के लिए तो आप अवश्य कर दें कि हरिजन बस्ती के अन्दर हम यह पम्प जरूर लगवा देंगे। एक क्षेत्र में मुख्य सड़कों से ग्राम जुड़ जाते हैं, उनसे जोड़ने वाली सड़कें बन जाती हैं। उसके आस पास के क्षेत्र में भी ऐसी सड़कें बनती हैं,

किन्तु इस प्रकार के दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें नहीं बन पाती हैं, जिससे उनका पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्र को नहीं मिल पाता है। इसलिए दो क्षेत्रों के बीच में जो सड़क रह जाती हैं, उसके बारे में आप निर्देश करें कि ऐसी सड़कों का अवश्य ध्यान रखा जाए।

श्री अधिष्ठाता–

आप कुछ सुझाव दें।

श्री राम शरण दास–

काम की ही बातें कह रहा हूं। आपने सड़कों के लिए तो कुछ कहा है, लेकिन गांवों के बीच में जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनके कारण से इन गांवों के मध्य आवागमन में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए उन पर पुलों का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि इसके लिए सिंचाई विभाग कहता है कि यह हमारा काम नहीं है और पी0 डब्लू0 डी0 कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए आप ऐसे पुलों के लिए भी प्राविधान करें, जिससे दो इलाके परस्पर जुड़ जाएं। पुलियां इस प्रकार की 2-2, 3-3 लाख में ही बनती हैं। मान्यवर, अब मैं आपके सामने ग्राम्य पंचायत की बात रखना चाहता हूं। कहीं-कहीं एक-एक पंचायत में दो-तीन गांव हैं उनकी आबादी पांच सौ, छः सौ, सात सौ है और तीन गांव का एक प्रधान है, तो रेवेन्यू विलेज जो हैं उनको अलग अलग करा दें, जो ढाई सौ से ऊपर की जनसंख्या वाले गांव हैं वह रेवेन्यू विलेज अलग करा दें, जो प्रधान होता है वह अपने ही गांव पर पैसा खर्चा करता है जिससे और गांव का विकास नहीं हो पाता है। जो ब्लाकों के चुनाव जिला परिषद् के चुनाव हैं यह आप सीधे करायें, जनता से करायें इससे करप्शन से बचेंगे नहीं तो जो शराब के ठेकेदार हैं या दूसरे ठेकेदार हैं, सईदुल हसन मंत्री जी जानते हैं जिन्होंने बुलन्दशहर में कह दिया ऐसा हो गया, तो मैं कह रहा था कि आप सीधे चुनाव करायें और जो नम्बर दो के लोग हैं उनकी हिम्मत खड़े होने की नहीं पड़ेगी। न्याय पंचायत के चुनाव कराते हैं तो अच्छा है। मान्यवर, परसों मैं अपने क्षेत्र में गया था तो मेरे पास शिकायत आई कि चमड़े के ठेकेदार हैं इन ठेकेदारों ने गांवों में अपने दलाल छोड़ रखे हैं वह चुपचाप भैंसों की, गायों की बैलों की घासों में जहर डाल देते हैं। कई बड़े-बड़े 6-6 हजार और तीन-तीन हजार के बैल मर गये हैं। तो पहले की तरह जो ग्राम प्रधान थे ग्राम सभा अपने ग्राम का चमड़े का ठेका दिया करती थी -इसको कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जो थोड़ी सी टेंशन बीच में आई इसके लिए तकलीफ मुझे भी है मैं तो यहां के दूषित वातावरण को शुद्ध करने वाला आदमी रहा हूं, लेकिन जब सीमा पार हो जाए तो मजबूरी है, तो मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और जो हमारे 26 साथी बोले हैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मैं सभी माननीय सदस्यों का इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों का आभारी हूं जिन्होंने बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। खासतौर से कटौती के प्रस्ताव को जो

राम शरण दास जी ने पेश किया है उनका बहुत आभारी हूं यह बजट जब पेश हुआ उसके बाद बहुत अच्छा वातावरण रहा अच्छे वातावरण में इस बजट पर चर्चा हुई, लेकिन सम्मानित सदस्य जिनका मैं बहुत आदर करता हूं माननीय मैनेजर सिंह जी . . .

श्री गौरी शंकर–

यह इसी का दुष्परिणाम है ।

श्री मैनेजर सिंह–

ऐसे-ऐसे लोग आपके यहां मंत्री हो गये हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय मैनेजर सिंह जी ने सचिव, ग्राम्य विकास, श्री के0 के0 जायसवाल के बारे में कहा। कुछ उनको तकलीफ हुयी या पीड़ा हुयी सचिव के किसी काम से इसके लिए मैं माननीय मैनेजर सिंह जी से सचिव की ओर से क्षमा मांगता हूं और यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि श्री जायसवाल की ईमानदारी एवं अच्छाई की जिस भावना का आपने अपने भाषण में जिक्र किया, मैं कह सकता हूं कि श्री जायसवाल बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनके प्रति जो आपकी पहले भावना थी उसको बरकरार रखें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज जितने भी अधिकारी सचिव स्तर के हैं उसमें ग्राम्य विकास सचिव श्री के0 के0 जायसवाल एक सबसे ईमानदार, कर्मठ और सक्षम अधिकारी हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

जब आपके ईमानदार अधिकारी की यह हालत है तो जो बेईमान अधिकारी हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आपने जो कहा, जांच हुयी या नहीं उसको मैं देखूंगा और जो भी कार्यवाही होगी, कड़ी से कड़ी, उसको करूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो आपकी जो भावना पहले थी उसको बनाये रखें।

श्री मैनेजर सिंह–

आप निर्देश दें, विधायक यदि लिखकर दें तो सचिव उसका जवाब दें। सचिवालय की यह परम्परा रही है कि पत्र की प्राप्ति स्वीकार होती रही है, उसका जवाब मिलता रहा है। अगर कोई विधायक शिकायत करता है तो उसको उसका जवाब मिलना चाहिए।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मैनेजर सिंह जी के भाषण में जो भी असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ हो उन शब्दों को आप देख लें और कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं देख लूंगा, ऐसे शब्द निकाल दिये जायेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय राम शरण दास जी ने कटौती का प्रस्ताव बड़े नाटकीय ढंग से पेश किया। मैं उनका भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। यह मुंगेरी लाल के सपने जो उन्होंने अपने दिल

में सजाये हुए हैं कि वह एक वर्ष बाद इधर आयेंगे उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। आप शायद वहां बैठें या नहीं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन हम इधर अवश्य आयेंगे। क्योंकि ग्रामीण अंचल में रहने वाले अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोगों, लघु और सीमांत कृषकों आदि को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए आज अनेक योजनायें भारत सरकार में माननीय राजीव गांधी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में चलायी जा रही हैं और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। माननीय रामशरण दास जी को यह भी नहीं मालूम है कि एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत मजदूरों को साढ़े 13 रुपये मजदूरी मिल रही थी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली अप्रैल, 1989 से बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया है।

श्रीमन्, शौचालयों की बड़ी चिन्ता माननीय राम शरण दास जी को है लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि शायद वह गांव जाते नहीं हैं खाली अपना भाषण शहर में मंच पर देते हैं, विधान सभा में दे देते हैं। पिछले कई वर्षों से ग्राम्य विकास विभाग की ओर से ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था की गयी है जिनका निर्माण पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है। इस वर्ष 5 जनपदों में यूनीसेफ की सहायता से 1566 शौचालय बनवाये जा रहे हैं और इन शौचालयों की निर्माण लागत 770 रुपये निर्धारित की गयी है। इसके अलावा 75 लाख रुपये की लागत से 5769 शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गयी है और इसी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जायगा जिसके लिए 25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं में जो शौचालय बनाये जायेंगे वह 13 सौ रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बनाये जायेंगे। जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन हैं उनकी बस्ती में इस तरह के शौचालय बनाये जाने की योजना ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही है। श्रीमन् जो गरीबी उन्मूलन का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, छठीं पंचवर्षीय योजना में जब एकीकृत ग्राम्य विकास की योजना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने चलाया, तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 51 प्रतिशत थी, जो इन योजनाओं के लाभ की वजह से घटकर 83-84 में लगभग 43 प्रतिशत रह गयी है। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना आर0 एल0 ई0 जी0 पी0, एन0 आर0 ई0 पी0 की योजनाओं में द्वारा जो आंकड़े देखे गये, तो उसमें यह घट कर 43 प्रतिशत पाया गया और हम उम्मीद करते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह गरीबी की रेखा की घटोत्तरी 10 प्रतिशत और कम हो जायेगी और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 32-33 प्रतिशत रह जायगी। मान्यवर, यह बात कही गयी कि जो ग्रामीण अंचलों में सड़कों का निर्माण हो रहा है, उनमें मरम्मत का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, पिछले दो वर्षों से निर्माण मरम्मत की व्यवस्था की गयी है और जिलों में जो एन0 आई0 पी0 के धन का आवंटन होता है, उसमें से 10 प्रतिशत मरम्मत के लिए यह खर्च किया जाने का प्राविधान है। श्रीमन् जहां तक मानीटरिंग का सवाल है।

जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा, जो परिसम्पत्तियों का सृजन होता है, इसके लिए मानीटरिंग की व्यवस्था की गयी है और जो हमारे जिलाधिकारी हैं, उनको आदेश दिये गये हैं कि 10 लाभार्थियों का प्रतिमाह ये परिसम्पत्तियों का सत्यापन करें। उसी तरह से मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक-20 लाभार्थियों का प्रति माह ये

परिसम्पत्तियों का सत्यापन करें। ए0 पी0 आं0 (मानीटरिंग)-40 लाभार्थी प्रति माह परिसम्पत्तियों का सत्यापन करें। परगनाधिकारी-20 लाभार्थी प्रति माह परिसम्पत्तियों का सत्यापन करें। खण्ड विकास अधिकारी 20 लाभार्थी प्रति माह परिसम्पत्तियों का सत्यापन करें। सहायक विकास अधिकारी 20 लाभार्थी प्रति माह परिसम्पत्तियों का सत्यापन करें। इसके लिए मान्यवर निर्देश दे दिया गया है। मान्यवर, जो हमारी निर्बल आवास की योजना चल रही है मैंने माननीय सदस्यों की बात सुनी तो मुझे ताज्जुब हुआ कि शायद योजना का जो प्रारूप है, उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। अब तो निर्बल आवास योजना और इंदिरा आवास योजना का पैसा लाभार्थियों के खाते में जमा कर दिया जाने का प्राविधान है और उन्हें स्वयं मजदूरी का भुगतान करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने क्षेत्र में जाते नहीं हैं। माननीय तिवारी जी गांव में जायं और वह देखें कि किसी लाभार्थी के खाते में रुपया जमा हुआ कि नहीं। इस वर्ष पार्टिसिपेटरी मानीटरिंग की घोषणा की गयी है। चाहे सांसद हों, चाहे सचिव हों, चाहे कमिश्नर हों, कोई भी अधिकारी काम शुरू होने के बाद से अथवा जब काम प्रारम्भ हो, तभी हम वहां जाकर मानीटरिंग करें। वहां पर जाकर देखें कि गुणवत्ता में सुधार हो रहा है कि नहीं।

श्री मनेजर सिंह–

यह सही है कि शासन ने आदेश दिया है। लाभार्थी समूह और ग्राम्य विकास अधिकारी के संयुक्त खाता खोल कर व्यय करने का निर्देश है, किन्तु ऐसा मौके पर नहीं हो रहा है। मैंने स्वयं अपने क्षेत्र में लोक नायक जय प्रकाश की जन्मभूमि कोडराहां नौबरार के भवन टोला पुरवा हरिजन बस्ती में निर्मित हो रही इंदिरा आवास में संयुक्त खाता लाभार्थी समूह और ग्राम्य विकास अधिकारी का खुला है, किन्तु वहां ग्राम्य विकास अधिकारी लाभार्थी समूह के प्रतिनिधि का दस्तखत करा कर स्वयं रुपया निकाल कर स्वयं सामान खरीदा है, लाभार्थी को कुछ पता नहीं है कि कहां से, कितने रुपये में सामान खरीदा गया है:

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, इसके लिए हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेवारी है। हम सभी लोग देखें कि जो हमारी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)–

मान्यवर, हम लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए, ठंढक भी लग रही है इस पर ध्यान देते हुए जिनसे पूछने वाले और जवाब देने वाले लोग हैं वह कम से कम पूंछे और कम से कम जवाब दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, संक्षेप में कहें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय रामशरण दास जी ने जो बात कही जिला परिषदों के चुनाव, ग्राम सभाओं और ब्लाकों के चुनाव हुए। जिला परिषदों के चुनाव में माननीय राम शरण दास जी आपका एहसास नहीं हो रहा है कि हवा का रुख किधर जा रहा है। 47 जिला परिषदों में 42 जिला परिषदों में कांग्रेस विजयी हुई और 42 में जो कांग्रेस विजयी हुई उसमें 10 जिला परिषद् में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित

हुए आपकी ताकत कहां गयी थी । मान्यवर, जो सुझाव है कि चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव में इस तरह की धांधली न हो, चुनाव में पैसे की प्रवृत्ति न हो, चुनाव में शराबखोरी की प्रवृत्ति न हो, इसका मैं समर्थक हूं लेकिन इसका दायित्व हमारा आपका सभी का है सभी मिलकर वातावरण बनायें कि ऐसे तत्व इन चुनाओं में न हावी हो यह कोई अकेले शासन की जिम्मेदारी नहीं है शासन की जिम्मेदारी तो प्रमुख रूप से है लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि हम समाज में ऐसे लोगों को ऐसे अवांछित तत्वों को जो चुनाव में हावी हो रहे हैं उनका मुकाबला करें उनको डटकर चुनाव में हरायें यह हमारी और सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है । इन शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों को चाहे विपक्ष के हों या सत्तापक्ष के हों सभी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने अमूल्य सुझाव दिये और मान्यवर, राम शरण दास जी से निवेदन करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,96,01,60,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,49,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,66,99,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री बंगाली सिंह की सूचना वक्तव्य के लिए और श्री सरदार सिंह की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ? एक जघन्य अपराध है । एक बालिका को उठाकर ले गये ।

श्री अधिष्ठाता–

आज दो स्वीकार हो गयी हैं । एक राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की वक्तव्य के लिए और दूसरी सरदार सिंह जी की केवल वक्तव्य के लिए ।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरी सूचना को आप माननीय गृह मंत्री जी को भेज दीजिए आवश्यक कार्यवाही के लिए । इतना तो कर दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसको भेज दिया जायगा ।

(मद संख्या 19 पुकारे जाने पर)

विद्युत परिषद् द्वारा सीमेन्ट के विद्युत खम्भों की खरीद में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मद संख्या 19 और 21 के लिए आपसे अनुरोध किया जा चुका है कि इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, स्थगित की जाती है । मद संख्या 20 माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

4 मार्च, 1989 को खतौली, मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा जनप्रतिनिधियों की पिटाई के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जिस अधिकारी का स्थानान्तरण होना था . . .

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा का विषय नहीं है । स्थगित कर दिया तो चर्चा नहीं हो सकती । नियमों के अनुसार चलें ।

जनपद गोरखपुर में पुलिस द्वारा शासनादेश एवं मुख्य मंत्री की घोषणा की अवहेलना के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय गौरीशंकर जी जो कह रहे थे, उसका क्या नियम था? इसमें क्या फैसला हुआ? स्थानान्तरण की क्या कार्यवाही हुई?

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य आ जायगा तो पता चल जायगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या फैसला हुआ? फैसला इनकी मौजूदगी में हुआ था।

श्री अधिष्ठाता–

जब स्थगित कर दिया तो इस विषय को नहीं उठाया जा सकता । जब हर्षबर्धन जी ने कह दिया और स्थगित हो गया तो किसी ने नहीं उठाया । नियमों के अनुसार चलें ।

लखनऊ कानपुर के मध्य उन्नाव शहर के बाहर स्थित बाई पास पर लखनऊ और कानपुर आने जाने वाले बसों के न रुकने से उत्पन्न स्थित के संबंध में परिवहन राज्य मंत्री का वक्तव्य

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

[उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के आख्यानुसार दिनांक 28-2-89 को प्रातः उन्नाव बाईपास पर युवा जनता दल द्वारा शामियाना लगाकर धरना दिया गया इस धरने में सर्वश्री सुन्दर लाल व शिव चरन बाजपेई, सदस्य विधान सभा और श्री शिवपाल सिंह भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा 60-70 नागरिक उपस्थित थे।

उक्त धरना पर बैठे नागरिकों की मुख्य मांगें निम्नवत् थीं:–

(1) उन्नाव बाईपास पर बैरियर लगाकर सभी वाहनों को रोकना सुनिश्चित किया जाय ।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(2) उन्नाव बाईपास पर एक चैक पोस्ट लगाकर राउन्ड दी क्लाक यातायात निरीक्षक अथवा बुकिंग लिपिक लगाये जायें ।

(3) मार्ग पत्रों पर उन्नाव बाईपास की मोहर लगायी जाय ।

(4) पेयजल की सुविधा, हैण्डपम्प की व्यवस्था, वाटर ब्वाय लगाकर की जाये ।

(5) धूप आदि से बचने के लिये यात्री शेड की व्यवस्था कराई जायें ।

बाईपास पर बैरियर लगाकर निगम बसों को रुकवाने की कार्यवाही उचित नहीं है क्योंकि बाईपास पर स्थान की कमी है और एक साथ आने वाली तथा जाने वाली सभी बसों को रोकने पर काफी भीड़ हो जाती है और रास्ता जाम हो जाता है । इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर चलने वाली भारी संख्या में ट्रकों एवं कारों की आवागमन की स्थिति के कारण असुविधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

उन्नाव बाईपास पर काफी समय पूर्व से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक पालीवार लिपिक या सहायक यातायात निरीक्षक को निगम की बसों को रुकवाने हेतु तैनात किया गया है जो एक रजिस्टर में उन्नाव बाईपास से होकर आने वाली उन वाहनों का विवरण अंकित करते हैं जो बसें बाईपास पर रुकवाई जाती हैं ।

वर्तमान में श्री आर0के0 सोनकर, बुकिंग लिपिक एक पाली में तथा श्री हरवंश प्रताप सिंह, सहायक यातायात निरीक्षक, दूसरी पाली में कार्यरत हैं । दिनांक 10-2-89 से धरने के पूर्व दिनांक 27-2-89 तक, प्रतिदिन उन्नाव बाईपास पर पाली-वार रोकी गयी बसों की संख्या का विवरण निम्नवत् :—

क्रम-संख्या	तिथि	बुकिंग लिपिक की पाली में रोकी गयी बसों की संख्या	सहायक यातायात निरीक्षक की पाली में रोकी गयी बसों की संख्या
1	10-2-89	30	28
2	11-2-89	35	26
3	12-2-89	35	31
4	13-2-89	36	34
5	14-2-89	32	32
6	15-2-89	45	26
7	16-2-89	निल	21
8	17-2-89	29	36
9	18-2-89	40	40
10	19-2-89	37	37
11	20-2-89	32	24
12	21-2-89	31	24
13	22-2-89	44	विश्राम
14	23-2-89	निल	27
15	24-2-89	37	27
16	25-2-89	42	30
17	26-2-89	51	28
18	27-2-89	41	30

बाईपास पर बसों को रूकवाने की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिये वर्तमान में लगे कर्मचारियों के अवकाश (विश्राम) के दिनों में अतिरिक्त लिपिक/निरीक्षक लगाये जाने के आदेश कर दिये गये हैं जिससे कि प्रत्येक दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बाईपास पर निगम बसों को रूकवाने में कोई व्यवधान न हो।

बाईपास पर आने जाने वाली परिवहन निगम की रोकी गयी बसों के मार्गपत्रों पर उन्नाव बाईपास पर मोहर लगाये जाने के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

बाईपास पर पेयजल की व्यवस्था हेतु जल निगम द्वारा एक हैण्ड पम्प लगाया गया है जो इधर कुछ समय से खराब चल रहा है। हैण्डपम्प को ठीक करने के लिए जल निगम के संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये सामान्य प्रबन्धक-2 कानपुर को निर्देश दे दिये गये हैं।

उन्नाव नगर पालिका द्वारा बाईपास बुकिंग आफिस के दायें एवं बायें दो शेल्टर बने हुये हैं तथा बस स्टेशन (बाईपास) से उन्नाव नगर की ओर अलग से कुछ शेल्टर बने हुये हैं जिनमें कुल मिलाकर 200-250 व्यक्ति बैठ एवं खड़े हो सकते हैं।

उन्नाव बाईपास पर आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि बस स्टेशन के लिये छोड़ी गयी है। जिलाधिकारी, उन्नाव ने निगम को उस भूमि को तत्काल क्रय कर बस स्टेशन बनाने के लिये लिखा है। निगम प्रबन्ध द्वारा वर्तमान में निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुये नये बस स्टेशनों को बनाने की नीति स्थगित रखी गयी है और जिला प्रशासन/स्थानीय निकायों/नगर पालिका/नगर महापालिका द्वारा बस स्टेशन/बुकिंग कार्यालय निर्माण कराये जाने पर उसका प्रयोग द्वारा बसों के फेरेवार किराये के भुगतान पर किये जाने का निर्णय निगम के निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया है।]

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मा0 परिवहन मंत्री जी ने वक्तव्य के अंतिम पैरा में कहा है कि बसों को रूकवाने हेतु दो कर्मचारियों को तैनात किया गया है, तो बसों को रोकने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की क्या जरूरत थी क्या इसके बाद बसों को रुकवाने के आदेश देंगे मा0 मंत्री जी? बसें इनकी हैं तो दूसरे कर्मचारियों को रोकने के लिए क्यों तैनात किया है। लखनऊ से उन्नाव बाईपास के लिए टिकट नहीं मिल रहे हैं। लखनऊ में कहा जाता है कि टिकट नहीं मिलेंगे तो क्या इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं मा0 दीक्षित जी को बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों की तैनाती इसलिए की गयी है कि बसें रुकवाएं। मा0 सदस्य की मांग बहुत सही है कि उन्नाव की जो बसें हैं, वहां पर रूकनी चाहिए। इसके लिए सख्त आदेश दूंगा और स्वयं देखूंगा कि बसें वहां पर रूकें। मान्यवर, मा0 शुक्लाजी की बीच में बोलने की आदत है, डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ला जी निवेदन है कि डिस्टर्ब न करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, ये दो चीज चाहते हैं एक यह कि वाई-पास पर बसें रूकें तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बसें उन्नाव में रुकनी चाहिए, वे बसें उन्नाव वाईपास पर भी रूकेंगी।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की तरफ से विभाग की तरफ से आदेश होते हैं कि बसें रोकी जाय लेकिन बसें रुकती नहीं उसका कारण क्या है माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी बसें रुकना आवश्यक नहीं है न सभी बसें रुक सकती हैं। जहां डिस्क्रिमियेनेशन हुआ, लखनऊ से कोई बस जायेगी उसमें कौन सी बस रुकेगी, ड्राइवर कंडक्टर पर बात आ जाती है चाहे तो रुके या न रुके। जब तक यह आदेश नहीं होगा कि जो भी बस लखनऊ से जायेगी वह बाईपास पर रुकेगी इसी तरह से कानपुर से जो बस आयेगी वह बाई पास पर रुकेगी तब तक बस बाई पास पर नहीं रुकेगी। इस तरह के स्पष्ट आदेश जारी करने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि माननीय दीक्षित जी को और माननीय विशारद जी को अपने यहां बुला लेता हूं जो जो बस वे कहेंगे उसके लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

शुगर मिल नवाबगंज, जिला गोण्डा के बन्द कर दिये जाने से लगभग पन्द्रह सौ मजदूरों के बेरोजगार हो जाने एवं गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान न किये जाने के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 23 स्थगित है।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
27 मार्च, 1989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0सं0 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

संलग्नक "क"

निविदादाताओं की सूची

1---मे0 इण्डियन ब्यूम पाइप कं0 लि0 पी0 ओ0 करारी, झांसी।
2---मे0 एक्मे इंजीनियर्स, लखनऊ।
3---मे0 कार्डन इंजीनियरिंग, हावड़ा।
4---मे0 इण्टर नेशनल पम्प एण्ड प्रोजेक्ट, नई दिल्ली।
5---मे0 शिवदुर्गा, हावड़ा।
6---मे0 सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग, नई दिल्ली।
7---मे0 उपाध्याय वाल्व, कलकत्ता।
8---मे0 कमला वाल्व, कलकत्ता।
9---मे0 हिन्दुस्तान वाल्व, हावड़ा।
10---मे0 ब्रिज इंजीनियरिंग, कानपुर।
11---मे0 क्वालिटी कास्टिंग, हावड़ा।
12---मे0 कल्पना वाल्व, हावड़ा।
13---मे0 क्वालिटी कान्स्ट्रक्शन कं0, नई दिल्ली।
14---मे0 पम्पस् मशीनरी, कारपोरेशन, नई दिल्ली।
15---मे0 सुभाष प्रोजेक्ट मारकेटिंग, नई दिल्ली।
16---मेसर्स एच0 मिश्रा, बर्रा पुलिस चौक, जूही, कानपुर।
17---मेसर्स टिम्बकोन, 1/1 बी जयनारायन चन्द्र लेन, कलकत्ता।
18---मेसर्स रमेशचन्द्र उत्तम, 128/285, एच-2, किदवईनगर, कानपुर।
19---मेसर्स हरभनी इंजीनियर्स, 1/23, गरिहट रोड, कलकत्ता।
20---मेसर्स मिनाक्षी बिल्डर्स 111/336, अलोक नगर, कानपुर।
21---मेसर्स टिम्बकोन, 1/1 बी, जयनारायण रोड, कलकत्ता।
22---मेसर्स ए0 के0 पुण्डीर, 128/34, ई-ब्लाक किदवईनगर, कानपुर।
23---मेसर्स मिनाक्षी बिल्डर्स, 111/336, अशोक नगर, कानपुर।
24---मेसर्स कश्मो ट्रेडर्स, 117/96, काकादेव, कानपुर।
25---मेसर्स डी0एस0रेखी, लाजपतनगर, कानपुर।
26---मेसर्स ए0बी0अग्रवाल एण्ड कं0, कानपुर।
27---मेसर्स उत्तम इण्टरप्राईजेज, कानपुर।
28---मेसर्स वक्तावर सिंह बालकृष्ण इंजीनियर्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
29---मेसर्स जे0के0 सेन्टिथैटिक, नई दिल्ली।
30---मेसर्स डब्लू0आई0जी0 ब्रदर्स प्रा0लि0, मथुरा।
31---मेसर्स फान्टियर कां0कं0प्रा0लि0, कानपुर।
32---मेसर्स अजय कुमार गुप्ता, कानपुर।
33---मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट, नई दिल्ली।
34---मेसर्स ओरियंटल कास्टिंग, नई दिल्ली।
35---मेसर्स डिप्लेक्स कं0
36---मेसर्स ज्योमिलर इंडिया।
37---मेसर्स मसीन एसोसिएट्स प्रा0लि0, नई दिल्ली।
38---मेसर्स नेशनल कांसट्रक्शन कारपोरेशन नई दिल्ली।
39---मेसर्स इ0पी0 आई0 नई दिल्ली।
40---मेसर्स हाइड्रोलिक जनरल इंजीनियरिंग कं0 प्रा0लि0 बम्बई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

41--मे0टी0पी0ब्रास ऐण्ड सन्स प्रा0लि0, 44ए रोड, बसुबंधी, हावड़ा--6
42--मे0 लेजरी वाल स्टील इन्डस्ट्रीज, 30/31 कालाकाकर स्ट्रीट, कलकत्ता।
43--मे0 मैकाली इंजीनियरिंग वर्क्स, 6 डी आर एन रोड, कलकत्ता।
44--मे0 लक्ष्मी मेटल इण्स्ट्रीज, 19 शिवाजी मार्ग, हिवेट रोड, लखनऊ।
45--मे0 नेशनल कास्टिंग कम्पनी, 813 पी0डी0 बाग (पूर्व) कलकत्ता।
46--मे0 सत्या कंस्ट्रक्शन, 34 न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
47--मे0 डायमन्ड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, 1131 कोल्ड कटरा, इलाहाबाद।
48--मे0 नई बस्ती, (सी0पी0स्टि0लि0), 141 नई बस्ती, इलाहाबाद।
49--मे0 पाण्डे इन्टर प्राइजेज, 314 मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।
50--श्री सतीश कुमार अनिल कुमार, 234 ममफोर्डगंज, इलाहाबाद।
51--श्री शंकर लाल अग्रवाल, 710, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।
52--मे0 त्रिवेणी ट्रेडर्स, 322 ओल्ड कटरा, इलाहाबाद।
53--मे0 आर0के0शा0 कम्पनी, कटरा, इलाहाबाद।
54--श्री अविनाश चन्द्र व्यास, 16 कल्यानी देवी, इलाहाबाद।
55--श्री अबदुल्ला, 122 जहांगीराबाद, इलाहाबाद।
56--श्री अबदुल्ला, 122 जहांगीराबाद, इलाहाबाद।
57--श्री करन सिंह, 123 एल. आई. जी. गोविन्दपुर, इलाहाबाद।
58--श्री जय तिलक सिंह, ग्रा0-खरपार, इलाहाबाद।
59--श्री संतोष सिंह, अल्लापुर, इलाहाबाद।
60--श्री अबदुल्ला, 122 जहांगीराबाद, इलाहाबाद।
61--मे0 डी/आर/सिंह एण्ड कम्पनी, रायबरेली।
61A-मे0 एच0ए0 बिल्डर्स, 107 टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
62--श्री संतोष सिंह, अल्लापुर, इलाहाबाद।
63--श्री करन सिंह, 123 एल. आई जी. गोविन्दपर इलाहाबाद।
64--मे0 अमर बिल्डर्स, 25/6 गोविन्दपुर, इलाहाबाद।
65--श्री मनोज कुमार, बाघम्बरी रोड, इलाहाबाद।
66--मे0 क्रीसेन्ट कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 11 शौकतअली रोड, इलाहाबाद।
67--श्री करन सिंह, गोविन्दपुर, इलाहाबाद।
68--मे0 अब्बासी बिल्डर्स, श्रीनगर कालोनी, बाराणसी।
69--मे0 डाइमंड इंजीनियरिंग, कटरा, इलाहाबाद।
70--मे0 सिंघल एसोसिएट, ड्रमंड रोड, इलाहाबाद।
71--मे0 उस्मान, मेहदौरी, इलाहाबाद।
72--जनता कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 220, रानी मंडी, इलाहाबाद।
73--मे0 जी0ओ0 मिलर एण्ड कम्पनी, प्रा0लि0, 91, नेहरू पैलेस, दिल्ली।
74--मे0 ड्रिप्लेक्स वाटर इंजीनि0प्रा0लि0, ड्रिप्लेक्स हाऊस, 9 पंचशील कम्युनिटी सेक्टर, नई दिल्ली।
75--मे0 भसीन एसोसिएट प्रा0लि0 58 जनपथ, नई दिल्ली।
76--मे0 वीयर्ड सेल साटेक लि0 एण्ड लार्सन एण्ड टुब्रो, 47 ग्रिनिज रोड, मद्रास।
77--मे0 पाली मेक्स (सीकार) पोलेण्ड।
78--मे0 एवामी सिविल कन्स्ट्रेक्टर, प्रा0लि0, 15 कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, दिल्ली।
79--मे0 हाइड्रोसिक एण्ड जनरल इंजीनियरिंग, लि0 तारदेव, बाम्बे।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 62 पर)

सूची

1--सड़कों के निर्माण का विवरण:--

सड़क का नाम विवरण	मूल्य
1--फतें 0 कचहरी के सामने रेलिंग लगाने का कार्य	24215.00
2--फर्रु 0 आई 0टी 0आई 0 रोड पर पुलिया निर्माण कार्य	9027.28
3--फर्रु 0 में घोड़ा नक्खास पुलिस चौकी से वंगशपुरा तक सड़क सुधार ..	27893.96
4--निर्माण कार्य हेतु रोड सामग्री की आपूर्ति	47487.18
5--फर्रु 0 में स्टेट बैंक से महावीरगंज मंदिर तक सड़क सुधार नाली, खरंजा	42912.40
6--फर्रु 0 में करवला रोड से कब्रिस्तान तक खरंजा निर्माण ..	50806.14
7--फर्रु 0 फतेहगढ़ में विभिन्न स्थानों पर पुलिया मरम्मत का कार्य ..	22458.12
8--फर्रुखाबाद में शाहजी नुन्हाई वाली गली में नाली व खरंजा निर्माण कार्य	6650.00
9--फर्रु 0 में सुनहरी मस्जिद के पास की गली में नाली खरंजा .. निर्माण कार्य।	28734.38
10--फतेहगढ़ में ग्वालटोली में ट्रेजरी आफिस के सामने गली में नाली व खरंजा निर्माण का कार्य	20531.89
11--फतेहगढ़ नगला दीना में नाली व खरंजा निर्माण	17494.14
12--फतेहगढ़ नेकपुर चौराहे में नाली खरंजा निर्माण	31795.92
13--फर्रु 0 में राजीव गांधी नगर में नाली, खरंजा व पुलिया निर्माण कार्य	99749.54
14--फर्रु 0 में नाला मछरट्टा से घोड़ा नक्खास पुलिस चौकी तक सड़क सुधार का कार्य।	38881.30
15--फर्रु 0 में खटकपुरा इज्जतखां में नाली व खरंजा निर्माण कार्य ..	80031.40
16--फर्रु 0 में रेटगंज में नाली खरंजा निर्माण कार्य	25914.68
17--फर्रु 0 में भीकमपुरा में नाली खरंजा निर्माण का कार्य ..	56717.00
18--फर्रु 0 में साहबगंज चौराहे से अंगूरी बाग रोड का सुधार कार्य ..	245000.00
19--फर्रु 0 में जंगवाज खां में नाली खरंजा निर्माण का कार्य ..	17512.22
20--फर्रु 0 में मनिहारी में खरंजा व नाली निर्माण का कार्य ..	11915.17
21--फर्रु 0 में रेलवे स्टेशन के पास नाला निर्माण का कार्य ..	23687.30
22--फर्रु 0 में मुख्य मार्ग पर रोड डिवाइडरों का निर्माण कार्य ..	21399.37
23--फर्रु 0 में लिन्जीगंज रोड का सुधार व पटरी पर खरंजा निर्माण ..	201150.25
24--फतेहगढ़ में रेलवे रोड की नाली का निर्माण कार्य	23500.00
25--फर्रु 0 में टाउन हाल में जलकल अभियन्ता निवास तक डामर रोड का निर्माण कार्य।	4492.00
26--फर्रु 0 में पलरा मंडी पटेल पार्क के सामने नाले की दीवार एवं पार्क के पास खंजा निर्माण।	9677.31
27--फर्रु 0 में म्यु 0 इण्टर कालेज के सामने ग्वालटोली में नाली खरंजा का निर्माण कार्य।	4950.00
28--फर्रु 0 में लालगेट के पास सड़क के किनारे प्लेटफार्म तथा रेलिंग लगाने का कार्य।	100000.00
29--फर्रु 0 में पटेल पार्क के सामने रेलिंग लगाने का कार्य ..	8138.00
कुल योग	1302721.96

वर्ष 1987-88 में विभिन्न नालों की सफाई पर हुए व्यय का विवरण

क्रम-संख्या	नाले का नाम		सफाई व्यय
1	फतेहगढ़ में नाला नगला दीना		
2	फतेहगढ़ में नाला गाड़ी खाना		
3	फतेहगढ़ में नाला भोलेपुर		
4	फतेहगढ़ में नाला कानपुर रोड		
5	फतेहगढ़ में नाला भूसा मण्डी		
6	फर्रुखाबाद में नाला गढ़ी कोहना-घोर शम खां से जितेन्द्र गैस गोदाम तक।		
7	फर्रुखाबाद में नाला दरवाजा-कादरीगेट पुलिया तक।		
8	फर्रुखाबाद में नाला खटकपुरा		
9	फर्रुखाबाद में नाला रैटगंज शौचालय से तलैया फजलइमाम तक		
	उक्त सभी नालों की सफाई पर हुआ व्यय	रु0	22764

विधान सभा फर्रुखाबाद

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 151 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर)

अनुपूरक तालिका

क्रम-संख्या	नाम अधिकारी	पद	जन्म तिथि	उम्र	अधिष्ठान में आने की तिथि	शैक्षिक योग्यता	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री एम0डी0 सेनवाल	उप मुख्य कार्याधिकारी	16-5-1937	51 वर्ष	25-4-1960	इंटरमीडिएट	10-12-1985
2	श्री के0एन0 पैन्यूली	कार्याधिकारी	10-12-1936	52 वर्ष	21-5-1973	एम0ए0	10-12-1985
3	श्री बी0एस0 सन्याल	मंदिर अधिकारी	12-9-1933	55 वर्ष	30-4-1965	हाईस्कूल	5-8-1985
4	श्री जे0पी0 नम्बूरी	लेखाधिकारी	3-5-1953	35 वर्ष	23-1-1978	बी0काम0	5-8-1985
5	श्री बी0एस0 कन्डारी	प्रचार अधिकारी	19-4-1934	54 वर्ष	7-6-1957	इंटरमीडिएट	11-12-1985
6	श्री आर0सी0 नैथानी	मंदिर अभियन्ता	22-1-1944	44 वर्ष	1-7-1974	इंटरमीडिएट 2-6-87 आई0टी0 आई0 मुख्यालय नैनी इलाहाबाद से 2 वर्ष का वायरमैन का ट्रेड उत्तीर्ण। एशियन इंजीनियरिंग इंस्टीटूयूट नई दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग कोर्स से डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र 22-3-78 को को प्राप्त किया। यह डिप्लोमा उ0प्र0 में मान्यता प्राप्त नहीं है।	20-6-1987
7	श्री जे0पी0 सती	धर्माधिकारी	5-5-1951	37 वर्ष	10-5-1978	आचार्य	30-3-1983

पी0एस0यू0पी0-एल0-129 विधान सभा-(196)-1989-8131

उत्तर प्रदेश विधान सभा